लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
03.2.84
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 50, सोमवार, 4 मई, 1970/14 वैशाख, 1892 (शक)
No. 50, Monday, May 4, 1970/Vaisakha 14, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
तारांकित प्रश्न संख्या / Q. No.		
381. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन	Representations for increase in pensions to Government employees ..	1—5
2. मंत्रियों के लिये छोटे मकानों का निर्माण	Construction of small houses for Ministers ..	5—8
3. दिल्ली में खाली पड़ी भूमि का उपयोग करने का उत्तरदायित्व	Responsibility in respect of utilisation of vacant lands in Delhi ..	8—11
1384. गर्भनिरोधक गोलियां	Oral contraceptive pill ..	11—13
1385. कैंसर रोग का पता लगाने के लिये कम्प्यूटर की स्थापना	Installation of Computer for detection of Cancer ..	14
1386. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का भार	Incidence of Direct and Indirect Taxes ..	15—16
1388. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने की योजना	Scheme to convert Oil and Natural Gas Commission into Autonomous Unit ..	16
उर्वरकों के उत्पादन के लिये वैकल्पिक कच्चा माल	Alternate raw material for production of fertilizers ..	16—18
अतारांकित प्रश्न संख्या / Q. No.		
खम्बात की खाड़ी में तेल के लिये तटदूर छिद्रण कार्य में बाधा	Set-Back to off-shore Drilling in Gulf of Cambay ..	19—22

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1387. भारतीय चीनी मिल संघ का, चीनी के कारखानों को दिये जाने वाले नकद धन तथा ऋण की सीमाओं को बढ़ाने का अनुरोध	Request made by Indian Sugar Mills Association to grant increased cash and credit limits to sugar factories ..	23
1390. दिल्ली में कैंसर केन्द्र	Cancer Centre in Delhi ..	23—24
1391. कपाडिया ब्रादर्स, द्वारा आय-कर की अदायगी	Payment of Income Tax by Kapadia Bros., Bombay ..	24—25
1392. दिल्ली नगर निगम को ऋणों का भुगतान	Payment of loans to Delhi Municipal Corporation ..	25
1393. अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में जनसंघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Jan Sangh deputation to the Prime Minister re-Rise in Prices of Essential Commodities ..	25—26
1394. दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालओं में कम्पाउण्डरों की कमी	Shortage of Compounders in C. G. H. S. Dispensaries, Delhi ..	26
1395. कैंसर से बहुत से लोगों की मृत्यु होना	High rate of deaths due to Cancer ..	26—27
1396. आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax ..	27
1397. बिड़ला हाउस, नई दिल्ली में नया निर्माण	New Construction at Birla House, New Delhi ..	27—28
1398. ग्राहकों के साथ लेन-देन आदि में बैंकों को प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति	Permission to use Regional Languages by Banks while dealing with Customers ..	28
1399. चौथी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अयस्क पर आधारित उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ore-based Industries by N. M. D. C. during Fourth Plan ..	28—29
1400. डीजल तेल का निर्यात	Export of Diesel oil ..	30
1401. धार्मिक संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन का विरोध किये जाने का प्रभाव	Effect of opposing Family Planning by Religious Institutions ..	30
1402. इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा आयुध फैक्टरी, भुसावल को बैरलों की सप्लाई के लिये क्रयादेश दिया जाना	Orders placed by I.O.C. with ordnance Factory, Bhusawal for supply of Oil Barrels ..	30—31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1403. बम्बई, हैदराबाद और कलकत्ता की टकसालों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of employees of Bombay, Hyderabad and Calcutta Mints ..	31
1404. मकान बनाने के लिये ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बनना	Simplification of procedure for Grant of House Building Advance ..	31—32
1405. भारत स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा विभिन्न संस्थानों को सहायता	Assistance to various Institutions by U. S. Embassy in India ..	33
1406. दिल्ली और राजस्थान के चलचित्र डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income-tax by the Film distributors of Delhi and Rajasthan ..	33—34
1407. दिल्ली में मेडिकल कालिज	Medical Colleges in Delhi ..	34
1408. एरण्डी के बीजों से गठिया रोग का इलाज	Castor seeds cure for rheumatism ..	34—35
1409. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के निर्मित मकानों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Houses build for Low Income group by DDA ..	35—36
1410. स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय	Amount spent by State Bank and Nationalised Banks on Advertisements ..	36
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8308. विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign exchange for shooting of Films Abroad ..	36—37
8309. खेतरी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project ..	37—38
8310. हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली द्वारा बनाये गये पूर्व निर्मित मकान	Prefabricated Houses builts by Hindustan Housing Factory, New Delhi ..	39—40
8311. अलर्क रोग (रेबीज) के टीके का जनता द्वारा प्रयोग	Use of Anti Rabies Vaccine in Public ..	40
8312. जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े तथा लघु उद्योगों को दिया गया ऋण	Amount of Loan paid by LIC to Private Sector and Large and Small Scale Industries ..	40

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/ Pages
8313. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धन बुनकरों को विद्युत चालित करघे खरीदने के लिये ऋण	Loans to Poor Weavers by Nationalised Banks for purchasing power looms	41
8314. 500 करोड़ रुपये के व्यय वाली आवास योजना बनाना	Formation of Housing Scheme involving Expenditure of Rs. 500 crores ..	41
8315. देश में बिना डाक्टरों के चलने वाले अस्पताल/औषधालय	Hospitals/Dispensaries running without Doctors in the country ..	41
8316. सरकारी उपक्रमों के लिये दिल्ली में आवास की व्यवस्था	Accommodation for Public Undertakings in Delhi ..	42
8317. पत्तनों में चोरी छिपे माल के लाने पर रोक लगाने के लिये कर्मचारी	Staff to check smuggling at Ports ..	42
8318. नायलोन के धागे का उत्पादन	Production of Nylon Yarn ..	43
8319. आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य में कमी करने से विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of Foreign exchange by enforcing price cut in Crude Imports ..	43—44
8320. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रशासकों के स्थान पर प्रोद्योगविज्ञों को नियुक्त करना	Replacement of Administrators by Technocrats in CPWD and Department of Works, Housing and Urban Development ..	44
8321. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शन अफसर से अधीक्षक इंजीनियर तक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना	Filling up of vacancies From sectional officers to superintending Engineers in C. P. W. D. ..	45
8322. कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली	Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi ..	45—46
8323. प्रतिरक्षा सामान के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को क्रयादेश देना	Defence Orders placed on Private Sector ..	46
8324. गाडगिल आश्वासनों के अनुसार अभी बसाये जाने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से दिल्ली में आये शरणार्थी	Refugees from West Pakistan in Delhi to be rehabilitated under Gadgil Assurances ..	46—47

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8325. पूर्वी उत्तर प्रदेश में उर्वरक की बिक्री तथा उसकी खपत को लोकप्रिय बनाना	Sale and Popularisation of Consumption of fertilisers in East U. P. ..	47
8326. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against officers of Enforcement Directorate ..	48
8327. भारत तथा इटली के बीच विमान सेवा करार	Air agreement between India and Italy ..	48—49
8328. फोर्ड फाउण्डेशन तथा एशिया फाउंडेशन के आमंत्रण पर अमरीका भेजे गये अधिकारियों द्वारा किये गये अध्ययन	Studies made by Officers sent to USA on Invitation from Ford Foundation and Asia Foundation ..	49
8329. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा लघु उद्योग को ऋण	Loans to small Scale Industries by State Bank of India ..	49—50
8330. नसबन्दी के आपरेशनों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding vasectomy operations ..	50
8331. राजधानी में पानी की कमी की प्रत्याशा	Anticipated water scarcity in Capital ..	51—52
8332. श्री हरीदास मूंदड़ा से आयकर की वसूली	Recovery of Income-tax from Shri Haridas Mundhra ..	52—53
8333. "इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड"	"Engineers India Ltd." ..	53—54
8334. कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना लगाने की मांग	Demand for a synthetic Rubber Plant ..	54—55
8335. पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता पुनः आरम्भ करना	Resumption of aid to private sector by West German Government ..	55
8336. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की आपूर्ति	Supply of Surgical equipments to I. D. P. L. ..	55—56
8337. ओखला जल हेड वर्क्स, दिल्ली को बन्द करने हेतु परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था	Funds for projects to enable closure of Okhla Water Head-Works Delhi ..	56—57
8338. सिंथेटिक धागे तथा सिंथेटिक फाइबर के लिये अधिक क्षमता के लिये लाइसेंस देना	Licencing more capacity for synthetic yarn and synthetic Fibre ..	57

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8339. भूमिगत जल का पता लगाने के लिये भूमि का सर्वेक्षण तथा उसके आधार पर नलकूप लगाना	Survey of land for location of sub-soil water and installation of tubewells on that basis ..	57—58
8340. भारत और डेनमार्क के बीच करार	Indo-Danish Agreement ..	58
8341. राज्यों द्वारा ऋण का भुगतान	Repayment of loans by the States ..	58—59
8342. दण्डकारण्य में उर्वरक कारखाने का लगाया जाना	Setting up of fertiliser factory in Dandakarnya	59
8343. मध्य प्रदेश के बीड़ी उद्योग के मालिकों द्वारा आय के गलत विवरणों का दिया जाना	Submission of false returns by Beedi Industrialists of Madhya Pradesh ..	59
8344. राजस्थान में अकाल-राहत निधियों का दुरुपयोग	Misuse of famine relief Funds in Rajasthan	59—60
8346. दिल्ली नगर निगम के सिनेमाघरों पर सम्पत्तिकर के मामले की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Investigation into property tax on Cinemas in Delhi Municipal Corporation ..	60—61
8347. विशाखापत्तनम पतन के विस्तार के लिये जापान द्वारा सहायता का प्रस्ताव	Offer of help from Japan for Expansion of Vishakhapatnam port	61
8348. बैलाडिला लौह अयस्क खान के विकास के लिये जापान से सहायता की पेशकश	Offer of help from Japan for Development of Bailadilla Iron Ore Mines	61—62
8349. प्रतिवर्ष राजधानी में बसने के लिये आने वाले व्यक्तियों का अनुमान	Assessment of persons coming to Capital annually for settlement ..	62
8350. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मशाला, कोरबा	N. C. D. C. Workshop, Korba ..	63—64
8351. मेसर्स महाराजा फाइनैन्सेस द्वारा आयकर तथा धन कर का भुगतान	Income tax and Wealth tax paid by Messrs Maharaja Finances ..	64—65
8352. राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई	Difficulties in getting loans from Nationalised Banks ..	65
8353. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 40 वर्ग गज के प्लाटों में निम्न आय वर्ग के लिये मकानों का निर्माण	Construction of tenements on 40 square yards plots for low income groups by DDA ..	66

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8354. दिल्ली में सरकारी कालोनियों का विकास के मामले में निकटस्थ नगर निगम क्षेत्रों से पिछड़ा रहना	Government colonies in Delhi lagging behind adjoining DMC areas in respect of development ..	66—67
8355. दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में गंदगी	Insanitary conditions prevailing in J. J. Colonies, Delhi ..	67
8356. स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के लिये पंजाब के वेतन-मान	Punjab Pay Scales for employees of Post Graduate Institute, Chandigarh ..	68—69
8357. आर्थिक और राजस्व संबंधी नीतियां बनाना	Formulation of Economic and Fiscal policies ..	69
8358. यमुना क्षेत्र में जनरल हस्पताल	General Hospital in Trans-Jamuna Area ..	69—70
8359. गांधीनगर/कृष्णानगर दिल्ली में औषधालयों का खोला जाना	Opening of dispensaries in Gandhinagar/ Krishna Nagar, Delhi ..	70
8360. नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर स्वर्ण, गिन्नी और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Gold, Guineas and foreign currency at Palam Air port, New Delhi ..	71
8361. बनाला मुटु में तांबे के निक्षेपों का पता लगाना	Existence of Copper Deposits at Bunala Mutu ..	71—72
8362. विभिन्न गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं के अन्तर्गत अधिकतम आय की सीमा को बढ़ाया जाना	Raising of the maximum income limit under various slum clearance scheme ..	72
8363. जीवन बीमा निगम द्वारा नगर पालिकाओं, जल पूर्ति तथा निस्सारण योजनाओं के लिये ऋण की स्वीकृति	Loans sanctioned by L. I. C. to Municipal Committees for Water Supply and Drainage Schemes ..	72—73
8364. बनारस केमिकल्स फैक्टरी पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Central Taxes outstanding against Banaras Chemicals Factory ..	73—74
8365. गुजरात में घास से तेल निकालना और उर्वरक तैयार करना	Extraction of oil and production of fertilizers from grass in Gujarat ..	74
8366. केरल में परिवार नियोजन के लिये देशी औषधियों से तैयार की गई गोली	Tablet for Family Planning Prepared from indigenous medicines in Kerala ..	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8367.	मंत्रालय में हिन्दी के काम में प्रगति	Progress made in Hindi work in Ministry ..	74—75
8368.	मध्य प्रदेश के अस्पतालों के विकास के लिये अनुदान	Grants for development of Hospitals in Madhya Pradesh ..	75
8369.	मध्य प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजनकेन्द्र स्थापित करना	Setting up Family Planning centres in urban and rural areas of Madhya Pradesh ..	75—76
8370.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चिकित्सा कर्मचारियों और डाक्टरों को ऋण	Loans to medical personnel and Doctors by nationalised Banks ..	77—78
8371.	ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा बनाये गये प्रस्ताव	Proposals formulated by banks for advancing of loans ..	78—79
8372.	भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिए कारखाने की स्थापना	Setting up of factory for manufacturing building components ..	79—80
8373.	विदेशों से प्राप्त ऋण पर ब्याज	Interest on loans received from foreign countries ..	80
8374.	लघु उद्योगों के विकास और कुएं खोदने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया की इन्दौर शाखा द्वारा लगाया गया धन	Amount invested by Indore branch of State Bank of India for development of small scale Industries and digging of Wells ..	80
8375.	लघु उद्योगों के विकास तथा कुएं खोदने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया की भोपाल शाखा द्वारा लगाई गई धन राशि	Amount invested by Bhopal branch of State Bank of India for development of small scale Industries and digging of Wells ..	81
8376.	लघु उद्योगों के विकास तथा कुएं खोदने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया की देवास शाखा द्वारा लगाया गया धन	Amount invested by Devas Branch of State Bank of India for development of small scale Industries and digging of Wells ..	81
8377.	लघु उद्योगों के विकास और कुएं खोदने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की उज्जैन शाखा द्वारा लगाया गया धन	Amount invested by Ujjain Branch of State Bank of India for Development of small scale Industries and digging of Wells ..	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8378.	लघु उद्योगों के विकास और कुंए खोदने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया की रतलाम शाखा द्वारा लगाया गया धन	Amount invested by Ratlam Branch of State Bank of India for development of Small Scale Industries and digging of Wells ..	82
8379.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा	Losses Incurred by Public Sector Undertakings. ..	82
8380.	सुपर फास्फेट उर्वरक कारखानों की बेकार पड़ी क्षमता	Capacity of Superphosphate Fertilizer Factories lying idle ..	82—83
8381.	बम्बई के मैसर्स कपाडिया बन्धुओं द्वारा अंशों का खरीदा जाना	Purchase of Equity shares by M/s. Kapadias of Bombay ..	83—84
8382.	पंत मार्ग, नई दिल्ली के पास अन्तर्राष्ट्रीय योगाश्रम केन्द्र को सरकारी आवास का दिया जाना	Allotment of Government accommodation to International Yogashram centre near pant marg, New Delhi ..	84—86
8383.	कोटा में आय-कर कार्यालय	Income tax office at Kotah ..	86
8384.	संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के जनरल अस्पतालों के सिविल सर्जनों द्वारा लिखी गई दवाइयों की सप्लाई	Supply of medicines to MP's prescribed by the Civil Surgeon of a Hospital in their constituencies ..	86—87
8385.	मंत्रियों को उपचार व्यय का पुनः भुगतान	Reimbursement of Medical expences to Ministers ..	87
8386.	कर की बकाया राशि	Tax arrears ..	87—88
8387.	भारत के रिजर्व बैंकको शाखाओं में काम कर रहे कर्मचारी	Employees working in the Branches of Reserve Bank of India ..	88
8388.	पटना स्थित भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारी संस्था द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by RBI Employees' Association, Patna ..	89
8389.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता	UNICEF Aid to Primary Health Centres ..	89
8390.	देहरादून के डा० फूलसिंह की संतति निरोध योजना	Birth Control Scheme by Dr. Phool Singh of Dehra Dun ..	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8391.	परिवाहकों, रिक्शावालों, छोटे ठेकेदारों आदि को दिया गया उधार	Amount advanced to Transporters, Rickshawalas and small Contractors, etc. ..	90
8392.	परिवार नियोजन अभियान के माध्यम से देश में जन संख्या में वृद्धि को रोकना	Curb on increase in population in the country through Family Planning Campaign	91
8393.	विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं पर व्यय	Expenditure on various Housing Schemes ..	91
8394.	1969-70 में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	Export of Petroleum Products during 1969-70 ..	91—92
8395.	स्कूलों में परिवार नियोजन और यौन सम्बन्धी शिक्षा	Family Planning and Sex Education in Schools ..	92
8396.	आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित आदिम जाति निगम, विशाखापत्तनम पर आयकर	Income tax on A. P. Scheduled Tribe Corporation, Visakhapatnam ..	92—93
8397.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा आंखों की प्लास्टिक पुतलियों का निर्माण	Production of plastic cornea by A. I. I. M. S. ..	93—94
8398.	कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of coking coal mines ..	94
8399.	आंखों के आपरेशन के लिये परियोजना तथा शिविर स्थापित करना	Setting up of project and camps for eye operations ..	94—95
8401.	1969 में अपरिष्कृत तेल का आयात करने की आवश्यकता	Import needs of crude oils during 1969 ..	95
8402.	निम्न कोटि तथा उच्च कोटि के कोक कर कोयले के तुलनात्मक भंडार	Comparative deposits of low grade and high grade coking coal ..	95—96
8403.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वास्तुकला नक्शानवीशों में असन्तोष तथा निराशा	Frustration and discontent among the Architectural draftsmen in C. P. W. D. ..	96—97
8404.	वास्तुकला नक्शानवीशों के सेलेक्शन ग्रेडों को निश्चित करने में विषमता	Disparity in determination of selection grade of Architectural Draftsmen ..	97

तारा० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8405.	सफदर जंग एनक्लेव, नई दिल्ली के आस-पास गन्दी बस्तियों को हटाना	Removal of slum colonies around Safdarganj Enclave, New Delhi ..	97—98
8406.	प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of staff in Enforcement Directorate ..	98—99
8407.	प्रवर्तन निदेशालय के लिये मंजूर किये गये अतिरिक्त पद	Additional posts sanctioned for Enforcement Directorate ..	99—100
8408.	आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax ..	100
8409.	चालू व्यस्तता की कार्यविधि में बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Amount of Bank credit advanced during 'Current Busy Season' ..	100—101
8410.	बिहार के दरभंगा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of nationalised Banks in Darbhanga district, Bihar ..	101—102
8411.	गांधी बलिदान स्थल न्यास	Gandhi Balidan Sthal Trust ..	102
8412.	बिडला भवन को गांधी "बलिदान स्थल" का नाम देना	Naming of Birla Bhavan as "Gandhi Balidan Sthal" ..	102—103
8413.	कलकत्ता के विकास के लिए धन-राशि	Funds for development of Calcutta ..	103
8414.	कलकत्ता में गन्दी बस्ती सफाई कार्यों के लिये पी० एल० 480 निधियों का उपयोग	Utilisation of PL-480 funds for slum clearance works in Calcutta ..	103—104
8415.	जीवन बीमा निगम द्वारा पशु बीमा आरम्भ करना	Starting of cattle insurance scheme by Life Insurance Corporation ..	104
8417.	ऋण लेने के लिये दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा 'बांड' जारी करने के लिये सुझाव	Suggestion of DDA to float bonds for raising loans ..	104
8418.	'रिवाल्विंग हाउसिंग फण्ड' के अन्तर्गत ऋण	Loans under revolving housing fund ..	104—105
8419.	भारत के स्टेट बैंक की बालासौर, भद्रक तथा बारीपद, शाखाओं द्वारा छोटे व्यापारियों तथा व्यवसायियों आदि को ऋण दिया जाना	Loan advanced to small traders and Businessmen by Branches of State Bank of India at Balasore, Bhadrak and Baripada ..	105—106

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8420. उड़ीसा में निकल प्लांट	Nickel plant in Orissa ..	106
8421. चौथी पंचवर्षीय योजना में छापेखाने स्थापित करना	Setting up of printing presses in the 4th Plan period ..	106—107
8422. औद्योगिक ऋण में वृद्धि	Expansion of Industrial Credit ..	107
8423. राजधानी में निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिये निर्मित मकान	Built-up Houses for low-income group in Capital ..	107—108
8424. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान	Houses constructed by DDA ..	108
8426. परिवार नियोजन हेतु अविवाहित नव युवकों का आपरेशन करने पर रोक	Check on operation of Unmarried young person for family planning ..	109
8427. दिल्ली तथा नई दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों का खुले शौचालयों के रूप में प्रयोग	Use of Public places as open lavatory in Delhi and New Delhi ..	109
8428. भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई के लिये स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बेरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के पास शेष क्रयादेश	Orders for supply of Barrels to I. O. C. outstanding with Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. ..	109—110
8429. भारत के स्टेट बैंक में जमा धन की राशि तथा अग्रिम धन देने में वृद्धि	Growth of Deposits and Advances of the State Bank of India ..	110—111
8430. बिड़ला सार्थ समूह की निर्माता कम्पनियां	Manufacturing Companies of Birla Group ..	111—112
8431. उत्तरी बिहार का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological survey of North Bihar	112
8433. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग को ऋण दिया जाना	Loans advanced by Industrial Credit and Investment Corporation to Handloom Industries in Maharashtra ..	112—113
8434. पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का काम फिर आरम्भ करना	Resumption of oil exploration works in West Bengal ..	113
8435. कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन	Report of Expert Team on setting up of Coal-based Fertilizer Plants ..	113—114

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8436. केन्द्रीय आवास आवर्ती निधि में से नगरीय तथा ग्राम्य विकास के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for Urban Rural Development out of the Central Housing Revolving Fund ..	114
8437. नई दिल्ली नगर पालिका के बजट को निलम्बित करना	Suspension of N. D. M. C. Budget ..	114—115
8438. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendations made by Working Group of Administrative Reforms Commission regarding working of Reserve Bank of India ..	115
8439. निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास के विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Report of Administrative Reforms Commission relating to Department of Works, Housing and Urban Development ..	115—116
8440. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission on Direct Taxes ..	116
8441. स्टेट बैंक आफ इंडिया में ऋण-पत्र प्रणाली आरम्भ करना	Introduction of Letter-of Credit System in S. B. I. ..	116
8442. भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशें	Recommendations made by Medical Council of India ..	116—117
8443. सरकारी मकानों के अलाटियों के विक्रय अनुमति देने में विलम्ब	Delay in according sale permission to allottees of Government Houses ..	117
8444. अलाटियों का विक्रय अनुमति देने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र	Objection Certificate for sale Permission to Allottees ..	117—118
8445. डीजल की खपत के सम्बन्ध में समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee on Diesel Consumption ..	118
8446. वर्ष 1970-71 में मिट्टी के तेल की मांग	Kerosene Demand during 1970-71 ..	118—119
8447. तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघों तथा संगठनों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव	Proposals sent by Central Government Employees' Unions and Organisations for inclusion in terms of reference of Third Pay Commission ..	119

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8448. राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के निदेशक श्री एस० बूथालिंगम द्वारा 1970 की वर्षिक योजना के लिये संसाधनों के बारे में दिया गया वक्तव्य	Statement made by Shri S. Boothalingam, Director on N. C. A. E. R. on Resources for Annual Plan, 1970-71 ..	119—120
8449. स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को सीधे ऋण दिया जाना	Direct loans given by State Bank of India to Farmers in M. P. ..	120—121
8450. केन्द्रीय आवास तथा विकास निगम की स्थापना	Setting up of Central Housing and Development Finance Corporation ..	121
8451. 'निर्धन व्यक्ति' को सीधे अग्रिम राशि दिया जाना	Direct Advances given to 'Small Man' ..	121—123
8452. ऋण की पात्रता के लिये मापदण्ड निर्धारित करना	Fixing up of Criterion of Creditworthiness ..	123
8453. राजस्थान में एक लाख रुपये से अधिक बकाया आयकर वाली फर्में तथा व्यक्ति	Arrears of Income-tax above Rupees one Lakh against Firms and Individuals in Rajasthan ..	124
8454. सेंट्रल फार्म्स स्टोर, कलकत्ता के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Class IV Employees of Central Forms Stores, Calcutta ..	124—125
8455. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी यूरोपीय समिति आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement by President of Commission of European Committees on International Currency ..	125
8456. होशंगाबाद में सिक्यूरिटी पेपर मिल कैन्टीन	Security Paper Mill canteen at Hoshangabad ..	126
8457. सामूहिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन	Registration of Groups Housing Co-operative societies ..	126
8458. विश्व बैंक द्वारा कलकत्ता के विकास के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for the Development of Calcutta by world Bank ..	126—127
8459. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को हानि	Loss suffered by Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. ..	127—128
8460. मूल्यों में वृद्धि के कारण श्रमिकों तथा सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among Workers and Government Employees at a Result of rise in Prices ..	128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8461.	चोरी छिपे लाई गई चीनी का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Sugar ..	128—129
8462.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	Delhi Rent Control Act ..	129
8463.	एशियाई विकास बैंक से सहायता	Aid from Asian Development Bank ..	130—131
8464.	टेट्रासाइक्लीन के बदले पानी की सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज करना	Black listing of Firm supplying water in Tetracycline ..	131—132
8465.	लेखा-परीक्षक की आपत्तियों का निपटारा करने के लिये तिथि-रेखा	Dateline for disposal of Audit objections ..	132—133
8466.	कलकत्ता में मलनिस्सारण व्यवस्था	Drainage system in Calcutta ..	133
8467.	जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों की नियुक्ति का आधार	Criteria for appointment of development officers in LIC ..	133—135
8468.	मलेशिया में भारतीय बैंकों के भविष्य के बारे में मलयेशिया सरकार के साथ विचार-विमर्श	Discussions with Government of Malaysia regarding future of Indian Banks in Malaysia ..	135
8469.	साउथ ऐवन्यु (नई दिल्ली) के फ्लैटों में मच्छरों तथा मक्खियों में वृद्धि	Increase of Mosquitoes and flies, South Avenue flats, New Delhi ..	135—136
8470.	साउथ एवेन्यु संसद सदस्य क्षेत्र के लानों की देख-रेख	Maintenance of lawns of South Avenue MPs. Area ..	136—137
8472.	मौरिशस को आर्थिक विकास के लिये सहायता	Assistance to Mauritius for economic development ..	137
8473.	औषधि निर्माण	Pharmaceutical production ..	137—138
8474.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के कर्मचारियों की मांग	Demands of workers of State Bank of India, Hyderabad ..	138—139
8475.	कलकत्ता की पुरानी टकसाल में चांदी-शोधनशाला का बन्द करना	Closing down of silver refinery in old Calcutta Mint ..	139

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8476. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मकानों का अलग पूल	Separate pool of Quarters for Employees of Public Undertakings ..	139—140
8477. दिल्ली में सरकारी रिहायशी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों का कार्यकरण	Working of CPWD Enquiry Offices in Government residential colonies in Delhi ..	140—141
8478. केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	Class III staff of CPWD ..	141—142
8479. केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of officers in CPWD ..	142—143
8480. आय-कर इंसपेक्टरों की भर्ती के लिये विज्ञापन	Advertisement for recruitment of income tax Inspectors ..	143—144
8481. बिहार की तांबे की खानों तथा अन्य सम्बद्ध उद्योगों में संकट	Crises in Bihar Copper Mines and allied Industries ..	144
8482. प्रजनन के अयोग्य व्यक्तियों का बंध्यीकरण किये जाने के बारे में जांच	Enquiry into sterilisation of those persons who are no longer able to procreate ..	145
8483. परिवार नियोजन को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिये ग्राम पंचायतों में अर्हता प्राप्त स्वास्थ्यचरों (हेल्थ विजिटर) की नियुक्ति	Appointment of qualified Health visitor at Gram Panchayat for running of Family Planning programme effectively ..	145—146
8484. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आरंभ किये गये बैंकिंग से भिन्न कार्य	Non-Banking operations Undertaken by nationalised Banks ..	146—147
8485. कोचीन के सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for the employees of Customs Department, Cochin ..	147—148
8486. सीमा-शुल्क विभाग, कोचीन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters for the staff of Customs Deptt., Cochin	148
8487. कर अपवंचन के मामले	Cases of Tax evasion ..	149
8488. आयकर तथा सम्पत्ति कर की वसूली	Recovery of Income tax and Wealth tax ..	149

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
8489.	सम्पत्ति कर की वसूली / Recovery of Wealth tax	.. 149—150
8490.	पेट्रोलियम विशेषज्ञों और भू-वैज्ञानिकों का सम्मेलन / Conference of Petroleum Experts and Geologist	.. 150
8491.	शाहदरा-दिल्ली के रोहतास नगर में बाबापुर सड़क को चौड़ा करना / Widening of Babapur Road, Rohtas Nagar, Shahdara Delhi	.. 150—151
8492.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा धारवाड़ तथा रायचूर जिलों के किसानों को ऋण दिया जाना / Advances to Agriculturists in Dharwar and Raichur Districts by the Central Bank of India	.. 151—152
8493.	केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित परियोजनाएं / Centrally sponsored projects in Kerala	.. 152
8494.	सहायक सीमा शुल्क कलक्टर, कोचीन द्वारा अनियमितताएं / Irregularities by the Assistant Collector of Customs, Cochin	.. 152
8495.	आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता / Aid by World Bank for irrigation Projects of Andhra Pradesh	.. 153
8496.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण / Construction of Staff quarters of L.I.C.	.. 153—154
8497.	दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल में कैन्सर के रोगी / Cancer Patient in Willingdon Hospital, Delhi	.. 154
8498.	इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम समवाय का अधिग्रहण / Taking over of Indo-Burmah Petroleum company by Indian Oil Corporation	.. 154—155
8499.	वित्त मंत्रालय में आर्थिक-कार्य विभाग द्वारा निम्न श्रेणी के लिपिकों की भर्ती / Recruitment of L.D.C's. by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance	.. 155—156
8500.	जयपुर के आय-कर विभाग के लिये मकान का निर्माण / Construction of Building for income-tax department, Jaipur	.. 156
8501.	नई दिल्ली स्थित हौज खास एक्सटेन्शन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय / CGHS Dispensary at Haus Khas Extension, New Delhi	.. 156—157
8502.	हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा अन्य तेल कम्पनियों तथा ग्राहकों को बैरलों की सप्लाई / Supply of Barrels to other oil Companies and customers by Hind Galvanising and Engineering Company	.. 157

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8503. भारत ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की ओर करों की बकाया धन-राशि	Outstanding amount of taxes against Bharat overseas Pvt., Ltd., New Delhi ..	157—158
8504. ग्रामों का पीने के पानी की सप्लाई के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Rural Drinking Water Supply ..	158—159
8505. भारत सरकार के विभिन्न विभागों में हिन्दी अधिकारियों के वेतनमानों में विभिन्नता	Disparity in pay scales of Hindi Officers in different Departments of the Government of India ..	159—160
8506. भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी मकानों का खाली न किया जाना	Non-vacation of Residential Accommodation by Ex-Members of Parliament ..	160—161
6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के सम्बन्ध में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Connecting Statement to USQ No. 5246 dt. 6-4-70. ..	161
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अमरीकी लड़ाकू एककों की सहायता से दक्षिण वियतनाम की सैनिक टुकड़ियों के कम्बोडिया में प्रवेश का समाचार	Reported crossing of South Vietnamese army units into Cambodia with the support of United States combatants ..	161—168
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	168—169
अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	Direction issued by Speaker ..	169
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation ..	169
वित्त विधेयक, 1970	Finance Bill, 1970 ..	169—194
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	169
श्री शान्ति लाल शाह	Shri Shantilal Shah ..	170—172
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	172—173
श्री राजाराम	Shri Rajaram ..	173—175
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	175—172
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker ..	177—181
श्री चि० गौतम	Shri C. D. Gautam ..	181—182
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari ..	182—186
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma ..	186—187
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma ..	187—188

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	..	188—189
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	..	189—191
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	..	191—193
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	..	194
आधे घंटे की चर्चा—	Half an Hour Discussion—		
लाल किले के निकट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा	Statue of Netaji Subhash Chandra Bose near Red Fort	..	194
श्री बे० कु० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	..	196
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	..	198

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 4 मई, 1970 / 14 वैशाख, 1892 (शक)
Monday, May 4, 1970/Vaisakha 14, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन

*1381. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 200 रुपये मासिक और उससे अधिक पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस कुल अतिरिक्त व्यय का हिसाब लगाया है जो 200 रुपये मासिक से 400 रुपये मासिक तक पेंशन पाने वाले सभी व्यक्तियों की पेंशन में 20 रुपये प्रति मास की औसत वृद्धि करने के कारण होगा ;

(ग) क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) मोटे अनुमान के अनुसार, अतिरिक्त व्यय लगभग 75 लाख रुपये प्रति वर्ष का होगा ।

(ग) और (घ). हाल के महीनों में घोषित किये गये लाभों में किसी भी वृद्धि का विचार करना समय-पूर्व होगा ।

Shri George Fernandes : Whenever the question of pensioner is raised here the Government always put off it by such answers. When, according to the Hon. Minister, a Rs. 20/- increase in the pensions of the pensioners drawing pension between Rs. 200 and Rs. 400 will cost the ex-chequer Rs. 75 lakh only, what is then the difficulty before the Government in order to remove the hardship of these pensioners upto some extent ?

Shri P. C. Sethi : The Government has always been sympathetic with the pensioners since 1943. That is why they were given facilites in 1943, 1945, 1958, 1963, 1969 and also in the Budget proposals for this year. As regards the pensioners drawing pension upto Rs. 200 P. M., they have been given facilities. Although relief has not been given to those who draw pension above Rs. 200 P. M., but efforts have been made to make ad-hoc adjustments in budget proposals for this year so as to raise their pension upto Rs. 220 P. M.

Shri George Fernandes : The question is about the pensioners whose pension is between Rs. 200 to Rs. 400 P. M.

Shri P. C. Sethi : The case concerning those who draw pension below Rs. 200 was more difficult as their emoluments were very small. Therefore, their case was given over all consideration. But I donot say that no consideration was given to those who draw more than Rs. 200 P. M.

Shri George Fernandes : I want to know why the consideration was limited to those who draw upto Rs. 200 ? What is difficulty in regard to those who draw Rs. 400 that the Government could not take any decision in their case ? Can't the Government spare Rs. 75 lakh per year for them ?

There is no question of stating what the Government did for the pensioners since 1943 to 1970 as the value of the rupee has considerably gone down since 1943 and if I explain the calculations in this regard, the Hon. Minister will find no answer. The value of a rupee now is only 12 paise. Are the Government prepared to consider this basic point that the dearness allowance should be added to pension and as the prices go up, their pension be increased by adding dearness allowance to it ; and that necessary amendments may be made in the 100 year old Pension Act ?

Shri P. C. Sethi : The question of adding dearness allowance to the pensions has been examined a number of times but, it has not been found possible because the dearness allowance to the present employees is given as contractual obligation....

Shri George Fernandes : Is the pension not a contractual obligation ? Is it a favour ? No, it is not so.

Shri P. C. Sethi : At present the Government has to spend Rs. 63.28 crore on pension. Speaking loudly will not help in bringing out money. It is not so easy.

Shri George Fernandes : This type of answers are also not going to solve the problem. We are prepared to speak in any way to get the money out.

Shri P. C. Sethi : At the very start I had stated that the Government keeping in view the condition of the pensioners, have been giving relief to them from time to time. Therefore an increase has been made in their pension. I do not mean that we will not consider this case in future. We have always been considering their case keeping in view the difficulties of the pensioners and also the capacity of the Government. And we will consider in future also.

श्री लोबो प्रभु : मुझे प्रसन्नता है कि श्री फरनेन्डीज ने अधिक पेन्शन लेने वालों को और अधिक पेन्शन दिलाने के बारे में सोचा परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि 200 रुपये से अधिक पेन्शन वालों से पूर्व हमें खासतौर से राज्यों तथा नगर निगमों में 200 रुपये से कम पेन्शन पाने वालों के बारे में सोचना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि मुद्रा स्फीति सरकार ने की है और केन्द्र सरकार ही इसके लिये जिम्मेवार होनी चाहिये। अतः मैं यह नहीं मानता कि यह मामला राज्य सरकारों का है। मंत्री महोदय हमें इसका एक भी कारण बतायें कि महंगाई भत्ते तथा पेंशन में वृद्धि को केन्द्र सरकार क्यों न वहन करें क्योंकि सरकार की मुद्रा स्फीति की नीतियों के कारण ही रहन-सहन के मूल्यों में वृद्धि हुई है, अतः यह केन्द्र का दायित्व है न कि राज्यों का क्योंकि पेन्शन का मूल्य मुद्रा स्फीति के कारण ही घटा है।

श्री प्र० चं० सेठी : महंगाई भत्ते के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है।

श्री लोबो प्रभु : मैंने यह पूछा है कि सरकार यह धन क्यों नहीं देती।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। श्री बलराज मधोक।

श्री बलराज मधोक : अधिकांश पेन्शनधारी बहुत वृद्ध लोग हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक सरकार की सेवा की है। क्योंकि सरकार समाजवादी सरकार होने का दम भरती है, तो उसे लोगों के सामाजिक कल्याण के लिये प्रयास करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी समाजवादी कार्यवाही के संदर्भ में इस पेन्शन को बढ़ाकर निर्वाह योग्य मजूरी के समान करेगी ताकि इन वृद्ध लोगों को, जिनका निर्वाह के लिये कोई सहारा नहीं है, सहायता की जा सके, क्योंकि उन्होंने जब वे समर्थ थे, देश की सेवा की और अब उनकी जीविका चलती रहे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने पेन्शनरों के मामले पर हमेशा ही सहानुभूति से विचार किया है। हम चाहते हैं कि न केवल पेन्शनरों को बल्कि समाज के सभी अंगों के लोगों को न्यूनतम मजूरी मिले परन्तु प्रश्न तो यह है कि इतना धन देने में हम समर्थ हों तथा देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि सरकार ने हमेशा ही पेन्शनरों के मामले में हर सम्भव सहानुभूति से विचार किया है।

श्री बलराज मधोक : क्या इस कार्यवाही को एक समाजवादी कार्यवाही के रूप में किया जा सकता है ? आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया।

Shri S. M. Joshi : The Government will have to spend only Rs. 75 lakhs per annum to increase the pension of the pensioners drawing pension between Rs. 200 to Rs. 400 by Rs. 20/-. This increase of Rs. 20 will be appreciated more by those whose pension is Rs. 200 than by those who draw Rs. 400. Therefore, the Government can at least give Rs. 20 more to all those who are drawing pension between Rs. 200 to Rs. 400. It should not be given in proportionate to the dearness allowance but if all of them are given block-increase, each of them will be benefited. Are the Government prepared to do so ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य का यह एक सुझाव है तथा सरकार उचित समय पर इस पर विचार करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टरूप से दो बातें जानना चाहूंगा। एक तो श्री फरनेन्डीज द्वारा 200 रुपये से 400 रुपये तक पेन्शन पाने वालों के बारे में पूछे गये प्रश्न के बारे में तथा दूसरे महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत या शत प्रतिशत को पेन्शन के साथ मिलाने के बारे में जैसाकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि सरकार स्वयं ही कोई निर्णय लेने में असमर्थ है, क्या वह इस मामले को वेतन आयोग की स्वेच्छा पर छोड़ देंगे ताकि उक्त आयोग सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिये कोई ठोस सुझाव दे सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वेतन आयोग के बारे में नहीं है, बल्कि पेन्शन में वृद्धि के बारे में है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न इसी प्रश्न में से निकलता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रश्न को वेतन आयोग को विचारार्थ सौंपेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : पेन्शनरों का मामला खासतौर से वेतन आयोग को नहीं सौंपा गया है। परन्तु वेतन आयोग उनकी बातों पर निश्चय ही विचार कर सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : हम जानना चाहते थे कि क्या यह वेतन आयोग को सौंपा जायेगा। उसका उत्तर "हां" या "नहीं" में देने की बजाय मंत्री महोदय कहते हैं कि वेतन आयोग यदि विचार करे तो इसका वह स्वागत करेंगे।

श्री लोबो प्रभु : माननीय सदस्य को स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को स्वयं ही अपनी बात कहने दीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार वेतन आयोग को इस पर विचार करने के लिये कहेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा परिलब्धियों के बारे में विचार करने को कहा गया है। अतः यह प्रश्न उसके विचारार्थ बातों का विशेषरूप से एक भाग नहीं बन सकता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यदि वेतन आयोग उनकी समस्याओं पर विचार करे तो हम उसका स्वागत करते हैं।

Shri Tulshidas Jadhav : In several case, the freedom fighters are also given some pension equal to Rs. 50 or odd ; but it is given keeping in view his personal income or that of his brother or son. Similarly in the case of pensioner, do the Government consider the income of a pensioner or his son while granting him pension.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह असम्बन्धित प्रश्न है।

Shri Tulshidas Jadhav : This question is related to the question regarding increase or decrease in pension. While granting pension to a freedom fighter, his income is first assessed and like wise, may I know whether a pensioner's income is also kept in view while granting him his pension?

अध्यक्ष महोदय : केवल "पेन्शन" शब्द का प्रयोग करते हुये क्या आप सभी प्रकार के पेन्शनधारियों के बारे में पूछ सकते हैं ?

Shri Tulshidas Jadhav : I once again ask whether the Government keep in view the income of the pensioner while granting him pension. And the Hon. Minister is prepared to answer.

अध्यक्ष महोदय : जब यह प्रश्न केवल सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन से सम्बन्धित है तो वह कैसे इसका उत्तर दे सकते हैं ?

Shri Sheo Narain : All the pensioners of the Government service have been very loyal to the Government and after devaluation the value of their pension has gone down considerably. May I know whether the Government is prepared to make good that gap ?

Mr. Speaker : This question has already been replied to. He has come late. How can I allow the questions and their answers to be repeated ?

मंत्रियों के लिये छोटे मकानों का निर्माण

*1382. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के लिये छोटे मकानों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, उसकी मुख्य बात क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) "छोटे मकान" शब्द अस्पष्ट-सा है। बड़े बंगलों के प्लाटों का पुनर्विकास करके फ्लैटों वाले बहुमंजिले निर्माण की ही बात विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न अभी विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है, और इसलिये, कोई ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केबिनेट मंत्री से लेकर उपमंत्रियों तक के विशाल बंगलों को बहुमंजिला इमारतों में परिवर्तित किया जा रहा है और क्या ये घर केवल सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे।

श्री के० के० शाह : सम्पूर्ण क्षेत्र के पुनर्विकास का प्रश्न विचाराधीन है और उसी सिलसिले में मंत्रियों के बंगलों के विषय को भी लिया जाएगा किन्तु उन्हें कितनी सुविधाएं प्रदान की जाएं, इस सब पर पुन: विचार किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें। ऐसा सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री के लिए एक बंगला बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका घर बहुत छोटा है पर हम चाहते हैं कि घर और भी छोटा हो ताकि बाहर होने वाले प्रदर्शनों एवं नारों की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश की इस वित्तीय संकट की स्थिति में बहुजन हित को देखते हुए प्रधानमंत्री के लिए नया बगंला बनाने के विचार को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री के आवास की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए किन्तु घर बहुत बड़ा हो ऐसा आवश्यक नहीं, फिर भी इतनी जगह अवश्य होनी चाहिए जिसमें उनका कार्यालय भली भांति कार्य कर सके। एक ऐसे मकान के निर्माण की योजना भी थी जिसमें प्रधान मंत्री के आवास के साथ-साथ कार्यालय के लिए भी स्थान था। ऐसा प्रस्ताव अभी भी है। वह घर केवल मेरे लिए नहीं होगा अपितु वह घर भावी प्रधानमंत्रियों का भी निवास स्थान बनेगा।

श्री बलराज मधोक : जनपथ पर एक स्थायी निवास स्थान था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, यदि कोई घर विशेषतः प्रधान मंत्री के लिए बनाया गया होता तो प्रधान मंत्री उसे बदल नहीं सकता और ऐसी कोई इमारत नहीं है। अभी भी इसके लिए मात्र योजना बनाई गई है। हम इसे प्राथमिकता नहीं देना चाहते किन्तु फिर भी मेरा विचार है कि प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रकार का घर बनाना आवश्यक है ताकि उनसे मिलने वाले लोगों तथा प्रतिनिधि मंडलों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने स्वयं कहा है, उन्हें अपने लिए बड़ा घर नहीं चाहिए।

श्री पीलु मोदी : कल उनका परिवार बढ़ सकता है।

श्री श्रीचन्द गोयल : छोटे मकान की बात तो रही अलग, असली बोझ तो खजाने पर निःशुल्क बिजली-पानी की सप्लाई और बगीचे के रख-रखाव आदि ऐसी अनेक सेवाओं द्वारा पड़ता है। लोगों द्वारा यह आलोचना की जाती है कि राज्यों में मंत्रियों पर 10,000 रुपये तथा केन्द्र में लगभग 20,000 रुपये खर्चा आता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उठाए गए प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीचंद गोयल : इन सब चीजों का एक मकान में होना अति आवश्यक है। अतः सरकार क्या इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी कि मकान देने के साथ साथ ये निशुल्क सेवाएं न प्रदान की जाएं। इससे एक और व्यय में तो भारी कमी आएगी ही और दूसरे लोगों की आलोचना से भी बच जाएंगे।

श्री के० के० शाह : दुर्भाग्यवश मंत्री को जितना गलत समझा जाता है, शायद उतना किसी अन्य को नहीं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वास्तव में मंत्री को क्या वेतन मिलता है। केबिनेट मंत्री को प्राप्त होने वाले 2250 रुपये में से 600 तो आयकर के रूप में काट लिए जाते हैं। मैं संसद के सदस्यों को शिकायत नहीं कर रहा किन्तु इससे सदस्य एक मंत्री और संसद सदस्य की तुलना करने में समर्थ होंगे। यदि यह संभव है तो मैं अपना वेतन संसद सदस्य के वेतन से बदलने को तैयार हूं। किन्तु मैं केवल वेतन बदल रहा हूं, न कि अपना पद।

जहां तक बिजली-पानी का सवाल है, छोटे बंगलों में रहने वाले सभी सदस्य जानते हैं कि बम्बई तथा अन्य स्थानों की तुलना में दिल्ली में बिजली-पानी का खर्च कितना है। प्रत्येक मंत्री को बिजली पानी पर 200 रु० प्रतिमाह खर्च करने की अनुमति है परन्तु फिर भी हम सब इसके अतिरिक्त 200 से 300 रुपये तक का बिल चुकाते हैं।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, सदस्य मंत्रियों को मिलने वाले फर्नीचर की तुलना संसद सदस्यों को मिलने वाले फर्नीचर से कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम 30 रुपये प्रति माह फर्नीचर के लिए देते हैं।

श्री हेम बरुआ : पहले एक अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि मंत्रियों को फ्लैट्स में रहना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों को फ्लैट्स मिल गए हैं या अभी इनका निर्माण करना है।

श्री के० के० शाह : मैंने पहले भी कहा है कि विषय अभी विचाराधीन है।

Shri Rabi Ray : Sir, have you ever inquired as to the area of land which will be available when the Ministers vacate their present houses.

श्री के० के० शाह : मैं इसकी जांच करा रहा हूं, कि कितनी जमीन उपलब्ध हो सकेगी।

Shri Rabi Ray : When will you give the information ?

Shri K. K. Shah : It will take some time.

श्री मनुभाई पटेल : मंत्रियों के लिए बनाए जाने वाले छोटे घरों का अर्थ सस्ते घरों से नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मंत्रियों के लिए बनाए जाने वाले कुछ छोटे फ्लैट्स के बारे में अधिकतम व्यय की सीमा निश्चित कर ली है ?

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Mr. Speaker, Sir, a lot of discussion has taken place about Ministers residences, but nothing has been said about the complaints in the flats of the members of Parliament located in North Avenue. The complaints about sanitation are also not attended to. Their demand for furniture etc is not heard on the plea that these are for Ministers. Iwant to know what action has been taken in this matter.

Shri K. K. Shah : I can say with confidence that I had tried a lot during the last 12 months, still if there are some complaints the Hon. Members are requested to draw my attention towards them and I shall try to do whatever possible.

Mr. Speaker : This was irrelevant question but even then I allowed. So please stop it now.

Shri Tulshidas Jadhav : Sir, just now a question had been raised that a house is going to be built....

Mr. Speaker : No it has not been said.

Shri Tulshidas Jadhav : Sir, Prime Minister does not need a bigger house. When people go to meet her they have to stand as there is no sitting place. The Prime Minister herself does not need a bigger house but space is required for visitiors, Day before yesterday two opposition M. P's who had gone there themselves said that there was not enough space. The Prime Minister herself requires two to three rooms but a bigger house is required for her staff.

Mr. Speaker : This is what he has just said.

Shri Tulshidas Jadhav : Sir, answer must be given.

Mr. Speaker : Please sit down. A question which had already been answered must not be repeated. If you people sit attentively my difficulty would be solved.

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, Sir, I want to ask a very short question. What is the estimate of the expenditure to be incurred on the proposed Prime Minister's house.

Shri K. K. Shah : It has not been started yet.

Shri Ram Gopal Shalwale : There must be some estimate.

Smt. Indira Gandhi : As I have just said, no house is under construction, not even a plan has yet been formulated. As our friend Shri Tulshidas Jadhav has said that Prime Minister does not need a bigger house but special accommodation is required for her secretariat and her visitors. But so far no action has been taken in this matter and it is not being given any priority.

दिल्ली में खाली पड़ी भूमि का उपयोग करने का उत्तरदायित्व

*1383. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में खाली पड़ी भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग के भूमि तथा विकास कार्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारों में दोहराव है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने भूमि तथा विकास कार्यालय के अधीन आने वाली खाली पड़ी भूमि को, विकास के उद्देश्य से, दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस आशय के आदेश दे दिये गये हैं और उसका ब्योरा क्या है ;

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं, वे भूमि के प्रशासन और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करते हैं ।

(ख) जी नहीं, अनुमोदित उपयोग के लिये ऐसी भूमियों के विशिष्ट हस्तान्तरण के लिये सरकार सहमत है ।

(ग) प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर आदेश जारी किये जाते हैं ।

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, Sir, the reply given by hon. Minister is misleading. I would like to know whether it is not a fact that according to the Metropolitan Act, which was passed previously, Land and Development office was to be kept under the jurisdiction of Delhi Administration ? Is it not also a fact that when there was Chief Minister in Delhi Land and Development office was under the jurisdiction of Delhi Administration? So in view of, overlapping, I would like to know why this department is not transferred to Delhi Administration or Delhi Development Authority ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : As far as Government colonies are concerned, Government keeps only that part of land which Government requires. In this connection Delhi Administration has written a letter which says as follows :

"150 plots of land which were in our occupation and which were occupied by squatters may be handed over to them. On a scrutiny it was found that 32 plots were handed over for

the present and those were physically made over to the DDA for management. Out of the 73 plots which are partly in rehabilitation colonies and partly in Government colonies, the rehabilitation plots have not yet been transferred to the control of the Land and Development officer. It has been proposed that subsequent to the transfer of rehabilitation plots some of them would be utilized to make up the existing deficiency in the service colonies."

Shri Balraj Madhok: Is it not a fact that by-laws of the plots, which were provided for construction of buildings according to lay out of Delhi Corporation are changed ? Now more area can be covered but when buildings are constructed according to that lay out, Land and Development office demands hundreds of rupees more on the ground that the other was an old plan and present is new one. I would like to know whether the Land and Development office will give permission to construct the buildings according to the lay out of Delhi Municipal Corporation and for that purpose the department will not ask for new lease charges or extra charges?

Shri K. K. Shah: As I have told 32 plots were given. It will be decided after taking in view of their requirements and those of ours.

Shri Balraj Madhok: Hon. Minister has not followed my question. Under the Land and Development office there are not only 32 plots but there are thousand of plots which should have been transferred to Delhi Administration. Previously Delhi Municipal Corporation had given permission to cover 56 percent area of the plot but now it gives permission to cover 66 percent of the plot. But when buildings are constructed Land and Development office demands thousand of rupees. Hence I would like to know whether Land and Development office will give permission to people to construct buildings accordings to the by-laws of Delhi Municipal Corporation and it will not ask for new lease charges or new charges ?

श्री के० के० शाह : दो प्रश्न पूछे गये हैं । पहला प्रश्न पट्टे की शर्तों के बारे में है, जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी या किसी और व्यक्ति को कब्जा करने की अनुमति दी जाती है । दूसरा प्रश्न निगम के विनियमों के बारे में है । दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं । इसमें अधिक्रमण की कोई बात नहीं । जहां तक किराये को, जो 30 वर्ष या उसके पास बढ़ाया जाना है, निश्चित करने का प्रश्न है, यह इस बात पर आधारित होगा कि कितना क्षेत्र प्रयोग करने की अनुमति दी गई है अथवा कितना क्षेत्र प्रयोग में लाया गया है । यदि क्षेत्र का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जायेगा, उदाहरणार्थ आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिये, तो सरकार को अतिरिक्त धन लेने का पूरा अधिकार है । प्लाट को आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के प्रयोग करने के बारे में निगम के अपने विनियम हैं । यदि प्लान्ट का नियत उद्देश्य की बजाये दूसरे उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होगा निगम के विनियमों का पालन नहीं किया गया है ।

श्री बलराज मधोक : आप दोनों मामलों को एक दूसरे में मिला रहे हैं । पहले पट्टे की शर्तों के अनुरूप निगम 56 प्रतिशत क्षेत्र प्रयोग करने की अनुमति देती थी, अब वह 66 प्रतिशत प्रयोग करने की अनुमति देती है । वे अधिक पैसा क्यों मांगते हैं ?

श्री के० के० शाह : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि पहले शर्तों के अनुरूप 56 प्रतिशत क्षेत्र प्रयोग करने की अनुमति दी जाती थी । अतः धन की वसूली इस बात पर आधारित होती थी कि कितना क्षेत्र प्रयोग में लाया गया । अब 66 प्रतिशत क्षेत्र प्रयोग करने की अनुमति दी गई है ।

इसका अर्थ यह हुआ कि निर्माण हेतु अधिक क्षेत्र का उपयोग किया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार अधिक क्षेत्र उपयोग में लाये जाने पर अतिरिक्त धन वसूल न करके घाटा क्यों खाये ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : समय-समय पर सरकार व्यक्तियों को अथवा सहकारी समितियों को भूमि आवंटित करती रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सहकारी समितियों को भूमि कितनी बार दी गई और किस आधार पर दी गई ? मैं जानना चाहता हूं संसद-सदस्यों की सहकारी-समिति को भूमि देना स्वीकार क्यों नहीं किया गया ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री के० के० शाह : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी न रहे, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। सबसे पहले, संसद-सदस्यों की सहकारी समिति में केवल संसद सदस्य ही नहीं बाहर के भी व्यक्ति हैं। अत: इसे संसद-सदस्यों की सहकारी समिति कहना संगत नहीं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह संस्था संसद सदस्यों ने चलाई थी।

श्री के० के० शाह : मैं तथ्य बता रहा हूं। दूसरे, इस सहकारी समिति को शाहदरा में भूमि दी गई थी। दुर्भाग्यवश-इसे समिति ने लेना अस्वीकार कर दिया। इसमें सरकार का क्या दोष है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इन दो संगठनों के बीच अतिक्रमण है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि क्या यह सत्य है कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि संसद-सदस्यों को बिनाबारी के प्लाट दिये जाएं और उन्हें संसद-सदस्यों के उपनिवेशों में मकान बनाने के लिये विशेष रियायतें दी जाएं। यदि संसद-सदस्य मकान बनाना चाहते हैं तो वे उन सहकारी समितियों के जरिये प्रयत्न क्यों नहीं करते जो साधारणतया भूमि का आवंटन करती है। ये विशेष रियायतें संसद-सदस्यों को क्यों दी जाती है। इस कारण से सारे देश में यह कहा जाता है कि संसद-सदस्य अपने पद का विशेष लाभ उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है और सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

श्री के० के० शाह : मैंने इस प्रश्न का बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया है। मैंने संसद-सदस्यों को मध्य आय वर्ग में रखा है अर्थात् जिनकी आय 18 हजार रुपये तक है उन्हें 200 वर्ग गज का प्लाट दिया जाता है और वह भी इस शर्त पर कि वे उसे दो वर्ष के भीतर बनाएंगे और इस समय जिस प्लाट पर उनका कब्जा है उसको खाली कर देंगे। इससे सरकारी प्लाटों की मांग में कमी हो जायेगी। उन्हें मध्य आय वर्ग में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती सिवाय इसके कि उन्हें शर्तों का पालन करना पड़ेगा और उन्हें बारी की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अन्यथा उन्हें इस वर्ग में आने वाले अन्य व्यक्तियों में गिना जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। वाद-विवाद चल रहा है और समाचार पत्रों में इसकी आलोचना की गई है। हम जानना चाहते हैं कि

वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या संसद-सदस्यों को बिना बारी के प्लाट देने संबंधी विशेष रियायतें दी जा रही हैं ? यदि हां, सरकार की कार्यवाही आपत्ति-जनक होने के साथ-साथ संसद-सदस्यों को भी मान्य नहीं है । माननीय मंत्री स्थिति स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न विभिन्न प्राधिकरणों के अधिकारों के अधिक्रमण के बारे में था । संसद-सदस्यों को दी जाने वाली भूमि का प्रश्न बीच में वैसे ही घसीटा जा रहा है । इस मामले में कुछ संसद-सदस्य मेरे से पहले ही बातचीत कर चुके हैं । मेरे विचार में इस प्रश्न का विस्तारपूर्वक उत्तर किसी और समय दिया जाये । संसद-सदस्य इस प्रश्न के बारे में नोटिस दें । मुझे खेद है कि मैं इस समय इस प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकता ।

इसका अर्थ यह है कि मामला कुछ समय तक लटका रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य विधिवत नोटिस दें ।

श्री बलराज मधोक : मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय नोटिस स्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मन्त्री को इस प्रश्न पर वक्तव्य देने के लिये क्यों नहीं कहते ।

श्री के०के० शाह : चूंकि यह संसद सदस्यों से सम्बन्धित है । मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो । यह सच है कि संसद सदस्यों को भूमि देने के बारे में मांग की गई थी । (**व्यवधान**) यह मांग इसलिए की गई क्योंकि शाहदरा में संसद सदस्य सहकारी संस्था को जो भूमि आवंटित की गई थी, वह उन्हें उपयुक्त प्रतीत नहीं हुई । संयोगवश, उस संस्था में केवल संसद सदस्य ही नहीं, बाहर के व्यक्ति भी थे । अतः उन व्यक्तियों को बारी आने पर भूमि आवंटित की गई ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मन्त्री से वक्तव्य देने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे इस समय वक्तव्य देने पर जोर न डालें । माननीय मन्त्री किसी दूसरे समय वक्तव्य दे देंगे । संसद सदस्यों को भूमि के आवंटन का विषय काफी विवादास्पद रहा है । यह बात हमारे लिये उचित नहीं है । सदन में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए , चाहे इसके लिये कोई संसद सदस्य पूछे अथवा कोई सामान्य व्यक्ति पूछे । स्थिति पूर्णतया स्पष्ट की जानी चाहिये ।

गर्भनिरोधक गोलियां

*1384. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यह गर्भनिरोधक गोली कब तक तैयार करके जनता को उपलब्ध करा दी जाएगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, खाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गर्भ-निरोधक गोलियों पर देश के विभिन्न स्थानों पर अनुसंधान कार्य पहले ही चल रहा है। यह कार्य प्रधानत: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है।

(ख) जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :-

(1) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, संभोग के पश्चात प्रयोग की जाने वाली गोली की खोज कर रहा है। इसका अभी जानवरों पर परीक्षण किया जा रहा है।

(2) महीने में एक बार प्रयोग की जाने वाली गोली देश में विभिन्न केन्द्रों पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा स्त्रियों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। जानवरों पर परीक्षण किया जा चुका है। तथापि, परिणामों के मूल्यांकन करने से पहले इस अध्ययन में कुछ समय लगेगा।

(3) एक देशी औषधि की, जो पाउडर के रूप में प्रदान की जाती है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जांच की जा रही है और यह एक मास में 2 या 3 दिन प्रयोग की जाती है। इसके विषैला न होने की दृष्टि से जांच की जा चुकी है, जानवरों पर परीक्षण कार्य समाप्त हो चुका है। अब महिलाओं पर जांच शुरू करने का विचार है।

(ग) क्योंकि विभिन्न प्रकार की गोलियों पर किया जा रहा अनुसंधान कार्य अभी बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में है, अत: यह पता नहीं कि ऐसी खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां कब तैयार होंगी और अपने देश में लोगों को कब प्रदान की जाएंगी।

Shri Ram Kishan Gupta : Hon'ble Minister has said just now that it is on experimental stage. I want to know what result, have been achieved at this experimental stage and when would these pills be actually tried on women?

डा० एस० चन्द्रशेखर : इस बारे में दो बाते हैं। आयातित गोलियां मूल्य अदा किये जाने पर पहले से ही उपलब्ध हैं। अब हमारी रुचि देश में ही गोलियां निर्मित करने में है। उपलब्ध सामग्री से गोलियां बनाने में एक या दो वर्ष का समय लग सकता है।

Shri Ram Kishan Gupta : It has been said just now that trials have to be initiated. I want to know if any assessment has been made as to what effect these pills would have on the health of women?

डा० एस० चन्द्रशेखर : जी, नहीं।

श्री हेम बरुआ : कुछ समय पहले यह कहा गया था कि जो व्यक्ति परिवार नियोजन नियमों का पालन करेंगे, उन्हें ट्रांजिस्टर दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों को ट्रान्जिस्टर दिये गये हैं और कितने व्यक्तियों ने वास्तव में परिवार नियोजन किया ?

डा० एस० चन्द्रशेखर : हमने, नसबन्दी किये जाने पर औद्योगिक फर्मों के माध्यम से ट्रान्जिस्टर वितरित किये हैं।

श्री ए० श्रीधरन : यह सरकार सभी प्रकार के सन्तति-निरोध उपायों को अपनाती रही है और उनमें से कुछ तो स्पष्टतः असफल भी रहे हैं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में लूप पहने हुये एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का नाम "लूपिका" रखा गया। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार नये सन्तति निरोध उपायों और अनुसन्धानों को अपना रही है, तो क्या सरकार डाक्टरों के उस दृढ़ मत से अवगत है कि गर्भ निरोधक गोलियों से कैन्सर होता है।

डा० एस० चन्द्रशेखर : उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 'लूपिका' जैसा मामला पांच हजार मामलों में से एक मामले में भी नहीं होता। उनके निर्वाचन-क्षेत्र में यह एक अपवाद हो सकता है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, इस मामले की जांच करने के लिए ब्रिटेन में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी और उसने "हाउस आफ कामन्स" को एक रिपोर्ट पेश की थी जिससे यह पता चलता है कि कैन्सर होने की बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता।

श्री पीलु मोडी : यह बड़ी मनोरंजक बात है कि उसने लूप की परवाह ही नहीं की।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know from the Hon'ble Minister that in view of the fact that all the trials and inventions are being carried out on women, whether such pills would be manufactured, which would be tried on men and especially, first of all on Ministers? What are Government's plans in this connection?

डा० एस० चन्द्र शेखर : खाने की गोलियां का अनुसन्धान महिलाओं के वास्ते है, न कि पुरुषों के लिए।

अध्यक्ष महोदय : मगर उन्हें तो अपनी फिक्र है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Government manufactures contraceptive pills, and does not pay attention to atom bombs. I want to know whether Government has tried to find out cost-effectiveness of the expenditure incurred on the manufacture of these contraceptive devices? If so, what has been the expenditure in this connection?

डा० एस० चन्द्र शेखर : खाने की गर्भ निरोधक गोलियों की लागत-लाभ अनुपात को मालूम करने के लिये मन्त्रालय ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, contraceptive pills and Family Planning programme have a common aim of restricting the growth of our population and also maintaining health of the people. No efforts have been made, neither any publicity has been made for promoting self-restraint and good morals in the people. If you adopt this also, growth of population will not naturally go down. Would Government also consider to make wide publicity of self-restraint and good morals among people and create a separate department for this purpose?

Mr. Speaker : This is a question of medicine. How does this crop up in this?

डा० एस० चन्द्र शेखर : माननीय सदस्य के इस सुझाव पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति लय प्रणाली अथवा संयम या ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri : In addition to this, you should create a Department for give wide publicity to self-restraint and morals.

कैंसर रोग का पता लगाने के लिये कम्प्यूटर की स्थापना

*1385. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिकागो विश्वविद्यालय ने मानव-शरीर में कैंसर रोग का पता लगाने के लिए एक कम्प्यूटर का निर्माण किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस देश में, जहां प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक व्यक्ति कैंसर से मर जाते हैं, बड़े अस्पतालों में ऐसे कम्प्यूटर स्थापित करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) इस बारे में एक प्रेस रिपोर्ट थी ।

(ख) और (ग). उपलब्ध अपर्याप्त संसाधनों तथा कई सामान्य बीमारियों, जिससे हमारी जनता परेशान रहती है के नियंत्रण, रोक तथा उपचार पर धन खर्च करने की अविलम्ब आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपने अस्पतालों में ऐसे कम्प्यूटर स्थापित करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : हमारे देश में प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में, अधिकांश मामलों में, मुश्किल से ही कोई अनुसंधान कार्य होता है । क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में कैंसर के इलाज करने और उसका पता लगाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान कार्य पर कितना धन व्यय नहीं किया गया ?

डा० एस० चन्द्रशेखर : देश में अनेक संस्थायें हैं, जिनमें से तीन प्रमुख हैं, जहां कैंसर का पता लगाने की सामान्य परम्परागत उपायों को अपनाया जाता है । दुर्भाग्यवश यह प्रश्न शिकागो विश्वविद्यालय में कैंसर का पता लगाने के लिये कम्प्यूटर लगाये जाने के बारे में है । उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हमने इसकी जांच की और यह पाया कि यह बहुत ही खर्चीली और बहुत दिखावटी विधि है जो संभवतः हमारे देश में नहीं अपनायी जा सकती । इसलिए, परम्परागत तरीकों को हमारे देश में अपनाया जाता है, भले ही वे संभवतः शत-प्रतिशत सही न हों ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : कैंसर का पता लगाने के लिए इन परम्परागत तरीकों पर चौथी योजना में कितनी राशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ; क्या इस बारे में कोई प्रावधान किया गया है ?

डा० एस० चन्द्रशेखर : अस्पताल-व्यय के लिए नियत कुल धनराशि के आंकड़े हमारे पास हैं और किसी विषय विशेष के किसी खास मुद्दे के बारे में नहीं । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : योजना क्या है ? आप परम्परागत अनुसंधान पर कितना धन व्यय करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का भार

*1386. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार जनसंख्या पर जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के भार का वर्तमान विभाजन है उसमें कोई छूट की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . माननीय सदस्य का ध्यान, उस अध्ययन की ओर आकर्षित किया जाता है जो वित्त मंत्रालय ने 1963-64 के अप्रत्यक्ष कर भार के सम्बन्ध में किया था और जिसे दिसम्बर, 1969 में संसद में परिचालित किया गया था । उस अध्ययन के अनुसार शहरी परिवारों द्वारा, हर एक हजार की जनसंख्या के आधार पर प्रति मास 5,800 रुपया तथा ग्रामीण परिवारों द्वारा उसी आधार पर प्रति मास 3000 रुपये कर के रूप में चुकाया जाता है । प्रत्यक्ष कर भार के सम्बन्ध में, कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि आकार के अनुसार आय के वितरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विभिन्न प्रकार के जो कर लगाये जाते हैं वे कितने लगाये जायं और कैसे लगाये जायं, इस बात का चुनाव करने का मूल केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का होता है और जिस समय केन्द्रीय बजट तैयार किया जाता है उस समय वर्तमान कर भार को तथा करों में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धियों के कारण पड़ने वाले प्रभाव को और व्यय को भी ध्यान में रखा जाता है ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या यह सच है कि ग्रामीण और शहरी जनता के मध्य कर भार का वितरण असमान है, क्योंकि विशाल देहाती जनसंख्या पर यह बहुत कम है और थोड़ी सी शहरी जनसंख्या पर यह अत्यधिक है । तुलनात्मक रूप में उन्हें करों की बहुत अधिक राशि अदा करनी पड़ती है । क्या इसके कारणों के बारे में कोई समीक्षा की गई है और क्या इस खाई को पाटने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : कर लगाये जाने के बारे में, प्रति व्यक्ति द्वारा अदा की जाने वाली मासिक कर की राशि का अनुमान शहरी परिवार के लिए 5.80 रु० आंका गया है जो ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति द्वारा अदा की जाने वाली अनुमानित मासिक कर राशि दो रुपये से लगभग तीन गुनी है । प्रति हजार जन संख्या के लिये, अप्रत्यक्ष करों का मासिक कर भार शहरी जनसंख्या के लिए 5800 रु० है और ग्रामीण जनसंख्या के लिये 2000 रु० है । कारण यह है कि जहां तक शहरी क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां लगने वाले प्रत्यक्ष करों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जाने वाले प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कहीं कम है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether it is a fact that if corresponding amenities are taken into consideration, the incidence of direct and indirect taxes in our country is the heaviest in the world ? The corresponding amenities provided by the Government in our country are very few. The figures furnished just now by the Hon'ble Minister relate to the year

1963-64. Seven years have passed and more taxes have been levied since then. Would Government try to find out through experts, current position of our country in this connection in relation to other countries? Would the Government constitute a Committee of experts to make a scientific analysis of this matter?

Shri P. C. Sethi: So far as incidence of taxes relating to year 1969-70 is concerned, amount of per capita tax payment is Rs. 8.90 for urban households and Rs. 3.30 for rural households. So far as percentage of incidence of direct and indirect taxes is concerned, it is wrong to say that it is higher in India in comparison to other countries. As an illustration I would try to furnish figures of 3-4 countries for the year 1967, Total percentage of direct and indirect taxes in France is 25.3 and of direct tax and indirect tax being 7.4 and 17.9 respectively. Similarly in Ireland it is 11.00 for direct tax, and 17.5 for indirect tax, total being 28.5. In Netherlands it is 17.4 for direct and 12.00 for indirect total being 29.4. In comparison to all this, ours is 2.8 and 9.6. .....**(Interruptions).**

Shri Kanwar Lal Gupta: Corresponding amenities are much more there than no amenity here. You do not provide even drinking water.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक स्वायत निकाय में परिवर्तित करने की योजना

+

*1388. **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक स्वायत निकाय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को, कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) . तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है, पहले ही सरकारी क्षेत्र का एक स्वायत उपक्रम है, अतः इसे स्वायत्त निकाय में बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

Alternate Raw Material for Production of Fertilizers

*1389. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the details of the report submitted by the Committee appointed to explore alternative raw material for the production of fertilizers ; and

(b) the programme being formulated by Government on the basis of the recommendations of the said Committee ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). नई उर्वरक परियोजनाओं के लिये विभिन्न कच्चे माल के प्रयोग के तकनीकी आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिये स्थापित की गई समिति का अध्ययन कार्य अभी जारी है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, May I know whether the whole crude oil can be utilised for production of fertilizers making benefit out of the experience gained by other countries in this field ? Please give us detailed information regarding the study which is being conducted, the vast programme for facing the shortage of fertilizers—perhaps the Government might have reached upto a conclusion in this—and regarding the feed stock provided for production and fertilizers in the fourth and fifth plans.

श्री दा० रा० चह्वाण : एक अध्ययन दल का गठन किया गया है, और इसकी अब तक केवल एक ही बैठक हुई है । दल ने अध्ययन पूरा नहीं किया और प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जहां तक अन्य फीड-स्टाक का सम्बन्ध है, हम देश में प्राकृतिक गैस, नाफ्ता, ईंधन तेल, एल० एस० एच० एस०, एच० एस० एच० एस०, कोयला-भट्टी गैस, विद्युतीकृत उद्जन और लिग्नाइट का उपयोग कर रहे हैं । इन फीडस्टाकों का उपयोग हमारे देश में किया जाता है । उदाहरण के लिए उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग किये गये कुल फीडस्टाक का 69 प्रतिशत नाफ्ता था ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, today there is an acute shortage of Naptha, with the result enough feed stock is not available for the large scale production of fertilizers. The Ammonia which is imported, is highly costly. As a result the factories will slip away from the hands of the Government. I would like to know whether the Government is importing basic feed stock or we will merely depend upon crude oil or whether the Government could not reach any of such conclusions.

श्री दा० रा० चह्वाण : इसी कारण से अध्ययन दल का गठन किया गया है । मैंने अभी कहा कि दल ने अपना अध्ययन अब तक पूरा नहीं किया ।

एक माननीय सदस्य: इसके लिये कितना समय लगेगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इसके लिए कुछ और समय लगेगा । अध्ययन दल से कहा गया था कि वे चार महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । मगर वे अपना अध्ययन अब तक पूरा नहीं कर पाये । आशा है कि वे चार या पांच महीनों के अन्दर अध्ययन पूरा कर सकेंगे ।

श्री रा० की० अमीन : माननीय मंत्री को मालूम है कि कुछ समय पहले मिथापुर परियोजना को एमोनिया का आयात करने की सुविधा नहीं दी गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक के उत्पादन के लिए किसी सरकारी उपक्रम को एमोनिया के आयात की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो इसमें क्या न्याय है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसाकि मैं सदन में कह रहा था, मिथापुर परियोजना के सम्बन्ध में, टाटा जैसे परियोजना प्रवर्तकों ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह सरकार के विचाराधीन है ।

अमोनिया के आयात का ज़हां तक सम्बन्ध है, इस पर अब भी बातचीत हो रही है। एमोनिया के आयात के सम्बन्ध में अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। मान लीजिये अन्त में एमोनिया के आयात करने का निर्णय किया भी गया, तो उसका उपयोग ट्रोम्बे के उर्वरक कारखाने के विकास के लिये किया जायगा और कोचीन उर्वरक परियोजना के द्वितीय चरण का विकास इस आयातित एमोनिया के आधार पर ही किया जाएगा।

श्री एस० कन्डप्पन : अन्य देशों की, और यहां तक कि हमारे जैसे अल्पविकसित देशों की भी तुलना में हमारे देश में उर्वरकों का मूल्य बहुत अधिक है। इसमें विकास की गति इतनी धीमी है कि पता नहीं हम कब तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे और कब हमारे कृषकों को सस्ती दर में उर्वरक उपलब्ध करा सकेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे समिति के कार्यों को तेज करने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही साथ समिति से यह कहेंगे कि जब वह अपनी सिफारिश देगी तो उर्वरकों के मूल्य को ध्यान में रखें।

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हां, श्रीमान्।

श्री मनुभाई पटेल : श्रीमान् मैं जानना चाहता हूं कि नाफ्ता और गुजरात की परियोजना में नाफ्ता के उत्पादन के लिये कच्चे तेल की कमी को, और विश्व भर में और खास कर भारत में गंधक की कमी को दृष्टि में रखते हुए, सरकार समिति को इन दोनों समस्याओं के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान देने के लिये कहेगी ? इन दो प्रकार के कच्चे माल के अभाव में कौनसी बुनियादी सामग्री का उपयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जाएगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं समिति के निदेशपदों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री दा० रा० चह्वाण : श्रीमान्, यह बहुत ही छोटा है। मैं यह पढ़ूंगा।

निदेशपद यों है :—

(i) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के काल में स्थापित की जाने वाली उर्वरक परियोजनाओं के लिये आवश्यकदायक पदार्थों के भण्डार की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

(ii) देशी पेट्रोलियम के दायक पदार्थों की सम्भावित कमी के संदर्भ में, नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक दायक पदार्थों के उपयोग के सम्बन्ध में, और स्थल, उत्पाद का नमूना, विक्रेयता आदि को ध्यान में रखते हुए उनसे प्राप्त आपेक्षिक आर्थिक लाभ आदि का अध्ययन करना।

(iii) खण्ड (i) और खंड (ii) में कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए देशी दायक पदार्थों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यों की सिफारिश करना।

(iv) खण्ड (i), (ii), (iii) में बतायी गयी बातों के सम्बन्ध में आवश्यक सिफारिश करना निदेशपद बहुत व्यापक हैं और माननीय सदस्य श्री मनुभाई पटेल ने जो बात कही, उस पर समिति ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

खम्बात की खाड़ी में तेल के लिये तटदूर छिद्रण कार्य में बाधा

अ०सू०प्र० 27. श्री कंवरलाल गुप्त : **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्बात की खाड़ी में तटदूर छिद्रण-कार्य में बाधा आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अप्रत्याशित खराब मशीनों तथा इनसे सम्बन्धित अन्य बातों के कारण ऐसा हुआ है ; और

(ग) भविष्य में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) दोषयुक्त मशीनरी के कारण व्यधन में बाधा नहीं आई है किन्तु व्यधन कीचड़ के समुद्र में रिसने और उसके कारण कीचड़ परिचालन (सर्कुलेशन) की हानि से बाधा पेश हुई।

(ग) वर्तमान तट-दूर व्यधन में पाई गई कठिनाइयों को हल करने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ विभिन्न तरीके अपना रहे हैं। यह आशा है कि इस प्रकार से प्राप्त अनुभव, भविष्य में ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिये सहायक होंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Initially, the target of drilling upto the time of monsoon was fixed as 1500 to 2000 metre. But now drilling could be done only upto 100 metre. If we go on in this way, drilling can be done upto 500 or 600 metre till the advent of monsoon. The reason mentioned by the Minister is incorrect. The turbine is in disorder. The major reason for this trouble is that the Russian experts from whom we sought technological help, are having no experience in this regard. The Russians are doing all these things at the cost of Indians. May I know from the Government if they enquired whether the Russian experts have sufficient experience in drilling etc. when they sought technological assistance from them? In which fields they are experienced ? How much loss is incurred since it was not working these days ? Has the Government taken any performance guarantee from them ? If not, why ?

श्री दा० रा० चह्वाण : अन्तिम प्रश्न के उत्तर के रूप में माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देता हूं कि छिद्रण कार्य केवल हम ही करते हैं, याने आयल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से यह कार्य किया जा रहा है।

श्री पीलु मोडी : उनसे कार्यपूर्णता सम्बन्धी शर्त नहीं की गई है।

श्री दा० रा० चह्वाण : इसमें कार्य-पूर्णता सम्बन्धी शर्तों का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री पीलु मोडी : यह असम्भव है।

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न रूस के तकनीशियनों के अनुभव के सम्बन्ध में पूछा गया

था । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देता हूं कि जहां तक छिछले पानी में छिद्रण करने का सम्बन्ध है, रूस वाले इसमें पर्याप्त अनुभवी एवं प्रवीण हैं । कैस्पियन सागर में उन्होंने बड़े पैमाने पर तेल का खोज कार्य किया है । जहां तक अनुमानित नष्ट की बात है, जब से गड़बड़ी हुई तब से लेकर अब तक हुई हानि के बारे में कहना कठिन है । जिस गड़बड़ी की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया था, उसके बारे में मैंने अपने उत्तर में कहा है । 1969-70 और 1970-71 में तटदूर छिद्रण कार्य के लिये अनुमानित व्यय यों है :

1969-70	126.85 लाख रुपये
1970-71	145.90 लाख रुपये
कुल	272.75 लाख रुपये

यह 4 करोड़ रुपये नहीं था । असल में जितनी राशि खर्च हुई है । उसका सही पता हमें इस समय प्राप्त नहीं है असल में हुआ यह है कि 25 मार्च, 1970 को 12/4" वाले कुएं की खुदाई चल रही थी, 63 मीटर गहराई में, पहली बार कीचड़ को नुकसान हुई । तब से इस प्रकार होने वाली नुकसान को दूर करने ने लिये सिमेंट ब्लाक डालकर कीचड़ का गुरुत्व रोकने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । फिर भी, कीचड़ की नुकसान को पूर्णतः दूर करने में सफलता नहीं मिली है । अस्थायी रूप से कभी कभी कुछ सफलता प्राप्त होती रही । इस दौरान जब कि कीचड़ की नुकसान को थोड़ा-बहुत दूर किया गया, छिद्रण कार्य जारी रहा । मगर जब छिद्रण कार्य जारी रहा, तो सारा कीचड़ समुद्र की भुरभुरी सतह से जोकि "फाल्स कन्डक्टर" के नीचे रहती है, बह गया । यहां टंकी के बारे में कहा गया । असल में यह टंकी नहीं है । यहां एक बड़ा 'शेटरी प्लाटफर्म' है और वहां से समुद्र की सतह तक एक 'फाल्स कन्डक्टर' है । फाल्स कन्डक्टर वह नल है जो कड़ी चट्टान की सतर तक ले जाया जाता है । छिद्रण कार्य के लिये कीचड़ का उपयोग किया जाता है । यह छिद्रण में ग्रीज या चिकनाई वाले पदार्थ का काम आता है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Having come under political pressure, the Government took designs and drawings from Russia. I would like to know whether it is a fact that the Russian technologists can work only when the sea is unruffled. They don't have the technological experience in working in stormy Sea. If it is right, then why the Government sought their help ?

Secondly, hitherto there is no arrangement for drilling in deep waters. I would like to know which companies have offered to under take the work and whether the Government has received any performance guarantee from them ? What is the present position in this regard ? The Minister has said that drilling will be started from 1972 ? May I know whether the Government will fulfil the targets ?

श्री दा० रा० चह्वाण : रूस की प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया, उसमें राजनैतिक दबाव की बात कही गई । मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है ।

श्री मनुभाई पटेल : छिद्रण कार्य दबाव के बिना कैसे किया जा सकता है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : रूसी तकनीशियन 1963 से 1968 तक तेल की खोज में हमारी सहायता करते आये हैं और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इन ढांचों का अविष्कार किया गया और जमीन पर अंकित किया गया । इसके पूर्व जब हमने तेल की खोज के सम्बन्ध में अन्य

देशों से सहायता मांगी थी, तो उन्होंने यह सूचना दी कि तेल मिलने की सम्भावना नहीं है। मगर रूस की सहायता से हमें इस कार्य सें सफलता प्राप्त हुई। अतः यह कहना कि इसमें कोई दबाव था, एक प्रकार का अजीब झूठ है। (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : श्रीमान्, 'झूठा' (lie) शब्द असंसदीय है। उन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिये।

श्री दा० रा० चह्वाण : अगर मैंने 'झूठा' शब्द का प्रयोग किया तो उसे वापस लेता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : My second question was what is the position of deep water drilling. Has the Government taken performance guarantee ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर जितना अधिक छोटा हो, उतना ही कम गड़बड़ होगा।

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न के दूसरे अंश के उत्तर में मैं कहूंगा कि 1967 से समुद्र की गहरायी में छिद्रण कार्य करने के लिये हमें कई विदेशी कंपनियों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। जितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन्हें तीन कोटियों में बांटा जा सकता है। पहला संयुक्त उद्यम का, दूसरा ठेके का और तीसरा है छिद्रण में सहायता करने का। इन तमाम प्रस्तावों पर सलाहकारों के एक फर्म ने जिनको सरकार ने नियुक्त किया, विचार किया और तत्सम्बन्धी सिफारिशें दीं। यह फर्म अन्तर्देशीय प्रबन्ध समिति और इंजीनियरिंग दल है। इस फर्म की सिफारिशों के प्रकाश में हमने पहले ही एक निर्णय लिया कि तेल निकालने का कार्य सहायता के आधार पर आयल व प्राकृतिक गैस आयोग करेगा।

Shri Sitaram Kesri : Those who call the Government brokers are themselves brokers. It is a convention to say all these things. They say this to denigrate the Government. It is quite improper.

An honourable member : You serve those people.

Shri Sitaram Kesri : It is you people that serve them. We enjoy real freedom. We are fully aware that you people are going to Tata and Birla and confabulate with there in the night.

Mr. Speaker : Please ask question.

Shri Sitaram Kesri : Is there any attempt of sabotage in the Cambay ? Has the Government received any information regarding any conspiratorial attempt to destroy the public sector ?

श्री दा० रा० चह्वाण : ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : तटदूर छिद्रण एक बहुत बड़ा तकनीकी कार्य है। छिद्रण के 'प्लाटफर्म' पहले अन्य देशों में कहीं न कहीं उलटने का समाचार मिला है। इसका मतलब यह है कि छिद्रण कार्य में सहयोग देने वाले अगर तकनीकी ज्ञान में अधिक निष्णात नहीं हैं तो हो सकता है कि खम्बात की खाड़ी में भी छिद्रण का प्लाटफर्म उलट जाए। सहयोगियों को किस आधार पर चुना जाता है ? क्या करार में दंड एवं कार्य पूर्णता शर्त की भी व्यवस्था की जायगी ताकि छिद्रण के प्लाटफर्म के उलटने की नौबत न आये और परियोजना में अन्य कोई त्रुटि न रहे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : ये दो भिन्न बातें हैं। प्लाटफर्म में कोई गड़बड़ी नहीं जो चट्टान की तरह मजबूत है। मैंने उत्तर में जो कहा था वह यह है कि कीचड़ की नुकसान से छिद्रण कार्य में कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं।

हमारी सिर्फ एक कमी यह है कि हम निर्धारित लक्ष्य से 4 सप्ताह या लगभग 688 मीटर पीछे हैं छिद्रण अब तक 800 मीटर तक होना चाहिये था। अब तक कुल छिद्रण 112 मीटर तक किया गया है। वहां जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके दूर होते ही, छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयत्न सफल होगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या सरकार सहयोगियों को बदल रही है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस में सहयोगी कोई नहीं है। सारा काम खुद कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : When we will be able to utilise our technical know-how and stop foreign dependence? After having invested Rs. 5 crores, we reach upto a conclusion that some defects are some where. The same thing happened in Dehradun. The experiment failed after having spent Rs. 4 crores. Will the Government say when we will be able to utilise our know-how, expertize and stop foreign dependence ?

श्री दा० रा० चह्वाण : असल में प्लाट फर्म का निर्माण भावा नगर की एक इंजीनियरिंग कम्पनी ने किया है, जिसका नाम है अलकाक ऐसडॉन। यह एक भारतीय इंजीनियरिंग फर्म है। प्लाटफर्म लगाने का काम हमारे इंजीनियरों और तकनीशियनों ने किया है। मूल डिजाइन रूस से लिया गया और उन्होंने चार विशेषज्ञों को यहां भेज दिया असल में सारा काम हमारे लोग ही करते हैं। प्रबन्धक श्री ए० पी० कौशिक हैं जिन्हें गुजरात की विभिन्न परियोजनाओं से लगभग बारह वर्ष का अनुभव प्राप्त है।

श्री समर गुह : मैं सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने आयल और प्राकृतिक गैस आयोग को छिद्रण कार्य सौंप कर एक धीरजपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि इससे आरम्भ में कुछ हानि होगी, फिर भी मैं कहूंगा कि यह कार्य देश के हित के अनुकूल एवं उचित दिशा में है। मगर मैं जानना चाहता हूं कि रूस से डिजाइन स्वीकार करने एवं उसके आधार पर छिद्रण कार्य करने के पहले क्या सरकार ने विभिन्न विदेशी कंपनियों से परामर्श किया था जिन्हें ऐसा कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है ? यदि हां, तो उनका मत क्या था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उनसे सलाह लेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह किसी से सलाह लेने का सवाल नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, रूस वालों ने 1963 से 1968 तक तेल की खोज के लिये भू-तत्वीय, भू-भौतिकीय एवं भू-कंपीय कार्य करने में हमें सहयोग दिया है। हम यह भी जानते हैं कि रूस वालों को इस क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है। हमने अपने इन्जीनियरों को कैस्पियन समुद्र में प्रशिक्षणार्थ भेजा जहां छिद्रण कार्य में ऐसे प्लाट फर्म का उपयोग किया जाता है। वहां आरंभ से ही वे तकनीकी सहायता देते रहे और यहां भी वे उसी प्रकार की तकनीकी सहायता देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय चीनी मिल संघ का, चीनी के कारखानों को दिये जाने वाले नकद धन तथा ऋण की सीमाओं को बढ़ाने का अनुरोध

*1387. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ के अध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह चीनी के कारखानों को दिये जाने वाले नकद धन तथा ऋण की सीमाओं को अविलम्ब बढ़ाने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को विवश करे ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 1969-70 में प्रत्याशित चीनी के रिकार्ड उत्पादन तथा पिछले वर्ष की बची हुई चीनी की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुये कारखानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). भारतीय चीनी मिल संघ से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि बैंकों द्वारा चीनी के कारखानों को अधिक ऋण दिये जायें और नियंत्रण-मुक्त चीनी के आधार पर बैंक ऋणों का मार्जिन कम कर दिया जाय। सरकार यह भी जानती है कि इस वर्ष चीनी के कारखानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं अधिक हैं।

रिजर्व बैंक ने चीनी के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किये जाने वाले ऋणों की कोई समग्र-सीमा निर्धारित नहीं की है और न ही निर्माताओं द्वारा उनके कारखानों या मिलों में रखे चीनी के स्टाक के सम्बन्ध में, जिस पर उत्पादन शुल्क की अदायगी नहीं की गई है कोई न्यूनतम मार्जिन निर्धारित किया है। रिजर्व बैंक ने भारतीय चीनी मिल संघ को इस स्थिति से अवगत करा दिया है।

बैंक, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर, यथासम्भव चीनी मिलों की कार्यचालन पूंजी की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधायें दे रहे हैं। नियंत्रण-मुक्त चीनी के आधार पर मार्जिन का निर्धारण बैंकों द्वारा लगाये गये बाजार की स्थिति के अनुमान के आधार पर किया जाता है। रिजर्व बैंक चीनी उद्योग की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में बराबर ध्यान रख रहा है और वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो आवश्यक और व्यवहार्य होंगे।

Cancer Centre in Delhi

1390. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is neither any cancer centre in Delhi nor any other

arrangement for the diagnosis and treatment of cancer and for conducting research in this regard ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Facilities for diagnosis, treatment and research in Cancer exist in the following Institutions in Delhi :

(i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

(ii) Lady Hardinge Medical College, New Delhi.

(iii) Maulana Azad Medical College, New Delhi.

In addition the Safdarjang, Willingdon, Hindu Rao and Northern Railway Central Hospitals have special beds for cancer cases in Delhi.

(b) and (c). Do not arise.

कपाडिया ब्रादर्स, बम्बई द्वारा आय-कर की अदायगी

*1391. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, मैसर्स कपाडिया ब्रादर्स, बम्बई के प्रत्येक भाई द्वारा आय-कर की कितनी राशि देय थी ;

(ख) प्रत्येक मामले में वास्तव में आयकर की कितनी राशि वसूल हुई ;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय की जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसियों द्वारा इस परिवार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों तथा अहातों पर मारे गये छापों में काफी लेखा-वाह्य धन बरामद हुआ था ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि इसके बाद कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में पूरे किये गये कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में पांच कपाडिया बन्धुओं द्वारा देय कर और अदा किये गये कर नीचे दिये अनुसार हैं :—

1. **श्री मगनलाल छगनलाल कपाडिया**

	देय कर	अदा किया गया कर
	रु०	रु०
कर-निर्धारण वर्ष 1965-66	2,844	2,844
कर-निर्धारण वर्ष 1966-67	2,642	2,642
कर-निर्धारण वर्ष 1967-68	868	868
कर-निर्धारण वर्ष 1968-69	2,553	753

2. **श्री पोपटलाल छगनलाल कपाडिया**

पिछले तीन वर्षों में कोई कर-निर्धारण पूरा नहीं किया गया ।

3. **श्री मोहनलाल छगनलाल कपाडिया**

कर-निर्धारण वर्ष 1968-69	6,344	2,068
कर-निर्धारण वर्ष 1969-70	5,711	2,068

4. **श्री लालजीभाई छगनलाल कपाडिया**

कर-निर्धारण वर्ष 1966-67	22,765	10,230
कर-निर्धारण वर्ष 1968-69	112	कुछ नहीं

5. **श्री नीमजीभाई छगनलाल कपाडिया**

पिछले तीन वर्षों में कोई कर-निर्धारण पूरा नहीं किया गया ।

(ग) से (ङ). आयकर विभाग ने मेसर्स मगनलाल छगनलाल (प्रा०) लि० के कार्यालय तथा कारखाने के स्थानों की तलाशी ली । निदेशकों के आवास स्थानों की भी तलाशी ली गई थी । अनेक बही खाते और दस्तावेज पकड़े गये । पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन किये जाने के पहले ही उक्त कंपनी और कपाडिया परिवार के सदस्यों ने छिपाई आय को जाहिर किया । दस्तावेजों की छानबीन करने पर जाहिर की गई रकम से अधिक छिपाई गई आय का पता नहीं चला । पिछले वर्ष कर-अपवंचन के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई थी । इसलिये आयकर अधिकारियों द्वारा इस समूह के मामलों की समन्वित और पूरी जांच के लिये इन मामलों को केन्द्रीकृत किया गया है।

दिल्ली नगर निगम को ऋणों का भुगतान

*1392. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली नगर निगम को ऋणों का भुगतान रोक दिया है जिससे सभी सुधार कार्य रुक गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई बातचीत चल रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में जनसंघ के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन

*1393. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अप्रैल, 1970 को दिल्ली के नागरिकों की ओर से जनसंघ के प्रतिनिधि

मण्डल द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई ज्ञापन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस ज्ञापन में बजट में प्रस्तावित परिणामस्वरूप अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि का उल्लेख किया गया था तथा प्रस्तावित करों को वापस लेने की मांग की गई थी । साधन जुटाने की आवश्यकता तथा इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में प्रधान मंत्री के बजट-भाषण में विस्तार से बताया गया है ।

दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में कम्पाउण्डरों की कमी

*1394. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों में कम्पाउण्डरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधालयों के लिये कम्पाउण्डरों की भर्ती करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लिये मंजूरी किये गये फार्मेसिस्टों के कुल 189 पदों में से केवल 13 पद योग्यता प्राप्त फार्मेसिस्टों की आम कमी होने के कारण रिक्त हैं । तथापि रिक्त पदों में योग्यता प्राप्त फार्मेसिस्टों की यथा-शीघ्र भरती करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

कैंसर से बहुत से लोगों की मृत्यु होना

*1395. **श्री मयावन** : **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दण्डपाणि** :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 2,00,000 व्यक्ति कैंसर से प्रति वर्ष मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कैंसर के कारण भारत की मृत्यु दर विश्व भर में उच्चतम है ; और

(ग) यदि हां, तो कैंसर के कारण उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिये भारत में इस रोग का उपचार करने के हेतु चिकित्सा सुविधायें देने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) कैंसर के रोगियों के बारे में कोई सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, कैंसर समिति (1966) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर से लगभग 2,00,000 व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते हैं।

(ख) कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद तथा कलकत्ता में कैन्सर के कारणों तथा उपचार सम्बन्धी अनुसंधान कार्य को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इस रोग के महामारी विज्ञान ऊतक विकृति विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान तथा शुरू में ही निदान के बारे में और अच्छी जानकारी के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। देश में अधिकतर बड़े अस्पतालों में सभी प्रकार के कैंसर के उपचार के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं।

आयकर की बकाया राशि

*1396. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री आयकर की 5 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि के बारे में 30 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4439 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बकाया राशि अधिक हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) बकाया राशि अधिक हो जाने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर ठहराई गई है अथवा ठहराई जा रही है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आयकर की सभी बकाया राशियों को शीघ्र वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मांगी गयी सूचना, विवरण-पत्र (क) में दी गयी है, जो सदन की मेज पर रखा गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3390/70]**

(ख) और (ग). आयकर की बकाया जिन कारणों से जमा हो गई है, वे इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गये हैं। ये कारण, किसी एक अधिकारी के नियंत्रण से परे हैं, इसलिये अधिकारियों पर जिम्मेदारी नियत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) मांगी गयी सूचना, विवरण-पत्र (ख) में दी गयी है, जो सदन की मेज पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3390/70]**

New Construction at Birla House, New Delhi

*1397. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated some scheme for providing a new construction at Birla House in view of a decision taken by Government to rename the said House as "Gandhi Balidan Sthal" ;

(b) if so, the details thereof and who has formulated the said scheme ; and

(c) whether Government would keep in view while formulating any scheme in respect of providing a new construction at the "Gandhi Balidan Sthal" that the construction should be of such type that would be a lesson to communal elements ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K.K. Shah) : (a) No. Sir. It is regretted that the decision could not be taken on the offer made by Birlas. Till then the question of renaming does not arise.

(b) Does not arise.

(c) All aspects will be kept in mind when the final decision will be taken.

ग्राहकों के साथ लेन-देन आदि में बैंकों को प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति

*1398. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री शिवचन्द्र झा :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को ग्राहकों के साथ-अपने लेन-देन आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों को दिये गये निदेशों के प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या पोस्टल सेविंग बैंक को भी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने का निदेश दिया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). बैंकों को, अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में, प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने के लिये सरकार से अथवा रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती । यद्यपि इस सम्बन्ध में, बैंकों के नाम कोई हिदायतें नहीं जारी की गई हैं, फिर भी उन्हें इस बात से अवगत करा दिया गया है कि वे अपने दैनिक कार-बार के दौरान, जनता के साथ व्यवहार करने में हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की दिशा में यथेष्ट दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को समझें । उन्हें इस आशय का भी परामर्श दिया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक इन्हीं भाषाओं के माध्यम से प्रचार करें । बहुत से बैंकों ने, कई प्रपत्र और योजनाएं हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में छपवायी हैं ।

(ग) डाक और तार बोर्ड ने यह हिदायतें जारी की हैं कि डाकघर बचत बैंकों में जनता के काम आने वाले प्रपत्र अंग्रेजी और हिन्दी में तथा प्रादेशिक भाषा में छपवाये जाने चाहिए, यदि उस प्रदेश की भाषा हिन्दी से भिन्न हो ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अयस्क पर आधारित उद्योगों की स्थापना

*1399. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अयस्क पर आधारित उद्योग स्थापित करने के

लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने लौह अयस्क की धूल से "पैलेट" बनाने के दो कारखाने लगाने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी और उनको किस किस स्थान पर लगाया जायेगा तथा इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ; और

(ङ) क्या ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है और यदि हां, तो वह क्या है और ऐसी सहायता देने की प्रक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). इस समय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की निम्नलिखित लौह अयस्क प्रायोजनाएं हैं, जिनका निर्माण प्रगति पर है :

(1) 40 लाख मैट्रिक टन पिंड अयस्क की वार्षिक क्षमता के साथ 38 करोड़ रुपये की लागत पर मध्य प्रदेश राज्य में बेलाडिला में निक्षेप संख्या 5 पर खान का विकास ।

(2) 40 लाख मीट्रिक टन रन-आफ-माइन अयस्क प्रति वर्ष के उत्पादन के लिये 21.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मैसूर राज्य में बोनिकलई स्थान पर एक खान का विकास ।

(3) 50 लाख मैट्रिक टन रन-आफ-माइन अयस्क के वार्षिक उत्पादन के लिये 11.8 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय पर वर्तमान किरिबूर खानों का विस्तार ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने, मैसूर में कुद्रेमुख के लौह अयस्क निक्षेपों के समुपयोजन तथा दोनिमलई एवं बेलाडिला क्षेत्रों में लौह अयस्क सूक्ष्मों तथा नीली धूलि पर आधारित पैलेटाइजेशन संयंत्रों के लिये तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भी प्रारंभ किये हैं ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के परामर्शदाताओं द्वारा हाल ही में दोनिमलई में पैलेटाइजेशन संयंत्र के सम्बन्ध में सम्भाव्यता अध्ययन पूरा किया गया है, जबकि बेलाडिला के सम्बन्ध में इस प्रकार का अध्ययन अभी भी प्रगति पर है । प्रायोजनाओं की पूंजीगत लागत, इनके स्थापना स्थल, रोजगार सम्भावनाओं आदि के सम्बन्ध में जानकारी तभी उपलब्ध होगी, जबकि विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी । सम्भाव्यता रिपोर्टों की जांच के उपरांत संयंत्रों की स्थापना पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात यह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ङ) लौह अयस्क खानों के विकास या पैलेटाइजेशन संयंत्रों की स्थापना के लिये सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है ।

डीजल तेल का निर्यात

*1400. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तेल समवायों को डीजल तेल का निर्यात करने को कहा गया है और क्या इसके लिये कुछ प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : जी हां ।

Effect of Opposing Family Planning by Religious Institutions

*1401. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some religious institutions have been opposing family planning in the country ;

(b) if so, the names thereof ;

(c) whether Government have tried to ascertain the effect on the followers of the said institutions by opposing family planning ; and

(d) if so, with what result ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). No religious institutions have opposed the Family Planning Programme in principle though some individual religious leaders and representatives of a certain political party have expressed views unfavourable to the Programme.

(c) and (d). Some analytical studies of the acceptors of various methods of Family Planning in different parts of the country have indicated that all communities have adopted family planning more or less in proportion to their population.

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा आयुध फैक्टरी, भुसावल को बैरलों की सप्लाई के लिए क्रयादेश दिया जाना

*1402. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध फैक्टरी, भुसावल द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को सप्लाई किये गये इस्पात के बदले में 1968, 1969 और 1970 में अब तक इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा आयुध फैक्टरी, भुसावल को तेल के बैरलों की सप्लाई के लिये दिये गये क्रयादेशों का ब्योरा क्या है;

(ख) आयुध फैक्टरी, भुसावल द्वारा बम्बई में सप्लाई किये गये बैरलों के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन को कितना भाड़ा देना पड़ा है ; और

(ग) आयुध फैक्टरी, भुसावल को क्रयादेश दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि बम्बई के निर्माताओं के पास काफी क्रयादेश पड़े थे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). 24 अप्रैल, 1969 को संसद में पेश की गई अपनी 85वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.44 में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, भारतीय तेल निगम बैरलों के लिए आयुध फैक्टरी, भुसावल को ऋयादेश देता है । ऐसा विचार है कि प्रश्न में पूछी गई सूचना बताना भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हितों के प्रतिकूल है ।

बम्बई, हैदराबाद और कलकत्ता की टकसालों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

*1403. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, हैदराबाद और कलकत्ता की टकसालों के कर्मचारी वित्त मन्त्रालय के अधीन कार्य करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तीन केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा समयोपरि कार्य सम्बन्धी लाभ समान है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे भेदभाव को दूर करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). टकसालों में दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं—औद्योगिक और गैर-औद्योगिक । औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सेवा की शर्तें और समयोपरि भत्ते की हकदारी तीनों ही टकसालों में एक समान हैं । विभिन्न श्रेणियों के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भी एक समान हैं । समयोपरि भत्ते के सम्बन्ध में भी ऐसे गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में, जिनके काम के घंटे और छुट्टियां औद्योगिक कर्मचारियों के समान ही हैं और जिनकी उपस्थिति औद्योगिक कर्मचारियों के कुशलतापूर्णकार्य के लिये बराबर आवश्यक है, कोई भेद नहीं है। किन्तु बाकी गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में प्रति सप्ताह 48 घण्टे से अधिक कार्य के लिये समयोपरि भत्ते की हकदारी यद्यपि तीनों ही टकसालों पर लागू होने वाले सरकार के आदेशानुसार, उपलब्धियों की इकहरी दर पर होती है तथापि बम्बई स्थित टकसाल के ऐसे कर्मचारी बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों के फलस्वरूप दोहरी दर पर समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हो गये हैं । अन्य दो टकसालों पर लागू होने वाले, राज्यों के कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है कि क्या इसे भेदभाव माना जाय और यदि हां, तो इसका निराकरण किस प्रकार किया जाना चाहिये ।

मकान बनाने के लिये ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

*1404. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान-ऋण लेकर बनाये गये मकानों को किराये पर न देने आदि जैसी कुछ

प्रतिबन्धात्मक शर्तों को सरकार वापिस लेगी ;

(ख) क्या मकान-निर्माण सामग्री के अभाव के कारण तथा उसके परिणाम स्वरूप मकान बनाने में अत्यधिक देरी हो जाने के कारण मकान-ऋण का ब्याज दर प्रायः बहुत कष्टदायक सिद्ध होता है ; और यदि हां, तो क्या निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों के लाभ के लिये ब्याज-दर संशोधन किया जायगा ; और

(ग) क्या आवेदक को ऋण मिलने में होने वाली अत्यधिक देरी के बारे में विचार किया गया है और क्या इस प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित तीन सामाजिक आवास योजनाओं में अपने मकानों के निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने की व्यवस्था है । इन तीनों योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण किये गये मकानों के किराये पर देने के बारे में स्थिति निम्नलिखित है :—

(i) **ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम**

इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में वास के किराये पर देने की बहुत गुंजायश नहीं है, योजना में प्रतिबन्ध वाले कोई अनुबन्ध नहीं हैं ।

(ii) **मध्यम आय वर्ग आवास योजना**

ऋण लेने वाला मकान का एक भाग किराये पर दे सकता है यदि वह स्वयं उसमें रह रहा है । सारा मकान किराये पर केवल तभी दिया जा सकता है, जब ऋण लेने वाले को सेवा, पेशे अथवा व्यापार के कारण कहीं और निवास स्थान लेने के लिए नगर को छोड़ना पड़े ।

(iii) **निम्न आय वर्ग आवास योजना**

ऋण लेने वाले को फिलहाल योजना के अन्तर्गत ऋण की सहायता से बनाए गये अपने मकान के किसी भाग को किराये पर देने की अनुमति नहीं है । तथापि, मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को उपलब्ध सुविधाएं इस योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को देने के प्रश्न पर भी विचार आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) यह योजनाएं, यद्यपि इस मन्त्रालय द्वारा आरंभ की गई हैं, तथापि सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । योजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा/ जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों को दिये गये ऋणों से पूंजी लगाई जाती है । यह सरकारें उधार लेने वालों से, केन्द्रीय सरकार और जीवन बीमा निगम को उन द्वारा देय ब्याज की दर से आधा प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज (अर्थात क्रमशः $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत और $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत), प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए लेती हैं । ये दरें उन दरों से बहुत ही कम हैं, जो मकान बनाने के लिए उधार लेने वाला व्यक्ति-विशेष, दीर्घकालीन ऋण लेने के लिए बाजार में देता है ।

(ग) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/ संघीय क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जो इस देश के लिए नियम तथा पद्धतियां बनाने में समक्ष हैं । उन्हें सरकार के हित को सुरक्षित रखते हुए, लाभ उठाने वालों की कठिनाइयों से बचाने के लिए, नियमों और पद्धतियों को आसान बनाने की समय-समय पर सलाह दी गई है ।

भारत स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा विभिन्न संस्थानों को सहायता

*1405. **श्री रवि राय:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी दूतावास ने भारत के किसी संस्थान को इसके द्वारा दी गई सहायता के बारे में सरकार से परामर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में समाज कल्याण संगठनों के अतिरिक्त अन्य किन संस्थानों को यह सहायता मिली है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह धन पी० एल० 480 की निधि से आता है और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रधानमन्त्री, वित्तमन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). अमरीका की सरकार ने, भारत की कुछ चिकित्सा तथा शैक्षणिक संस्थाओं को उनके विकास तथा विस्तार के लिये वित्तीय सहायता दी है। ऐसे सभी मामलों में अमरीका की सरकार सहायता मंजूर करने से पहले भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर लेती है। सहायता की यह रकम अमरीका द्वारा भारत में इस्तेमाल के लिये निर्धारित पी० एल० 480 की रकमों में से दी जाती है। जिन संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों में यह सहायता मिली है, उनका विवरण सदन की मेज पर रखा गया है।

विवरण

1967 से अमेरिका से विकास सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम का विवरण

संस्था का नाम	मंजूर की गयी सहायता की रकम (करोड़ रुपयों में)
1. होती फैमिली अस्पताल, नई दिल्ली	0.60
2. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, लुधियाना	0.34
3. सेण्ट जान्स मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, बंगलौर	4.89
4. ग्रेटन फ्रीमैन क्रिश्चियन अस्पताल, वृन्दावन	0.32
5. मर्सी अस्पताल, जमशेदपुर	0.14
6. राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्था, पटना	0.50
7. ग्रामीण विद्युत निगम	21.00†

Payment of Income-Tax by the Film Distributors of Deihi and Rajasthan

*1406. **Shri Ramesh Chandra Vyas:** Will the Minister of **Finance** to pleased to state :

(a) the name of those film distributors in Rajasthan and Delhi who make payment of Income-tax ranging from Rs. fifty thousand to one lakh rupees ;

(b) whether Government have received any complaint to the effect that they have been evading Income-tax for sometime ; and

(c) if so, the names of those persons and the action so far taken by Government against them ?

† अमेरिका द्वारा ग्रामीण विद्युतन निगम के लिये मंजूर किए गये 105 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की पहली दो किस्तें।

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The requisite information regarding the film distributors of Delhi and Rajasthan who pay income-tax ranging from Rs. fifty thousand to one lakh rupees can be collected only by a scrutiny of large number of assessment records which will involve considerable time and labour. If the Hon'ble Member desires information about any particular Film Distributors the same will be duly furnished.

दिल्ली में मेडिकल कालेज

*1407. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री टी० पी० शाह :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कितने मेडिकल कालेज हैं ;

(ख) इन कालेजों में दाखिले के लिये कुल कितने स्थान उपलब्ध हैं तथा विद्यार्थियों को किस आधार पर दाखिला दिया जाता है और यदि किसी विशिष्ट वर्ग अथवा श्रेणी के लिये कोई कोटा आरक्षित हो तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक मेडिकल कालेज में किस तारीख को दाखिला आरम्भ होता है ;

(घ) क्या दिल्ली क्षेत्र में रह रहे विद्यार्थियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इन कालेजों में उपलब्ध स्थानों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी जाती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इनमें से प्रत्येक कालेज में उपलब्ध वर्तमान स्थानों की संख्या में वृद्धि करने का है, अथवा मांग को पूरा करने के लिये एक नया मेडिकल कालेज आरम्भ करने का है; और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तीन।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3391/70]**

(घ) और (ङ). नये मेडिकल कालेज आरम्भ करने के लिये स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अर्थात 50 लाख जन संख्या के लिये एक कालेज के हिसाब से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वर्तमान मेडिकल कालेजों तथा उनमें उपलब्ध सीटों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है। दिल्ली प्रशासन का चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में सीटों की संख्या और बढ़ाकर 150 करने का विचार है।

एरण्डी के बीजों से गठिया रोग का इलाज

*1408: **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" (दिल्ली)

में "एरण्डी के बीजों से गठिया रोग का इलाज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण में औषधि तैयार करने तथा उसकी जांच कराने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दस वर्ष की अवधि में, यह दावा किया है कि गठिया के केवल आठ रोगियों का उपचार किया गया । जब तक आगे और ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक नैदानिक परीक्षण प्रारम्भ करना सम्भव नहीं होगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के निर्मित मकानों के मूल्यों में वृद्धि

*1409. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लिये निर्मित मकानों के मूल्यों में 15,500 रुपये से 18000 रुपये की वृद्धि की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि की नीलामी को रोकने का है जिससे कुछ एक व्यक्तियों के पास भूमि एकत्र होती जा रही है और दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में लोगों की भूमि की मांग का अनुचित लाभ उठा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार 80 तथा 100 वर्ग गज के भूखण्डों को लाटरी के द्वारा सस्ती कीमतों पर बेचने और बड़े भूखण्डों को नीलामी द्वारा बेचने को समाप्त करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की योजना में यह पहले ही व्यवस्था है कि 125 वर्ग गज और 200 वर्ग गज तक के आकार के विकासित प्लाट पूर्वनिर्धारित दरों पर क्रमश: निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को लाटरी द्वारा आवंटित किये जायेंगे । तथापि, बड़े प्लाट नीलाम किये जाते हैं । नीलाम के परिणाम-स्वरूप भूमि कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित नहीं हो रही है, या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया जाता, क्योंकि नीलाम में बोली लगाने वाले को इस आशय की घोषणा देनी होती है कि उसके/उसकी या उनके आश्रित किसी सम्बन्धी, जिसमें

अविवाहित बच्चे शामिल हैं, के अपने नाम, पूरे तौर से, या आंशिक तौर से, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में, नई दिल्ली या दिल्ली केन्टूनमेंट में कोई रिहायशी प्लाट या मकान नहीं है।

स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

*1410. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में स्टेट बैंक तथा पिछले छः महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या यह व्यय बैंकों की शेयर पूंजी की प्रतिशतता से अथवा व्यापार से सम्बन्धित है ;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष के लिये इसे किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ;

(घ) विज्ञापकों का चयन कौन करता है और क्या इसके लिये कोई सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ; और

(ङ) बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिये सरकारी विज्ञापन दिये जाने के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1969 में, भारतीय स्टेट बैंक ने समाचार-पत्रों, सामयिक पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं आदि में विज्ञापनों पर 16.93 लाख रुपया खर्च किया। उपलब्ध सूचना के अनुसार 19 जुलाई और दिसम्बर, 1969 के बीच चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विज्ञापनों पर 56.36 लाख रुपया खर्च किया।

(ख) और (ग). विज्ञापन-व्यय का बैंकों की शेयर पूंजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका निर्धारण, अलग-अलग बैंकों के प्रबन्धकों द्वारा सामान्यतः बैंक के कारबार के विकास, शाखाओं के विस्तार, नयी योजनाओं की लोकप्रियता आदि के अनुसार किया जाता है।

(घ) सम्भवतः प्रश्न का संकेत विज्ञापनों के माध्यमों की ओर है। बैंक के प्रबन्धक विज्ञापनों के माध्यमों का चयन, अन्य बातों के साथ-साथ उनकी ग्राहक संख्या, उनके क्षेत्र, पाठकों की श्रेणी आदि का विचार करके करते हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति से मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा जायगा।

विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिये विदेशी मुद्रा

8308. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिये विदेशी मुद्रा देने की प्रक्रिया का विवरण क्या है ;

(ख) यदि कोई फिल्म-निर्माता गारण्टी शुदा धनराशि को स्वदेश भेजने में असमर्थ

रहता है तो उसके विरुद्ध क्या दाण्डिक कार्रवाई की जाती है और ऐसी कार्रवाई कितने समय के बाद की जाती है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में किन-किन फिल्म-निर्माताओं के विरुद्ध स्वदेश में धनराशि न लौटाने के कारण दाण्डिक कार्रवाई, जुर्माने के साथ, की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि आर० के० फिल्म, बम्बई को 80,000 की विदेशी मुद्रा रूसी कलाकार रियबिकाना को देने के लिये प्रदान की गई, यदि हां, तो इस धनराशि के अपव्यय के लिये विशिष्ट कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इस समय कार्य-विधि यह है कि जिन मामलों में सरकार को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि विदेशों में जाकर शूटिंग करने की आवश्यकता है, उनमें वह रिजर्व बैंक को आवश्यक विदेशी मुद्रा की सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दे देती है । ये सुविधाएं इस शर्त पर दी जाती हैं कि निर्माता, विदेशों में शूटिंग करने के लिये उपलब्ध की गई विदेशी मुद्रा की चौगुनी तथा आने जाने के किराए तथा भाड़े की लागत की दुगुनी विदेशी मुद्रा भारत को वापस भेजने का वचन दें । इस वचन को पूरा कराने के लिये उपयुक्त अनुबन्ध-पत्र तथा बैंक गारंटियां भी ली जाती हैं । विदेशी मुद्रा देते समय यह शर्त लगा दी जाती है कि किस अवधि के अन्दर यह विदेशी मुद्रा वापस भेजी जानी है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी, हां । "मेरा नाम जोकर" फिल्म में मिस रियबिकाना द्वारा काम किये जाने के सम्बन्ध में अदायगी करने के लिये आर० के० फिल्म्स, बम्बई, को 80,000 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी थी । यह रकम विदेशों में शूटिंग करने के लिये विदेशी मुद्रा देने के सिद्धांतों और ऐसी ही गारंटियों आदि के आधार पर दी गयी थी ।

खेतरी तांबा परियोजना

8309. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री नंजा गौडर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतोंने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में खेतरी तांबा परियोजना में एक खान शाफ्ट एक "भूतत्वीय दोष" क्षेत्र में पाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खेतरी के प्रबन्धकों ने भारतीय इंजीनियरों को उसे ठीक करने की अनुमति नहीं दी थी और फ्रांस के अपने सहयोगियों को शीघ्र ही अमरीका से वहां के विशेषज्ञ बुलाने के लिये जोर दिया था ;

(घ) यदि हां, तो अमरीका से बुलाये गये विशेषज्ञ का क्या नाम है और उसे विशिष्ट सलाह लेने पर कितना व्यय आया है ; और

(ङ) कुशल भारतीयों की सलाह और सहायता की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). खेतड़ी तांबा प्रायोजना में सितम्बर 1969 में उत्पादन कूपक में प्रमुख दोष-युक्त क्षेत्र का समागम हुआ। यह पूर्वानुमान था कि यह दोष नीचे की ओर उस क्षेत्र तक चलेगा जहां पर बाटम क्रशर स्टेशन स्थापित किया जाना था। दोष के समागम के परिणामस्वरूप कूपक को कोई क्षति नहीं पहुंची। तथापि, कूपक खुदाई की प्रगति को धीमा किया गया था, क्योंकि दुर्बल भूमि के कारण पूर्ण स्तर पर विस्फोटन नहीं किया जा सकता था।

(ग) और (घ). इस विषय की जांच करने तथा प्रशर स्टेशन की स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थापना-स्थल सुझाने के लिये नवम्बर 1969 में भारतीय विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया गया। क्रशर स्टेशन के लिये वैकल्पिक स्थापना-स्थल का चयन करने के लिए और क्रशर स्टेशन के स्थापना-स्थल में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप डिजाइन में होने वाले आवश्यक परिवर्तनों सम्बन्धी मन्त्रणा देने में तकनीकी दल की सहायता करने के लिये प्रायोजना के परामर्शदाता, मैसर्स वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कम्पनी के विशेषज्ञ मिस्टर जे० एडमोन्स, को बुलाया गया था। मिस्टर जे० एडमोन्स को भारतीय दल के विशेषज्ञों के साथ पूर्णरूपेण सम्बद्ध रखा गया और 22 नवम्बर, 1969 को दोषयुक्त क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् उन्होंने समन्वेषी संवहन के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के अन्वेषण करने की सिफारिश की, जिससे कि क्रशर स्टेशन का दोषमुक्त क्षेत्र में लगाया जाना सुनिश्चित हो सके। खेतड़ी तांबा प्रायोजना के लिए परामर्शदाताओं में से मैसर्स वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कम्पनी भी एक परामर्शदाता है। फ्रांसीसी ग्रुप के विशेषज्ञ, जो इस प्रायोजना के प्रमुख परामर्शदाता हैं, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने तथा उनका निपटारा करने के लिये हर छह माह में खेतड़ी का दौरा करते हैं। अमरीकी विशेषज्ञ भी सामान्यता इन विचार विमर्शों के साथ सम्बद्ध रखा जाता है। फ्रांसीसी परामर्शदाताओं के साथ विचारविमर्शों के लिये अमरीकी विशेषज्ञ ने जनवरी 1970 में खेतड़ी आना ही था। परन्तु, भारतीय इन्जीनियरों द्वारा दोषयुक्त स्थल की समस्याओं की जांच के दौरान उसकी मन्त्रणा का भी लाभ प्राप्त हो सके, इस विचार से उसे पहिले बुलाया गया था। अमरीकी विशेषज्ञ के आगमन पर हवाई यात्रा सहित लगभग 34,000 रुपयों का व्यय किया गया। क्योंकि कई लम्बित विषयों का निराकरण करने में अमरीकी विशेषज्ञ की नवम्बर 1969 की उपस्थिति को भी प्रयोग में लाया गया था, अतः जनवरी, 1970 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों के आगमन के समय उनका पुनरागमन अनावश्यक हुआ और अतः उन पर खर्च की गई राशि को असाधारण व्यय नहीं कहा जा सकता।

(ङ) क्योंकि दोषयुक्त क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में भारतीय इन्जीनियर, पूर्णतया सम्बद्ध रखे गये थे, अतः दक्ष भारतीयों की मन्त्रणा तथा सहायता की अवहेलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली द्वारा बनाये गये पूर्व निर्मित मकान

8310. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली द्वारा निर्मित मकान दोषपूर्ण तथा कमजोर पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां,तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी ने गत दो वर्षों में कितने पूर्व निर्मित मकानों का निर्माण किया है और प्रति मकान कितनी औसत लागत आई है और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ;

(घ) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी द्वारा बनाये जाने वाले मकानों की किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री (के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान हाउजिंग फैक्टरी द्वारा बनाये गए मकानों में न कोई दोषपूर्ण हैं और न ही वे कमजोर हैं। फैक्टरी को विभिन्न सरकारी विभागों से पूर्व विरचित मकानों के भारी संख्या में आर्डर प्राप्त हुये हैं तथा फैक्टरी को ऐसे मकानों के लिये पर्याप्त मात्रा में अब भी आर्डर प्राप्त हो रहे हैं। अब से पहले किसी विशेष कमी की और कोई संकेत नहीं किया गया, कुछ मामलों में दरवाजों के फ्लश शटर्स के बारे में शिकायतें थीं, किन्तु भवनों के संरचनात्मक पक्केपन और टिकाऊपन में इससे कोई असर नहीं पड़ता। दोषपूर्ण शटरों को बदल दिया गया था तथा अन्य छोटे-मोटे दोष जब कभी वे फैक्टरी के नोटिस में लाए गए, ध्यान दिया गया।

(ग) गत दो वर्षों की अवधि में हिन्दुस्तान हाउजिंग फैक्टरी द्वारा बनाए गए पूर्व विरचित मकानों का ब्योरा विवरण में दे दिया है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान बनाये गये मकानों की संख्या	**प्रति मकान की औसत लागत**	**कुल लागत**
(i) गन्दी बस्ती सफाई और झुग्गी-झोंपड़ी योजनाओं के अन्तर्गत बनाये गये 1504 मकान	4,620 रुपये	69,48,480 रुपये
(ii) मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 248 क्वार्टर	15,344 रुपये	38,05,312 रुपये
	कुल	1,07,53,792 रुपये

(घ) कम्पनी द्वारा बनाए गए मकानों के प्रकार (क्वालिटी) में और सुधार करने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलर्क रोग (रेबीज) के टीके का जनता द्वारा प्रयोग

8311. **श्री नंजा गौडर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नूर स्थित पास्टयूर संस्थान द्वारा बनाया गया अलर्क रोग (रेबीज) का उन्नत टीका देश में प्रथम बार जनता के लिये उपलब्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस टीके की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) अलर्क रोग का जो टीका अब तक प्रचलित था, वह अलर्क रोग के विषाणु से प्रभावित भेड़ के मस्तिष्क के ऊतक का 5 प्रतिशत घोल होता था जिसमें विषाणु को फीनोल के जरिए अधिक विषाक्त बना दिया जाता था । मगर अब पता लगा है कि फीनोल के बजाये निष्क्रिय बना देने वाले एजेंट बेटा प्रोपिओलाक्टोन का उपयोग अगर किया जाये तो टीके की शक्ति और बढ़ जाती है और इसके साथ दवा की मात्रा कम की जा सकती है । गत चार वर्षों में जानवरों पर किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप मनुष्य के रोगों की इलाज में इस दवा की मात्रा कम कर दी गई है । जिन मरीजों को फीनोल की सहायता से तैयार अलर्क रोग का 10 मि० या 5 मि० टीका लगाया जाता था, उन्हें सुद्धृत टीके की क्रमशः 4 मि० या 2 मि० मात्रा पर्याप्त रहती है ।

कम मात्रा होने के कारण प्रतिक्रियायें बहुत कम होती हैं । साथ ही दवा की कम मात्रा देने से मरीजों को भी बहुत राहत मिलती है ।

Amount of Loan paid by LIC to Private Sector and Large and Small Scale Industries

8312. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan paid by the Life Insurance Corporation of India to the private sector, large and small scale industries in Madhya Pradesh in 1969-70 ;

(b) the amount of loan paid to the Cooperative Societies in Madhya Pradesh in the said year ; and

(c) the amount asked for by the private sector, large and small scale industries in Madhya Pradesh in the said year and the amount actually paid to them ?

The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c). Nil.

Loans to Poor Weavers by Nationalised Banks for Purchasing Power Looms

8313. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued instructions to the nationalised banks to advance loans at large scale to poor weavers for purchasing power looms keeping in view their financial position ;

(b) if so, the approximate amount of loan for advancement of which instructions have been issued to the banks by Government ; and

(c) the names of the banks in each State, which have advanced loans and the amount of loan advanced for the purchase of one power-loom ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). No instructions, as such, have been issued by Government to the nationalised banks to advance loans on a large scale to poor weavers. However, they have been advised to give liberal financial assistance to the small borrowers and in pursuance of the advice they have formulated schemes for providing credit facilities to small scale industries, small artisans etc. Under these schemes, poor weavers will be eligible for credit facilities for purchase of power looms, commensurate with their capacity to re-pay the loans.

(c) Information in this regard is not readily available. This is being collected and will be laid on the Table of the House.

Formation of Housing Scheme Involving Expenditure of Rs. 500 Crores

8314. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a housing scheme involving an expenditure of Rs. 500 crores per year ;

(b) if so, whether any separate amount has been earmarked for spending on urban as well as rural areas in Madhya Pradesh ;

(c) if so, the complete details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) to (d). A proposal to create a revolving Fund of about Rs. 200 crores for accelerating housing and urban development activity in the country has been approved. This fund is expected to be built up over a period of years and will be operated through the newly established Housing and Urban Development Finance Corporation. No funds are being earmarked statewise. Actual releases, from time to time, will depend on the total funds mobilised by the Corporation and the nature of the schemes formulated by the different States.

Hospitals/Dispensaries Running without Doctors in the Country

8315. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the number of Hospitals/ dispensaries functioning in the country where no doctor has been posted and whether some improvements are likely to be made in this regard during 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सरकारी उपक्रमों के लिये दिल्ली में आवास की व्यवस्था

8316. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सरदार अमजद अली :
डा० प० मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके कार्यालय, अतिथिगृह आदि दक्षिण दिल्ली की बस्तियों में स्थित हैं ;

(ख) उनके कब्जे में स्थानों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक उपक्रम कितना-कितना किराया देता है और उन मकानों के मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या एक केन्द्रीय स्थान पर बहुमंजिला कार्यालय बना कर उन सभी कार्यालयों को वहां स्थान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के जिन उपक्रमों ने, नई दिल्ली में, गैर-सरकारी इमारतें किराये पर ली हैं, उनके नाम तथा उनके द्वारा, 1968 में किराये के रूप में देय रकमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन उपक्रमों द्वारा जो इमारतें किराये पर ली गई हैं, उनका ब्योरा तथा उन इमारतों के मालिकों के नामों के बारे में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा, वह प्रत्याशित परिणामों को देखते हुये बहुत अधिक होगा। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3392/70]**

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों के कार्यालयों के लिये बहुमंजिली इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पत्तनों में चोरी छिपे माल के लाने पर रोक लगाने के लिये कर्मचारी

8317. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमा-शुल्क/चौकसी के स्थान पर चोरी-छिपे माल के लाने को रोकने के लिये विभिन्न पत्तनों तथा बन्दरगाहों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस समय कोचीन पत्तन में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) भरती के क्या नियम हैं ; और

(घ) क्या इन पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

नायलोन के धागे का उत्पादन

8318. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न डेनियरों के नायलोन धागे के एककों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं, प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, प्रत्येक में कितना-कितना धन विनियोजित है और प्रत्येक एकक के दो उच्च निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक एकक में कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और रुपयों में उनका मूल्य कितना है ;

(ग) आगामी दो वर्षों में, एकक-वार उनका सम्भावित उत्पादन कितना-कितना और कितने-कितने मूल्य का होगा ;

(घ) पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता तक उत्पादन करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितने मूल्य का नायलोन का धागा निर्यात किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3393/70]**

(घ) हाल में चालू किये गये कारखानों को प्रारम्भिक तिथियों और शुरू की परिचालन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सारे एकक पूर्ण क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं ।

(ङ) पिछले तीन सालों के दौरान नायलोन के धागे का कोई निर्यात नहीं हुआ है ।

आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य में कमी करने से विदेशी मुद्रा की बचत

8319. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी स्वामित्व वाले तेल शोधन कारखानों के अशोधित तेल के मूल्य में कमी करने से विदेशी मुद्रा की वार्षिक कितनी बचत हुई है ;

(ख) यह कमी गत वर्षों में न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत में इस समय विभिन्न तेल शोधन कारखाने अशोधित तेल, शोधन कारखाना-वार, किन वास्तविक दरों पर आयात करते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा०

चह्वाण) : (क) हाल में मूल्यों में की गई कमियों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 5.44 करोड़ रुपये ।

(ख) जून, 1960 से ऐसी कमियां या छूटें (डिसकाऊन्टस) ली गईं और पिछले वर्षों में समय-समय पर बढ़ती रहीं । मध्य पूर्व के अशोधित तेल के विश्व बाजार मूल्यों में और कमी के कारण वर्तमान कटौती की आवश्यकता हुई ।

(ग) लागत-बीमा-भाड़ा जिस पर फरवरी, 1970 में कच्चा तेल आयात हुआ था, निम्न प्रकार था :—

	रुपये/मीटरी टनों में
1. बर्मा शैल शोधनशाला	81.24
2. एस्सो शोधनशाला	80.07
3. कालटैक्स शोधनशाला	92.05
4. कोचीन शोधनशाला	81.08
5. मद्रास शोधनशाला	101.78

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रशासकों के स्थान पर प्रौद्योगविज्ञों को नियुक्त करना

8320. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रशासकों के स्थान पर प्रौद्योगविज्ञों को रखने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की कुछ सर्विस एसोसियेशनों ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में निदेशक प्रशासन, तथा उप-निदेशक प्रशासन, एवं निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग में उप-सचिव (निर्माण) तथा संयुक्त सचिव (निर्माण) के पदों को केवल इन्जीनियरों की नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिये । इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) यह सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर लिये जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा और इस पर कोई पूर्व अनुमान संभव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शन अफसर से अधीक्षक इंजीनियर तक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना

8321. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शन आफिसर से अधीक्षक इन्जीनियर तक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिये तालिकायें पहले से ही नहीं बनाई जाती हैं ताकि होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो 1 मई, 1970 को सभी श्रेणियों में कितने पद रिक्त थे और पहले से ही तालिकायें न बनाने और उसी समय रिक्त पदों पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ताकि यथासम्भव अधिक से अधिक बेरोजगार इन्जीनियरों को खपाया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण-आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं । नाम-सूचियां (पेनल) प्रायः पहले ही तय्यार कर ली जाती हैं और फिलहाल सहायक इन्जीनियरों (सिविल), सहायक इन्जीनियरों (बिजली), कार्यपालक इन्जीनियरों (सिविल) तथा अधीक्षक इन्जीनियर (बिजली) की नाम सूचियां उपलब्ध हैं । कार्यपालक इन्जीनियरों (बिजली) तथा अधीक्षक इन्जीनियर (सिविल) की सूचियां तैयार की जा रही हैं ।

(ख) कार्यपालक इन्जीनियरों (बिजली तथा अधीक्षक इन्जीनियर (सिविल) के मामले को छोड़ कर, प्रश्न ही नहीं उठता । इन ग्रेडों में 1 मई, 1970 को जैसी रिक्त की स्थिति है, वह निम्नलिखित है :—

कार्यपालक इन्जीनियर (बिजली)	—	1
अधीक्षक इन्जीनियर (सिविल)	—	2

इन ग्रेडों में नाम सूचियों के तैयार करने का कार्य काफी पहले आरम्भ किया गया था किन्तु वे अप्रत्याशित कारणों के कारण तैयार नहीं हो सकीं ।

कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली

8322. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, अवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली, में अस्वास्थ्यकर स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अस्पताल के अहाते में तथा रोगियों के कमरों में भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके फलस्वरूप बालकों के अभिभावकों को पानी के बिना रात को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अस्पताल के अन्दर शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं है तथा बालकों के अभिभावकों को इसके लिये बाहर खुली सड़कों पर जाना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रोगियों तथा उनके अभिभावकों की इन कठिनाइयों को दूर करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को इस अस्पताल की दशा का पता है जो संतोषजनक है ।

(ख) से (घ). बहिरंग रोगी विभाग में ठंडे जल की व्यवस्था है । जल के सावधिक संभरण के कारण कुछ कठिनाई है । हाथ से चलाने वाला एक पम्प पहले ही लगा दिया गया है । कलावती शरण बाल अस्पताल की ऊपरी मंजिल के लिए जल की दो टंकियों और एक जल वर्धक पम्प की मंजूरी दी जा चुकी है । इस कार्य में प्रगति हो रही है और आशा है कि यह बहुत जल्दी ही पूरा हो जायगा । रोगियों की माताओं के प्रयोग के लिए दो शौचालय हैं । 1970-71 में और अधिक शौचालयों तथा स्नानगृहों के निर्माण को आरम्भ करने का विचार है और इन अतिरिक्त निर्माण-कार्यों से स्थिति सुधर जायेगी ।

प्रतिरक्षा सामान के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को क्रयादेश देना

8323. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिरक्षा सामान के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को कितने मूल्य के तथा किन-किन मदों के क्रयादेश दिये गये; और

(ख) क्या किस्म तथा समय पर सामान देने की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय तथा रक्षा-पूर्ति विभाग द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को पिछले तीन वर्षों में दिए गए क्रयादेशों के मूल्य के सम्बन्ध में दो विवरण संलग्न हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3394/70]**

(ख) जी हां; गैर-सरकारी क्षेत्र का कार्य सामान्यतः सन्तोषजनक रहा है ।

गाडगिल आश्वासनों के अनुसार अभी बसाये जाने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से दिल्ली में आये शरणार्थी

8324. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से दिल्ली में आये ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिनका पुनर्वास गाडगिल आश्वासनों के अनुसार किया जाना अभी शेष है; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत 5,251 व्यक्तियों ने सहायता लेने के अपने दावे प्रस्तुत किये हैं। भूमि तथा विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण की भूमि पर बारह व्यक्तियों को पात्र पाया गया है तथा उनके पुनर्वास के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अन्य लोगों के मामलों में जो दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम की भूमि पर अनधिवास कर रहे हैं, आवेदनों की जांच पड़ताल की जा रही है तथा उनकी पात्रता प्रमाणित हो जाने पर उन्हें सहायता देने की आगे कार्यवाही की जायेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उर्वरक की बिक्री तथा उसकी खपत को लोकप्रिय बनाना

8325. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक में निर्मित उर्वरक की बिक्री बढ़ाने तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसानों में उसकी खपत को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) चलती-फिरती मिट्टी परीक्षण मशीन द्वारा मिट्टी परीक्षण के कितने प्रदर्शन किये गये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अब तक गोरखपुर यूनिट, मुख्य रूप से ऐपक्स इन्स्टीट्यूशंस अर्थात् एग्रीकलचरल सप्लाई आर्गनाइजेशन, यू० पी० कापरेटिव फैडरशन लि० और यू० पी० को आप केन यूनियन फैडरेशन लि० के माध्यम से उर्वरक बेचता रहा है। निजी व्यापारियों की नियुक्ति के लिए हाल ही में कदम उठाये गये हैं और इस समय थोक व्यापारियों की संख्या 60 है तथा प्रत्येक थोक व्यापारी के पास फुटकर विक्रेता की औसतन संख्या 6 है। ऐपक्स इन्स्टीट्यशंस को एक महीने के लिए ऋण दिया जाता है और ऋण प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्पर्क रखने के लिए कहा जाता है। उर्वरक बिक्री को बढ़ाने और किसानों को परामर्श-सेवा देने के लिए, भारतीय उर्वरक निगम लि० ने दोनों विक्रय तथा प्रगति (प्रोमोशन) स्टाफ नियुक्त किया हुआ है। यूरिया की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिए, राज्य के कृषि विभाग के निकट सहयोग से, फील्ड डिमान्सट्रेशंस (खेतों में प्रदर्शन), किसानों को प्रशिक्षण और उनके ग्रुपों के साथ बातचीत को शामिल करते हुए कृषक दिवस (फार्मर्स डेज), व्यापारियों को प्रशिक्षण, फिल्मशोज तथा प्रदर्शनियों एवं साहित्य के वितरण का प्रबन्ध किया जाता है।

(ख) अप्रैल, 1970 में भारतीय उर्वरक निगम लि० ने एक चलती-फिरती मिट्टी परीक्षण मशीन प्राप्त की है, जिसने नमूनों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। इसकी प्रतिदिन 100 नमूनों के विश्लेषण की क्षमता है। 1970-71 में लगभग 30,000 नमूनों को विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

प्रवर्तन निदेशालय में अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

8326. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जनवरी 1970 को भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध मुख्य आरोप क्या थे; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन आरोपों की जांच की है और यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बम्बई में 29 दिसम्बर 1969 को, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई के दो अधिकारियों के विरुद्ध, दण्ड संहिता की धारा 161, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 की धारा 5(2), 5(1) (ग) तथा (घ) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384/109 के अन्तर्गत एक आरोप-पत्र दायर किया गया था। न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आरोप-पत्र के आधार पर गिरफ्तारी के जमानती वारण्ट जारी किये और उन्हें 11 फरवरी, 1970 को तामील किया गया।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1964 में ली गयी तलाशी से उत्पन्न होने वाला मुख्य आरोप यह है कि इन दो अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत अपराधों को दबाने के लिए रिश्वत ली थी।

(ग) प्रवर्तन निदेशक ने आरोपों की जांच की और उपयुक्त दो अधिकारियों के खिलाफ अदालत में इस्तगासे की कार्यवाही की आवश्यक मंजूरी जारी की, जिसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया। इन दो अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है।

भारत तथा इटली के बीच विमान सेवा करार

8327. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों को, दुहरा आयकर देने से छूट देने के मामले में भारत और इटली के बीच विमान करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। जिस करार पर 3-2-1970 को हस्ताक्षर किये गये थे, वह अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान किये जाने की तारीख से लागू होगा। इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान अभी होना बाकी है।

(ख) उक्त करार के अधीन प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने यहां दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से होने वाली आय पर पीछे से अर्थात् 1960 से, कर की छूट देगा। करार पर हस्ताक्षर करने वाले दो राज्यों के बीच आदान-प्रदान की गई टिप्पणियों में, जो करार का ही एक भाग है, आगे यह व्यवस्था भी है कि एयर

इंडिया द्वारा इटली में तथा एलिटालिया द्वारा भारत में, किसी ऐसे कर-निर्धारण वर्ष की आय के सम्बन्ध में अदा किया गया आयकर, जिसके लिए करार के उपबन्धों के अधीन उन्हें छूट मिली हुई है, प्रत्येक को, दरख्वास्त पेश करने पर वापस कर दिया जायगा । ऐसी दरख्वास्त करार के लागू होने की तारीख से छः महीने के भीतर दी जानी होगी ।

Studies made by Officers sent to U. S. A. on Invitation from Ford Foundation and Asia Foundation

8328. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the details of the studies conducted by the non-technical high officials of the Central Government, who were sent to the U. S. A. on invitations from the Ford Foundation or the Asia Foundation although it is a well known fact that the system of bureaucracy was established in India long before it was established in America;

(b) whether Government would lay on the Table a copy of the study reports of those officials and work related thereto;

(c) the number out of them of those who were invited to the USA with their families;

(d) the period for which each of the said officials stayed there and the details of the facilities which were provided to them by the Ford Foundation and the Asia Foundation during their stay there;

(e) the various fields in which special benefits accrued to Government by their visit to the USA; and

(f) the mode of payment of monthly salaries to them for the period they remained in the USA;

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Since no time-limit or any specific field of activity has been indicated, very considerable time and labour will be involved in collecting all the details of the studies, and the results achieved may not be commensurate;

(c) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु उद्योग को ऋण

8329. **श्री मयावन :**
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया लघु उद्योगों को प्रति मास लगभग 5 करोड़ रुपये का ऋण देता है;

(ख) क्या इन ऋणों की शर्तें लघु उद्योगों के लिये बहुत लाभदायक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या लघु उद्योगों ने अनुसंधान तथा विकास के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया को इस पहलू पर भी विचार करने के लिये कहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) स्टेट बैंक समूह द्वारा लघु उद्योगों को जुलाई 1969 से जनवरी 1970 के अंत तक की अवधि में जो ऋण दिये गये हैं उनका मासिक औसत 5 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर बैठता है ।

(ख) लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण विशेष योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं इसलिए इनके ब्याज की दरें रियायती होती हैं तथा इनकी शर्तें आमतौर पर उदार होती हैं ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक से अभी तक किसी ने इस प्रकार का अनुरोध नहीं किया है । किन्तु अनुसन्धान और विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांगों पर, उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायगा ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नसबंदी के आपरेशनों के बारे में शिकायतें

8330. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बेरोजगार, गरीब और आवारा व्यक्तियों का नसबंदी आपरेशन सरकार द्वारा निर्धारित 30 रुपये की बजाय 2 रुपये प्रति व्यक्ति देकर किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिब्बिया कालेज, परिवार नियोजन केन्द्र के प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया था कि अविवाहित व्यक्तियों का भी नसबन्दी आपरेशन किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित डाक्टरों के विरुद्ध ऐसा करने के कारण कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इसकी जांच करवाई थी तथा उनकी रिपोर्ट से प्रकट होता है कि प्रिन्सिपल द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी में पानी की कमी की प्रत्याशा

8331. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री बलराज मधोक :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि आगामी ग्रीष्म ऋत में राजधानी में पानी की बहुत कमी रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं, जहां आगामी ग्रीष्म ऋतु में यह कठिनाई उत्पन्न होगी ;

(ग) सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कुछ क्षेत्रों में इस समय पानी पहली मंजिल पर भी नहीं पहुंचता है ;

(ङ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये दिल्ली नगर निगम को सरकार द्वारा कितना धन दिया जाता है ; और

(च) सदर बाजार, पहाड़ गंज के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन अधिकांश कालोनियों में, जो जल वितरण व्यवस्था वाले क्षेत्र की सीमा और काफी ऊंचाई पर स्थित हैं, जल की कमी होगी ;

(ख) (1) पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में नजफ गढ़ मार्ग के साथ साथ कालोनियां जैसे रजौरी-गार्डन, कीर्तिनगर, अशोक नगर, सुभाष नगर, तिलक नगर आदि ।

(2) दक्षिण दिल्ली की कालोनियां जैसे रामकृष्णपुरम के भाग, ग्रेटर कैलास, मालवीय नगर, लाजपत नगर के भाग, ग्रीन पार्क के भाग, तथा अमर कालोनी के भाग ।

(3) सदर पहाड़ गंज जोन के भाग जैसे बस्ती नबी करीम, कुतब रोड, बस्ती-जुलाहन, सदर बाजार इत्यादि ।

(4) शक्ति नगर के भाग, राजिन्दर नगर आदि ।

(ग) दिल्ली जल सम्भरण मलमूत्र निस्तारण उपक्रम के अनुसार अधिक जल की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली के पश्चिमी भाग के लिये वजीराबाद के द्वितीय 40 एम० जी० डी० संयंत्र से जल लाने की योजना, दिल्ली के दक्षिण भाग के लिये कैलास जलाशय योजना तथा शेष दो क्षेत्रों के लिये योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं ।

(घ) आम तौर पर दिल्ली के प्रायः सभी इलाकों को मकानों की पहली मंजिल पर पानी मिलता है। पानी की अधिक मांग और इसके फलस्वरूप जल के मुख्य पाइपों में जल का कम दबाव होने की वजह से कुछ इलाकों में, जो जल संभरण व्यवस्था वाले क्षेत्र की सीमा पर हैं और जो काफी ऊंचाई पर हैं, मकानों की पहली और दूसरी मंजिलों पर जल सम्भरण की अवधि कम हो जाती है।

(ङ) जल सम्भरण तथा मलमूत्र निस्तारण उपक्रम को केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन के जरिये बिना किसी योजना विशेष का उल्लेख किये ऋण देती है। योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित करना, विभिन्न योजनाओं के लिये धन का आवंटन करना तथा उनको क्रियान्वित करना उपक्रम की जिम्मेवारी है। ऋण जल सम्भरण और मलमूत्र निस्तारण योजनाओं पर होने वाले वास्तविक तथा संभावित व्यय का अनुमान लगाने के बाद दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिये 1970-71 के बजट में 409 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(च) करोलबाग क्षेत्र और सदर पहाड़गंज क्षेत्र के भागों में जल संभरण की स्थिति को सुधारने के लिये दिल्ली जल संभरण तथा मलमूत्र निस्तारण उपक्रम ने झंडेवालान में 5 लाख गैलन की क्षमता का एक ऊर्ध्ववर्ती टंकी का निर्माण करने की एक योजना बनाई है जिसमें विभिन्न भागों को जल की सप्लाई का वर्धन करने तथा ऊध्ववर्ती टंकी से मुख्य वितरण पाइपों को बिछाने की व्यवस्था है। इस योजना की अनुमानित लागत 16 लाख रुपये है। झंडेवालान विस्तार, नबी-क्रीम तथा झंडेवालान रोड में जल संभरण की स्थिति को सुधारने के लिये पाइप लाइन लगाने के काम में प्रगति हो रही है। ऊर्ध्ववर्ती टैंक के निर्माण की निविदायें मंजूरी के लिये उपक्रम के विचाराधीन हैं। उपक्रम के अनुसार इस योजना के निर्माण पर दो वर्ष लग जाएंगे। इसके अलावा उपक्रम द्वारा ईदगाह चौक में बूस्टर पम्पों सहित एक ऊर्ध्ववर्ती टंकी का निर्माण करने की एक योजना को अंतिमरूप दिया जा रहा है। इस योजना से पहाड़ी धीराज, सदर बाजार आदि इलाकों में जल संभरण की स्थिति में सुधार हो जायेगा।

श्री हरीदास मूंदड़ा से आयकर की वसूली

8332. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरीदास मून्दड़ा के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों को आयकर की वसूली करने में दोषी पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) . कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 11/13 नवम्बर 1968 के निर्णय में यह अभिमत प्रकट किया था कि

28 फरवरी 1964 को किये गये अभिग्रहण के बाद से लेकर 1968 के समाप्त होने तक, श्री हरिदास मूंदड़ा की बकाया को वसूल करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। 28 फरवरी 1964 को की गई अभिग्रहण की कार्यवाही, टर्नर मौरीसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत हिस्से खरीदने के लिये परिकलित मुआवजे के आधार पर, श्री मूंदड़ा के केवल विकल्प-अधिकार के बारे में थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपर्युक्त अभिमत, संभवत: निर्धारिती के विकल्प अधिकार की बिक्री के बारे में थे और उसकी अन्य परिसम्पत्तियों के बारे में नहीं थे।

उपर्युक्त विकल्प अधिकार की बिक्री के लिये प्रमाण-पत्र अधिकारी तथा अपर जिलाधीश ने कई बार सुनवाई की तारीखें निश्चित की थीं। प्रमाण-पत्र अधिकारी ने 25 फरवरी 1968 को एक ऐसा आदेश जारी किया कि उच्च न्यायालय द्वारा 1961 के बाद संख्या 600 से संबंधित डिगरी में दिये गये 2 मार्च 1964 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, वह इस 'विकल्प अधिकार' को बेचने के लिये सक्षम नहीं है और इसे बेचने के लिए, विभाग को, न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 14 जुलाई 1969 के निर्णय द्वारा श्री मूंदड़ा को, परिकल्पित मूल्य पर, टर्नर मौरीसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के हिस्से देने के लिये एक रिसीवर की नियुक्ति की है। न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा खारिज कर दी गई है और कर वसूली अधिकारी को, आयकर विभाग की अभिग्रहण की कार्यवाही को कार्यरूप देने की छूट दे दी गई है।

श्री मूंदड़ा के मेसर्स टर्नर मौरीसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत हिस्से जोकि पूर्ववर्ती पैरेग्राफों में दिये गये कारणों से 1969 तक नहीं बेचे जा सके, खरीदने के विकल्प अधिकार का अभिग्रहण करने के अतिरिक्त, विभाग ने, श्री हरिदास मूंदड़ा की तरफ करों की बकाया को वसूल करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये थे। निर्धारिती की सारी चल तथा अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है लेकिन उनका निपटान, सक्षम न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जाने तक रुका पड़ा है।

उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

"Engineers India Ltd."

8333. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the progress made so far by "Engineers India Ltd."; and

(b) the names of the projects on which work is being carried on and the time by which self-reliance is likely to be achieved in this respect without foreign assistance?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). The Engineers India Ltd. was constituted in 1965 and became a wholly owned Indian Company in June, 1967. During this period, they have

already completed the engineering services for the following :

(1) Lube India Ltd., Bombay.

(2) Madras Refineries Ltd. Madras.

(3) Indian Oil Lube Blending Plant, Madras.

In addition, they have also submitted technoeconomical feasibility reports for such projects as Cochin Oil Terminal, Neyveli Lignite Corporation for chemicals, Petro-chemical Complex, Madras, Synthetic Rubber Plant, Baroda, Master Plan for Gujarat Industrial Development Corporation, etc.

At present, the Company is engaged on process design, engineering, procurement and construction of the following projects:—

(1) Haldia Refinery Project.

(2) Koyali Aromatics Project.

(3) Coke Calcination Plant, Barauni.

(4) LPG Bottling facilities at Barauni.

(5) Mixed Fertilizer at Panveli.

Engineers India Ltd. has achieved the capability to perform all design and engineering services for setting up process plants. There is, however, still a necessity for purchasing proprietory process know-how. Engineers India Ltd. is extending the scope of its activity to add to its capability through appropriate technical collaboration agreements with a view to ensuring that fabricated equipments can be manufactured in the country to the maximum possible extent.

कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना लगाने की मांग

8334. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ निर्माता संघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने रबड़ उद्योग पर अत्यधिक करों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की थी और रबड़ निर्माताओं तथा विभिन्न सरकारी विभागों से पहले से योजना बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या कृत्रिम रबड़ बनाने का एक अन्य कारखाना लगाने का भी अनुरोध किया गया था और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, सैमीनार में यह अनुरोध किया गया था कि कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए दूसरा कारखाना लगाया जाए ताकि माल तैयार करने वाले उद्योग को हाई सिस (उच्च समपक्ष) पोलीबुटाडाइन किस्म का रबड़ उपलब्ध हो सके ।

सरकार ने देश में कृत्रिम रबड़ की आवश्यकताओं का अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है

और इस अध्ययन पर तथा निवेश, लागत एवं उपयुक्त कृत्रिम रबड़ निर्माण की सुविधाओं की व्यवस्था पर एक विस्तृत रिपोर्ट के एक महीने या उससे कुछ अधिक समय में तैयार होने की आशा है। चौथी योजना में एक कृत्रिम रबड़ कारखाने की स्थापना की व्यवस्था है।

पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता पुनः आरम्भ करना

8335. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दण्डपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार भारत में गैर-सरकारी परियोजनाओं को पुनः सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी सरकार के वर्तमान निर्णय के अन्तर्गत किन गैर-सरकारी परियोजनाओं को सहायता मिलेगी और उस सहायता की शर्तें क्या होंगी ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिये फिर से सहायता दिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। किन्तु, जर्मन संघीय गणराज्य से प्रतिवर्ष जो पूंजीगत सहायता मिलती है उसमें से कुछ भाग उन प्रायोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए अलग रख दिया जाता है जिन्हें भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार दोनों मिलकर चुनती हैं, चाहे ये प्रायोजनाएं सरकारी क्षेत्र की हों या गैर-सरकारी क्षेत्र की।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को शल्यचिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की आपूर्ति

8336. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने कुछ अन्य देशों के साथ शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की आपूर्ति के लिये संविदाओं पर हस्ताक्षर किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ ऐसे संविदा पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ग) आपूर्ति की जाने वाली मदों का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या किसी देश ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए उपकरणों का निर्माण करने के लिये अपने विशेष विवरण दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां। इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० ने रूस के मैसर्स मैडएक्सपोर्ट के साथ शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजारों की आपूर्ति के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) संविदा में 16,71,405.00 रुपये के कुल मूल्य के 2,03,800 शल्यचिकित्सा सम्बन्धी औजारों की आपूर्ति की व्यवस्था है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ओखला जल हैड वर्क्स, दिल्ली को बन्द करने हेतु परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था

8337. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल आपूर्ति और मल-निस्सारण उपक्रम, दिल्ली, के अध्यक्ष ने उनको उन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये और अधिक धन देने की आवश्यकता के बारे में पत्र लिखा है जिनसे उपक्रम ओखला जल हेडवर्क्स बन्द कर सकेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र योजना आयोग द्वारा नियत धन में भी कटौती कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दक्षिण दिल्ली की बस्तियों के निवासियों को पेय जल की कमी से राहत देने के लिए पर्याप्त धन राशि की मंजूरी देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). खर्चे को देखते हुए 1968-69 में 250 लाख रुपये के बजट प्रावधान में से 200 लाख रुपये दिया गया था। तथापि यह मान लिया गया था कि 1969-70 के लिये किये गए 245 लाख के बजट प्रावधान के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो 50 लाख रुपये की शेष राशि भी 1968-69 में हुई कमी को पूरा करने के लिये 1969-70 में दी जा सकती है। बशर्ते कि नगर निगम द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान ऋण भुगतान की निगम द्वारा संशोधित सूची के अनुसार किया जाय और इन वर्षों के दौरान खर्चे से इसका औचित्य सिद्ध होता हो। 1969-70 के दौरान 245 लाख रुपये की सम्पूर्ण राशि जिसकी बजट में व्यवस्था की गई थी, दे दी गई। इसके अतिरिक्त कोई धन राशि नहीं दी गई क्योंकि निगम ने ऋण अदायगी की संशोधित अनुसूची के अनुसार ऋणों की किस्तों का भुगतान नहीं किया।

(घ) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निष्कासन उपक्रम को केन्द्रीय सहायता ऋणों के रूप में बिना किसी योजना विशेष के सन्दर्भ में दी जाती है। क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने ओखला वाटर वर्क्स को सितम्बर, 1970 तक बन्द करने का निश्चय किया है। अतः वे दक्षिण दिल्ली की बस्तियों को वजीराबाद संयंत्र से जल की सप्लाई करने के लिये उचित कार्यवाही कर रहे हैं। 1970-71 के दौरान उपक्रम को ऋण के रूप में सहायता देने के लिये बजट में 409 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह धन राशि उपक्रम को यथा आवश्यक आधार पर दी जायेगी।

सिंथेटिक धागे तथा सिंथेटिक फाइबर के लिए अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस देना

8338. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास की चिर कमी और देश में सिंथेटिक धागे और सिंथेटिक फाइबर की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार सिंथेटिक धागे और सिंथेटिक फाइबर की और क्षमता बढ़ने के लिए लाइसेंस देगी ; और

(ख) क्या सरकार कच्चे माल के आयात के लिये अधिक विदेशी मुद्रा नियत करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) योजना आयोग द्वारा, निर्धारित लक्ष्यों (जिसमें और बातों के साथ कपास और ऊप के प्रतिस्थापन का ध्यान भी रखा गया है) के अनुसार और क्षमता के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे।

(ख) सिंथेटिक फाइबर के घरेलू निर्माण हेतु कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा दी जाती है।

भूमिगत जल का पता लगाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण तथा उसके आधार पर नल-कूप लगाना

8339. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक सर्वेक्षित भूमि में से कितने एकड़ भूमि में भूमिगत जल उपयुक्त नहीं पाया गया है तथा इस सम्बन्ध में सर्वेक्षित ऐसी भूमि की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) सम्पूर्ण देश में कब तक सर्वेक्षण किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप लगाये जाने की सम्भावना है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक सर्वेक्षित कुल 83,100,000 हेक्टेयर्स क्षेत्र में से 12,700,000 हेक्टेयर्स क्षेत्र में भूतल जल संसाधन उपयुक्त गुणों के नहीं हैं। इस प्रकार, निम्न गुणों के भूतल जल वाली उपरोक्त भूमि की प्रतिशतता 15.4 प्रतिशत है।

(ख) और (ग). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि देश का व्यवस्थित भूजलवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए लगभग 2,600 भूवैज्ञनिक वर्ष अर्थात 10 वर्षों के लिए 260 भूवैज्ञानिकों के प्रविस्तारण की अपेक्षा होगी। भावी दो वर्षों में प्रारम्भ किये जाने वाले कार्य के लिए अग्रता विचाराधीन है और इस अग्रता के अनुसार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कार्यक्रम का पुनर्विलोकन किया जायेगा। अतः स्थापित किये जाने वाले नलकूपों की संभावित संख्या को इस समय उपदर्शित करना कालपूर्व ही होगा।

भारत और डेनमार्क के बीच करार

8340. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं की सहायता के लिए डेनमार्क के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने, सहायक उपकरण प्राप्त करने तथा डेनमार्क जाने के लिये चुने गये भारतीयों को प्रशिक्षण एवार्ड देने के लिए हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार और डेनमार्क की सरकार ने 16 फरवरी 1970 को जिस करार पर हस्ताक्षर किये हैं, उसके अन्तर्गत डेनमार्क की सरकार ने विशेषज्ञों की सेवाओं, सहायक उपकरणों और भारतीय राष्ट्रिकों के लिए प्रशिक्षण-वृत्तियों के रूप में तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया है। डेनमार्क की सरकार, अपने विशेषज्ञों को वेतन देगी और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर होने वाले खर्च को भी पूरा करेगी, उपकरणों और सामान की समुद्री मार्ग में ढुलाई पर जो खर्च होगा उसे पूरा करेगी तथा भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को डेनमार्क में उपयुक्त भत्ता देगी और इन प्रशिक्षणार्थियों की अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर होने वाले व्यय को तथा उनके द्वारा डेनमार्क में किये जाने वाले अन्य खर्च को पूरा करेगी। भारत सरकार, भारतीय कर्मचारियों के वेतन के रूप में होने वाले स्थानीय खर्च को पूरा करेगी, देश में बने आवश्यक सामान और उपकरणों की व्यवस्था करेगी, विशेषज्ञों के लिए कार्यालय तथा रिहायशी मकान उपलब्ध करेगी और विशेषज्ञों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए विदेशों से मंगाई जाने वाली उल्लिखित घरेलू चीजों और सामान पर लगने वाले सीमा शुल्क की अदायगी की व्यवस्था करेगी।

Repayment of Loans by the States

8341. **Shri Om Parkash Tyagi**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Uttar Pradesh has levelled a charge of discrimination against the Central Government in respect of repayment of loans by the States ;

(b) if so, how far the said charges are correct ;

(c) whether the Government propose to declare a uniform policy for all the States in respect of the change in the period of repayment of loans; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) A reference was received in October, 1969 from the then Chief Minister of Uttar Pradesh expressing concern, on the basis of a news item, about the rescheduling of States' debt repayments to the Centre.

(b) The news item was incorrect.

(c) and (d). The question of revision of terms of past loans is not being pursued. Instead special loan assistance will be provided to those States which have inescapable gaps in resources.

दण्डकारण्य में उर्वरक कारखाने का लगाया जाना

8342. **श्री दे० अमात** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के दण्डकारण्य क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में इस कारखाने का भविष्य कैसा रहेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Submission of false returns by Beedi Industrialists of Madhya Pradesh

8343. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that beedi industrialists of Sagar, Damoh and Jabalpur Districts of Madhya Pradesh submit false returns in respect of total income and evade Income-tax to the tune of lakhs of rupees;

(b) whether it is a fact that they show only 2 per cent profit on the total capital instead of 20 per cent; and

(c) if so, whether Government would set up an Enquiry Commission to look into the matter?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The information is being collected and would be laid on the Table of the House.

(c) The Government has already appointed a Committee to go into the general question of tax evasion. There is no proposal to appoint an Enquiry Commission to go into the tax evasion in separate industries in each district.

Misuse of Famine Relief Funds in Rajasthan

8344. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cases of misuse of famine-relief funds were prepared

against many officers during the tenure of the then Special Officer in the famine-striken area of Rajasthan;

(b) if so, whether the Rajasthan Government are pursuing the said cases and if not, the reasons therefor; and

(c) the reasons for which Rajasthan Government are raising objections for an enquiry by the Central Bureau of Investigation into the said irregularities?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar): (a) and (b). The Government of Rajasthan have reported that no special officer has been appointed in any area in Rajasthan and that all famine relief programmes are being implemented by various technical departments under the supervision of the District Collectors and the State Relief Department. Cases of misuse of famine relief funds reported to the State Government are being pursued. The police have so far registered 106 cases while departmental proceedings have been taken up in 118 cases.

(c) The Central Bureau of Investigation is not making any enquiries regarding such cases and the question of the State Government raising and objections does not, therefore, arise.

दिल्ली नगर निगम के सिनेमाघरों पर सम्पत्ति-कर के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

8346. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों के सिनेमाघरों पर कम सम्पत्ति-कर लगाने के मामले की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तीन मामलों की जांच की है जिनमें दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में दो सिनेमाघरों पर कम कर लगाये जाने के आरोप लगाये गये थे। तीनों मामलों की जांच पूरी हो चुकी है।

(ख) ब्योरा इस प्रकार है :—

(i) पहले मामले में जो अल्पना सिनेमाघर के सम्बन्ध में है, यह आरोप लगाया गया था कि 1967-68 के लिये सम्पत्ति-कर के मामले में अल्पना सिनेमाघर के प्रबन्धक के साथ सांठगांठ कर के दिल्ली नगर निगम के तीन अधिकारियों ने प्रबन्धकों को वित्तीय लाभ पहुंचाया था और निगम को 3,700 रुपये की उतनी हानि पहुंचाई थी। एक प्रतिवेदन, जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है, निगम अधिकारियों को शीघ्र ही भेजा जा रहा है।

(ii) अम्बा सिनेमाघरों से सम्बन्धित दूसरे मामले में यह आरोप लगाया लगा था

कि दिल्ली नगर निगम के तीन अधिकारियों ने 1963-64 के लिये अम्बा सिनेमाघर सम्पत्ति-कर निर्धारित करते समय 12 महीने के बजाय केवल 11 महीनों की कुल आय का हिसाब लगाया था और इस प्रकार विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन किया था तथा अम्बा सिनेमाघर के स्वामी को 24,670 रुपये का लाभ पहुंचाया था। एक प्रतिवेदन, जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी, निगम अधिकारियों को भेज दिया गया है।

(iii) अम्बा सिनेमाघर से ही सम्बन्धित तीन मामले में यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली नगर निगम के तीन अधिकारियों ने 1965-66 में अम्बा सिनेमाघर पर सम्पत्ति-कर का पुनरीक्षण करते समय बिना किसी उचित सत्यापन के 1965-66 के लिये सम्पत्ति का बहुत ही कम मूल्यांकन किया था और इस प्रकार सिनेमा के स्वामी को नगर निगम की कीमत पर लाभ पहुंचाया था। इस सम्बन्ध में भी एक प्रतिवेदन जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई है। नगर निगम को भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम पत्तन के विस्तार के लिये जापान द्वारा सहायता का प्रस्ताव

8347. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन पर अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये जापान ने सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जापान इस बात के लिये राजी हो गया है कि वह विशाखापत्तनम के बाहरी बन्दरगाह तथा बेलाडिला स्थित लोहे की खानों की पट्टी संख्या 5 के विकास के लिये आवश्यक सामान और सेवाओं के आयात के लिये वित्त-व्यवस्था करने के लिये 70 लाख डालर (5.25 करोड़ रुपये) का ऋण देगा। आशा है कि इस प्रयोजन के लिये, भारत सरकार और जापान के निर्यात और आयात बैंक (एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक) के बीच एक ऋण करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाएंगे।

यह ऋण 18 वर्षों में चुकाया जायेगा, जिसमें 5 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है और इस ऋण पर 5.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

बैलाडिला लोह अयस्क खान के विकास के लिये जापान से सहायता की पेशकश

8348. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिया लौह अयस्क खान के विकास के लिये जापान ने सहायता देने की

पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 की खान, रेल विभाग तथा विशाखापत्तनम बन्दरगाह के लिये उपकरणों के क्रय हेतु जापानी इस्पात मिलों द्वारा सप्लायर्स आस्थगित ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई 210 लाख डालरों की वित्तीय सहायता में से 70 लाख डालरों की राशि का उपयोग (525 लाख रुपयों के तुल्य) जापान तथा अन्य देशों के संयंत्र तथा उपकरण खरीदने तथा उपकरणों के परिनिर्माण एवं चालू किये जाने के समय में जापान से तकनीकी अधीक्षण सेवाएं प्राप्त करने के लिये किया गया था। 525 लाख रुपये की यह राशि, बकाया देय पर ब्याज सहित, 10 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में 20 सितम्बर, 1967 से परिदेय है। 262.5 लाख रुपये की पांच किश्तें पहिले ही अदा की जा चुकी हैं। जापान के बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 की निर्माणाधीन खान के लिये जापान से उपकरणों के क्रय हेतु 104.3 लाख रुपयों के तुल्य येन ऋण प्रदान करना स्वीकार कर लिया है।

प्रतिवर्ष राजधानी में बसने के लिये आने वाले व्यक्तियों का अनुमान

8349. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में आकर प्रतिवर्ष बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस आगमन की समस्या के समाधान के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के, जन सुविधाओं समेत रोजगार के पर्याप्त अवसरों से सम्पन्न एक रिंग नगर का विकास करने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर विचार किया है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). 1964 और 1965 के वर्षों के लिये बनाये गये अनुमानों के अनुसार लगभग 83 हजार व्यक्ति प्रति वर्ष दिल्ली में बसने के लिये आते हैं।

(ग) जी, हां। ब्योरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) दिल्ली की वृहत-योजना में रिंग नगरों का विकास पहले ही से परिकल्पित है, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद, वल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और गुड़गांव, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और लोनी तथा दिल्ली संघीय क्षेत्र में नरेला।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मशाला, कोरबा

8350. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम) कर्मशाला में कुल कितना धन लगा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कर्मशालय के केवल लगभग 18 से 25 प्रतिशत स्थापित क्षमता का उपयोग होता है;

(ग) यदि हां, तो इस कर्मशाला की क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस कर्मशाला का रूसी सहयोग से डिजाइन तैयार कर इसका निर्माण करते समय इस कार्य का ठीक प्रकार से अध्ययन और परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था ; और

(ङ) क्या सरकार परियोजना प्रतिवेदन का ब्योरा सभा-पटल पर रखेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 31 दिसम्बर, 1969 तक लगभग 260 लाख रुपये ।

(ख) और (ग). कर्मशाला की क्षमता अपयोजित है, क्योंकि देश में कोयले की मांग शैथिल्य के कारण इसके सभी भागों के परिचालन के लिये पर्याप्त आदेश नहीं है । कर्मशाला के अपयोजन की सीमा का पता लगाया जा रहा है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) कोरबा की कर्मशाला की स्थापना रूसी सहयोग के साथ की गई थी । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदेश ज्ञापन के आधार पर, प्रायोजना रिपोर्ट गिप्रोशेचट (यू० एस० एस० आर० राज्य योजना संस्था) द्वारा तैयार की गई थी । कर्मशाला के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :—

1. कोरबा कोयला क्षेत्र में आयोजित एवं चालू प्रायोजनाओं में उपयोग में लाये जाने वाली मशीनरी एवं कल-पुर्जों की मरम्मतें ;
2. उक्त मशीनरी एवं उपकरणों की मरम्मतों में अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों का निर्माण ;
3. साधारण अचानक उपकरणों/ढांचों चूट्स, आदि का निर्माण ।

यह कर्मशाला मशीन शॉप, ताप प्रक्रिया शॉप, इंजन मरम्मत शॉप, संरचना शॉप तथा गढ़ाई एवं ढलाई शॉप से सुसज्जित है, जो सभी आधुनिक डिजाइन की हैं । ढले इस्पात पुर्जों का उत्पादन करने के लिये अत्याधुनिक इस्पात भट्ठियों से सुसज्जित इस्पात ढलाईघर इस कर्मशाला की प्रमुख विशेषता है । कर्मशाला का अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम, जैसा कि प्रायोजना रिपोर्ट में

दिया है, नीचे उपदर्शित किया गया है :—

वर्ग	मरम्मत किये जाने वाले उपकरण टनों में
1. ओपन कास्ट उपकरणों की मरम्मतें	3285
2. भूमिगत खनन उपकरणों की मरम्मतें	2403
3. कोयला धोने के कारखानों के उपकरणों की मरम्मतें	1058
4. संक्रियात्मक उद्यमों में पुर्जों की मरम्मतें	600
5. गैर-मानक उपकरणों का निर्माण	200
	जोड़ 7546

प्रायोजनों की मूल अनुमानित लागत लगभग 180 लाख रुपये थी। अक्टूबर, 1967 से प्रायोजना वाणिज्यिक उत्पादन में है।

मैसर्स महाराजा फाइनेन्सेस द्वारा आयकर तथा धन-कर का भुगतान

8351. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स महाराजा फाइनेंसेस का प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों के क्या नाम हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने कितना-कितना आय-कर तथा धन-कर चुकाया है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सूचना एकत्रित की है कि क्या महाराजा फाइनेन्सेस की फर्म के पास कार्य चलाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस कम्पनी के भागीदारों के नाम इस प्रकार हैं:—

(1) श्री एम० एल० मंजुनाथ सेट्टी, बंगलौर

(2) श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी

(3) श्री ओ० रामन

(4) श्री जी० आर० नंजुंदास्वामी

(5) श्री गाडी चेलुवरैया सेट्टी

(6) श्री बी० आर० वासुदेव सेट्टी

(7) श्री डी० एम० चिन्नपापैया सेट्टी

(8) श्री डी० वेंकटरत्नम्

(9) श्री बी० एन० गोविन्द राजुलू

(10) श्री बी० जानकीरामन्

(ख) इन व्यक्तियों द्वारा पिछले तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिये अदा किया गया आय-कर और धन-कर नीचे दिये अनुसार है :

	आय-कर	धन-कर
श्री एम० एल० मंजुनाथ सेट्टी	कर-निर्धारण होने बाकी हैं	
श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी	32,035	2,169
श्री ओ० रामन	8,518	कुछ नहीं
श्री जी० आर० नंजुन्दास्वामी	11,789	81
श्री गाडी चेलूवरैया सेट्टी	कर-निर्धारण होने बाकी हैं	
श्री जी० आर० वासदेव सेट्टी	6,869	216
श्री वी० एम० चिन्नपापैया	10,500	कुछ नहीं
श्री डी० वेंकट रत्नम्	18,023	कुछ नहीं
श्री बी० एन० गोविन्दराजुलू	3,196	कुछ नहीं
श्री बी० जानकीरामन्	417	कुछ नहीं

(ग) 2 मार्च, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर के भाग (ङ) में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में निम्नलिखित सूचना पहले ही दी जा चुकी है :

"कम्पनी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को ही भारत के रिजव बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है। चूंकि यह साझेदारी की फर्म है, इसलिये रिजर्व बैंक से कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।"

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई

8352. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में छोटे लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि छोटे ऋणकर्ताओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में काफी कठिनाई हो रही है। फिर भी, राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो अब छोटे किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगकर्ताओं, छोटे व्यापारियों आदि को उदार शर्तों पर ऋण की सुविधाएं देते हैं, यह परामर्श दिया गया है कि वे ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनायें, अपनी नयी योजनाओं का काफी प्रचार करें और योजनाओं की प्रतियां, ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र के फार्म और अन्य सम्बद्ध सामग्री को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध करायें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 40 वर्ग गज के प्लाटों में निम्न आय वर्ग के लिये मकानों का निर्माण

8353. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में जिन लोगों को 25 वर्ग गज के प्लाट मिले हैं, उन्हें वे अपने बढ़ते हुए परिवार के लिए बहुत छोटे पड़ते हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न आय वर्ग को किराया खरीद के आधार पर देने के लिये 40 वर्ग गज के प्लाटों में छोटे मकान बना रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मकानों के आवंटन में उन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में रह रहे हैं और जो रहने के लिये अच्छे मकान चाहते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) स्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं । निम्न आय वर्ग का प्रत्येक पंजीकृत आवेदन टेन्मेंटों के आवंटन के लिए पात्र है।

दिल्ली में सरकारी कालोनियों का विकास के मामले में निकटस्थ नगर निगम क्षेत्रों से पिछड़ा रहना

8354. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एन्डरूज गंज, श्रीनिवासपुरी और रामकृष्णपुरम जैसी सरकारी कालोनियां, पार्क और खेल के मैदान के विकास, सड़क निर्माण और उनके सुधार तथा जन-कल्याण के अन्य मामलों में निकटस्थ दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हुई हैं ;

(ख) सरकारी कालोनियों और दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में विकासगत इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह विषमता कुछ हद तक सरकारी कालोनियों के बारे में अनेक विभागों के दायित्व के परिणामस्वरूप और पार्क आदि को दिल्ली नगर निगम को सौंपने में सरकार की असफलता के कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सरकारी बस्तियों में उपलब्ध पानी की सप्लाई, सीवर, नालियां, सड़कें, सड़कों की रोशनी और सामुदायिक घास के मैदानों जैसी मूल सुविधाएं दिल्ली नगर

निगम क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों की सुविधाओं के तुल्य हैं। जहां तक पार्कों और खेल के मैदानों के विकास का सम्बन्ध है, इसका वास्तव में उत्तरदायित्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय पर है, और ज्योंही स्थानीय निकाय इस कार्य को अपने खर्च पर लेने के लिये उत्सुक हो, इसके लिए उद्दिष्ट क्षेत्रों को सरकार हस्तान्तरित करने के लिए तैयार है। मामला फिलहाल सम्बन्धित स्थानीय निकाय के परामर्श से विचाराधीन है।

दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में गंदगी

8355. **श्री बलराज मधोक :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरीय सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में गंदगी रहती है जिसके परिणामस्वरूप बीमारी तथा अशिष्टता फैलती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी कालोनियों में सफाई के लिये दिल्ली नगर निगम दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कार्य के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को पर्याप्त धन नहीं दिया है; और

(घ) झुग्गी कालोनियों के सम्बन्ध में इस द्वैधशासन को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिसके कारण ये कालोनियां उन गन्दी बस्तियों से भी अधिक गन्दी बस्तियां बन गई हैं जहां से लोगों को हटाकर इन कालोनियों में बसाया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह सूचित किया गया है कि सफाई की स्थिति वांछित स्तर तक की नहीं है।

(ख) आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण की जिम्मेदारी सामान्यतः नगर पालिका की है। तथापि, दिल्ली नगर निगम जे० जे० कालोनियों में सेवाओं के अनुरक्षण के प्रभारों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से मांग रहा है।

(ग) और (घ). झुग्गी-झोंपड़ी हटाये जाने की योजना के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सफाई, वार्षिक मरम्मतें और अनुरक्षण तथा प्रशासनिक प्रभारों आदि के लिए किराये की वसूलियों का 30 प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति है। तथापि, विकसित प्लाटों के आवंटी नियमित रूप से किराया अदा नहीं कर रहे हैं और काफी बकाया इकट्ठा हो गया है। स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सकता है यदि आवंटी नियमित रूप से किराये की अदायगी करें तथा मामले में अपनी सहायता स्वयं करें। सरकार, तथापि, स्थिति का पुनर्विलोकन कर रही है।

स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के लिए पंजाब के वेतन-मान

8356. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के प्रतिनिधि 24 मार्च, 1970 को उनसे चण्डीगढ़ में मिले थे और उन्होंने पंजाब के वेतन-मान दिये जाने की मांग की थी ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या प्रतिनिधियों ने कुछ अन्य मांगें रखी थीं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा उनमें से कौन-सी मांगें सरकार ने मान ली हैं ; और

(घ) क्या उन्हें कार्यरूप दे दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ में काम कर रहे तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री से 27 मार्च, 1970 को मिले थे न कि 24 मार्च, 1970 को। उन्होंने कई मांगें रखी थीं जिनमें से एक यह थी उन्हें पंजाब के वेतनमान दिये जायें।

(ख) भारत सरकार ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि 6 मार्च, 1970 से संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय वेतनमान दिये जायेंगे ।

(ग) और (घ). कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री के सम्मुख अन्य निम्न-लिखित मांगें रखीं :

(1) कर्मचारियों के प्रति कथित अत्याचार को रोकना।

(2) कर्मचारियों का अंतिम बंटवारा।

(3) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देना।

(4) कर्मचारियों को स्थायी करना।

(5) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था करना।

इन मांगों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **कर्मचारियों के प्रति कथित अत्याचार को खत्म करना**

इस बात पर सहमति हो गई कि कर्मचारी क्षमा याचना का एक संयुक्त पत्र तथा हड़ताल वाले दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र संस्थान के निदेशक को दे दें और उसे स्वीकार कर लिया जाय। सम्बन्धित कर्मचारियों ने अभी तक ऐसी कोई क्षमायाचना नहीं की है ।

(2) **कर्मचारियों का अन्तिम बंटवारा**

स्वास्थ्य मंत्रालय गृह मंत्रालय से परामर्श लेकर इस मामले में यथा समय निर्णय लेगा।

(3) **तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन को मान्यता देना**

23 अप्रैल, 1970 को संस्थान के शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा नियम बनाये जाते ही इस संस्थान के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन को औपचारिक मान्यता दे दी जायेगी।

(4) **कर्मचारियों को स्थायी करना**

संस्थान के शासी निकाय ने 23 अप्रैल, 1970 को निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थायी कर दिया जाए। तदनुसार ऐसे स्थायी करण के लिये संस्थान प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(5) **तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कैंटीन की व्यवस्था करना**

संस्थान में 1-5-1970 से एक कैंटीन खोली जा रही है।

आर्थिक और राजस्व सम्बन्धी नीतियां बनाना

8357. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक तथा राजस्व सम्बन्धी और प्रमुख रूप से ऋण-नीति में अपेक्षित प्राथमिकताओं सम्बन्धी नीति निर्धारित कर ली है और इनकी सूचनारिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल को दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). केन्द्रीय वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का समय सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की घोषणा करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है। जहां तक ऋण नीति का सम्बन्ध है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताएं, और विशेषकर किसानों, छोटे उद्योगपतियों और अपना काम स्वयं करने वाले व्यावसायिक समूहों की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी होती रहें, वाणिज्यिक बैंकों के लिए स्थूल रूप में कुप्राथमिकताएं पहले ही निर्दिष्ट कर दी गयी हैं। जैसे-जैसे जरूरी समझा जायगा राष्ट्रीयकृत बैंकों को मार्गदर्शक निदेश भी दिये जायेंगे।

केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक निकट सहयोग से कार्य करते हैं और अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये सभी आवश्यक उपाय करते रहते हैं। रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों को सरकारी नीतियों की पूरी जानकारी रहती है और इस विषय में सरकार को केन्द्रीय बोर्ड से सामान्यत: कोई औपचारिक पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती।

यमुना-पार क्षेत्र में जनरल हस्पताल

8358. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री जय सिंह : **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास सथा नगरीय विकास** मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण यमुनापार क्षेत्र में केवल एक जनरल हस्पताल है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह हस्पताल उस क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में कम से कम एक और जनरल हस्पताल खोलने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शाहदरा में एक और सामान्य हस्पताल खोलने का दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव विचाराधीन है । जैसे ही प्रस्तावित हस्पताल के लिए भूमि मिल जाएगी, निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

गांधीनगर/कृष्णनगर दिल्ली में औषधालयों का खोला जाना

8359. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधीनगर/कृष्णनगर, दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की एक चिकित्सा गाड़ी भेजने की वर्तमान व्यवस्था पूर्णतया असन्तोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में एक औषधालय खोलने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह औषधालय वहां कब तक चालू हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). गांधीनगर, कृष्णनगर तथा उसके आसपास वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये वहां एक औषधालय खोलने का निर्णय किया गया है । आशा है कि यह औषधालय शीघ्र ही चालू हो जाएगा ।

नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर स्वर्ण, गिन्नी और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

8360. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जयसिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से एक व्यक्ति के सन्दूक में से निषिद्ध सोना, गिन्नियां और हजारों रुपये के मूल्य के विदेशी करेंसी नोट पकड़े गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). नई दिल्ली में 9 अप्रैल 1970 को पालम हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से अवैध सोना, गिन्नियां और विदेशी मुद्रा बरामद की गई जिसका ब्योरा नीचे दिये अनुसार है। ये वस्तुएं यात्री ने अपने पास छिपा रखी थीं।

विवरण	संख्या/मात्रा/तौल	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर मूल्य (रुपये)
सोने के जेवरात	150 ग्राम	1,590
10 डालर की अमरीकी स्वर्ण मुद्रा	1	400
गिन्नियां	4	
अमरीकी मुद्रा नोट	207 डालर	1,522
सिंगापुर मुद्रा	11 डालर	25
मलयेशिया मुद्रा	20 डालर	23
	जोड़	3,560 रुपये

बनाला मुटु में तांबे के निक्षेपों का पता लगाना

8361. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनाला मुटु में जो खनन-अन्वेषण कार्य किया गया था, क्या उससे यह पता लगा है कि उस क्षेत्र में 150 लाख टन तांबे के निक्षेप हैं ;

(ख) क्या इन निक्षेपों का वाणिज्यिक आधार पर विदोहन किया जा सकता है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ठीक अनुमान क्या लगाया गया है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में तांबे की परियोजना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सम्भवतः अग्निगुन्डला तांबा पट्टी के बन्डलामोट्टु खण्ड की ओर निर्देश है । इस खण्ड में किये गये समन्वेषी कार्य के आधार पर तांबा अयस्क के प्रारम्भिक अनुमान 1.03 प्रतिशत तांबे के साथ 10.2 लाख मैट्रिक टन है ।

इस समय भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था बन्डला मोट्टु खंड में गहरा व्यधन कर रही है । इन अन्वेषणों तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किये गये समन्वेषी कार्य के परिणामों के आधार पर बन्डलामोट्टु तांबा निक्षेपों के समुपयोजन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विभिन्न गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं के अन्तर्गत अधिकतम आय की सीमा को बढ़ाया जाना

8362. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता के लिये अधिकतम आय की सीमा को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के लिये पात्रता की अधिकतम आय सीमा 1 अप्रैल, 1970 से 250 रुपये से बढ़ा कर 350 रुपये प्रतिमास कर दी गई है । ऐसा इसलिये किया गया है कि गन्दी बस्ती में रहने वालों को औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर सदस्यों के समान स्तर पर लाया जाय, जिनके मामले में, औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत, बनाये गये मकानों के आवंटन के लिये आय सीमा 350 रुपये प्रतिमास है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा नगर पालिकाओं, जल पूर्ति तथा निस्सारण योजनाओं के लिये ऋण की स्वीकृति

8363. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम ने कुछ नगर पालिकाओं को उनकी जलपूर्ति

तथा निस्सारण योजनाओं के लिये कुछ ऋण मंजूर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) ऋण के ब्यौरे का एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है :

विवरण

जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्यों की नगरपालिकाओं को उनकी जलपूर्ति और जल निकास योजनाओं के लिये 31 मार्च, 1970 तक दिये गये ऋणों के ब्योरे।

क्र० सं०	राज्य का नाम	नगरपालिकाओं की संख्या	ऋण की रकम (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	190.00
2.	गुजरात	24	158.65
3.	हरियाणा	25	107.88
4.	हिमाचल प्रदेश	1	0.50
5.	केरल	4	52.00
6.	मध्य प्रदेश	21	87.65
7.	महाराष्ट्र	107	11,13.49
8.	मैसूर	10	225.00
9.	उड़ीसा	12	54.18
10.	पंजाब	41	206.00
11.	राजस्थान	58	221.96
12.	तमिलनाडु	27	192.33
	जोड़	342	26,09.64

Central Taxes Outstanding against Banaras Chemicals Factory

8364. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Income-tax to the tune of rupees three lakhs and twenty-two thousands is still outstanding against the Banaras Chemicals Factory ;

(b) if so, the reasons for which the said amount has no so far been relised ; and

(c) whether it is also a fact that some amount towards Excise Duty is also outstanding against the said factory ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The gross income-tax demand outstanding against the firm of M/s. Banaras Chemicals Factory at Varanasi, amounts to Rs. 2,00,600/-. The collection of this demand has been stayed till disposal of appeals.

(c) Central Excise duty amounting to Rs. 32,342/- and a penalty of Rs. 2,000/- adjudicated by the Deputy Collector of Central Excise, Allahabad, are outstanding against M/s. Banaras Chemicals Factory of Varanasi since middle of January, 1970.

Extraction of Oil and Production of Fertilizers from Grass in Gujarat

8365. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have succeeded in the research for extracting oil and producing fertilizer from some type of grass in Gujarat ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Government have no information on the subject.

Tablet for Family Planning prepared from Indigenous Medicines in Kerala

8366. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a tablet for family planning has been prepared from indigenous medicines in Kerala which is effective and harmless ; and

(b) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) Yes. A tablet for family planning has been prepared from indigenous medicine for clinical screening at Government Ayurvedic College hospital, Trivandrum but it is premature to say anything about its effect and harmlessness.

(b) The name of the medicine is 'Vidangadi Yoga' which is a classical Ayurvedic preparation.

Progress made in Hindi work in the Ministry

8367. **Shri Chandrika Prasad** :
Shri Ram Charan :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress so far made in Hindi work in his Ministry ;

(b) whether it is a fact that one post of Hindi Officer was created in the Department of Family Planning sometime past but the said post was later converted into an English one ;

(c) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to create the said post again ;

(d) whether some Member of Parliament has written a letter to this effect to him ;

(e) if so, the action taken thereon so far ; and

(f) the additional posts of Hindi Officers, translators, etc. proposed to be created by Government for promotion of Hindi work in the Department of Family Planning ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The work relating to promotion of Hindi and the progressive use of Hindi for official work is being carried out in accordance with the instructions of the Ministry of Home Affairs. The progress so far is satisfactory.

(b) to (e). The work relating to Hindi in the Department of Family Planning has been entrusted to an officer on part-time basis. On receipt of a letter from a Member of Parliament, steps are being taken to create a post of a whole-time Hindi Officer.

(f) A post of Junior Hindi Translator, which was created recently, has since been filled. Additional posts, if any, will be created if, on the basis of work load, it is justified.

Grants for Development of Hospitals in Madhya Pradesh

8368. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the allocations made as grant by the Central Government for the development of various hospitals in Madhya Pradesh in the financial year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : The scheme for establishment/improvement of hospitals falls under the State sector. Central assistance to States is given in the form of block grants and loans for all items of development including Health and not separately.

Setting up Family Planning Centres in Urban and Rural Area of Madhya Pradesh

8369. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Family planning centres set up in urban and rural areas of various districts of Madhya Pradesh at present ;

(b) the number of vasectomy, and tubectomy operations conducted under the Family Planning Programme since 1st January, 1967 till date and the number of doctors whose services are available under the said programme in the State ; and

(c) the amount spent by Government on the said programme in the State during the said period and the grant-in-aid likely to be given in respect of the said programme in the financial year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The number of

Family Planning Centres set up in Rural and Urban areas of various districts of Madhya Pradesh are as follows :

1. **Rural**
   (a) No. of main rural Family Welfare Planning Centres .. 428
   (b) No. of Sub-centres .. 1958
   (c) Other institutions doing family planning work .. 702
2. **Urban**
   (a) No. of Urban centres functioning .. 91
   (b) Other institutions doing family planning work. .. 115

(b) The required information is given in the enclosed statement.

Statement showing the number of Sterilisations done since January, 1967

Period	Male	Female	Total
1. January, 1967 to March, 67	27,114	1,319	28,433
2. 1967-68	169,492	6,656	176,148
3. 1968-69	122,679	12,431	135,110
4. 1969-70 (upto Feb., 1970)	91,605	15,078	111,463

The number of doctors in position at different levels under family planning programme is as follows :

1. State of level .. 2
2. **District level**
   (a) District Medical Officers .. 43
   (b) Assistant Surgeon Grade I (Male) for Sterilisation Programme .. 30
   (c) Assistant Surgeons Grade I (Female) for IUCD Programme .. 21
3. **Peripheral level**
   Rural Family Welfare Planning centre including sub-centres .. 72 (as on 1.7.69)

(c)

Years	Grants-in-aid Sanctioned provisionally	Estimated Expenditure (Rs. in lakhs)
1967-68	179.03	136.35
1968-69	192.03	202.67
1969-70	436.56	199.56 (upto December, 1069)

Allocation to the State for 1970-71 has to be finalised.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चिकित्सा कर्मचारियों और डाक्टरों को ऋण

8370. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चिकित्सा कर्मचारियों और डाक्टरों को अपने क्लिनिक बनाने के लिये ऋण देने का कोई प्रस्ताव बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों ने ऋण की मांग की है; और

(घ) गत तीन महीनों में उनको कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । डाक्टरों को उनके द्वारा स्वयं चिकित्सा-कार्य शुरू किये जाने के लिये वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों (बैंक आफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक और सिंडीकेट बैंक) की खास-खास योजनाएं हैं । अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी स्व-नियोजन ऋण योजनाओं या व्यावसायिक ऋण योजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सा-कार्य शुरू करने या व्यावसायिक उपकरण खरीदने के लिये डाक्टरों के लिये वित्त की व्यवस्था करते हैं ।

(ख) बैंक आफ महाराष्ट्र और कनारा बैंक की योजनाओं के अन्तर्गत डाक्टरों को शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा-कार्य शुरू करने के लिये 3000 रुपये और अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-कार्य शुरू करने के लिये 5000 रुपये तक के ऋण दिये जाते हैं । ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा-कार्य शुरू करने वाले डाक्टरों को औषधालयों की स्थापना करने के लिये उपकरण, औषधियां और आवश्यक फर्नीचर खरीदने और अनुरक्षण सम्बन्धी खर्चों को पूरा करने के लिये भी एक साल के लिये 2,000 रुपये तक के लिये ऋण दिये जा सकते हैं । ऋणों की वापसी शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में 20-30 महीनों की अवधि में और अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 36 महीनों में किस्तों में की जानी होती है । ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों को पहले के कुछ महीनों में ऋण की वापसी के लिये जोर नहीं दिया जाता है । बैंकों द्वारा वित्त पोषित उपकरणों पर प्रभार प्राप्त कर लिया जाता है । डाक्टरों के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वे ऋण की रकम के बराबर की रकम का बीमा करायें और पालिसियां बैंकों के नाम कर दें । ऋण की रकम के लिये सामान्यतः एक सह-आभारी की जमानत पर भी जोर दिया जाता है । इस जमानत की रकम ऋण की रकम को देखते हुये काफी होनी चाहिये । सिंडीकेट बैंक पहली बार समपार्श्विक प्रतिभूति के बिना 5000 रुपये तक का ऋण देता है, पर उसके लिये एक जमानती होना चाहिये । नर्सिंग होम या सामान्य चिकित्सालय खोलने के लिये वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सिंडीकेट बैंक की एक और योजना है । यदि दो या इससे अधिक डाक्टर मिलकर नर्सिंग होम या सामान्य चिकित्सालय खोलें, तो ऐसे मामलों में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ।

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक उपकरण खरीदने या औषधालयों की साज-सज्जा के लिये सामान्यत: 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक के मार्जिन के साथ 25000 रुपये तक के ऋण देते हैं। ये ऋण सामान्यतः अधिक से अधिक 36 महीनों में मासिक या तिमाही किस्तों में वापस करने पड़ते हैं। उपकरण गिरवी रखे जाते हैं और जिन मामलों में गारंटियां मिल सकें, वे भी ली जाती हैं।

(ग) और (घ). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने पर काफी समय लगेगा और इसमें काफी परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में इस प्रकार विस्तारपूर्वक सूचना नहीं रखते। पर, जनवरी 1970 के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डाक्टरों सहित, अपना काम स्वयं करने वाले लोगों के 8072 ऋण खातों के अन्तर्गत दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 2.26 करोड़ रुपये थी। इसके बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

ऋण देने के लिये बैंकों द्वारा बनाये गये प्रस्ताव

8371. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने व्यक्तियों, उद्योगों, वकील, अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर आदि जैसे व्याव सायिक व्यक्तियों को ऋण देने के लिये कोई विशिष्ट प्रस्ताव बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को इन बैंकों ने अब तक कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अर्थ-व्यवस्था के अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों, जैसे कृषि, लघु उद्योगों, छोटे परिवहन चालकों, खुदरा व्यापारियों तथा स्वयं अपना काम करने वाले व्यक्तियों, कारीगरों और डाक्टरों तथा इंजीनियरों जैसे व्यावसायिक व्यक्तियों को ऋण देने की योजनाएं तैयार की हैं। किन्तु शिक्षकों को ही ऋण देने के विशिष्ट प्रयोजन से कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे ऋण कर्ताओं की सहायता के लिये जो योजनाएं तैयार की हैं, उनका संक्षिप्त विवरण, जो लोक सभा के 6 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 834 के भाग (ख) के उत्तर में सभा की मेज पर रखा गया था, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3395/70]**

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, किसानों, लघु औद्योगिक एककों, सड़क परिवहन चालकों, खुदरा व्यापारियों और स्वयं अपना काम करने वाले व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की बकाया रकमों की जो स्थिति जून, 1969 के अन्त में तथा जनवरी, 1970 के अन्त में थी, उसका

ब्यौरा इस प्रकार है :

	जून 1970 के अन्त में	जनवरी 1970 के अन्त में
कृषि (अर्थात् किसानों) को प्रत्यक्ष वित्त		
खातों की संख्या	134,849	275,326
बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	26.96	65.61
लघु उद्योग		
खातों की संख्या	36,301	50,960
बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	148.44	184.97
सड़क परिवहन चालक		
खातों की संख्या	2,527	5,610
बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	6.69	13.43
खुदरा व्यापारी और स्वयं अपना काम करने वाले व्यक्ति		
खातों की संख्या	28,459	59,254
बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	19.55	33.30

इसके बाद आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिये कारखाने की स्थापना

8372. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बीच योजना आयोग ने भवन निर्माण सामग्री बनाने के कारखानों की स्थापना करने से सम्बन्धित मन्त्रालय की योजना का अनुमोदन कर दिया है जिससे बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है और किन राज्यों में स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सरकार द्वारा अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया

गया किन्तु सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति निम्न लागत के आवास, जिसमें पूर्व निर्माण और यंत्रीकरण का अपनाना भी शामिल है, के प्रश्न का अध्ययन कर रही है । फिलहाल प्रश्न में उठाये गये अन्य मुद्दों के ब्यौरे को देना असामयिक होगा ।

तथापि तमिल नाडु राज्य सरकार के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऋण व्यवस्था से, पोलैण्ड की सहायता से, तमिल नाडु आवास बोर्ड द्वारा सैलुलर कंक्रीट घटकों के उत्पादन के लिये एन्नोर में लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से एक फैक्टरी स्थापित की जा रही है ।

Interest on Loans received from Foreign Countries

8373. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount paid during the year 1969-70 out of the total amount of Rs. 1950 crores to be paid as an instalment of foreign loan and interest thereon in the Fourth Five Year Plan period ; and

(b) whether it is a fact that even for repaying the said loan foreign loan has to be procured ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) It is estimated that during the Fourth Plan period, the total amount of external debt service payments to be made through exports and convertible foreign exchange will be Rs. 2280 crores and not Rs. 1750 crores. Of this, Rs. 412 crores was paid in 1969-70, against which debt relief of Rs. 93.8 crores was also made available by members of the Aid India Consortium.

(b) External assistance is being taken to supplement India's own resources for economic development. Since debt servicing at present levels takes away a large part of India's resources and this results in a large reverse flow of resources from India to the donor countries, the Consortium has recognised during the last three years the desirability of giving part of their assistance in the form of debt relief.

Amount invested by indore Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

8374. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Indore Branch of the State Bank of India from the 1st August, 1969, till date for the development of small-scale industries, digging of wells and purchasing pumps and tempoes for agricultural purposes ;

(b) the number of instalments by which the amount invested would be repayable and the rate of interest to be charged thereon ; and

(c) the amount that would be invested during the financial year 1970-71 by the local branch of the State Bank of India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Amount invested by Bhopal branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

8375. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Bhopal Branch of the State Bank of India from 1st August, 1969 till date for the development of small-scale industries, digging of wells and purchasing of pumps and tempoes for agricultural purposes ;

(b) the number of instalments by which the amount invested would be re-payable and the rate of interest to be charged thereon ; and

(c) the amount that would be invested during the financial year 1970-71 by the local branch of the State Bank of India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Amount invested by Devas Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

8376. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Devas Branch of the State Bank of India from the 1st August, 1969 till date for the development of small-scale industries, digging of wells and purchasing of pumps and tempoes for agricultural purposes ;

(b) the number of instalments by which the amount invested would be repayable and the rate of interest to be charged thereon ; and

(c) the amount that would be invested during the financial year 1970-71 by the local branch of the State Bank of India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Amount Invested by Ujjain Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

8377. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Ujjain Branch of the State Bank of India from the 1st August, 1969 till date for the development of small-scale industries, digging of wells and purchasing of pumps and tempoes for agricultural purposes ;

(b) the number of instalments by which the amount invested would be repayable and the rate of interest to be charged thereon ; and

(c) the amount that would be invested during the financial year 1970-71 by the local branch of the State Bank of India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Amount Invested by Ratlam Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

8378. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Ratlam Branch of the State Bank of India from the 1st August, 1969 till date for the development of small-scale industries, digging of wells and purchasing of pumps and tempoes for agricultural purposes ;

(b) the number of instalments by which the amount invested would be repayable and the rate of interest to be charged thereon ; and

(c) the amount that would be invested during the financial year 1970-71 by the local branch of the State Bank of India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Losses Incurred by Public Sector Undertakings

8379. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 11 big companies in the public sector, each having a paid-up capital of over Rs. 20 crores, incurred a loss of Rs. 55 crores in 1967-68 whereas in the year previous to that, the loss suffered by them was of the order of Rs. 35.8 crores according to the latest bulletin of the Reserve Bank ;

(b) the other findings in the said bulletin ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir.

(b) The Reserve Bank of India study has, **inter-alia**, observed :

(i) The 11 enterprises, referred to, in part (a) of the Question, financed the bulk of their assets formation during 1967-68 from external sources ;

(ii) The increase in the value of production during 1967-68 was more than off-set by the increase in the total expenditure, the important items of expenditure which showed increases being raw-materials, components, etc., and excise duty & cess ; and

(iii) The over-all working of the 11 companies largely reflected the poor performance of the two enterprises viz., Hindustan Steel Ltd. and Heavy Engineering Corporation In etc. Ltd.

(c) The losses of the 11 Public Enterprises were mainly contributed by Hindustan Steel Ltd., Heavy Engineering Corporation Ltd., Heavy Electricals (India) Ltd., and Bharat Heavy Electricals Ltd., which being basic and heavy engineering industries felt the full impact of the recession during 1967-68, apart from other adverse factors such as their long gestation period, etc. In 1968-69 the overall losses of these 11 enterprises have declined.

Capacity of Superphosphate Fertilizer Factories Lying Idle

8380. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a survey conducted by Government, more than

50 per cent capacity of the Superphosphate Fertilizer Factories in the country remained unutilised;

(b) if so the reasons therefor and the details of the other results of the said survey; and

(c) the action Government propose to take to improve the situation?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) Yes; the actual production was only 48 per cent of the installed capacity during the year 1969-70

(b) The under utilisation capacity in superphosphate factories was due largely to the poor demand for superphosphate fertilizer which in turn was on account of the following reasons:—

(i) Lack of efficient marketing organisations in most of the firms manufacturing superphosphate.

(ii) Absence of promotional measures by most of the superphosphate manufacturers.

(iii) Inability of superphosphate, a fertilizer with low nutrient content (16% P_2O_5), to compete with fertilizers with a high nutrient content like Di-ammonium phosphate or complex fertilizers.

(iv) Import of phosphatic fertilizers in the from of Di-ammonium Phosphate, Ammonium Phosphate and N. P. K. Mixtures.

(c) Government have taken the following steps:—

(i) Imports of phosphatic fertilizers are restricted strictly to cover the gap between indigenous production and domestic demand.

(ii) The State Governments have been encourged to lift stocks of superphosphate first before they are supplied with imported phosphatic fertilizers.

(iii) The indigenous industry has been impressed upon about the necessity for establishing an efficient marketing organisation.

Further, with a view to finding a long term solution to the difficulties faced by the superphosphate industry, the Fertilizer Association of India have, at the instance of Government, undertaken a techno-economic study of the problem in depth to work out precise figures to enable the Government to examine the matter and take decisions. The study is in progress.

बम्बई के मैसर्स कपाडिया बन्धुओं द्वारा अंशों का खरीदा जाना

8381. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मैसर्स कपाडिया बन्धुओं ने हाल में बम्बई की 'नेशनल रेयन कारपोरेशन' के 1,87,50,000 रुपये के 13,000 अंश खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) बैंक वित्त समेत उनके वित्त सम्बन्धी आय के साधनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अंश इकट्ठे करने के लिये बैंक द्वारा अग्रिम धन देने को, रोकने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का आशय कदाचित मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्रा०) लि० है। इस कम्पनी के अंश कपाड़िया बन्धुओं के पास हैं। 1964-65 से 1968-69 के वित्त वर्षों में मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्रा०) लि० ने 'मैसर्स रेयन कारपोरेशन लि०' के 1,99,390 अंश लिये और 1,33,128 बेचे। 31.3.1969 को उनके पास इस कम्पनी के 66,262 अंश थे।

(ग) 31-3-1969 को मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्रा०) लि० के संतुलन-पत्र से पता चलता है कि कुल 4.88 करोड़ रुपये के आस्तियों में से 3.73 करोड़ रुपये अंशों में लगे थे जिनमें राष्ट्रीय रेयन निगम के अंश भी शामिल थे। इससे यह भी पता चलता है कि इसकी आस्तियां अपनी पूंजी, संचय निधि और उधार लेकर बनाई गई हैं। पूंजी और संचय 46.54 लाख हैं। 46.13 लाख रुपये बैंकों से उधार लिये गये। शेष रुपया बैंकों के अतिरिक्त अन्य लोगों से लिया गया।

(घ) रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह चेतावनी दी है कि ऋण देते समय वे इस बात की पूरी देख भाल रखें कि उनके द्वारा दिये गये ऋण का अन्तिम रूप से क्या उपयोग होता है। निगमित क्षेत्र को उधार देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों से यथा सम्भव सीमा तक इस बात की छान-बीन करने की आशा की जाती है कि वे इस बात को पक्का कर लें कि दी गई राशि के किसी भी अंश कों उधार देने में अथवा अनुत्पादक कार्यों में लगी फर्मों में अथवा उधार लेने वाली कम्पनी से सम्बन्धित कार्यकलापों में न लगाया जाये। जहां इस बात का पता चले कि राष्ट्रीयकृत बैंक से उधार लेने वाला उधार ली गई राशि के एक अंश को अपनी सहायक कम्पनी को देना चाहता है उसकी ऋण राशि को समुचित सीमा तक कम कर दिया जायेगा तथा सहायक कम्पनी को वित्तीय सहायता के लिये अपने आप एक बैंक को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा बैंक उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा। विशेष रूप में अंशों के ऊपर जो अग्रिम धन देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को यह निर्देश दिये हैं कि वे इस बात की पूरी तरह से जांच कर लें कि अग्रिम राशि का किस काम में उपयोग किया जायेगा तथा इस बात को निश्चित कर लें कि उसका उपयोग सट्टे में अथवा उधार लेने वाले को कम्पनी में नियन्त्रक अधिकार पाने अथवा बनाए रखने में सक्षम बनाने में न हो। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि अंश पर दी गई अग्रिम धन-राशि के सम्बन्ध में इस बात की भलीभांति जांच पड़ताल की जाये कि इसका उपयोग अन्तर्निगम निवेशों को सुविधापूर्ण बनाने अथवा उन्हें बनाए रखने में न करे। रिजर्व बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसी भी मामले में अंशों पर 5 लाख से अधिक धन बिना उसकी अनुमति के उधार देने से मना कर दिया है। इन बैंकों से लिये गये धन को अन्तर्निगम उधार और निवेश में लगाने पर अंकुश रखने के लिये सरकार का इरादा रिजर्व बैंक की सलाह से और समुचित कदम उठाने का है।

पंत मार्ग, नई दिल्ली के पास अन्तर्राष्ट्रीय योगाश्रम केन्द्र को सरकारी आवास का दिया जाना

8382. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंत मार्ग के पास अन्तर्राष्ट्रीय योगाश्रम केन्द्र को सरकारी

आवास दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवास का कुर्सी क्षेत्रफल, बगीचों का क्षेत्रफल कितना है और आवंटन की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सरकारी संस्था है ;

(घ) अगर नहीं, तो इस संस्था का गठन तथा उद्देश्य क्या है और कार्य संचालकों के नाम व पते क्या हैं तथा इस संस्था के पंजीकरण की तिथि क्या है ; और

(ङ) इस संस्था के प्रारम्भ होने से इसको दी गई सुविधाओं/अनुदानों/ऋणों/सहायता का विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां, विश्वायतन योगाश्रम को आवंटन कर दिया गया है ।

(ख) पन्त मार्ग, नई दिल्ली पर गोल पोस्ट आफिस के निकट 20,460 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल पर बने एककों सहित, कुल 1.866 एकड़ क्षेत्रफल भूमि आवंटित की गई है । आवंटन की मुख्य शर्तें ये हैं :

(i) योगाश्रम लगभग 1.393 एकड़ माप की भूमि का उपयोग कार्यालय, पुस्तकालय, कक्षा-कमरों और यौगिक थेराप्युटिक रिसर्च लैबारेटरी के निर्माण के लिये करेगा और उसके लिये 5,000.00 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि-किराया अदा करेगा ।

(ii) लगभग 0.473 एकड़ माप की शेष भूमि को आश्रम अपने वास्तविक निवास उद्देश्यों के लिये उपयोग में लायेगा और भूमि के इस क्षेत्र के लिये आश्रम 1 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम तथा 1,800.00 रुपये प्रति एकड़ की दर से वार्षिक भूमि किराया अदा करेगा ।

(iii) स्थान पर खड़े वर्तमान ढांचे योगाश्रम को 62,674 रुपये में बेचे गये हैं । योगाश्रम ढांचों को दो वर्ष के अन्दर-अन्दर गिरा देगा । तथापि, आश्रम यदि उस अवधि में ऐसा करने में असमर्थ रहा, तो आश्रम को 80,176.00 रुपये की और राशि ढांचों की लागत के लिये देनी होगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह एक धर्मार्थ संस्था है, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत 1 मार्च, 1958 को पंजीकृत हुई । इस संस्था का ज्ञापन-पत्र, जिसमें इसके उद्देश्य, बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन के बारे में प्रासंगिक सार है, लोक सभा पटल पर रख दिया है ।**[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3396/70]**

(ङ) विश्वायतन योगाश्रम को दी गई अन्य सुविधाएं/अनुदान/ऋण/सहायता का ब्यौरा शिक्षा और युवक-सेवा मंत्री द्वारा सदन में 17 अप्रैल, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या

6631 के उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है। योगाश्रम को अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, के बारे में सूचना देने का भी उन्होंने विश्वास दिया था।

Income-Tax Office at Kotah

8383. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income-tax office has been shifted to Kotah, Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that shifting of the said office to Kotah has been helpful for business community in respect of the hearing of their appeals;

(c) If so, the number of appeals pending for the last three year;

(d) the reasons for which no decision has been taken thereon so far; and

(e) the arrears of taxes to be recovered in respect of these appeals?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The Income-tax Office has not been shifted to Kotah. A new office of Appellate Assistant Commissioner of Income-tax was, however, opened on 1-11-1968 for dealing with appeals in that region.

(c) As on 30-4-70 four appeals were pending for more than three years.

(d) The reasons for the pendency of above noted four appeals are as under:

(i) One appeal is under consideration for transfer to Delhi at assessee's request.

(ii) Two appeals are pending awaiting disposal by the Income-tax Officer of the assessees' applications under Section 146 of the I. T. Act, 1961, the assessments having been made under Section 144 **ibid.**

(iii) One appeal is pending, awaiting orders of the Commissioner of Income-tax on the assessee's application under Section 89 of I. T. Act, 1961.

(e) The tax involved in these four appeals is approximately Rs. 12,000/-.

Supply of Medicines to M.Ps. prescribed by the Civil Surgeon of a hospital in their Constituencies

8384. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that medicines are not supplied by C.G.H.S. dispensaries in Delhi as per the prescription given by the Civil Surgeon of a General Hospital in the constituency of a Member of Parliament after his medical examination, though such hospitals in his constituency are also 'A' grade hospitals;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is also a fact that the Member concerned is asked to get himself medically examined in the Willingdon Hospital and if so, the steps proposed to be taken to remove the inconvenience caused to him as he is not able to get proper treatment as suggested by the dispensary doctors and medicines prescribed by them and indented for are not supplied to him?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works,

Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Yes, Sir. Extra precaution is advisedly taken by C.G.H.S. by a check up to confirm the prescription as per the actual state of health of the concerned M.P. when he presents the prescription given to him by the Civil Surgeon or any other authorised Medical Attendant for supply of medicines in Delhi. This is necessary because the prescription is often presented for supply of medicines not immediately.

मंत्रियों को उपचार व्यय का पुनः भुगतान

8385. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री उपचार व्यय के पुनः भुगतान के अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह मन्त्री कौन-कौन हैं जिनको 1968-69 में उक्त व्यय का अधिकतर भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क). जी, हां

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कर की बकाया राशि

8386. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) करों की कुल बकाया राशि क्या है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में अंतिम आदेशों के आधार पर वापसी की कितनी राशि देय थी किन्तु जिसके लिए धन वापसी वाउचर जारी नहीं किये गये थे ; और कितनी धन वापसी के लिये धन वापसी वाउचर जारी किए गए थे किन्तु वे भुनाये नहीं गये थे ;

(ग) प्रत्येक वर्ष में ऐसी कितनी विवादास्पद धनराशि थी जिसके लिये किसी भी स्तर पर की गई अपीलें अनिर्णीत थीं कुल बकाया राशि में कितनी राशि सम्मिलित की गई और कितनी वसूल की गई ;

(घ) वर्ष की समाप्ति से पहले कितनी राशि के लिये मांग पत्र जारी किये गये थे जबकि वास्तव में वह 31 मार्च के पश्चात् देय थी ; और

(ङ) वास्तव में ऐसी कितनी धन-राशि वसूल न किए जाने योग्य समझी गई है जिसे वह बट्टे खाते में डाल देना चाहिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)

कर का नाम	**कर निर्धारण वर्ष**		
	1967-68	1968-69	1969-70
	के अन्त में बकाया सकल मांगें		(लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
आयकर	622,61	774,40	739,32 (जैसी 31-12-69 को स्थिति थी)

(घ) जिन रकमों के बारे में वर्ष समाप्त होने से पहले मांगें जारी की गई थीं, किन्तु जो वास्तव में 31 मार्च को वसूली योग्य हुई थीं (लाख रुपयों में)

कर का नाम	1967-68	1968-69	1969-70
आय-कर	1,53,75	1,57,58	उपलब्ध नहीं है
सम्पदा-शुल्क	3,08	2,32	उपलब्ध नहीं है
धन-कर	2,00	1,51	उपलब्ध नहीं है
दान-कर	22	41	उपलब्ध नहीं है

(ङ) वसूल न होने योग्य रकम तथा बट्टे खाते डाली जाने वाली रकम के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Employees Working in the Branches of Reserve Bank of India

8387. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total number of employees working in all the branches of the Reserve Bank of India in the country;

(b) the number of employees working in the Patna Branch of the Reserve Bank;

(c) whether it is a fact that the employees working in the Patna Branch have to pay rent for the staff quarters located in Rajendra Nagar, several times higher than what it is in Delhi and many other big cities;

(d) if so, the justification therefor and the basis on which such a high rent is charged from them;

(e) whether Government propose to reduce the rent for the quarters at Patna; and

(f) if so, from which date and extent to which it would be reduced and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). As per information available the total number of employees of all categories working in all the branches of the Reserve Bank of India as at 30th June, 1969 was 19,423. Out of this, the number of employees working in the Patna office was 640.

(c) and (d). The Reserve Bank fixes concessional rents for the staff quarters so as to get a return of one per cent on the cost of construction (excluding cost of land) after allowing for usual outgoings. The increase in the concessional rent charged by the bank for the staff quarters located in Rajendra Nagar, Patna completed in 1968 is mainly due to the present increase in cost of construction and partly because of better specifications for these quarters. This has resulted in employees occupying staff quarters constructed earlier paying low rents while those allotted quarters constructed later have to pay higher rent.

(e) and (f). Government do not normally interfere in matters pertaining to the day-to day administration of the Reserve Bank. The Reserve Bank had indicated to the All India Reserve Bank Employees Association in October, 1969 that it would be prepared to charge rent on the same basis as is obtaining in the case of government employees in respect of all the colonies in which the Reserve Bank has constructed staff quarters. Under this arrangement the allottee will have to pay rent at 10% of his pay and also will be required to surrender his house rent allowance. According to the Reserve Bank this would result in lower rents being paid by the staff at Patna. The response from the Association for this proposal is awaited by the Reserve Bank.

Memorandum Submitted by RBI Employees' Association, Patna

8388. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a memorandum has been submitted by the Reserve Bank Employees' Association, Patna to the Bank authorities;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Bank authorities and Government have considered the demands made in the said memorandum; and

(d) if so, their reaction in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) It has been reported by the Reserve Bank of India that no memorandum from the Reserve Bank Employees' Association, Patna had been received by them up to the 28th April, 1970.

(b) to (d). Do not arise.

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता

8389. **श्री नंजा गौडर :**

श्री सी० मुत्तुस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से उपकरणों और दवाइयों और मोटर गाड़ियों के रूप में सहायता मिल रही है ;

(ख) 31 मार्च, 1970 तक यह सहायता कितने केन्द्रों को मिली ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ समय पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के केटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इसके लिए चुना गया था, पर अब तक सहायता नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां

(ख) 2347

(ग) तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के केटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को मोटर गाड़ी को छोड़ कर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से 10 अप्रैल 1970 को सहायता मिली थी ।

(घ) मोटर-गाड़ी देने का अनुरोध संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के विचाराधीन है ।

देहरादून के डा० फूलसिंह की सन्तति निरोध योजना

8390. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो साल पहले देहरादून के स्वास्थ्य अधिकारी, डा० फूल सिंह ने बिना किसी प्रकार की दवाई का उपयोग किए प्राकृतिक अध्ययन और प्रयत्न से सन्तति निरोध की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) क्या सरकार ने लम्बे पत्राचार के बाद उस योजना को, जो देश का करोड़ों रुपया बचा सकती थी और जिससे अच्छे परिणाम निकल सकते थे, रद्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । करणपुर सिटी बोर्ड औषधालय, देहरादून, के श्री फूलसिंह वैद्यराज ने जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए योगिक क्रिया द्वारा जन्म दर नियंत्रण सम्बन्धी एक सुझाव दिया था ।

(ख) और (ग) . जी नहीं । सरकार ने श्री फूलसिंह वैद्यराज को इस तरीके का ब्योरा भेजने के लिए कई बार लिखा ताकि इसके प्रभावों तथा स्वीकार्यता की जांच की जा सके । परन्तु अभी तक उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है । इसलिये उनके द्वारा सुझाये गये तरीके पर कोई कार्यवाही करने में सरकार असमर्थ है । इसलिए इसे अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवाहकों, रिक्शावालों, छोटे ठेकेदारों आदि को दिया गया उधार

8391. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् परिवाहकों, रिक्शावालों, छोटे उद्योगपतियों, किसानों तथा छोटे ठेकेदारों को 15 अप्रैल, 1970 तक श्रेणी-वार कितना उधार दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिक्शावालों और छोटे ठेकेदारों के लिए अलग से मंजूर किए गये अग्रिमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनवरी, 1970 के अन्त तक किसानों, लघु उद्योग एककों, सड़क परिवहन चालकों (जिनमें रिक्शावाले भी शामिल हैं) खुदरा व्यापारियों और अपना कारोबार स्वयं करने वालों को दिए गए ऋणों की बकाया रकमों और ऋण-खातों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

	खातों की संख्या	बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)
कृषि (किसानों) को सीधे वित्तीय सहायता	275,326	65.61
लघु उद्योग	50,960	184.97
सड़क परिवहन चालक	5,610	13.43
खुदरा व्यापारी और अपना कारोबार स्वयं करने वाले व्यक्ति	59,254	33.30

जनवरी, 1970 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

Curb on Increase in Population in the Country through Family Planning Campaign

8392. **Shri M. Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in order to control the increase in population in the country a family planning campaign is being carried on through artificial and self-control measures ; and

(b) if so, details of the programmes chalked out for adopting artificial and self-control measures in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) Attention is continuously paid to educating and motivating the eligible couples in favour of adopting the small family norm by utilising various mass communication media units in the country. Facilities for sterilisation operations and IUCD incertions for motivated persons are increasingly made available throughout the country through a large number of Static Centres, Mobile Service Units and camps. The machinery for distribution of conventional contraceptives like foam tablets, jellies, condoms etc. has been geared up and the more acceptable of such contraceptives viz. condoms (Nirodh) has been made available through free supply, commercial distribution and depot holders. Other accepted and tried methods, devices are also made freely available in the programme. All these measures are aimed at achieving the objective of making the facilities available at the door steps of the people by a well-planned organisational set up at the Central, State, district and peripheral levels.

Expenditure on Various Housing Schemes

8393. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the amount sanctioned for and spent on the following schemes during the last three years, year-wise, and the progress made in the construction work :

(i) Integrated subsidized Industrial Labour and Poor Section of the Society Housing Scheme, 1952 (amended in 1966) (ii) Low Income Group Housing Scheme, 1954 (iii) Subsidised Plantation Labour Housing Scheme, 1956 (amended in 1966) (iv) Slum Clearance and Improvement, Scheme, 1956 (v) Rural Housing Scheme, 1957 (vi) Middle Income Group Housing Scheme, 1959 (vii) Land Acquisition and Development Scheme, 1959 (viii) State Government Employees Rental Housing Scheme, 1959 and (ix) Jhuggi Jhonpri Removal Scheme (Delhi), 1969 ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : The information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. No. L. T. 3397/70]**

1969-70 में पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

8394. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 में भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० वह्वाण) : 1969-70 के दौरान भारत से 9.26 करोड़ रुपये के मूल्य के 6.19 लाख मीटरी टन पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मात्रा का निर्यात किया गया ।

स्कूलों में परिवार नियोजन और यौन सम्बन्धी शिक्षा

8395. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परिवार नियोजन संघ के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में परिवार नियोजन तथा यौन-सम्बन्धी शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार किये जाएं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस विषय का गहन अध्ययन किया है और क्या उसने स्कूल के बच्चों को यौन सम्बन्धी शिक्षा देना आरम्भ करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को सुझाव दिये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, फैमिली प्लानिंग एसोशिऐशन आफ इंडिया की अध्यक्षा श्रीमती आबा वाई बी० वाडिया ने 'टाइम्स आफ इण्डिया' के सम्पादक को एक पत्र लिखा जो उस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ । इसमें उन्होंने यह आवश्यकता प्रकट की कि खूब देख-भाल के बाद ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की जाएं जिनमें यौन शिक्षा या प्रौढ़ पारिवारिक जीवन की शिक्षा का ज्ञान हो । ये पुस्तकें आयुवर्ग, सांस्कृतिक मान्यताएं और रहन सहन को देखते हुए कक्षाओं के अनुसार बनाई जाएं ।

(ख) जी नहीं, फिर भी सरकार के विचार में स्कूलों और विद्यालयों में जनसंख्या गतिविद्या और छोटे परिवार के सिद्धान्त से सम्बन्धित विषयों को शुरू करना लाभदायक है, जिससे विद्यार्थियों के बड़े होने पर यह उनका सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके । अगस्त, 1969 में जनसंख्या शिक्षा पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई और दिसम्बर, 1969 में नई दिल्ली में व्यवसायिक विशेषज्ञों की एक वर्कशाप आयोजित की गई । वर्कशाप ने उद्देश्य, विषय सूची की रूप रेखा, अध्ययन और अपेक्षित सामग्री तैयार की है और चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात विश्वविद्यलयों या विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण (माध्यमिक), शिक्षक प्रशिक्षण (प्राथमिक), उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों के लिए जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन की एक योजना भी बना ली है ।

आंध्र प्रदेश अनुसूचित आदिम जाति निगम, विशाखापत्तनम पर आयकर

8396. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री धी० ना० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारी, विशाखापत्तनम ने आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित

आदिम जाति निगम, विशाखापत्तनम पर आय कर लगाया है ;

(ख) 1967-68 तथा 1968-69 में इस निगम पर कुल कितना कर निर्धारित किया गया और कुल कितना कर वसूल किया गया ; और

(ग) क्या उक्त निगम से, जो अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का पुनर्विनियोजन करता है, कर की वसूली को आंध्र प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बहुत ही अहितकर नहीं समझा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। आय-कर अधिकारी, विशाखापत्तनम ने कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के सम्बन्ध में अनन्तिम मांगें जारी की थीं। कारपोरेशन के नियमित कर निर्धारण अभी तक नहीं किये गये हैं।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

कर-निर्धारण वर्ष	अदा किया गया कर	मांग का स्वरूप	अदायगी की तारीख
1966-67	73,910 रु०	अनन्तिम मांग	24-3-1970
1967-68	66,180 रु०	अनन्तिम मांग	24-3-1970
1968-69	17,413 रु०	स्व-निर्धारण मांग	28-3-1970

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कारपोरेशन ने आय-कर से छूट पाने के लिये कोई दावा नहीं किया है। यदि ऐसा दावा किया जायगा तो यथा समय उसका नियमित कर- निर्धारण करते वक्त जांच की जायगी।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा आंखों की प्लास्टिक की पुतलियों का निर्माण

8397. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ने आंख की एक प्लास्टिक की पुतली बनाई है, जिसका उपयोग ऐसे मामलों में किया जा सकता है, जिसमें आंख का साधारण निरोपण करने में सफलता मिलने की कोई आशा नहीं होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लास्टिक की इस पुतली का परीक्षण किया गया है और वह सफल रहा है ; और

(ग) प्लास्टिक की पुतलियों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजन के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्लास्टिक की पुतली का प्रयोग अभी केवल खरगोशों पर किया गया है और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। इसका प्रयोग अभी तक मनुष्यों पर नहीं किया गया है।

(ग) यह कार्य अभी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 12,000 रुपये के अनुदान से प्रयोगात्मक आधार पर किया जा रहा है। अभी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

8398. **श्री मयावन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोककर कोयला कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर जो सरकार के विचाराधीन था, निर्णय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह राष्ट्रीयकरण कब किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण सरकार के विचाराधीन नहीं रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आंखों के आपरेशन के लिये परियोजना तथा शिविर स्थापित करना

8399. **श्री मयावन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने "भारत की आंखों की परियोजना" की मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य चक्षु शिविर आयोजित करना तथा आंखों के आपरेशन करना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च होगा;

(ग) क्या यह योजना भारत के राष्ट्रीय नेत्रहीनों के संघ के सहयोग से रायल कामन वेल्थ सोसाइटी फार दी ब्लाइंड द्वारा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना से नेत्र रोग विशेषज्ञ तैयार करने तथा लोगों को चिकित्सीय सहायता देने में सरकार को कितनी मदद मिलेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत सरकार द्वारा परियोजना को औपचारिक रूप से स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि उन्हें विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उसके लिए औपचारिक अनुरोध किया गया।

(ख) इस स्थिति में लागत का अनुमान लगाना कठिन है । एक अनुमान के अनुसार लागत 65,000 से 85,000 पौंड के बीच होगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) परियोजना का उद्देश्य जरूरतमन्द लोगों की कार्यकारी नेत्र रोग विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना है न कि नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध करना ।

1969 में अपरिष्कृत तेल का आयात करने की आवश्यकता

8401. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुमान लगाया गया था कि 1969 में 12.36 लाख मिट्रिक टन अपरिष्कृत तेल का आयात किया जायेगा और इस पर 107 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में आयात के वास्तविक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या रेलवे द्वारा डीजल इंजनों का उपयोग करने के कार्यक्रम को बिना सोचे समझे क्रियान्वित किये जाने के कारण जिसके फलस्वरूप दूसरी और कोयला उद्योग को हानि हुई है विदेशी मुद्रा की इतनी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) 1969 के दौरान, विदेशी मुद्रा में 94.6 करोड़ रुपये की लागत से 10.8 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल आयात किया गया था ।

(ख) जी नहीं । बल्कि, 1969 के दौरान, देश में हाई स्पीड डीजल तेल का उत्पादन आवश्यकताओं से अधिक था, और 67,000 मीटरी टन बेशी मात्राओं का निर्यात किया गया ।

निम्न कोटि तथा उच्च कोटि के कोक कर कोयले के तुलनात्मक भंडार

8402. **श्री ओंकार लाल बोहरा** :

श्री समर गुह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उच्च कोटि के कोयले की तुलना में निम्न कोटि के कोयले की अधिक भंडार है और उच्च कोटि कोयले के परिरक्षण के लिये इस्पात कारखानों को निम्न कोटि के कोयले की बहुत अधिक मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा; और

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अधिक खनन लागत वाले तुलनात्मक निम्न कोटि के कोयले की तुलना में कम खनन-लागत वाला उच्च कोटि का कोयला खरीदने की पेशकश कर रहा है; और

(ग) क्या इससे तुलनात्मक दृष्टि से निम्न कोटि की खानें अलाभकारी हो जायेंगी, और हो सकता है कि इसके फलस्वरूप वे बन्द हो जायें और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाये और उच्च कोटि के कोयले के सीमित भंडार भी तेजी से समाप्त होने लगें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। इस्पात संयंत्रों द्वारा कोकिंग कोयले की निम्न श्रेणियों का उपयोग, संभव सीमा तक परिष्करणोपरान्त, पहिले से ही किया जा रहा है।

(ख) और (ग) . कोयले का मूल्य उसके गुणों से सम्बद्ध रहता है। कोयले के खनन का मूल्य, गहराई, खनन परिस्थितियां, आधुनिकीकरण का विस्तार, आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। सामान्य नियम के रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि कोकिंग कोयले की ऊंची श्रेणियों का खनन कोयले की निम्न श्रेणियों की तुलना में कम लागत पर होता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत खनन किया गया कोयला राज सहायता के योग्य होता है, जिससे दुरह परिस्थितियों के अन्तर्गत खनन कार्यवाहियां बहुत अधिक अलाभप्रद न हों।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वास्तुकला नक्शानवीसों में असन्तोष तथा निराशा

8403. **श्री अ० दीपा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के वास्तुकला नक्शानवीसों में, उनके निम्न तथा अल्प-विस्तृत वेतनक्रम अर्थात् 280 रुपये, तथा पदोन्नति के कम अवसर होने के कारण असन्तोष तथा निराशा व्याप्त है और 20 प्रतिशत वास्तुकला नक्शानवीस गत तीन वर्षों में वेतनक्रम की अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वास्तुकला नक्शानवीसों के वेतनक्रम की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के बारे में एक अभ्यावेदन भेजा है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वास्तुकला के नक्शानवीसों के वेतन का वेतनमान 205-7-240-8-280 रुपये है और यह एक अल्पकालीन ग्रेड है। फिलहाल लगभग 18.3 प्रतिशत वास्तुकला-नक्शानवीस वेतनमान का अधिकतम अर्थात् 280 रुपये ले रहे हैं। इस कारण से वास्तुकला नक्शानवीसों में कुछ निराशा हो सकती है।

(ख) जी, हां। वास्तुकला-नक्शानवीस चाहते हैं कि उनके ग्रेड को 380 रुपये तक बढ़ा कर 205-7-240-8-280-10-380 रुपये का वेतनमान बना देना चाहिए।

(ग) वेतन-मान के पुनरीक्षण द्वारा बढ़ोत्तरी पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, और एसोसियेशन को यह सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल वास्तुकला-नक्शानवीसों के वेतनमान के पुनरीक्षण के उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(घ) सरकार इस मामले पर केवल तभी पुनर्विचार कर सकती है जब वेतनमान के पुनरीक्षण द्वारा बढ़ाये जाने पर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा वेतन आयोग इस मामले की जांच भी कर सकता है।

वास्तुकला नक्शानवीशों के सेलेक्शन ग्रेडों को निश्चित करने में विषमता

8404. **श्री अ० दीपा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग वास्तुकला नक्शानवीसों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत की दर से सेलेक्शन ग्रेड के पद पर निश्चित करता है जबकि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग स्थायी वास्तुकला नक्शानवीसों की संख्या के 20 प्रतिशत की दर से सेलेक्शन ग्रेड के पद निर्धारित करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। स्वास्थ्य विभाग में भी, अब सिलेक्शन ग्रेड में वास्तुकला नक्शानवीसों के पदों की संख्या, वास्तुकला नक्शानवीसों के स्थाई पदों के 20 प्रतिशत पर परिगणित की जाती है।

(ख) इसमें कोई विषमता नहीं है।

सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली के आस-पास गन्दी बस्तियों को हटाना

8405. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग इन्क्लेव का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया था और उसमें प्लाट सार्वजनिक रूप से नीलाम किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को हाल तक सार्वजनिक रूप से किये गये नीलाम में 200 वर्ग गज के प्लाट का अधिकतम मूल्य कितना मिला है;

(ग) क्या सफदरजंग इन्क्लेव पूर्णतया विकसित है जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण व इसकी नीलामी से पहले घोषणा की थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि सफदरजंग इन्क्लेव के आसपास कुछ ऐसी अनधिकृत गन्दी बस्तियां हैं जिनमें कई डेरियां हैं और सैकड़ों ढोर, एक गन्दा नाला तथा कूड़ा डालने का स्थान है;

(ङ) क्या सरकार को यह भी पता है कि गन्दी बस्तियों में सफाई आदि के न होने से इस इन्क्लेव के निवासियों के, जिन्हें प्लाटों के लिये बहुत अधिक कीमत देनी पड़ी थी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें कई प्रकार की असुविधायें होती हैं; और

(च) सफरदरजंग इन्क्लेव की निकटवर्ती गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) 180 रुपये प्रति वर्ग गज (215.28 रुपये प्रति वर्ग मीटर) ।

(ग) जी, हां ।

(घ) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों का स्थायीकरण

8406. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय में प्रत्येक वेतनक्रम में ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से सेवा कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है;

(ख) स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय का कोई आदेश है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय में कार्य करने वाले उन व्यक्तियों का, जिनकी पांच वर्ष से अधिक सेवा हो चुकी है और जिन्हें उनके ग्रेड में स्थायी नहीं किया गया, का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) रिक्त स्थायी पदों पर अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण विभिन्न पदों के लिये भर्ती नियमों के तैयार न कर पाने और वरिष्ठता विवादों आदि के झगड़े तय न होने के कारण रुका हुआ है ।

(ग) तथा (घ). स्थायी पदों पर पात्र अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के विभिन्न आदेशों के अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय ने अस्थायी पदों को स्थायी रूप देने हेतु वार्षिक पुनरीक्षणों के बारे में कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/7/69 इस्टेबलिशमेंट (डी) दिनांक 27 अक्तूबर 1969 जारी किया है ।

विवरण

प्रवर्तन निदेशालय के उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाले विवरण जिन्होंने स्तम्भ 2 में लिखे पदों पर (4-5-1970) को पांच वर्ष से अधिक सेवा कर ली है और जिन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ।

क्रम संख्या	पद का नाम	पांच वर्ष पूरे करने वाले और स्थायी न किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	उप निदेशक	1
2.	सहायक निदेशक	3
3.	मुख्य प्रवर्तन अधिकारी	8

4.	अधीक्षक	1
5.	सहायक	2
6.	प्रवर्तन अधिकारी	15
7.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी	16
8.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
9.	अपर डिवीजन क्लर्क	14
10.	लोअर डिवीजन क्लर्क	23
11.	स्टेनोटाइपिस्ट	1
12.	स्टाफ कार ड्राइवर	2
13.	दफ्तरी	2
14.	चपरासी	8
15.	सिपाही	14
16.	सफाई कर्मचारी	2
17.	फराश	1
	कुल	114

नोट : 1. स्थायीकरण स्थायी पदों पर किया जाता है । इन 114 पदों में से अनेक पद अभी अस्थायी हैं । स्थायीकरण के लिये खाली स्थायी पदों की ठीक संख्या अभी मालूम नहीं है ।

2. इन 114 व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति पहले ही नीचे के ग्रेडों में स्थायी हैं ।

प्रवर्तन निदेशालय के लिये मंजूर किये गये अतिरिक्त पद

8407. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के कोई अतिरिक्त पद मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ;

(ग) क्या इन पदों को भर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रिक्त स्थान विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति कर के भी भरे जायेंगे ; और

(ङ) क्या विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये कोई भर्ती नियम हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3390/70]**

(ग) इन में से कुछ पदों को भर दिया गया है और अन्य पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। विलम्ब कार्यविधि सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण हुआ है जिनमें, कुछ पदों के लिये भरती नियमों को अन्तिम रूप देना और कुछ ग्रेडों में वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद भी शामिल है।

(घ) खाली स्थानों को भरती नियमों के अनुसार भरा जायगा, जिसमें विभागीय पदोन्नतियों के लिये कोटा भी शामिल होगा।

(ङ) लगभग सभी श्रेणी I तथा श्रेणी II पदों के लिये भरती नियम बना दिये गये हैं और दिनांक 2 अगस्त 1969 की अधिसूचना सं० 11/सा० का० नि०/फा० सं० 33/112/68-प्रशा-1 (क) द्वारा अधिसूचित कर दिये गये हैं। अन्य पदों के लिये भरती नियमों को गृह मंत्रालय के साथ और जहां कहीं आवश्यक है संघ लोक सेवा आयोग के साथ भी परामर्श करके अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

आयकर की बकाया राशि

8408. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री 30 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख रुपये से अधिक आय कर तथा पांच लाख रुपये से कम बकाया राशि की मांगों का विश्लेषण इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

चालू व्यस्तता की कार्यविधि में बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

8409. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 835 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 414.6 करोड़ रुपये का यह ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक के सम्बन्ध में बनाई गई सरकार की नीतियों के उल्लंघन में दिया गया था ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत वर्ष की इसी कार्यविधि में जब उनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, दिये गये ऋण से भी बड़े पैमाने पर दिये गये इस ऋण की जिम्मेवारी निश्चित कर दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). बैंकों द्वारा अधिक ऋणों का दिया जाना, मूल्यों को स्थिर बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यक रूप से अवांछनीय नहीं होता बशर्ते कि यह वृद्धि, रिजर्व बैंक से ऋण लिये बिना बैंकों द्वारा जमा की अधिक रकमें जुटा कर पूरी की जाय। बैंक, अत्यावश्यक औद्योगिक कार्यों के लिए ऋण देने से इनकार नहीं कर सकते।

इस बात को निरुत्साहित करने के लिए कि रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त न प्राप्त किया जाय, रिजर्व बैंक ने, अभी हाल ही में कई प्रतिबन्ध लगाये हैं जैसे नकदी और नकदी जैसी वास्तविक परिसम्पत्ति का अनुपात बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार के पुनर्वित्त के सम्बन्ध में ब्याज की ऊंची दण्डात्मक दरें निर्धारित की गयी हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की 9½ प्रतिशत की अधिकतम दर समाप्त कर दी है और इसलिए बैंक, अब स्वतन्त्र रूप से ऊंची दरों पर ब्याज ले सकते हैं। आशा है कि इन उपायों से बैंक ऋण विस्तार की गति कम हो जायगी। इस उद्देश्य से कि ऋणों का उपयोग कपास, अन्न आदि जैसी वस्तुओं की, जिनके मूल्यों पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है, सट्टे बाजी के लिए न किया जा सके, रिजर्व बैंक ने इस प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में मार्जिन की न्यूनतम सीमा में तथा ब्याज की न्यूनतम दरों में वृद्धि कर के, चयनात्मक आधार पर, ऋण सम्बन्धी नियन्त्रण को और कड़ा बना दिया है। किन्तु इन विशिष्ट वस्तुओं के लिए किये जाने वाले ऋणों को निरुत्साहित करने के अतिरिक्त, बैंकों पर, उनके द्वारा उद्योगों को, उत्पादन सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से ऋण देने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

पिछले कुछ महीनों में, बैंक-ऋणों में जो वृद्धि हुई है, उसके कई उदाहरण हैं जिनमें चीनी का अधिक स्टाक निर्माण करने के लिए वित्त-प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता तथा औद्योगिक कार्यों की गति में सामान्यत: फिर से तेजी आना शामिल हैं। बैंक-ऋणों में थोड़ी सी वृद्धि, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को, जिनमें कृषि, सड़क परिवहन चालक आदि शामिल हैं, पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने के कारण भी हुई है। उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए अधिक काम-काज के चालू मौसम में, अधिक मात्रा में ऋण देने के सम्बन्ध में, किसी को जिम्मेदार ठहराने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

बिहार के दरभंगा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

8410. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सब से अधिक जनसंख्या वाले दरभंगा जिले में बसोपत्ती, बेनीपत्ती, झण्धारपुर, माधवापुर, लौकहा, खुराना, फूलपरस, योम्प्यारा, कमतौल, सिंधारा, पहिका, उमागांव, माधेपुर, बहेरा, कल्याणपुर, वारिस नरग, खजौली, कुशेशवरस्थान, ताजपुर, बाबू बरही, लाडनिया, नौकाही औधराथराही और अन्य उप-कोषागार केन्द्रों अथवा कस्बों में कोई भी नयी शाखा खोलने के क्या कारण हैं ;

(ख) दरभंगा के लीड बैंक, सेन्ट्रल बैंक ने इस जिले में नयी शाखाएं खोलने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जैसा कि 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5314 के उत्तर में बताया गया था, रिजर्व बैंक ने, 1970 के वर्ष में शाखा विस्तार का कार्यक्रम बनाते समय, बैंक-रहित नगरों (1961 की जनगणना के वर्गीकरण के अनुसार जिन स्थानों को "नगर" माना गया है) और बैंक-व्यवस्था रहित राजकोष/उप-राजकोष केन्द्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने को प्राथमिकता दी है। इस प्रश्न में उल्लिखित कोई भी केन्द्र इन श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आता। इसके अलावा, किसी भी वाणिज्यिक बैंक ने इन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था।

(ख) और (ग)· भारतीय स्टेट बैंक ने, जिसे "बैंक नेतृत्व" योजना के अधीन दरभंगा जिला सौंपा गया है, उस जिले का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है और बैंक की शाखाएं खोलने के लिए चार केन्द्रों, अर्थात् सराय रंजन, झंझरपुर, तेजपुर और मधुबनी को चुना है, तथा उसने, हाल ही में, इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से लिखा-पढ़ी की है। रिजर्व बैंक इस मामले पर विचार कर रहा है।

Gandhi Balidan Sthal Trust

8411. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Swami Brahmanandji :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of members of the Birla family likely to be included in the "Gandhi Balidan Sthal Trust" ;

(b) whether a member of the Birla family would continue to be the member of the said Trust in future also ;

(c) the Policy of Government in this regard and when the Trust is likely to be appointed ;

(d) whether Government propose also to include in the said Trust the representatives of the Harijans, persons belonging to minority Community and Adivasis who were dear to Mahatma Gandhi and for whose upliftment the Father of the Nation worked up to the last ; and

(e) if so, the details in regard to the said people ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (e). These questions have not been considered by the Government and pending final decisions on the transfer of Birla House to the Government or a Trust, it is premature to make any observations on these matters.

Naming of Birla Bhavan as "Gandhi Balidan Sthal"

8412. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Birla Bhawan has been named as 'Gandhi

Balidan Sthal' by New Delhi Municipal Committee and the name boards to this effect have been installed in the whole area ;

(b) if so, whether the Trust, which is proposed to be set up by Government for this would be named as 'Gandhi Balidan Sthal Trust' ; and

(c) the policy and reaction of Government in this respect ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The New Delhi Municipal Committee has named the place where Gandhiji was assassinated and not the entire Birla House as 'Gandhi Balidan Sthal'.

(b) and (c). No decision has yet been taken about this matter.

कलकत्ता के विकास के लिए धन-राशि

8413. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य मंडल ने अप्रैल, 1970 में पश्चिमी बंगाल सरकार को कलकत्ता के विकास के लिए धन-राशि उपलब्ध करने से सम्बन्धित अत्यावश्यक समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने कलकत्ता विकास परियोजना के लिए पश्चिमी बंगाल के उद्योगपतियों की तरफ से सहयोग देने का प्रस्ताव किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले का विवरण और भारतीय वाणिज्य-मंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन पाठ क्या हैं और सरकार ने कलकत्ता के विकास के लिए धन-राशि जुटाने के अत्यावश्यक मामले के बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

कलकत्ता में गन्दी बस्ती सफाई कार्यों के लिए पी० एल० 480 निधियों का उपयोग

8414. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कलकत्ता में गन्दी बस्ती सफाई परियोजना के लिये पी० एल० 480 निधि का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो गन्दी बस्ती सफाई सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिये तथा कलकत्ता में गन्दी बस्तियों के निवासियों, जिनकी संख्या 15 लाख से भी अधिक है, के लाभ के लिये वैकल्पिक मकान निर्माण योजनाओं को आरम्भ करने के लिये पी० एल० 480 से कितना धन लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय आयोजना में कलकत्ता महानगर जिले के विकास के लिए 20.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

जैसा कि विदित है, आयोजना के लिए उपलब्ध होने वाले सम्भावित साधनों का हिसाब लगाते समय विदेशी सहायता की रकम को भी शामिल कर लिया जाता है। अतः पी० एल० 480 की रकमों को आयोजना के लिये खर्च करने का सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि ये रकमें कोई अतिरिक्त साधन नहीं हैं। पर, इन रकमों को परस्पर सहमत उन प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों के लिये निर्धारित करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है जो आयोजना में शामिल कर ली गयी हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा पशु बीमा आरम्भ करना

8415. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार देश में पशु बीमा आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सर्वप्रथम इसको कहां आरम्भ किया जायेगा ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). जी नहीं। लेकिन यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि निगम के अध्यक्ष ने अपनी एक सहकारी संस्था को इस मामले का अध्ययन करने और कुछ क्षेत्रों में पशु बीमा की एक योजना तैयार करने को कहा है।

ऋण लेने के लिये दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा 'बांड' जारी करने के लिये सुझाव

8417. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऋण लेने के लिये बांड जारी करने के सुझाव को नामंजूर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Loans under revolving Housing Fund

8418. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to sanction loans under the Revolving Housing Fund particularly to the people of low income group in various States for construction of houses ;

(b) if so, the terms and conditions in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Revolving Fund is intended to finance approved projects of housing and urban development to be undertaken directly by State Governments, Housing Boards, city administrations and similar public agencies.

भारत के स्टेट बैंक की बालासौर, भद्रक, तथा वारीपद, शाखाओं के द्वारा छोटे व्यापारियों तथा व्यवसायियों आदि को ऋण दिया जाना

8419. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इंडिया की बालासौर, भद्रक तथा वारीपद शाखाओं में 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से लेकर मार्च, 1970 के अन्त तक छोटे व्यापारियों, व्यवसाइयों, कृषकों आदि को ऋण देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई ;

(ख) उड़ीसा में बालासोर स्थित यूनाइटिड कामर्शियल बैंक द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि उक्त वर्गों को दी गई ;

(ग) क्या सर्व श्री भागदास, श्री एस० के० रहमान, श्री सुरेन्द्र बिसवाल तथा श्रीमती निहरवाला घोष ने भारत के स्टेट बैंक की बालासौर शाखा से ऋण के लिए आवेदन पत्र दिये थे और यदि हां, तो उन्होंने किस तारीख को आवेदन पत्र दिये तथा कितनी राशि और किस उद्देश्य के लिये आवेदन पत्र दिये ; और

(घ) क्या उनको ऋण दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा के बालासौर, भद्रक और वारी पदा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं ने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तारीख से 31 मार्च, 1970 तक, छोटे व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों और किसानों को ऋण दिये हैं उनका व्योरा इस प्रकार है :—

शाखा का नाम	ऋण-लेने वालों की श्रेणी	दिये गए ऋणों की रकम (करोड़ रुपयों में)
बालासोर	किसान	0.17
	छोटे व्यापारी	2.70
	जोड़	2.87
बारीपदा	किसान	0.50
	छोटे व्यापारी और छोटे व्यवसायी	0.85
	जोड़	1.35
भद्रक	किसान	2.65
	छोटे व्यापारी और छोटे व्यवसायी	26.53
	जोड़	29.18

(ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने, बालासोर में इस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है। वास्तव में, बालासोर में, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की कोई शाखा ही नहीं है।

(ग) और (घ). कानून के अन्तर्गत, भारतीय स्टेट बैंक को, अपने ग्राहकों के बारे में इस प्रकार की सूचना देने की मनाही है।

उड़ीसा में निकल प्लांट

8420. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक निकल प्लांट बनाने के लिए अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्लांट की क्षमता तथा लागत क्या है तथा कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा ;

(ग) क्या परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय इस बात पर विचार किया गया है कि सुकिन्दा में पहले उपलब्ध निकल के अतिरिक्त उड़ीसा में सुकिन्दा के निकट किसी स्थान पर निकल के अयस्क उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) परियोजना निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं। सुकिन्दा निकल निक्षेपों के समुपयोजन के प्रयोजन से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने इस समय सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ करवाया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

चौथी पंचवर्षीय योजना में छापे खाने स्थापित करना

8421. **श्री स० कुन्दू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में छापेखाने स्थापित करने के बारे में सरकार के कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है ; इन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा तथा इनमें कितने व्यक्तियों को नियोजित किया जायगा ; और

(ग) यदि ऐसा एक छापाखाना भुवनेश्वर में स्थापित किया जायेगा तो वह कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). चौथी योजना में मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के लिए 8

करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इस नियतन में से, 5.34 करोड़ रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की बची हुई योजनाओं के लिये और वर्तमान मुद्रणालयों के संवर्धन के लिए अपेक्षित होंगे। उपर्युक्त नियतन के अतिरिक्त, डाक-तार विभाग ने भी अपनी बढ़ी हुई मुद्रण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान मुद्रणालयों की क्षमता के विस्तार के लिए अथवा नये मुद्रणालयों की स्थापना के लिए अपने नियतनों में से 2 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध की है। फिलहाल तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जैसे हिन्दी की छपाई और संसदीय कार्य के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए एक मुद्रणालय, एक विज्ञान (साइंस) मुद्रणालय और एक फार्म मुद्रणालय। इन मुद्रणालयों के स्थान, कर्मचारियों की संख्या तथा क्षमता आदि के बारे में ब्योरे का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है। इन प्रस्तावों के अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय के योजना सम्बन्धी नियतनों के अन्तर्गत 3 नये टेक्स्ट-बुक मुद्रणालय स्थापित करने की एक अनुमोदित योजना है। भुवनेश्वर, चण्डीगढ़ और मैसूर में स्थापित किये जाने वाले इन तीन मुद्रणालयों के लिए विस्तृत योजनाएं बना ली गई हैं और अनुमोदित हो गई हैं। प्रत्येक मुद्रणालय पर 1.25 करोड़ रुपये लगने की आशा है (जिस में पूंजी तथा आवर्ती व्यय शामिल है) और एक पारी कार्य करने के आधार पर उसमें लगभग 200 व्यक्ति लगेंगे। भुवनेश्वर के टैक्स्ट-बुक मुद्रणालय पर कार्य नवम्बर, 1968 में उड़ीसा के लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ किया गया था। उनके वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, सितम्बर, 1971 के अन्त तक, फैक्टरी-भवन और रिहायशी कालोनी तैयार हो जाने की आशा है।

औद्योगिक ऋण में वृद्धि

8422. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में औद्योगिक ऋण बढ़ गया है ; और

(ख) क्या ऐसा इस कारण से हुआ है क्योंकि धन का परिचालन राष्ट्रीय आय से बढ़ गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया औद्योगिक ऋण, (जिसमें छोटे उद्योगों को दिया गया ऋण भी शामिल है) जो दिसम्बर 1969 में 2,383 करोड़ रुपये था बढ़कर मार्च, 1970 के अन्त में 2,616 करोड़ रुपये हो गया अर्थात उसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई—हालांकि इस अवधि में कुल बैंक ऋण के अनुपात में औद्योगिक ऋण का हिस्सा 66 प्रतिशत ही रहा अर्थात् उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ख) जी, नहीं।

राजधानी में निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए निर्मित मकान

8423. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में निम्न-आय वर्ग के तथा अन्य श्रेणियों के लोगों को देने के लिये, विभिन्न इलाकों में कितने निर्मित-मकान तैयार हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक इलाके के इन मकानों के लिये लगभग कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) विभिन्न इलाकों के प्रत्येक श्रेणी के मकानों को कब बेचा जायगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सर्विस कर्मचारियों के लिए सफदरजंग, पूर्वी कैलाश, पंखा रोड और झिलमिल पर 1,000 मकान ; निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नरायणा, पंखा रोड और वजीरपुर में 1,115 मकान, तथा सफदरजंग, टेगौर गार्डन, पूर्वी कैलाश और नरायणा में मध्यम आय वर्ग वालों के लिए 561 मकान ।

(ख) (i) सर्विस कर्मचारियों के लिए, भूमि की लागत को छोड़कर, 2,200 रुपये प्रति क्वार्टर ।

(ii) निम्न और मध्यम आय वर्गों के लिये मकानों की लागत, निर्माण के टाइप, स्थिति (लोकेशन), प्लाट का आकार, आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर है । निम्न आय वर्ग के मकानों की लागत 12,500 रुपये और 18,000 रु० प्रति मकान के बीच होगी तथा मध्यम आय वर्ग के लिए फ्लैटों की कीमत 26,000 रुपये से 32,000 रुपये प्रति फ्लैट के बीच होगी ।

(ग) कुछ मकानों/फ्लैटों का आवंटन किया जा चुका है । शेष 31 जुलाई, 1970 तक दिए जाने/आवंटित किए जाने की आशा है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान

8424. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय के लोगों के लिये वर्ष 1968, 1969 तथा मार्च, 1970 तक कितने मकानों का निर्माण किया गया तथा कितने मकानों को आसान किस्तों के आधार पर अथवा अन्य तरीकों से बेचा गया ; और

(ख) जिन इलाकों में उनका निर्माण किया गया था उनका ब्यौरा क्या है तथा उनको अनुमानत: किस कीमत पर बेचा गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) .

सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या	बस्ती	लागत प्रति मकान
1968	84	टैगोर गार्डन	14,500 रुपये
1969	176	टैगोर गार्डन	15,000 रुपये
मार्च, 1970 तक	1633	पंखा रोड	12,500 रुपये और 15,500 रुपये
	188	वजीरपुर	15,000 रुपये और 15,000 रुपये के बीच ।

Check on Operation of Unmarried Young Person for Family Planning

8426. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that on account of the undue pressure from the higher officers, the Health Staff conduct operations on unmarried and young persons and those having only one child, trying to prove thereby that they have made much progress in their work as a result of which the future of many families has become bleak;

(b) if so, whether Government would issue directions to the Health Officers to the effect that Government would consider the operations conducted on the unmarried persons and the young married persons having no child as an offence punishable under law ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c). The information is not readily available. Details are being ascertained.

Use of Public Places as Open Lavatory in Delhi and New Delhi

8427. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is no arrangement of lavatories etc. for lakhs of people living in Delhi and New Delhi and they are using public places as open lavatory as a result of which it creates insanitation and expose indecency ;

(b) if so, whether Government propose to increase the number of public latrines and declare the using of public places as open lavatory as a punishable offence ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri. B. S. Murthy) : (a) to (c). It is not a fact that there is no arrangement for public latrines for the people living in Delhi and New Delhi. Large number of public latrines spread over Delhi have been provided for the use of residents as well as the floating population. The Municipal Corporation of Delhi makes every effort to increase the number of public latrines, depending upon the necessity and the availability of suitable sites. The New Delhi Municipal Committee also has a plan to construct 15 blocks of latrines in Jhuggies and Jhonpries in its area. As regards the use of public places as open latrines, there is already a provision under Section 397 of Delhi Municipal Corporation Act whereby the use of the public places as open lavatory is a punishable offence under the provisions of section 34 of the Police Act, 1861.

भारतीय तेल निगम की बैरलों की सप्लाई के लिए स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के पास शेष क्रयादेश

8428. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा तेल के वैगनों की सप्लाई के लिए स्टैण्डर्ड ड्रम बैरल

मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को अब तक दिये गये विभिन्न क्रयादेशों में से शेष क्रयादेशों का ब्योरा क्या है ;

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा अपने विभिन्न क्रयादेशों के निष्पादन के लिए सप्लाई किए गए इस्पात की कितनी मात्रा इस फर्म के पास पड़ी है ;

(ग) क्या इस फर्म ने भारतीय तेल निगम को अपने इस्पात के तेल बैरलों को सप्लाई का वचन भी दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस फर्म द्वारा अपने इस्पात के कितने तेल बैरल भारतीय तेल निगम को सप्लाई किये गये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) 232,894 बैरल्स

(ख) शून्य

(ग) जी हां ।

(घ) 51,667 बैरल्स

भारत के स्टेट बैंक में जमा धन की राशि तथा अग्रिम धन देने में वृद्धि

8429. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक में जमा धन की राशि तथा अग्रिम धन देने का विकास 1969 में 1968 से कम था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . भारतीय स्टेट बैंक की कुल जमा रकमों में, 1969 में, 133 करोड़ रुपये (14.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि इससे पहले वर्ष में, इन रकमों में 140.7 करोड़ रुपये (18.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी ।

बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की बकाया रकम में, जो 1969 में 789.9 करोड़ रुपया थी, 62.1 करोड़ रुपये (8.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में, 1968 में, इस बकाया रकम में, 147.2 करोड़ रुपये (25.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । बैंक द्वारा दिये जाने वाले औसत ऋणों में, 1969 में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1968 में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 1969 में ऋणों की अधिकतम राशि 966.5 करोड़ रुपया हो गई जबकि 1968 में यह राशि 785.5 करोड़ रुपया थी ।

(ग) यद्यपि स्टेट बैंक की जमा रकमों में, 1969 में, 1968 की अपेक्षा धीमी गति से वृद्धि हुई, फिर भी वृद्धि की यह दर, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों में होने वाली वृद्धि की दर से कुछ अधिक है । स्टेट बैंक की जमा रकमों में होने वाली वृद्धि की गति में, 1969 में जो कमी हुई, वह काफी हद तक, बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बैंकों में जमा रकमों में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती जितनी शहरी केन्द्रों में होती है, अपेक्षाकृत अधिक

संख्या में शाखाएं खोले जाने के कारण हुई है। पर, 1969 की दूसरी छमाही में स्थिति काफी सुधर गई थी।

जहां तक बैंक ऋणों की मात्रा में 1969 में कमी होने का सम्बन्ध है, इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उस वर्ष अन्न की वसूली के लिए तथा उससे सम्बद्ध कामों के लिये कम मात्रा में ऋण दिये गये। वास्तव में, यदि अन्न की वसूली तथा उससे सम्बद्ध कामों के लिये दिये गये ऋणों को छोड़ दिया जाय, तो बैंक द्वारा दिये गये औसत ऋणों की रकमों में, 1969 में वृद्धि की दर 16.6 प्रतिशत बैठती है जबकि 1968 में यह दर 15 प्रतिशत थी।

बिड़ला सार्थ समूह की निर्माता कम्पनियां

8430. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला सार्थ समूह में प्रत्येक निर्माता कम्पनी एक रूप में लघु-कारखाना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के संदर्भ में सरकार ने पूंजी एकत्रीकरण के इस मामले में रोक लगाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सम्भवत: माननीय सदस्य के मस्तिष्क में, बैंक के रुपये की सहायता से, कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अंतर्निगम निवेश (इंटरकारपोरेट इन्वेस्टमेंट) की बात है। किसी कम्पनी द्वारा अन्य कम्पनियों के शेयरों की खरीदारी, समवाय अधिनियम 1956 की धारा 372 के उपबंधों द्वारा विनियमित होती है। एक विवरण संलग्न है जिसमें यह दिखाया गया है कि बिरला समूह से सम्बद्ध निर्माणकारी कम्पनियों का अन्तर्निगम निवेश कितना है जिसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उक्त अधिनियम की धारा 372 (4) के अन्तर्गत किया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3400/70]**

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्माणकारी कम्पनियों के ऐसे कार्यों के लिए वित्त प्रबंध करने का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दे दी है कि वे जिस ऋण की व्यवस्था करें उसकी विशेष निगरानी रखें कि वह ऋण उसी उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया है जिसके लिये वह दिया गया था। निगम क्षेत्र को ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से इस बात की छानबीन करने की आशा की जाती है कि जहां तक सम्भव हो वे ऋण के उद्दिष्ट (अन्तिम) उपयोग की छानबीन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रकम का कोई भाग अनुत्पादक कार्यों में लगाने के लिये और ऋण लेने वाली कम्पनी के कार्यों से भिन्न उद्देश्य को पूरा करने के लिये किसी अन्य प्रतिष्ठान को ऋण के रूप में नहीं दिया गया है और न ही उसमें लगाया गया है। जहां यह पाया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने वाली कम्पनी ऋण की कुछ रकम को अपने सम्बद्ध प्रतिष्ठान को ऋण के रूप में देना चाहती है वहां मंजूर की गई ऋण की रकम उचित मात्रा में कम कर दी जाती है और आशा की जाती है कि सम्बद्ध प्रतिष्ठान वित्तीय सहायता के लिए स्वयं बैंक को आवेदन-पत्र दे, बैंक उस आवेदन-पत्र

पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करेगा। विशेष रूप से शेयरों के आधार पर ऋण देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे उस उद्देश्य की भली भांति छानबीन करें जिसके लिए ऋण मांगा गया है और यह सुनिश्चित कर लें कि उस ऋण का उपयोग सट्टेबाजी के लिए या ऋणकर्ता द्वारा कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने या रखे रहने के लिए न किया जाए। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि कम्पनियों को शेयरों के आधार पर ऋण देने के मामलों की छानबीन यह देखने के लिये ध्यानपूर्वक की जानी चाहिये कि इन ऋणों का उपयोग अन्तर्निगम निवेश करने या बनाए रखने के लिए नहीं किया जाय। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को हाल ही में मनाही कर दी है कि वे रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना किसी एक ऋणकर्ता के मामले में शेयरों के आधार पर 5 लाख रुपए से अधिक ऋण न दें। यह व्यवस्था करने के लिए कि इन बैंकों से ली गई रकम को अन्य कम्पनियों को ऋण देने और उनमें लगाने की प्रवृत्ति को प्रभावकारी ढंग से रोका जा सके, रिजर्व बैंक की सलाह से अन्य आवश्यक उपाय किए जायंगे।

उत्तरी बिहार का भूतत्वीय सर्वेक्षण

8431. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही उत्तर बिहार का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, सारन, मुंगेर तथा दरभंगा के भागों में भूतल जल अन्वेषण किये गये हैं। मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में उत्सुत पट्टी के भी प्रारम्भिक अध्ययन किये गये जिनसे कोसी एवं गन्डक प्रायोजनाओं से अनाच्छादित क्षेत्रों में भूतल जल की असीम सम्भावनाएं प्रकट हुईं। दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में भी एक उत्स्रुत पट्टी का पता लगाया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने तेल समन्वेषण कार्यक्रम के सम्बन्ध में चम्पारन जिले में रक्सोल के निकट व्यधन किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योगों को ऋण दिया जाना

8433. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न हथकरघों उद्योगों को ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई है ;

(ख) उन हथकरघा सम्मितियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये ऋण प्राप्त हुये हैं और उन्हें कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अभी तक भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड को, वित्तीय सहायता के लिये महाराष्ट्र के हथकरघा उद्योग से न तो कोई आवेदन-पत्र मिला है और न ही उसने उस राज्य के उक्त उद्योग को कोई ऋण दिया है ।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का काम फिर आरम्भ करना

8434. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का काम फिर आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ये कार्य कब और कहां पर आरम्भ किए जायेंगे ;

(ग) क्या ये कार्य भारतीय विशेषज्ञों द्वारा आरम्भ किए जायेंगे या विदेशी कम्पनी अथवा विशेषज्ञों के सहयोग से आरम्भ किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी कम्पनो या कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके साथ किये गये ठेके की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० ब्रह्माण) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल में रानाघाट क्षेत्र, बरुईपुर क्षेत्र, बोडरा के पश्चिम और डायमन्ड हार्बर के निकट एक क्षेत्र में तेल की खोज से सम्बन्धित भूकम्पीय सर्वेक्षणों के कार्य में पहले ही प्रगति हो रही है ।

कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भारतीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है ना कि किसी विदेशी कम्पनी द्वारा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन

8435. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में रूस का हाल ही में दौरा करने वाले विशेषज्ञ दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट में रूस से पम्पों की कई किस्मों, कम्प्रेशर्ज, औजार और विद्युत उपकरण की प्राप्ति का उल्लेख है ; जो कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों की कुल आवश्यकताओं का तुलनात्मक सीमित अंश है ।

Financial Aid for Urban/Rural Development out of the Central Housing Revolving Fund

8436. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of schemes for urban and rural development, which are under consideration of Government for providing financial aid out of the Central Housing Revolving Fund ; and

(b) the amount Government propose to spend on such schemes in the various States during Fourth Plan period and the details in this regard State-wise ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). About 150 preliminary project proposals have been received from various States for financial assistance from the Revolving Fund. The Housing and Urban Development Finance Corporation, which has been incorporated from the 25th April 1970 will be responsible for the selection and approval of projects which are capable of regenerating the seed capital quickly. The Corporation will endeavour to raise a sum of about Rs. 200 crores over a period of years for assisting such projects. It is not possible at this stage to say how, statewise, funds will be released. This will depend on the funds mobilised over the years and the nature of the schemes formulated by the different States.

नई दिल्ली नगर पालिका के बजट को निलम्बित करना

8437. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई दिल्ली नगरपालिका के वर्ष 1970-71 के बजट को निलम्बित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ; और

(ग) यह निश्चित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है कि कर्मचारियों को समय पर वेतनों का भुगतान किया जाय ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के उपराज्यपाल ने 3 अप्रैल, 1970 को एक निदेश

जारी किया था जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका को कहा गया था कि वे उनकी समुचित मंजूरी के बिना जैसाकि नई दिल्ली नगर पालिका पर लागू होने वाले म्यूनिसिपल एकाउण्ट कोड के नियम-II 8 के अनुसार अपेक्षित है बजट अथवा उसके किसी अंश को कार्यान्वित न करें।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने 30-3-1970 को 1970-71 के अपने बजट को पास करते हुए, अपने स्कूलों की उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को ट्यूशन फीस की छूट देने का निर्णय किया था। चूंकि भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन के इसी प्रकार के एक प्रस्ताव को नहीं माना था अत: उप-राज्यपाल ने यह महसूस किया कि नई दिल्ली नगर पालिका का यह निर्णय निर्धारित नीति से बहुत दूर हट जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका इस निर्णय को लागू न कर दे इसलिए यह निर्देश जारी किया गया था।

(ग) इसके बाद शीघ्र ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह निदेश केवल उपर्युक्त छूट के बारे में ही था। दिल्ली प्रशासन तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने बतलाया है कि पालिका के सामान्य कार्य संचालन में इससे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और स्टाफ को भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। नगर पालिका के बजट प्रस्ताव भी 21-4-70 को मंजूर कर लिए गए हैं।

Recommendations made by Working Group of Administrative Reforms Commission regarding Working of Reserve Bank of India

8438. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recommendations made by the working group of the Administrative Reforms Commission in respect of bringing about improvements in the working of the Reserve Bank of India were received by Government last year; and

(b) if so, the broad features of the said recommendations and the progress made in regard to implementation of the said recommendations?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). Shri Manubhai Shah was informally requested by the Administrative Reforms Commission in 1968 to study the working of the Reserve Bank of India. Shri Manubhai Shah submitted his report to the Administrative Reforms Commission in August 1969. After considering this report the Administrative Reforms Commission has made certain suggestions for consideration by Government including the establishment of two new institutions, one for financing of exports and another for collecting, analysing and publishing of data from all banks including the Reserve Bank. The suggestions of the Commission were received in March 1970 and are under examination by Government in consultation with the Reserve Bank of India.

Report of Administrative reforms Commission relating to Department of Works, Housing and Urban Development

8439. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether the report of the Administrative Reforms Commission had been received in the Department of Works, Housing and Urban Development during the last year; and

(b) if so, the details of the recommendations made therein and the progress made so far to implement them?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). No. The Administrative Reforms Commission has not submitted any specific report relating to the Ministry of Works, Housing and Urban Development. However, in Chapter VII of its report on the Machinery of the Government of India and its procedures of Work, the Commission had recommended the amalgamation of the then Ministry of Health, Family Planning and Urban Development, Department of Social Welfare and Ministry of Education to form a new Ministry of Education, Health and Social Welfare. The recommendations in this chapter are under Government's consideration.

Recommendations of Administrative Reforms Commission on Direct Taxes

8440. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government received last year the report of the Administrative Reforms Commission relating to matters in respect of Direct Taxes ;

(b) if so, the main features of the recommendations in this regard ; and

(c) the progress made so far in implementing those recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A Statement is placed on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT 3401/70.**]

स्टेट बैंक आफ इण्डिया में ऋण-पत्र प्रणाली आरम्भ करना

8441. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सरकारी देनदारों को शीघ्र भुगतान के लिए बैंक में ऋण-पत्र प्रणाली आरम्भ करने का सुझाव सरकार को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) चूंकि इस सुझाव में सरकार का हिसाब-किताब रखने की प्रणाली और वित्तीय कार्यविधि में परिवर्तन की कल्पना की गयी है अत: इस मामले की जांच करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय और भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल गठित किया जा रहा है। दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस प्रश्न पर आगे विचार किया जायगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशें

8442. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चिकित्सा परिषद् की बैठक दिल्ली में हुई थी ;

(ख) परिषद् द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई मुख्य सिफारिशें क्या थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा के हित में परिषद् द्वारा समय समय पर की गई विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के बारे में परिषद् ने सरकार से शिकायत की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3402/70]**

(घ) और (ङ). परिषद् की वार्षिक बैठक के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया था । परिषद् की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है और वह सामान्य हितों के मामलों पर परिषद् से पुन: विचार करने के लिए कहने को कह सकती है ।

Delay in according Sale Permission to Allottees of Government Houses

8443. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is essential for the allottees of the houses constructed by Government to get permission from Government for the sale thereof;

(b) whether it is also a fact that the sale permission is accorded by Government after much delay ;

(c) if so, whether it is also a fact that many times the sale permission is accorded after the lapse of the period of one year or more ;

(d) the number of the cases in respect of sale permission pending for the last four months ; and

(e) the reasons for such type of delay ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) Yes, in cases where the lease deed provides for the prior approval of the Lessor.

(b) and (c). Delay occurs in cases where complete information/documents are not furnished by lessees or where the premises suffer from breaches of the terms of lease. Such case cannot be finalised till all the requirements of the lease terms are completed with by the parties concerned.

(d) and (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

No Objection Certificate for Sale Permission to Allottees

8444. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a no-objection certificate from the allottee is demanded at the time of sale permission to the person, who has been given the Power-of-Attorney by the allottee-lessee of the houses constructed by Government ;

(b) if so, the reasons therefor, especially when the allottee gives his Power-of-Attorney ;

(c) in case the Power-of-Attorney has got no value, the reasons for recognising it ; and

(d) the reasons for demanding a no-objection-certificate especially when the allottee gives his Power-of-Attorney after selling the house and whether it is a fact that he demands more money on the plea of the said certificate ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (d). In some cases, lessees had objected to the grant of sale permission to their attorneys and had also served notices on Government. In order to avoid future complications, the system of obtaining a 'No objection' certificate from lessees was introduced in 1966, after taking into consideration the legal implications involved in the matter.

Government have no information if lessees demand more money on the plea of the said certificate.

डीजल की खपत के सम्बन्ध में समिति की नियुक्ति

8445. **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल की खपत में कमी होने के कारणों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त 5 सदस्यों वाली समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) इस समिति के निदेश पद और कार्य क्षेत्र क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के निर्देश पद निम्न प्रकार हैं :—

"उन तथ्यों, जिनके कारण खपत घटती बढ़ती है, को जानने के लिए प्रदेश वार तथा क्षेत्रवार आधारों पर मांग पूर्वानुमानों तथा वास्तविक खपत का अध्ययन करना तथा मांग पूर्वानुमानों में सुधार करने के लिये कौन से कदम उठाये जाने चाहियें ।"

वर्ष 1970-71 में मिट्टी के तेल की मांग

8446. **श्री अदिचन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1970-71 में मिट्टी के तेल की कुल कितनी मांग होने के अनुमान हैं ;

(ख) उक्त वर्ष में देश में मिट्टी के तेल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(ग) उक्त वर्ष में कितना और किस किस देश से मिट्टी के तेल का आयात किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). 1970-71 के दौरान मिट्टी के तेल की अनुमानित मांग लगभग 3345 हजार मीटरी टन होगी और देशीय उत्पादन लगभग 3135 हजार मीटरी टन। इससे लगभग 210 हजार मीटरी टन के आयात से कमी पूरी की जायेगी।

तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघों तथा संगठनों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव

8447. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों तथा संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार के निमंत्रण पर तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) क्या स्वायत्त कार्यालयों में जहां कर्मचारी संघ या परिषदें आदि नहीं हैं, किन्हीं संगठनों को अपना प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन कार्यालयों के संगठनों से प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सभी मान्यता प्राप्त फेडरेशन तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के ऐसे मान्यता प्राप्त संघों तथा संस्थाओं से, जोकि उपर्युक्त फेडरेशनों में शामिल नहीं थीं और 1-12-69 के संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में जिनका प्रतिनिधित्व था, उन सबसे तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों के बारे में अपने सुझाव भेजने के लिए कहा गया था। जिन संघों से सुझाव प्राप्त हुए उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3403/70]**

(ख) जी, नहीं। ऊपर भाग (क) को देखते हुए इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के निदेशक श्री एस० भूतलिंगम द्वारा 1970 की वार्षिक योजना के लिये संसाधनों के बारे में दिया गया वक्तव्य

8448. **श्री अदिचन** :

श्री दे० अमात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक, श्री एस० भूतलिंगम के द्वारा हाल ही में दिए गए इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1970-71 की वार्षिक योजना के लिए जिसमें 2,637 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, वास्तविक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, और उसके लिए कितने घाटे की अर्थव्यवस्था की गई है और क्या उससे अधिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार भूतलिंगम के मूल्यांकन से कहां तक सहमत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1970-71 के लिए आयोजना परिव्यय तथा घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा का निर्धारण, उत्पादन और खास तौर पर अनाज के उत्पादन मूल्यों, विदेशी सहायता की प्राप्यता और सरकार की अतिरिक्त करों, बड़े पैमाने पर बाजार-ऋणों तथा अल्प-बचत संग्रह के माध्यम से देश में साधन जुटाने की क्षमता जैसे विभिन्न पहलुओं पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही किया गया है । सरकार श्री भूतलिंगम के मूल्यांकन से सहमत नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को सीधे ऋण दिया जाना

8449. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने मध्य प्रदेश में किसानों को कितनी राशि के सीधे ऋण दिये ;

(ख) कितने किसानों को ये ऋण मिले हैं ;

(ग) राज्य में फार्म स्थापित करने के लिये कृषि स्नातक योजना के अधीन कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं और कितने कृषि स्नातकों को यह सहायता मिली है ; और

(घ) चालू वर्ष में इन प्रयोजनों के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, मध्य प्रदेश के किसानों के लिये 31 जुलाई, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में स्वीकृत प्रत्यक्ष ऋणों की सीमाओं में जो वृद्धि की गयी है, उसकी और बकाया रकमों का ब्योरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	31 जुलाई, 1969 को	31 मार्च, 1970 को	वृद्धि
स्वीकृत सीमाएं	0.75	2.58	1.83
बकाया रकमें	0.19	1.16	0.97

(ख) किसानों द्वारा खोले गये खातों की संख्या, जो जुलाई 1969 के अन्त में 717 थी, वह बढ़कर मार्च 1970 के अन्त में 6944 हो गयी अर्थात् उसी अवधि में, खातों की संख्या में 6,227 की वृद्धि हुई ।

(ग) राज्य में, स्नातक फार्म योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों की संख्या और ऋणों की स्वीकृत रकम क्रमश: 3 और 1,03,500 रुपये थी ।

(घ) इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए कोई विशेष रकम निर्धारित नहीं की जाती। फिर भी, बैंकों के साधनों को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक सम्भव सहायता देने के लिए हर प्रयत्न किया जायगा।

केन्द्रीय आवास तथा विकास निगम की स्थापना

8450. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय आवास तथा विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). आवास और नगर, विकास वित्त निगम, कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी के रूप में 25 अप्रैल, 1970 को संस्थापित कर दी गई है। निगम के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन तथा आर्टीकल्ज आफ एसोसिएशन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'निर्धन व्यक्ति' को सीधे अग्रिम राशि दिया जाना

8451. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत बर्ष की अवधि में 'निर्धन व्यक्ति' को सीधे दी गई अग्रिम राशि में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने हाल ही में बैंक की नई नीतियों की पुष्टि की है ; और

(ग) निर्धन व्यक्ति के सम्बन्ध में ऋण की नीति का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जैसाकि दी गई नीचे सारणी के देखने से पता चलेगा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खेती-बारी करने वाले, छोटा कारबार करने वाले, सड़क परिवहन चलाने वाले तथा स्वयं अपना काम करने वाले "छोटे आदमी" को दिये

जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों की मात्रा में, 1969 की दूसरी छमाही में, काफी वृद्धि हुई है।

सारणी

	जून 1969		दिसम्बर 1969	
	खातों की संख्या	ऋणों की बकाया रकमें (करोड़ रुपयों में)	खातों की संख्या	ऋणों की बकाया रकमें (करोड़ रुपयों में)
1. कृषि (बागान छोड़ कर) को प्रत्यक्ष ऋण	1,71,880	38.02	3,68,998	90.96
2. छोटे कारबार (जिसमें खुदरा व्यापारी, सड़क परिवहन चालक और स्वयं अपना काम करने वाले व्यक्ति शामिल हैं)	30,986	26.24	67,993	50.90
जोड़ :	2,02,866	64.26	4,36,991	141.86

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने, बैंक के शेयर होल्डरों की, 26 मार्च, 1970 को, अहमदाबाद में हुई पन्द्रहवीं सामान्य वार्षिक बैठक में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा था कि "छोटे आदमी" की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण नीति में आवश्यक परिवर्तन करना राष्ट्रीय नीति का एक अंग बन गया है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष के अनुसार, छोटे कारबार के लिए वित्त प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में बैंकों के दोहरे उद्देश्य ये हैं—एक तो यह कि समाज के वित्तीय दृष्टि से कमजोर वर्गों के उद्यमों का विस्तार करना और दूसरा—जहां तक सम्भव हो सके इस क्षेत्र के लोगों के लिए संस्था-भिन्न ऋण स्रोतों के स्थान पर संस्थागत ऋण स्रोतों की व्यवस्था करना। उन्होंने, बैंकों की "ग्राम अंगीकरण योजना" का भी उल्लेख किया था। अंगीकृत गांवों में, बैंक सभी सक्षम या सम्भावित सक्षम किसानों की, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो, कृषि विकास सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं। चुने हुए क्षेत्रों में ठोस उपाय किये जाने से कृषि उत्पादन सम्बन्धी आधुनिक तकनीक अपनाने के सम्बन्ध में, छोटे किसानों को उत्साहित करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि कृषि के लिए वित्त प्रबन्ध किये जाने के मामलों में भी सम्बद्ध योजना की सक्षमता की जांच करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कारबार के अन्य क्षेत्रों की योजनाओं की। उन्होंने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि बैंक इस बात का ध्यान रखें कि वे जिस कारबार के लिए वित्त प्रबन्ध करते हों वह कारबार सक्षम हो, ऋण के सम्बन्ध में दी जाने वाली जमानत का मूल्य चाहे कुछ भी हो।

(ग) अब तक उपेक्षित रहे ऐसे क्षेत्रों और छोटे ऋण-कर्ताओं को सहायता देने के लिए, जो माल का उत्पादन करने और सक्षम सेवाएं मुहैया करने का काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र के

बैंकों ने छोटे परिवहन चालकों, कारीगरों और स्वयं अपना काम करने वाले व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये योजना तैयार की हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें इस योजना का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3404/70]**

ऋण की पात्रता के लिये मापदण्ड निर्धारित करना

8452. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋण पात्रता के लिए मानदण्ड निर्धारित करने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया गया है। पहले ऋण लेने वाले की आस्तियों के आधार पर ऋण दिया जाता था और अब उसके व्यापार सम्बन्धी दायित्व के आधार पर, चाहे कितना ही कम क्यों न हो, ऋण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कृषि तथा लघु उद्योग जैसे अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये जाने वाले उधार में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी हां। बैंक अब, प्रतिभूति के स्वरूप और उसकी रकम की बजाय ऋण के प्रयोजन, आर्थिक सक्षमता, प्रायोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और ऋण-कर्ताओं की ईमानदारी पर अधिक जोर देते हैं।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, स्टेट बैंक ग्रुप द्वारा कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों को दी गयी सहायता में हुई वृद्धि का ब्योरा इस प्रकार है :—

	30-6-69	30-12-1969
कृषि वित्त-प्रबन्ध		
(किसानों को सीधे ऋण)		
खातों की संख्या :	37,031	1,19,199
स्वीकृत सीमा :		
(करोड़ रुपयों में)	29.90	58.46
ऋणों की बकाया रकम		
(करोड़ रुपयों में)	11.06	33.02
लघु उद्योग		
एककों की संख्या	25,904	31,437
स्वीकृत सीमा		
(करोड़ रुपयों में)	212.58	259.46
ऋणों की बकाया रकम		
(करोड़ रुपयों में)	103.01	135.31

Arrears of Incometax above Rupees One Lakh against firms and Individuals in Rajasthan

8453. **Shri Ramesh Chandra Vyas:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of persons, firms and companies in Rajasthan against whom Income-tax arrears to the tune of more than one lakh rupees are outstanding ;

(b) the steps proposed to be taken by Government to expedite the recovery of Income-tax arrears ; and

(c) the action so far taken by Government against the officers and firms who are found guilty in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Information regarding the names of persons, firms and companies in Rajasthan against whom Income-tax arrears to the tune of more than one lakh rupees are outstanding, is not readily available. The names of all assessees including firms and companies against whom Income-tax arrears of more than Rs. 5 lakhs were outstanding as on 30-6-1969 are, however, available and are given in the Statement.

Statement

Name of the assessees assessed in the Commissioner of Income-tax Charge, Rajasthan

1. M/s. Vijay Cotton Mills Ltd., Bijayanagar.
2. M/s. Kota Straw Board Pvt. Ltd., Kota.
3. M/s. Prahlad Maliram.
4. Shri Bhoormal Agarwal, Sonkiyon-ka-Rasta, Jaipur.
5. Smt. Ramjot Bai, Ajmer.
6. Sh. Pusalal Mansinghka, Bhilwara.
7. M/s. Daduwala & Co., Bhilwara.
8. M/s. Associated Stone Industries (Kota) Ltd., Ramganjmandi.
9. M/s. Baldeo Das Rameshwar, Bhilwara.
10. Shri J. R. Pillania, Pillani.

(b) and (c). Such steps as are available in law are being taken/proposed to be taken, depending upon the facts and circumstances in each case, for realising the arrears due from these assessees. No officer has so far been found guilty in this connection and as such the question of taking action against any of them does not arise.

सेंट्रल फार्मस् स्टोर, कलकत्ता के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

8454. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सेंट्रल फार्मस् स्टोर कार्यालय के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने 100 कर्मचारियों की इस मांग के समर्थन में कि उनके पदों को अवर श्रेणी लिपिक के पदों के रूप में बदल दिया

जाये ; पहले 1 अप्रैल, 1970 को अपना वेतन न लेने का निर्णय किया था, अपने वेतन 1 अप्रैल, 1970 को नहीं लिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कथित मांगों के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1 अप्रैल, 1970 को, दफ्तरी/सिलेक्शन ग्रेड के दफ्तरियों के 80 पदों के निम्न श्रेणी लिपिक के पदों में परिवर्तन करने की अपनी मांग के समर्थन में कलकत्ता के सरकारी प्रपत्र भंडार के कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया। वेतन न लेने का नोटिस कर्मचारियों की संस्था ने 25 मार्च, 1970 को दिया था।

(ख) कर्मचारियों की मांग है कि अधिकांश दफ्तरी/सिलेक्शन ग्रेड के दफ्तरी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) लिपिक के कार्य जैसा कार्य कर रहे हैं, अतः 80 पदों को निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों में पदोन्नत कर देना चाहिये।

(ग) निर्माण, आवास तथा नगर-विकास विभाग के सचिव तथा मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हाल ही में कलकत्ता गये तथा कर्मचारियों की संस्था से विचार-विमर्श किया। यह तय किया गया कि सिलेक्शन ग्रेड दफ्तरियों के कुछ पदों को निम्न श्रेणी लिपिक के पदों में पदोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी यूरोपीय समिति आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

8455. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूरोपीय समिति आयोग के अध्यक्ष श्री जीन० रे० द्वारा दिल्ली में वैदेशिक व्यापार संस्था के समक्ष दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दस वर्षों में संसार में एक नई मुद्रा का प्रचलन होगा जो कि "राष्ट्रीय मुद्रा" न होकर "यूरोपीय मुद्रा" होगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारत की मुद्रा और यूरोपीय देशों के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। श्री जीन रे ने केवल यह सुझाया था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के छः सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्रा अलग-अलग होने के बजाय, दस वर्षों से कम की अवधि के अन्दर-अन्दर, एक सामान्य मुद्रा बन जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). दस वर्षों के बाद बनने वाले मुद्रा के स्वरूप के बारे में अभी कोई विचार प्रकट करना समय-पूर्व होगा इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि इसका भारतीय मुद्रा और यूरोप के देशों में भारत के निर्यातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

होशंगाबाद में सिक्यूरिटी पेपर मिल कैंटीन

8456. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल के कैन्टीन में भोजन नहीं मिलता और श्रमिकों को इस मिल के बाहर (झुग्गियों) में भोजन खरीदना पड़ता है ;

(ख) क्या कैन्टीन में स्नैक (नमकीन-मीठे भोज्य पदार्थ) श्रमिकों को मुनाफा आधार पर बेचे जाते हैं ; और न कि "न हानि न लाभ" आधार पर ; और

(ग) क्या इस कैन्टीन की देख-रेख करने के लिये श्रमिकों की कोई समिति नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चूंकि सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद की कैंटीन में शायद ही कभी कोई ग्राहक भोजन मांगता है, इसलिये इस कैंटीन में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि, सम्भवतः अधिकतर कर्मचारियों के मकान, मिल के नजदीक ही हैं इसलिये वे घर पर जाकर भोजन करना पसन्द करते हैं।

(ख) जी, नहीं ; नमकीन, मिठाई आदि "न हानि, न लाभ" आधार पर बेची जाती है।

(ग) कैंटीन की देख-रेख के लिये, कर्मचारियों की एक समिति है।

सामूहिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

8457. **श्री प्र० के० देव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिये सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) सामूहिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत इन समितियों के रजिस्ट्रेशन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस योजना के लिये दिल्ली में कोई भूमि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 44।

(ख) आवेदनों की दिल्ली प्रशासन के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) अभी नहीं।

विश्व बैंक द्वारा कलकत्ता के विकास के लिये वित्तीय सहायता

8458. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कलकत्ता के पिछले दौरे में यह संकेत

दिया था कि कलकत्ता के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की प्रार्थना पर विश्व बैंक सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये विश्व बैंक से सहायता नहीं मांगी है ;

(ग) उन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों या संगठनों के नाम क्या हैं जो नगरीय विकास परियोजनाओं के लिये अनुदान या ऋण के रूप में सहायता देते हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कलकत्ता की नगरीय परियोजना के विकास के लिये ऐसे निकायों से सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने नगर विकास की योजनाओं में, जिनमें कलकत्ता का विकास भी शामिल है, आमतौर पर दिलचस्पी दिखाई है ।

(ख) सरकार ने अभी तक इस निमित्त विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं मांगी है ।

(ग) विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अलावा, एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जो नगर विकास योजनाओं में कुछ सीमा तक सहायता कर सकता है वह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो तकनीकी सहायता के लिये अनुदान देता है ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कलकत्ता महानगर क्षेत्र में जलपूर्ति, मल व्यवस्था और जल-निकासी की योजना का ब्योरा तैयार करने के लिये तकनीकी सहायता प्रदान की और इस निमित्त 727,000 डालर (54,52,000 रुपये) दिये । इस रकम का 1967 तक उपयोग कर लिया गया था । हमारे अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र विकास निगम कार्यक्रम, कलकत्ता जल तथा स्वच्छता प्राधिकरण के लिये 1,087,980 डालर (81,59,250 रुपये) की एक और रकम देने के लिये तैयार हो गया । इस रकम का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि नवम्बर, 1969 में राज्य सरकार ने यह राय प्रकट की कि सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को हानि

8459. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनियमितताओं, चोरियों तथा माल की कमी पाई जाने के कारण फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को उसकी स्थापना से लेकर आज तक तथा वर्ष 1969-70 में कितनी हानि हुई ; और

(ख) क्या इस बारे में जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा०

चह्वाण) : (क) अनियमितताओं, चोरियों तथा स्टाक में कमी पाई जाने के कारण एफ० ए० सी० टी० को 1969-70 तक 6.82 लाख रुपये की हानि हुई है। इसमें से 1969-70 के दौरान उक्त कारणों से 1.06 लाख रुपये की हानि पाई गई थी।

(ख) एफ० ए० सी० टी० ने इन तमाम मामलों पर कार्यवाही की थी। पांच प्राइवेट एजन्सी डिपोंओं को नियन्त्रण में ले लिया गया था और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई थी। सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई थी जिसके परिणामस्वरूप एफ० ए० सी० टी० के कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। 6.82 लाख रुपये की कुल हानि में से एफ० ए० सी० टी० ने 2.94 लाख रुपये की रकम वसूल कर ली है। 3.85 लाख रुपये के लिये कानूनी कार्यवाही हो रही है और .03 लाख रुपये की बकाया रकम कर्मचारियों के वेतनों से वसूल की जा रही है।

मूल्यों में वृद्धि के कारण श्रमिकों तथा सरकारी कर्मचारियों में असंतोष

8460. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिकों, तथा सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). हाल के महीनों के दौरान मूल्यों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100) के 12 महीनों के औसत में हर 10 अंकों की वृद्धि होने पर, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तें में भी वृद्धि कर दी जाती है। जहां तक औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, लगभग सभी बड़े उद्योगों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की पद्धति अपनाई जाती है जिसके अन्तर्गत जीवन निर्वाह खर्च के बढ़ने अथवा घटने के साथ-साथ महंगाई भत्ते में भी अपने आप परिवर्तन हो जाने की व्यवस्था है। हाल ही में, सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है।

चोरी छिपे लाई गई चीनी का पकड़ा जाना

8461. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में नेपाल से भारत को चोरी छिपे लाई जा रही रूस, चैकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड की कितनी, तथा कितने मूल्य की (रुपयों में) चीनी पकड़ी गई ; और

(ख) तस्करी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा उसके परिणाम क्या निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1969-70 में भारत-नेपाल सीमा पर 43,722 रुपये मूल्य की 14,640 किलोग्राम चीनी (शर्करा) पकड़ी गयी। रूस में बनी 30 किलोग्राम चीनी (शर्करा) के अलावा, जिसका मूल्य 105 रुपये होता है, शेष चीनी के बारे में यह पता नहीं चल सका कि वह किस देश की बनी हुई थी।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर-निर्यात को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

सूचना इकट्ठी करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है, उन पर निगरानी रखना, जिन वाहनों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और सीमा पर सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों पर गश्त रखना। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के विशेष उपाय के रूप में, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सहायक समाहर्ताओं के पर्यवेक्षी नियंत्रण में 27 गश्ती दस्ते नियुक्त किये गये हैं।

(ii) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये किये गये उपायों के कारण भारत-नेपाल सीमा पर 1968 में पकड़ी गयी अवैध वस्तुओं के मुकाबले में 1969 में पकड़ी गयी अवैध वस्तुओं की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे बताया गया है :

वर्ष	भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपयों में)
1968	24.71
1969	47.95

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

8462. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या उक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु विधेयक इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ और परिणामतः कोई भी विधेयक संसद् में प्रस्तुत करने से पूर्व दिल्ली महानगर परिषद के पास भेजा जायेगा। इसमें समय लगेगा।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

8463. **श्री दे० अमात :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न प्रतिरक्षा तथा विकास परियोजनाओं के लिये सरकार को एशियाई विकास बैंक से अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) इस बैंक की निधि में भारत का अंशदान कितना है ; और

(ग) इस बैंक ने अन्य देशों को अब तक कितनी सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत ने, अब तक एशियाई विकास बैंक से न तो कोई सहायता मांगी है और न ही उससे कोई सहायता ली है ।

(ख) बैंक की शेयर पूंजी में भारत का अभिदान 930 लाख डालर (69.75 करोड़ रुपये) का है । इसमें से आधी रकम मांगी जा चुकी है और बाकी आधी रकम मांगी जानी है । मांगी गई रकम, बराबर-बराबर की पांच वार्षिक किस्तों में देय है जिसमें से आधी रकम परिवर्तनीय मुद्रा में और बाकी आधी रकम रुपयों में अदा की जायेगी । अब तक चार किस्तों की अदायगी की गई है । इस प्रकार, भारत ने अब तक 27.90 करोड़ रुपये का अभिदान दिया है जिसमें से आधी रकम विदेशी मुद्रा में तथा बाकी आधी रकम अहस्तान्तरणीय, गैर-ब्याजू रुपया प्रतिभूतियों के रूप में अदा की गयी है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अभी हाल ही में, बैंक की तकनीकी सहायता निधि में 2 लाख रुपये का अंशदान देने का निर्णय किया है । यह रकम, बैंक की तकनीकी सहायता योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले भारतीय विशेषज्ञों और सलाहकारों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये इस्तेमाल की जायेगी ।

(ग) बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों और तकनीकी सहायता की रकमों का ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य देशों के लिये स्वीकृत ऋणों/तकनीकी सहायता का विवरण

देश का नाम	ऋण	तकनीकी सहायता	रकम लाख डालर में
1. श्रीलंका	131.90	5.60	
2. चीन गणराज्य (ताइवान)	439.50	1.00	
3. इण्डोनेशिया	33.90	7.60	
4. कोरिया, गणराज्य (दक्षिण)	313.00	0.70	
5. मलयेशिया	181.00	2.70	
6. नेपाल	60.10	5.20	

7. पाकिस्तान	100.00	—
8. फिलिपीन	75.00	4.30
9. सिंगापुर	100.00	—
10. थाइलैंड	150.00	2.90
11. पश्चिमी समोआ	24.00	0.50
12. लाओस	9.70	5.00
13. कम्बोडिया	16.70	—
14. वियतनाम (दक्षिण)	—	0.80
15. अफगानिस्तान	—	1.60
	जोड़ : 1634.8	37.9
	(122.61 करोड़ रुपये)	(2.843 करोड़ रुपये)

टेट्रासाइक्लीन के बदले पानी की सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज करना

8464. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज करने के लिये कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जिन्होंने करनाल मेडिकल स्टोर को टेट्रासाइक्लीन के रूप में पानी सप्लाई किया था ;

(ख) क्या इस अनियमितता का पता लगाना इसलिये सम्भव नहीं था कि नमूना परीक्षण के बाद सप्लाई स्वीकार की जा रही थी ;

(ग) बड़ौदा में नमूना असफल होने के नियमों में यदि कोई त्रुटियां थीं तो उनका विवरण सहित, क्या कारण थे ; और

(घ) क्या नमूना परीक्षण में ऐसी विफलता न होने देने के लिये नियमों में आवश्यक परिवर्तन हेतु उनकी पुन: जांच करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) करनाल स्थित मेडिकल स्टोर्स डिपो को किसी भी फर्म ने टेट्रासाइक्लीन के बजाय पानी सप्लाई नहीं किया है ।

(ख) साइनामिड इंडिया, बम्बई, से बिना पूर्व परीक्षण के टेट्रासाइक्लीन की सप्लाई स्वीकार कर ली गई थी क्योंकि इस फर्म को सुविख्यात समझा जाता है । साथ ही इस फर्म का नाम सप्लायरों प्रतिजीवाणु दवाइयां सप्लाई करने वाली फर्मों की उस सूची में शामिल है जिसका

अनुमोदन एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ।
2. उप-महानिदेशक (केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) ।
3. सहायक महानिदेशक (स्टोर्स) ।
4. भेषज नियंत्रक (भारत)।
5. महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, प्रति रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, नई दिल्ली ।
7. विकास अधिकारी (भेषज) तकनीकी विकास महा-निदेशालय ।
8. सहायक निदेशक (स्टोर्स), केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर्स डिपो, नई दिल्ली ।
9. औषधि सलाहकार तथा चिकित्सा अधीक्षक, विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली ।
10. चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल ।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ।
12. निदेशक (रसायन), लघु उद्योग, नई दिल्ली ।
13. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ।

(ग) बड़ौदा में निर्माताओं द्वारा करनाल के मेडिकल स्टोर्स डिपो को सप्लाई की गई औषधियों के नियंत्रण बैचों का परीक्षण किया गया था । इस परीक्षण में निर्माताओं की जांच करना भी सम्मिलित था तथा इसके बाद यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा आरम्भ में सप्लाई की गई कुल 25,000 शीशियों में से 4290 शीशियां खराब थीं । परीक्षण से यह भी पता चला कि नियंत्रण बैचों में औषधि वही थी जो लेबिल पर लिखी हुई थी ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुये, प्रश्न ही नहीं उठता ।

लेखा परीक्षक की आपत्तियों का निपटारा करने के लिये तिथि रेखा

8465. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि 1970 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 7.33 करोड़ रुपये के बारे में आपत्तियां की गयी हैं, अन्तिम निपटारे के लिये एक तिथि निश्चित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारी से वसूली के लिये सरचार्ज नियम का परित्याग किया गया है, यदि नहीं, तो पिछले वर्ष उसे कितनी रकम के सम्बन्ध में तथा कितने मामलों पर लागू किया गया था ;

(ग) जिन मामलों में मंजूरी प्राप्त नहीं थी, लेखा अनुभागों में बिना समुचित प्राधिकार के भुगतान कैसे कर दिये ; और

(घ) ऐसे अनधिकृत भुगतान बन्द करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्त मंत्रालय के विद्यमान आदेशों में ऐसी व्यवस्था है कि बकाया पड़ी लेखा परीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए प्रत्येक मंत्रालय को एक नियत तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि नियत तिथि का पालन किया जाता है। इस प्रकार बकाया आपत्तियों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं।

(ख) जिस नियम के अधीन यह व्यवस्था है कि हानि के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से वसूली करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये, वह अभी भी प्रवर्त्तमान है। ऐसे मामलों में, निर्णय लेने के अधिकार, विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के अधीनस्थ सैकड़ों मातहत प्राधिकारियों को प्राप्त हैं, इसलिए इन मामलों के बारे में सूचना केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसे मामलों में, सक्षम अधिकारी की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही के आधार पर, भुगतान की मंजूरी अनन्तिम तौर पर ही दी गयी होगी।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में मल निस्सारण व्यवस्था

8466. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में नालियों की सोचनीय दशा की ओर दिलाया गया है जो अक्सर बन्द हो जाती हैं और परिणामस्वरूप थोड़ी सी वर्षा होने पर भी सड़कों में पानी भर जाता है और गाड़ियों का चलना रुक जाता है और फलस्वरूप नागरिकों को अकथनीय परेशानी होती है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात का पता है कि धन की कमी के कारण कलकत्ता निगम नालियां साफ नहीं कर सकता जिससे कि वर्षा के पानी की तुरन्त निकासी हो ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता एक महानगर है और वह व्यावहारिक रूप में सारे देश का शहर है, सरकार आगामी बरसात शुरू होने से पूर्व इन नालियों की सफाई करने की समूची जिम्मेदारी अपने पर लेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों की नियुक्ति का आधार

8467. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार तथा

कसौटी पर की जाती है और उनके कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक विकास अधिकारी को उसे मिलने वाले वेतन की कम से कम छः गुनी राशि के प्रीमियम दिलाने पड़ते हैं ;

(ग) सितम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने अधिकारी बर्खास्त किये गये जिनके द्वारा दिलाये गये प्रीमियमों की राशि अपेक्षित प्रतिशत से कम थी ; और

(घ) इस समय काम कर रहे ऐसे विकास अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके द्वारा दिलाये जा रहे प्रीमियमों की राशि अपेक्षित प्रतिशत से अधिक है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां । परन्तु निगम ने विकास अधिकारियों के कुल पारिश्रमिक के निमित्त हिसाब में लिये जाने वाले तथ्यों में हाल ही में कुछ परिवर्तन किये हैं और उनको अब कुल पारिश्रमिक के केवल पांच गुणा तक की प्रीमियम आय जुटानी पड़ती है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) जिन विकास अधिकारियों का लागत-अनुपात $16\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक था, उनका अनुपात वर्ष 1966-67 में 72.3 प्रतिशत और वर्ष 1967-68 में 74.3 प्रतिशत था। बाद के वर्षों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

सितम्बर 1967 से निगम ने विकास अधिकारियों की आगे भरती बन्द कर दी है। सेवा-निवृत्ति, त्याग-पत्र देने, बर्खास्तगी अथवा मृत्यु आदि से होने वाले रिक्त स्थानों को आम तौर पर नहीं भरा जाता है ।

परन्तु, जहां छोटे पैमाने पर भरती करनी पड़ती है वहां कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाले सफल बीमा एजेन्टों को प्राथमिकता दी जाती है । जब ऐसे उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होते हैं, तब अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से बाहर के लोगों को अथवा प्रशासनिक कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को इन पदों पर भरती किया जाता है ।

प्रत्याशित उम्मीदवारों को शिक्षा संबंधी जो योग्यताएं पूरी करनी होती हैं वे नीचे दी गयी हैं :—

(क) एक लाख अथवा अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ... स्नातक

(ख) अन्य कस्बों में ... ... इन्टरमीडिएट

(ग) देहाती क्षेत्रों मे ... ... मैट्रीकुलेट अथवा समकक्ष

ऊपर बतायी गयी शिक्षा संबंधी योग्यताओं में किसी प्रकार की ढील की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जानी होती है ।

विकास अधिकारियों के कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारियां नीचे दी गयी हैं :—

(i) उसकी निगरानी के अधीन निगम द्वारा रखे गये एजेंटों के माध्यम से यथा सम्भव व्यवहार्य योजनाबद्ध तरीके से उसके लिये नियत क्षेत्र में अथवा जिस क्षेत्र में कार्य करने की उसको अनुमति हो उसमें नव जीवन बीमा कार्य संबंधी कारोबार का विकास और उसमें वृद्धि करना ।

(ii) ऐसे सभी एजेंटों के कार्यकलापों का मार्गदर्शन, निगरानी तथा निदेश देना ;

(iii) नये एजेंटों को भरती करना तथा प्रशिक्षण देना जिससे एक स्थायी एजेंसी बल का विकास हो सके ;

(iv) आमतौर पर इस ढंग से कार्य करना जिससे वर्तमान एजेंट हों और नये एजेंटों को प्रेरणा मिले ;

(v) पालिसीधारियों को ऐसी सब सेवाएं प्रदान करना जो बेहत्तर पालिसी सेवा में सहायक हों ;

(vi) जो क्षेत्र उसे नियत किया गया है उसमें निगम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना और उस रूप में ऐसे अन्य कर्तव्य निभाना, जो निगम उसे करने के लिये कहे ।

मलयेशिया में भारतीय बैंकों के भविष्य के बारे में मलयेशिया सरकार के साथ विचार-विमर्श

8468. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक रूप से मान्य व्यवस्था करने की दृष्टि से मलयेशिया में राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों की ग्यारह शाखाओं के भविष्य के बारे में मलयेशिया सरकार के साथ सरकार ने विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां । फरवरी, 1970 के शुरू के दिनों में ही मलयेशिया सरकार के साथ इस संबंध में बातचीत हुई थी । इस मामले में बैंकों और मलयेशियाई प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है जिसका उद्देश्य एक ऐसी नई स्थानीय कंपनी स्थापित करना है जिसे मलयेशिया स्थित भारतीय बैंकों का कारबार उचित शर्तों पर अन्तरित किया जा सके ।

साउथ ऐवन्यू (नई दिल्ली) के फ्लैटों में मच्छरों तथा मक्खियों की वृद्धि

8469. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि साउथ एवन्यू (नई दिल्ली) स्थित संसद सदस्यों के

फ्लैटों में मच्छर तथा मक्खियां असाधारण रूप से बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या इस आंतक के कारणों का पता लगाने तथा उसे समाप्त करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) इस क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था में ढील कैसे आ गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समूचे रूप से दिल्ली में मच्छर और मक्खियां बढ़ गई हैं।

(ख) इसके मुख्य कारण हैं घरेलू प्रजनन स्थल, खुली नालियां टपक रहे नल, निर्माणकार्य के लिए संचित पानी, दुग्धशालायें आदि। ये मच्छर मलेरिया रोगवाहक नहीं हैं। फिर भी ये बहुत दूर तक उड़ सकते हैं।

डिंभकनाशी उपायों को तीव्र किया जा रहा है। जहां मच्छर बहुत हैं वहां पाइशीथ्रम् छिड़काकर बड़े मच्छरों को नाश किया जाता है। दिल्ली प्रशासन ने एक समन्वय समिति का गठन किया है जो समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण करती है और आवश्यक तकनीकी सलाह देती है।

(ग) यह सच नहीं है कि प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता आ गई है। असल में नई दिल्ली नगरपालिका ने इस क्षेत्र में मच्छर और मक्खियों को बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त प्रबन्ध किये हैं।

साउथ एवेन्यू संसद सदस्य क्षेत्र के लॉनों की देख-रेख

8470. **श्री रा० बरुआ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता कारण से साउथ एवेन्यू संसद सदस्य क्षेत्र के लिये बागबानी अनुभाग में छंटनी की गई है और उसके लिये अनुदान की राशि में कटौती कर दी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शीर्ष के अन्तर्गत इसी प्रकार संसद सदस्यों के अंशदान की राशि भी कम की जायेगी और यदि नहीं, तो लॉनों तथा फूलों की देख रेख के लिये आदमी तैनात क्यों नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या निरीक्षक कर्मचारियों को इस बात का पता है कि फूलवारियां तथा घास के मैदान (लॉन) वीरान नजर आ रहे हैं और यदि हां, तो इस कार्य स्थिति के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यह कहना सत्य नहीं है कि लॉन तथा फूलों की क्यारियों की देख भाल नहीं की जा रही है।

(ग) लॉन और फूलों की क्यारियां यथोचित अच्छी स्थिति में हैं और निरीक्षक कर्मचारी अपने कार्य पर नियमित ढंग से ध्यान दे रहे हैं। तथापि, फ्लैटों के साथ संलग्न व्यक्तिगत लानों में फूलों की क्यारियों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व फ्लैटों के दखलकारों का है।

मौरिशस को आर्थिक विकास के लिये सहायता

8472. **श्री जुगल मंडल :**

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मौरिशस के आर्थिक विकास में मौरिशस को सक्रिय रूप से सहायता देने की कोई योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1969 में जब मौरिशस के प्रधान मंत्री भारत आये थे तो उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार मौरिशस के आर्थिक विकास में खुशी से सहयोग देगी। सरकार ने सिंचाई और असैनिक हवाई अड्डों से सम्बद्ध प्रायोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये तकनीकी विशेषज्ञ, उपकरण और भारत में उपलब्ध अन्य सुविधाएं मौरिशस की सरकार को देने का प्रस्ताव किया है। इस बात पर भी सहमति थी कि सरकार, मौरिशस की कृषि, उद्योग और व्यापार सम्बन्धी विशेषज्ञों की आवश्यकता को यथासंभव अधिक से अधिक पूरा करने के लिए प्रयत्न करेगी। यह भी स्वीकार किया गया था कि जो भारतीय पार्टियां, स्थानीय उद्यमकर्ताओं के सहयोग से, मौरिशस में उद्योग स्थापित करना चाहेंगी उन्हें आवश्यक सुविधा और सहायता दी जाएगी। मौरिशस सरकार के उपर्युक्त निवेदन और समय-समय पर प्राप्त होने वाले अन्य निवेदन जांच-पड़ताल और कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

औषधि निर्माण

8473. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

श्री जुगल मंडल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में देश में कितने मूल्य की औषधियां तैयार की गईं ; और

(ख) उनके निर्यात से यदि कोई विदेशी मुद्रा कमाई गई तो कितनी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1968 और 1969 के दौरान, औषधियों के उत्पादन का विक्रय मूल्य क्रमशः 200 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये था।

(ख) भेषज, औषध और उम्दा रसायनों जिनमें औषधीय केस्टर आयल शामिल नहीं है, के निर्यातों का मूल्य निम्न प्रकार था :-

1968-69	5.069 करोड़ रुपये
1969-70	3.356 करोड़ रुपये
(अप्रैल-सितम्बर, 1969)	

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के कर्मचारियों की मांग

8474. **श्री जि० मो० विस्वास :**

श्री द० ब० राजू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद सर्किल में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों ने 18 फरवरी, 1970 से "नियमानुसार काम करो" कार्यक्रम अपनाया था;

(ख) उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धकों ने उनकी मांगों को स्वीकार क्यों नहीं किया; और

(घ) क्या इस मामले को अब सुलझा लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के हैदराबाद सर्किल के कुछ कर्मचारियों ने 19 फरवरी, 1970 को एक आन्दोलन शुरू किया था।

(ख) और (ग). हैदराबाद सर्किल में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध धोखादेही और अनुशासनहीनता सहित अनुचित व्यवहार के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई के 13 मामले लम्बे अरसे से अनिर्णीत पड़े हैं। क्योंकि अपराधी कर्मचारी अपने बचाव में सर्किल कर्मचारी संघ के मंत्री को पेश करना चाहते थे जो किसी न किसी बहाने से जांच-पड़ताल के काम को टालते रहे। बाद में महा मंत्री ने प्रबन्धकों को यह आश्वासन दिया कि वे यूनियन की आम बैठक बुलाने के बाद जांच-पड़ताल की सभी कार्रवाइयों में भाग लेंगे। एक वर्ष से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद जब भारतीय स्टेट बैंक के हैदराबाद स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय ने जांच-कार्य शुरू करने के लिए हिदायतें जारी कीं तब संघ के महामंत्री ने यह मांग की थी कि इस संबंध में तब तक कोई जांच न की जाय जब तक प्रबन्धक उनके साथ कुछ आरोप-पत्रों के बारे में उनसे बातचीत न कर लें। उस समय संघ के अन्दर कुछ घटनाएं घटीं। संघ के पदाधिकारियों के बीच आन्तरिक मतभेद हो जाने के कारण संघ में फूट पड़ गयी। ये मतभेद उस समय सामने आये जब संघ की भूतपूर्व कार्यकारिणी के संयुक्त मंत्री के नेतृत्व में संघ के एक ग्रुप ने 25 दिसम्बर, 1969 को संघ की असाधारण आम बैठक बुलायी। संघ के महामंत्री के नेतृत्व वाले ग्रुप ने 28 दिसम्बर, 1969 को दूसरे ग्रुप के खिलाफ हैदराबाद की दीवानी अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया जिसमें उन लोगों के विरुद्ध निषेधाज्ञा दिये जाने की

प्रार्थना की गयी थी, जिन्होंने 25 दिसम्बर, 1969 को असाधारण आम बैठक बुलाई थी। दीवानी अदालत ने कुछ आदेश जारी किये। इसी बीच महामंत्री ने पहली फरवरी, 1970 से राजमुंदरी में आम बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया। दूसरे ग्रुप ने राजमुंदरी की दीवानी अदालत में इस प्रस्ताव को चुनौती दी। चूंकि संघ के प्रतिनिधित्व का प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन था, इसलिये अनुशासनात्मक मामलों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धकों की महामंत्री के साथ वह बातचीत न हो सकी जिसकी उन्होंने मांग की थी। तदपुरान्त महासचिव ने आन्दोलन का आह्वान कर दिया और 19 फरवरी, 1970 से हैदराबाद सर्किल की विभिन्न शाखाओं में आन्दोलन शुरू हो गया।

(घ) कर्मचारी 30 मार्च, 1970 से काम पर वापस आ गये हैं और अब क्षेत्रीय श्रम आयोग (मध्य), हैदराबाद इस विवाद का निपटारा करा रहे हैं।

कलकत्ता की पुरानी टक्साल में चांदी-शोधनशाला का बन्द करना

8475. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने 47 स्टैंड रोड, कलकत्ता-7 स्थित पुरानी कलकत्ता टक्साल में चांदी शोधनशाला को 1970-71 के बाद बन्द करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) क्या इस चांदी शोधनशाला को तांबा शोधनशाला में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि तांबा साफ करने की प्रक्रियाएं करीब करीब वैसी ही हैं जैसी कि चांदी साफ करने की, ताकि इस संस्थान में इस समय काम कर रहे 500 कुशल कर्मचारियों तथा तकनीशियनों की सेवाओं का उपयोग तांबा शोधन कार्य में जिसकी देश में बहुत मांग है, किया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अभी तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आशा है कि जिस कार्य के लिए शोधन शाला की स्थापना की गयी थी, वह कार्य लगभग 1971 के अन्त में पूरा हो जायेगा। सरकार ने, इस शोधन-शाला को, तांबा शोधन शाला में परिवर्तित करने की सम्भावना के बारे में छान-बीन की है और वह इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा करना न तो व्यावहारिक होगा और न ही आर्थिक दृष्टि से लाभ-कर। इसलिये चांदी शोधन-शाला द्वारा अपना वर्तमान काम पूरा कर लिये जाने के बाद, इसके जो कर्मचारी फालतू बच जायेंगे, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार इस समय आवश्यक उपायों पर विचार कर रही है।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मकानों का अलग पूल

8476. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जिन्हें, भारतीय खाद्य निगम में

स्थानांतरित / प्रतिनियुक्त किया गया था, 13 मई, 1970 के बाद सामान्य पूल के उन मकानों से वंचित करने का कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन है, जिनमें वे इस समय रह रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये एक अलग पूल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होने तक इन कर्मचारियों को उन्हीं मकानों में रहने देने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार, निगमों, सार्वजनिक उपकरणों आदि को स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले सरकारी विभागों के कर्मचारी, नियमों के अन्तर्गत प्राप्त रिआयती अवधि के सिवाय, अपने दखल के सामान्य पूल वास को नहीं रख सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि खाद्य निगम के कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में उनके कार्य के साथ स्थानान्तरित किया गया। प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, सरकार ने उन्हें 13-5-1970 तक लगभग 12 महीने के लिए वास रखने की अनुमति दी थी, ताकि वे कर्मचारी वैकल्पिक प्रबन्ध कर सकें।

(ख) सामान्य पूल में एक पृथक पूल बनाने का, अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को आवंटन करने के लिए सामान्य पूल के निवास स्थानों को अलग से रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि सार्वजनिक एन्टरप्राइजेज के कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को दीर्घकालीन दृष्टि से हल करने के प्रश्न पर सरकार गौर कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में कहा गया है। सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल वास नहीं रख सकते। यह निर्णय सामान्य पूल वास में वास की अत्यन्त कमी तथा पात्र कार्यालयों में कई वर्षों की सेवा करने के बाद भी, उनमें कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी वास के उपलब्ध न होने के कारण किया गया है। यदि भारतीय खाद्य निगम में गए कर्मचारियों को सरकार कोई रिआयत देती है तो उसी तरह के अन्य विभागों के कर्मचारियों की इसी प्रकार की मांगों का निवारण करना सरकार के लिए कठिन हो जायेगा।

दिल्ली में सरकारी रिहायशी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों का कार्यकरण

8477. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में विभिन्न सरकारी रिहायशी कालोनियों विशेषकर नानकपुरा (मोती बाग-2) में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में विद्यमान अनुशासनहीनता तथा अदक्षता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि इन पूछताछ कार्यालयों विशेषकर नानकपुरा पूछताछ कार्यालय के कर्मचारी कार्यालयों में मकानों की मरम्मत के लिये दर्ज कराई गई शिकायतों पर कई सप्ताह तक ध्यान नहीं देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन पूछताछ कार्यालयों के कार्य संचालन में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । देर होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) पूछ-ताछ कार्यालयों के कार्य में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(i) सेक्शनल आफीसरों और सहायक इंजीनियरों को निर्देश जारी किये गये हैं कि उन्हें आवंटियों के मकानों में समय समय पर जाकर देखकर शिकायतों का पता लगाना चाहिए तथा उन्हें तुरन्त ही ठीक कराना चाहिये ।

(ii) पूछ-ताछ कार्यालय में रखे हुए शिकायत के रजिस्टर को सेक्शनल आफीसर को प्रतिदिन तथा सहायक इंजीनियर सप्ताह में तीन बार, और कार्यपालक इंजीनियर कम से कम सप्ताह में एक बार, इस दृष्टि से देखना चाहिए कि जिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा सका, उन पर बिना अनुचित देर लगाये ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(iii) अधीक्षक इंजीनियरों द्वारा रेजीडेंट वेलफेयर संस्थाओं से नियमित सम्पर्क रखने का तरीका निकाला जाना चाहिए, वे संस्थाओं के प्रतिनिधियों से तीन महीने में एक बार इसलिए मिले कि शिकायतों पर ध्यान देने के मामले में सुधार लाने के लिये उपाय किये जा सकें ।

(iv) भवनों की छतों की जांच प्रत्येक वर्ष बरसात से पहले करनी चाहिए तथा नालियों को भी बरसात से पहले साफ करना चाहिए ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

8478. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो पर्यवेक्षी वर्ग में काम कर रहे हैं और जिनकी समय समय तबदीली होती रहती है परन्तु जिनको समयोपरि भत्ता लेने के अनुमति नहीं है उनके पदोन्नति के अवसर क्या हैं और उनके वेतनमान क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	वेतन-मान	पदोन्नत के अवसर
1.	सेक्शनल आफीसर्स (सिविल और बिजली)	(i) साधारण ग्रेड 180-10-290-ई० बी० -15-380 रुपये इंजीनियरिंग के स्नातकों का आरम्भ 240 रुपये से होगा ।	उनको विभाग में सहायक इन्जीनियर के रूप में पदोन्नति के अवसर हैं । सहायक इन्जीनियरों के ग्रेड में 50 प्रतिशत अस्थाई रिक्तियां पदोन्नत होने
		(ii) सिलेक्शन ग्रेड, 335-15-485 रुपये ।	वालों के लिए आरक्षित हैं ।
2.	सेक्शनल आफीसर्स (बागवानी)	180-10-290-ई० बी०-15-380 रुपये ।	इनके सहायक निदेशक बागबानी के रूप में पदोन्नत होने के अवसर हैं । सहायक निदेशक बागवानी के ग्रेड की 50 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नत होने वालों के लिए आरक्षित हैं ।
3.	वर्क असिसटेंट	110-4-150-ई० बी०-4-170-5-180-ई० बी०-5-200 रुपये ।	कोई आगे पदोन्नति नहीं ।
4.	केअर टेकर	150-10-250-ई० बी०-10-290-ई० बी०-15-335-ई०बी० -15-380 रुपये ।	कोई आगे पदोन्नति नहीं ।
5.	सुपरिटेंडेंट(ई०एण्ड एम०)	250-10-290-15-380 रुपये	आगे कोई पदोन्नति नहीं ।
6.	रोड इन्सपेक्टर	110-4-150-ई० बी०-4-170-5-180-ई०बी०-5-200 रुपये ।	आगे कोई पदोन्नति नहीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों का स्थानान्तरण

8479. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक हित में तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये

कि किसी व्यक्ति को लम्बी अवधि तक कठिनाई वाले अथवा अच्छे स्थान पर काम न करे सहायक इन्जीनियरों, सहायक कार्यभारी इन्जीनियरों (सिविल तथा इलैक्ट्रिकल) और कार्यकारी इन्जीनियरों (सिविल तथा इलैक्ट्रिकल) और सेक्शनल आफिसरों का अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण किया जाता है जब कि अन्य कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण नहीं किया जाता;

(ख) क्या अच्छे तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों की कोई परिभाषा दी गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक मामलों में कर्मचारियों के विकल्पों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को (इलैक्ट्रिकल विंग) सर्किल वार नेपाल भेजा गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों को औपचारिक रूप से दुर्गम क्षेत्र माना जाता है :–

(1) नेफा

(2) मणिपुर

(3) त्रिपुरा

(4) अण्डमान

(5) एल० एण्ड एम० ए० दीप समूह

(6) हिमाचल प्रदेश

(7) दण्डकारण्य परियोजना

(8) माधोपुर क्षेत्र

(9) जैसलमेर / बाड़मेर क्षेत्र

उपर्युक्त क्षेत्रों से अन्य क्षेत्र अच्छे समझे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं, फिलहाल व्यक्तिगत वैकल्पों पर उचित विचार किया जा रहा है। प्रश्न के दूसरे भाग का अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

आय-कर इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन

8480. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक कमिश्नरी के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड के लिए बड़ी संख्या में आयकर इंसपेक्टरों की भर्ती की जाने वाली है तथा कि आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1970 थी ;

(ख) क्या यह सच है कि आसाम खण्ड में, जिसमें आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा तथा नागालैंड सम्मिलित हैं, किसी समाचार पत्र में यह विज्ञापन नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक खण्ड में एक विस्तृत अधिसूचना द्वारा फिर से विज्ञापन देकर आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि को आगे बढ़ाने का है जिससे कि देश के प्रत्येक भाग में रोजगार ढूंढने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां । आयकर आयुक्तों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भरती किये जाने वाले निरीक्षकों की संख्या, प्रत्येक कार्यक्षेत्र में होने वाले खाली पदों की संख्या के अनुसार अलग-अलग होगी ।

(ख) परीक्षा की सूचना सम्बन्धी आवश्यक विज्ञापन विभिन्न समाचार-पत्रों को विज्ञापन तथा दृष्य प्रचार निदेशालय की मार्फत जारी किये गये थे । इस प्रचार के कारण, असम कार्य-क्षेत्र में सीधी भर्ती के लिए सम्भवत: खाली होने वाले चार पदों के लिए 274 प्रार्थना पत्र मिले हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) विज्ञापन के कारण बहुत-सारे प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के कारण परीक्षा की तिथि-सूची आदि में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Crisis in Bihar Copper Mines and allied Industries

8481. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the news appearing in the Bihar Dailies in the first week of March, 1970 to the effect that the Bihar Copper Mines and allied industries are facing a crisis, is correct ;

(b) whether Government have ascertained the causes thereof, if so, the details thereof ; and if not, the reasons therefor ; and

(c) whether Government have formulated any scheme for the development of work regarding exploitation of copper as well as for the development of the allied industries ; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metal (Shri Jaganath Rao): (a) No, Sir. In so far as the Government are aware, there was no such crisis being faced by Bihar Copper Mines held by M/s. Indian Copper Corporation Ltd., who are the main producers of copper metal in the country at present.

(b) Does not arise.

(c) In Bihar, a scheme for the development of Rakha Copper Project (Phase I) in Distt. Singhbhum, envisaging a production of 1000 tonnes of copper ore per day or 3500 tonnes of copper metal per annum is under implementation by Hindustan Copper Ltd. The Company have at present no scheme for setting up of any allied industries in the area.

Enquiry into Sterilization of those persons who are no longer able to procreate

8482. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Family Planning doctors sterilise those persons also who are no longer able to procreate ;

(b) if so, whether Government have ever conducted any enquiry in this regard ;

(c) if so, the details of the report of that enquiry ;

(d) whether Government propose to frame a rule to link the chances of promotion of these doctors with their efficiency and the number of operations performed by them ;

(e) if so, when ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No upper age limit has been prescribed for the sterilisation of males. In the case of females, the upper age-limit generally recommended for sterilisation is 45.

(b) and (c). Details are being collected.

(d) to (f). The Government advised the States in November 1966 that good work done by the doctors in family planning may be given due recognition including promotion.

Appointment of Qualified Health Visitor at Gram Panchayat for Running of Family Planning Programme effectively

8483. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether in view of the importance of the family planning programmes, it is considered necessary to appoint a qualified Health Visitor in each Gram Panchayat as also to provide contraceptive drugs, I. U. C. D. and surgical arrangements so that this programme could be implemented with speed and effectively ;

(b) if so, the steps taken in this regard ; and

(c) whether the above arrangements have been made at Gram Panchayat levels and if so, the number of Panchayats where such arrangements exist, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c). In the light of limited number of qualified Health Visitors available and the over-all resources position, appointing a qualified Health Visitor for each Gram Panchayat is not feasible. According to the pattern approved at present, Family Planning supplies and services are provided through Primary Health Centres, each of which caters generally to a rural population of 80,000 to 1,00,000. These centres have facilities for sterilisation and IUCD and supply of Conventional Contraceptives. Under the Primary Health Centres, there are sub-centres, each manned by an Auxiliary Nurse Midwife covering a rural population of 10,000 for maternal and child health and family planning programmes; including motivational and follow-up work and supply of conventional contraceptives. Four of such Auxiliary Nurse Midwives are supervised by a Lady Health Visitor. Beside, the static services at the Primary Health Centres, services for

IUCD and sterilisation are also provided to the rural population nearest to their homes, through Mobile Service Units and special camps arranged from time to time. The Primary Health Centres and sub-Centres generally function in close co-operation with Gram Panchayats in their areas.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आरम्भ किये गये बैंकिंग से भिन्न कार्य

8484. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री प० गोपालन :**

श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिग से भिन्न क्या कार्य आरम्भ किये गये थे ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बैंकिंग से भिन्न ऐसे कार्यों के अन्तर्गत कुल कितना व्यापार किया गया ;

(ग) बैंकिंग से भिन्न इन कार्यों से इन बैंकों को कितनी आय हुई ;

(घ) क्या बैंकिंग से भिन्न कार्यों के लिए विदेशी बैंकों को कोई सुविधा दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सुविधाओं का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क). वाणिज्यिक बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) सामान्यत: गैर-बैंककारी कारबार सम्बन्धी निम्नलिखित एक या अधिक कार्य करते हैं :—

(1) कार्यकारी और न्यासी कारबार (ग्राहकों के लिए कर्मनिष्पादक और न्यासी के रूप में कार्य करना) ,

(2) सेफ डिपाजिट वाल्टों के लाकरों को किराए पर देना ,

(3) सुरक्षित रूप से रखने के लिए वस्तुएं और प्रतिभूतियां प्राप्त करना ,

(4) ग्राहकों को कर-परामर्शदात्री सेवा प्रदान करना ,

(5) अग्नि बीमा अभिकरण सम्बन्धी कारबार करना और,

(6) निवेशकों के लिए अभिकरण सेवा प्रदान करना ।

(ख) और (ग) . गैर-बैंककारी कारबार विभिन्न प्रकार का होता है और पैसे के रूप में उसका हिसाब लगाना या किसी सामान्य मद के अन्तर्गत इसकी मात्रा निर्धारित करना सम्भव नहीं है । फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को इस कारबार से प्राप्त

आय के आंकड़े जहां तक वे उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों को गैर-बैंककारी कारबार से प्राप्त आय

(लाख रुपयों में)

		प्राप्त आय		
	बैंक का नाम	**1967**	**1968**	**1969**
1	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया*	9.59	11.16	उपलब्ध नहीं है
2	बैंक आफ इंडिया*	15.16	17.67	19.72
3	पंजाब नेशनल बैंक	13.18	14.49	15.35
4	बैंक आफ बड़ौदा*	6.68	7.59	8.49
5	यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	4.10	4.21	4.41
6	कनारा बैंक	1.27	1.48	1.60
7	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1.95	2.20	2.45
8	देना बैंक*	3.86	4.15	4.44
9	सिण्डीकेट बैंक	0.47	0.52	0.68
10	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	उपलब्ध	नहीं	है
11	इलाहाबाद बैंक	3.36	3.97	4.51
12	इण्डियन बैंक	0.75	0.95	1.10
13	बैंक आफ महाराष्ट्र	1.09	1.36	1.62
14	इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.54	0.65	0.74

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) और (ङ) . अन्य बैंकों की तरह विदेशी बैंकों पर भी, गैर बैंककारी कारबार करने के सम्बन्ध में कोई पाबन्दी नहीं है।

कोचीन के सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

8485. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा विलिंगडन थाइलैंड में अर्जित की गई $4\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि पर प्रत्येक प्रकार के कितने क्वार्टर निर्माण करने का विचार है ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत सीमा शुल्क विभाग के क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के

कर्मचारियों को निवास स्थान प्रदान करने की व्यवस्था है ; और यदि हां, इनके लिए निश्चित किए गए क्वार्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है और अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)

टाइप I	32
टाइप II	40
टाइप III	8
टाइप IV	8
टाइप V	2
जोड़	90

(ख) जी, हां । 88 क्वार्टर ऐसे कर्मचारियों के लिए बनाने का प्रस्ताव है जो 800 रुपए तक की वेतन-श्रेणी में हैं, और ऐसे कर्मचारियों में लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं ।

(ग) इन 90 क्वार्टरों के निर्माण पर लगभग 31,94,289 रु० खर्च होने का अनुमान है । इसके लिए सम्बद्ध वित्त-विभाग की सहमति तथा व्यय वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर आवश्यक बजट व्यवस्था की जायगी ।

सीमा-शुल्क विभाग, कोचीन के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

8486. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग, कोचीन के अनुसचिवीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) उक्त उद्देश्य हेतु किस तारीख को भूमि अर्जित की गई थी और कोचीन पत्तन को भूमि के पट्टे/किराये के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आशा है इस योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

(ख) 20-5-1965 को । 58,513.10 रुपये ।

(ग) आपात कालीन स्थिति की घोषणा के संदर्भ में पूरी तरह से मितव्ययता की परम आवश्यकता उपस्थित हो जाने से नये निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी । इस योजना को 1968 में फिर से चालू किया गया और इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

कर अपवंचन के मामले

8487. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय न्यायालय में कर अपवंचन के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) उनमें से 1 लाख तथा उससे भी अधिक कर अपवंचन के मामले कितने हैं ;

(ग) जिन मामलों में यह राशि 1 करोड़ तथा इससे भी अधिक है इनकी संख्या क्या है तथा इन मामलों से सम्बन्धित लोगों के नाम क्या हैं ; और

(घ) करों की चोरी करने वालों की सूची में पहले दस तथा नीचे के दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और उन्होंने कितने कितने कर की चोरी की ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). कर-अपवंचन के जिन मामलों में 1 मार्च, 1970 को इस्तगासे की कार्यवाही अदालतों में चल रही थी, उनकी संख्या 38 है। इनमें से किसी भी मामले में कर अपवंचन की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) और(घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

आयकर तथा सम्पत्ति कर की वसूली

8488.**श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1968 में आयकर तथा सम्पत्ति कर देने वाले कितने व्यक्तियों का पता नहीं लग सका ;

(ख) इनसे वसूल की जाने वाली करों की कुल धन राशि कितनी है ; और

(ग) इस धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सम्पत्ति कर की वसूली

8489. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च 1967 को सम्पत्ति कर-निर्धारण के 74232 मामले विचाराधीन थे ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने मामलों पर निर्णय लिया गया है ;

(ग) कर की कितनी धनराशि वसूल हो चुकी है और कितनी शेष है ; और

(घ) प्रशासन सुधार आयोग के सुझावों को ध्यानगत रखते हुए कर वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पेट्रोलियम विशेषज्ञों और भू-वैज्ञानिकों का सम्मेलन

8490. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अशोधित तेल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए तरीकों और साधनों पर विचार करने के लिये हाल में आसाम में पेट्रोलियम विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में की गई सिफारिशों/सुझावों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). इंडियन पेट्रोलियम कान्फ्रैन्स का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 15 फरवरी, 1970 को आसाम में दुलियाजन नामक स्थान पर हुआ। देश में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अशोधित तेल के देशीय उत्पादन का बढ़ाने हेतु तरीकों और साधनों पर विशेष रूप से सम्मेलन में विचार नहीं हुआ। ये सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होते हैं और पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन से सम्बन्धित होते हैं तथा ये मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया लि० और आसाम आयल कम्पनी के तकनीकी व्यक्तियों के बीच वैज्ञानिक प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिये होते हैं।

सम्मेलन में रिजरवायर भूविज्ञान भू-रसायन, भूभौतकी, रिजरवायर इन्जीनियरिंग, उत्पादन-इन्जीनियरिंग, आयात-प्रतिस्थापन, व्यधन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर लगभग 58 लेख सम्मेलन में पेश किये गए।

इस सम्मेलन के संगठकों अर्थात् आयल इण्डिया लि० द्वारा तीसरे भारतीय पेट्रोलियम सम्मेलन की अन्तिम सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह आशा है कि वे इस मंत्रालय को इन सिफारिशों को शीघ्र भेजेंगे।

शाहदरा-दिल्ली के रोहताश नगर में बाबरपुर सड़क को चौड़ा करना

8491. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शाहदरा के रोहताश नगर में जाने वाली बाबरपुर सड़क को चौड़ा करने का सरकार का विचार है ;

(ख) उस सड़क को, जो अब 45 फुट चौड़ी है और कितना चौड़ा किया जायेगा ;

(ग) क्या सड़क की चौड़ाई दोनों ओर बढ़ाई जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सड़क को चौड़ा करने के कारण बीच में आने वाले प्लाटों के बदले में भूमि के रूप में कोई मुआवजा दिया जायेगा ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) रोहताश नगर के अनुमोदित ले-आउट प्लान में बाबरपुर रोड को चौड़ा करने की व्यवस्था की गई है । तथापि, सड़क को चौड़ा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) 80 फुट चौड़ाई ।

(ग) जी० टी० शाहदरा रोड पर इस के चौराहे के सिवाय, जिसे पुन: अनुस्थापित कर दिया गया है, सड़क को केवल एक ही ओर से चौड़ा किया जाएगा ।

(घ) सड़क के लिए जिन प्लाटों को अर्जित किया जायगा । उनका मुआवजा नगर निगम द्वारा अदा किया जाएगा ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया द्वारा धारवाड़ तथा रायचूर जिलों के किसानों को ऋण दिया जाना

8492. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की धारवाड़ जिले में गडग स्थित शाखा ने मैसूर राज्य के धारवाड़ तथा रायचूर जिले के तथाकथित किसानों को जुलाई, 1969 से ऋण के रूप में बड़ी राशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई 1969 से लेकर अब तक मास-वार तथा जिलावार विकास तथा फसल ऋणों के शीर्षकों के अन्तर्गत यदि अलग अलग कोई ऋण दिया गया है तो कितना; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त ऋण देते समय कोई ऋण प्रमाण पत्र नहीं लिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मैसूर के धारवाड़ जिले में भारतीय स्टेट बैंक की गडग शाखा ने, जुलाई, 1969 से 20 मार्च, 1970 की अवधि में, कृषि प्रयोजनों के लिए 21. 22 लाख रुपये के अग्रिम मंजूर किये हैं ।

(ख) विभिन्न विकास शीर्षकों तथा फसलों के अनुसार दिये गए ऋणों के अलग-अलग महीनों के आंकड़े और रकमें उपलब्ध नहीं हैं । उपर्युक्त अवधि में दिये गये अग्रिमों का जिला-वार ब्योरा इस प्रकार है :--

जिला	खातों की संख्या	(रकम लाख रुपयों में)
धारवाड़	437	16.54
रायचूर	63	4.68
जोड़	500	21.22

(ग) बैंक, फ़सल-ऋण के लिए प्रतिभूति के तौर पर ऋण कर्ताओं से फसलों को गिरवी रखता है और दो जमानतें लेता है तथा एक हलफनामा लिखवाता है । चूंकि हलफनामे में ऋणकर्ता यह घोषणा करता है कि उसकी भूमि सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त है, इसलिए फसल-ऋणों के बारे में अलग से कोई ऋण-भार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं लिया जाता । विकास प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के मामले में, भूमि को बन्धक रखना मुख्य प्रतिभूति समझा जाता है । ऋण की मंजूरी देने से पहले, सम्पत्ति पर ऋणकर्ता की मिलकियत के सम्बन्ध में जांच की जाती है, अर्थात् यह पता लगाया जाता है कि वह सम्पत्ति भार मुक्त है या नहीं ।

केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित परियोजनाएं

8493. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के पंचायत तथा मत्स्यपालन मंत्री द्वारा 18 फरवरी, 1970 को दिये गए इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार केरल में केन्द्र द्वारा परिचालित योजनाओं, जैसे व्यवहारिक आहार पोषण कार्यक्रम, समाज कल्याण कार्यक्रम तथा ग्रामोद्योग परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता को समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि प्रश्न में जिस प्रकार के वक्तव्य का उल्लेख किया गया है उस प्रकार का वक्तव्य राज्य के स्थानीय प्रशासन मंत्री (जिन्हें गलती से पंचायत और मीनक्षेत्र मन्त्री कहा गया है) ने नहीं दिया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, कोचीन द्वारा अनियमिततायें

8 494. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 16 फरवरी, 1970 के देशाभिमान के कोचीन अंक में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर की अवैध गतिविधियां शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसकी गतिविधियों के कारण सरकार को सीमाशुल्क में पन्द्रह हजार रुपये की हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस हानि को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । सरकार ने उक्त रिपोर्ट देखी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

8495. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश की तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता किस प्रकार दी है तथा उसकी राशि कितनी है ;

(ग) जिन परियोजनाओं के लिये सहायता दी जाने का प्रस्ताव है उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) किस समय तक सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). विश्व बैंक के सिंचाई सर्वेक्षण आयोग ने, जिसने 1969 में भारत का दौरा किया था, विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से संभावित सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश की इन तीन प्रायोजनाओं का पता लगाया था :

(i) पोचमपद सिंचाई प्रायोजना

(ii) कृष्णा-गोदावरी डेल्टा—बाढ़ नियंत्रण और जलनिकासी प्रायोजना, और

(iii) गोदावरी बराज प्रायोजना ।

इन प्रायोजनाओं के प्रस्तावों पर अब विभिन्न दौरों में, विचार किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण

8496. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के कितने प्रभागों में कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण हो चुका है ;

(ख) क्या त्रिवेंद्रम में कुछ कर्मचारी क्वार्टर निर्मित किये गये हैं ; यदि हां तो किन स्थानों पर तथा कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) यदि त्रिवेन्द्रम प्रभाग में कर्मचारी क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम ने अब तक छः प्रभागों में अर्थात् बम्बई, पूना, कलकत्ता, जमशेदपुर (राउरकेला), जबलपुर (भिलाई) और चंडीगढ़ में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) त्रिवेन्द्रम प्रभाग में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिये जीवन बीमा निगम को अभी तक उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया है । निगम ने कर्मचारियों के लिए अपना निर्माण

कार्यक्रम भी धीमा कर दिया है क्योंकि कर्मचारी, साढ़े तीन प्रतिशत शुद्ध लाभ के आधार पर लाइसेंस शुल्क पर क्वार्टर लेने के लिये अनिच्छुक पाये गये हैं ।

Cancer Patient in Willingdon Hospital

8497. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of cancer patients admitted in the Willingdon Hospital, New Delhi since the Ist January, 1970 to the 5th March, 1970 ;

(b) whether it is a fact that some cancer patients were not transferred to cancer hospital, and if so, the reasons therefor ;

(c) whether there is any Cancer hospital in the Capital, if so, the reasons for which the cancer patients were not transferred to the Cancer Hospitals in Delhi and Bombay ; and

(d) the nature of action proposed to be taken by Government against the Doctors of Willingdon Hospital in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 13.

(b) and (c). There is no separate Cancer Hospital in Delhi. The Surgeons and Physicians of Willingdon Hospital can deal with cancer cases. Cases requiring deep X-Ray Therapy are referred to the Safdarjang Hospital where this facility is available.

(d) Does not arise.

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम समवाय का अधिग्रहण

8498. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन जो एक सरकारी उपक्रम है, ने हाल में इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के अधिकांश शेयर अर्जित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अधिग्रहण सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है ;

(ग) इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के कितने-कितने शेयर किस-किस के पास हैं तथा पूंजी ढांचे के बारे में तथ्य क्या है ; और

(घ) हाल ही में अर्जित की गई कम्पनी को किस प्रकार चलाया जायेगा और निदेशक बोर्ड का गठन कौन करेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की ईक्विटी शेयर पूंजी में प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के 10 लाख सामान्य शेयर हैं । इन में से, 579,400 शेयर, जो कुल ईक्विटी

का 57.94 प्रतिशत है, ब्रिटेन के मैसर्स स्टील ब्रादर्स एण्ड कम्पनी के पास थे। ये शेयर अब भारतीय तेल निगम ने खरीद लिये हैं। इस खरीद से भारतीय तेल निगम ने, 12 जनवरी, 1970 से इंडो-बर्मा पेट्रोलियम के नियंत्रण हितों को संभाल लिया है। इन शेयरों की खरीद 13 रुपये प्रत्येक के हिसाब से तय हुई थी बशर्ते कि भारतीय तेल निगम द्वारा उक्त शेयरों की खरीद से पहले वर्ष 1969 के लिए घोषित किया गया अन्तरिम लाभांश मैसर्स स्टील ब्रादर्स भारतीय तेल निगम को दे दें। इसके अतिरिक्त, स्टील ब्रादर्स प्रबन्धक एजेन्सी तथा 1. 1. 1969 से शुरू होने वाले वर्ष से अन्य खर्च के अपने अधिकार त्यागने के लिये भी सहमत हो गये हैं।

निदेशकों का नया बोर्ड, जिसमें निम्न अधिकारी शामिल हैं, कम्पनी का अब संचालन कर रहा है :--

1. भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग के प्रबन्धक निदेशक, श्री कमलजीत सिंह चेयरमैन।

2. श्री एस० बुधीराज, जो पहले भारतीय तेल निगम के दक्षता तथा गवेषणा अधिकारी थे, पूर्णकालीन प्रबन्धक निदेशक।

3. भारतीय तेल निगम के उप-वित्तीय नियंत्रक, श्री वी० बालकृष्णन—निदेशक/कम्पनी ने अपने कार्यकलापों को सज्जित तथा उनका विस्तार करने का आयोजन किया है ; विशेष रूप से उन मदों का जो पेट्रोलियम उत्पादकों के विक्रय से सम्बन्धित हैं।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निम्न श्रेणी के लिपिकों की भर्ती

8499. **श्री सूरज भान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग द्वारा गत छः महीनों में रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए गए निम्न श्रेणी के लिपिकों की संख्या कितनी है और उनकी भर्ती की तारीखें क्या हैं ;

(ख) क्या रोजगार कार्यालय को भेजी जाने वाली सभी अधियाचनाओं में रिक्त स्थानों की संख्या साक्षात्कार/परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थियों की संख्या का विशिष्ट विवरण दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक बार रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कितने अभ्यर्थी भेजे गये ;

(घ) क्या रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम बिल्कुल न भेजने या कम भेजने के कारण पूछे गये ; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पदों की तथा सीधी भर्ती से किए गए अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी और उक्त वर्गों के कितने अभ्यर्थियों को वास्तव में भर्ती किया गया, और इन वर्गों की आरक्षित संख्याए में कमी को कब और कैसे पूरा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से 28 जनवरी 1970 और 18 फरवरी 1970 के बीच की थोड़ी सी अवधि के लिए 14 टाइपिस्ट दिहाड़ी पर रखे गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) दो अनुसूचित जातियों के और एक अनुसूचित आदिम जातियों का।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) दो अनुसूचित जातियों के तथा एक अनुसूचित आदिम जातियों का। इन उम्मीदवारों ने टाइप की परीक्षा पास नहीं की थी और इसलिए उन्हें भर्ती नहीं किया गया।

चूंकि सभी 14 टाइपिस्टों की छंटनी की जा चुकी है, इसलिए कमी पूरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

जयपुर के आय-कर विभाग के लिए मकान का निर्माण

8500. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में आय-कर विभाग का कार्यालय एक किराये के मकान में स्थित है, जहां पर्याप्त स्थान नहीं है क्योंकि वहां जनता, वकीलों और कर्मचारी वर्ग के लिये खान पान के लिये व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार जयपुर में मकान बनाने तथा उसके लिये अनुमति प्रदान करने के विषय में विचार करेगी जिसकी योजना पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और दीर्घकाल से विचाराधीन है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस समय तक निर्माण आरम्भ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जयपुर में आयकर कार्यालय किराये के पांच भवनों में स्थित हैं, जिनमे स्थान पर्याप्त है। जलपान की सुविधाएं उनमें से दो में उपलब्ध हैं।

(ख) जयपुर में आयकर तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयों के लिए संयुक्त कार्यालय-भवन बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये भूमि खरीदी जा चुकी है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) निर्माण का काम अनुमान बन जाने पर तथा कोड एवं कार्य-विधि संबंधी अन्य औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद चालू होगा।

नई दिल्ली स्थित हौज खास एवसटेन्शन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय

8501. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हौज खास एक्सटेन्शन औषधालय में उपचार के लिये अधिकृत रोगियों की संख्या

क्या है और उक्त औषधालय में कितने डाक्टर हैं ;

(ख) क्या उस औषधालय में काम करने वाले डाक्टरों की संख्या जितनी होनी चाहिये उससे कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस औषधालय में डाक्टरों की नियुक्ति कम संख्या में होने के कारण रोगियों को दीर्घ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर पर्याप्त संख्या में डाक्टरों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं और औषधालय में कितने समय से कम डाक्टरों से कार्य चल रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हौज खास स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय में 11915 लाभानुभोगियों के 2,874 परिवार पंजीकृत हैं और वहां पर तीन चिकित्सा अधिकारी हैं।

(ख) जी नहीं, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत समूचे रूप से प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी को औसतन जितना कार्य करना पड़ता है उसकी तुलना में इस औषधालय के प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी को औसतन कम काम करना पड़ता है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस औषधालय में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है। अल्बत्ता एक चिकित्सा अधिकारी दिसम्बर 1969—जनवरी, 1970 में अवकाश पर था।

हिन्द गैल्वेनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा अन्य तेल कम्पनियों तथा ग्राहकों को बैरलों की सप्लाई

8502. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा बैरलों की सप्लाई के बारे में 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अपेक्षित जानकारी सभापटल पर कब रखी जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मामला अभी तक विचाराधीन है और इस समय यह बताना संभव नहीं है कि अपेक्षित सूचना कब तक उपलब्ध हो सकती है।

भारत ओवरसीज प्राइवेट लि० नई दिल्ली की ओर करों की बकाया धन-राशि

8503. **श्री अदिचन** :

श्री निहाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहू जैन ग्रुप से सम्बन्धित भारत ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड,

नई दिल्ली पर आय-कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा अन्य करों की एक बड़ी धनराशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) करों की बकाया राशि के इस प्रकार जमा होने के क्या कारण हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि भविष्य में बकाया राशि में वृद्धि न हो ; और

(घ) साधारणतया पिछली बार समवाय अधिनियम तथा अन्य अधिकारियों द्वारा उनके खातों की जांच कब की गई थी और इस सम्बन्ध में क्या कोई अन्य जांच कराई जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). मेसर्स भारत ओवरसीज (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर 7-1-1970 से पूर्व आयकर की कोई मांग बकाया नहीं थी । बाद में, कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 के सम्बन्ध में जारी की गई 1,49,827 रुपये की जो मांग 7-3-1970 को वसूली योग्य हुई थी उसमें से 83,024 रुपये अदा कर दिये गये हैं और शेष रकम की वसूली पहली अपील का निपटान होने तक स्थगित रखी गई है । दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस कम्पनी की ओर केन्द्रीय बिक्री-कर की कोई रकम बकाया नहीं है । यह कम्पनी उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल का निर्माण नहीं करती और यह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की लाइसेन्सी भी नहीं है । इसलिये इसकी ओर कोई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क बकाया होने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक सीमा-शुल्क का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) इस कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया गया अन्तिम तल-पट 30-9-1968 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये था और उक्त विभाग उसकी छान-बीन कर रहा है । कम्पनी के कार्यों की, कम्पनी अधिनियम की धारा 235 अथवा 237 के अधीन जांच-पड़ताल अथवा उस अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण नहीं किया गया है । परन्तु कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 212 के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है, इसलिये कम्पनी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है ।

ग्रामों की पीने के पानी की सप्लाई के बारे में सर्वेक्षण

8504. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मार्च, 1970 के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित एक समाचार में बताया गया है कि एक स्वयंसेवी संगठन ने ग्रामों में पेय जल की सप्लाई के बारे में सर्वेक्षण कराया था और उसके अनुसार 48 हजार गांवों में पेय जल की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और एक लाख गांवों में पेय जल की सप्लाई अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रभावित गांवों में पानी सप्लाई करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे अपनी वार्षिक परियोजनाओं के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करें तथा जल संभरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये प्राथमिकता निर्धारित करें और उन्हें क्रियान्वित करें। किसी योजना अथवा विकास कार्य विशेष का उल्लेख किये बिना सभी योजनाओं के लिये, जिनमें जल सम्भरण कार्यक्रम भी शामिल है, इकट्ठे ऋणों और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये 131 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिये धनराशि विशिष्ट रूप से नियत की जा रही है। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे स्थायी रूप से प्रतिकूल परिस्थिति वाले पहाड़ी खारे पानी वाले और रेतीले इलाकों तथा हैजा और जिनि कृमि वाले क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देकर कार्यान्वित करें।

भारत सरकार के विभिन्न विभागों में हिन्दी अधिकारियों के वेतनमानों में विभिन्नता

8505. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के विशेषाधिकारी (हिन्दी) (900-1250 रुपये), डाक व तार विभाग के सहायक निदेशक जनरल (हिन्दी) (700-1250 रुपये+विशेष वेतन 100 रुपये) इकनामिक कार्य विभाग के अवर सचिव (हिन्दी) (900-1250 रुपये), शिक्षा मंत्रालय के विशेषाधिकारी (900-1250 रुपये) राजस्व विभाग के हिन्दी आफिसर (700-1250 रुपये) और वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग के प्रिंसिपल अनुसंधान अधिकारी (1000-100-1500 रुपये) के वेतनमानों में विभिन्नता के क्या विशिष्ट कारण हैं ;

(ख) इन पदों की वार्षिक वेतन वृद्धियों में 40 रुपये से 100 रुपये तक की विभिन्नता होने का क्या आधार है ;

(ग) डाक व तार विभाग में सहायक निदेशक जनरल (हिन्दी) को विशेष वेतन दिये जाने तथा अन्य अधिकारियों को यह वेतन देने से इंकार करने के क्या कारण हैं ;

(घ) एक ही श्रेणी तथा वर्ग के पदों में इस भेद-भाव को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) इनमें से किस-किस अधिकारी को विज्ञापन देकर खुले बाजार से तथा संघ लोक-सेवा आयोग के माध्यम से उनके पदों पर नियुक्त किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विभिन्न पदों के वेतन-मान, उन पदों के कार्य के स्वरूप और उनसे संबद्ध जिम्मेदारियों को तथा उन पदों पर भरती के लिये निर्धारित अर्हताओं तथा अनुभव को उचित रूप से ध्यान में रखते हुये निर्धारित किये जाते हैं। इन पदों के लिये निर्धारित कार्य तथा अर्हताओं का एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिससे पता चलेगा कि ये इन पदों के लिये एक समान नहीं हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3405/70**]

(ख) वार्षिक वृद्धियों की दरें, आवश्यक रूप से, वेतन-मानों के विभिन्न ढांचों के अनुरूप ही होनी होती हैं।

(ग) डाक तथा तार विभाग में सहायक महानिदेशक (हिन्दी) के पद के लिये 100 रुपये का विशेष वेतन, डाक तथा तार विभाग में सामान्य सिविल सेवा श्रेणी I में सहायक महानिदेशक के अन्य पदों को मिलने वाले विशेष वेतन के सिद्धान्त पर तथा इन पदों से सम्बद्ध कार्य तथा जिम्मेदारियों के स्वरूप को देखते हुये दिया जाता है।

राजस्व विभाग में हिन्दी अधिकारी के पद को छोड़ कर अन्य पदों के लिये विशेष वेतन मंजूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। राजस्व विभाग में इस पद से संबद्ध कार्यभार के कुछ समय पहले किये गये अध्ययन के परिणामतः इस पद के लिये 700-1250 रुपये का वर्तमान वेतन-मान निर्धारित किया गया था, इसलिये इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अलग-अलग पदों के लिये सरकार द्वारा निर्धारित वेतन-मान/विशेष वेतन प्रत्येक मामले की स्थिति की जांच पर आधारित होते हैं और इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। तथापि, वेतनमानों के वर्तमान ढांचों पर तीसरे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।

(ङ) आर्थिक कार्य विभाग में अवर सचिव (हिन्दी) और राजस्व तथा बीमा विभाग में हिन्दी अधिकारी के मामले में भरती संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत विज्ञापन के द्वारा की जाती है।

अन्य मामलों में नियुक्तियां या तो संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके सरकारी नौकरी में लगे हुये अधिकारियों में से चुनाव करके की जाती हैं अथवा उपयुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करके की जाती हैं और ऐसा नहीं हो सकने की हालत में, सामान्य नियमों के अधीन सीधी भरती द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं।

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी मकानों का खाली न किया जाना

8506. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनको सरकारी मकान अलाट किये गये थे परन्तु जिन्होंने 1 अप्रैल, 1967 को सदस्यता के समाप्त होने के तीन महीने बाद तक भी मकानों को खाली नहीं किया था और उनके मकानों के नम्बर क्या हैं ;

(ख) उनसे जब वे सदस्य थे तो कितना किराया लिया जा रहा था, सदस्यता समाप्त होने के पश्चात उनसे कितना किराया लिया जाता है ;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के पास जो मकान है उसका बाजार के हिसाब से कितना किराया है ; और

(घ) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनसे किराया की बकाया राशि अभी वसूल की जानी है और उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना अनुलग्नक में दे दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3406/70]**

6 अप्रैल, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 3106 के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : दिनांक 6 अप्रैल, 1970 (16 चैत्र 1892 शक) को अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के उत्तर में, मैंने एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा था, जिसमें ये बातें बताई गई थीं:—

(क) केन्द्रीय सरकार के जो मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री 1 अगस्त, 1969 से 20 फरवरी, 1970 के बीच विदेश यात्रा पर गये थे, उनके नाम,

(ख) उन्होंने जिन देशों की यात्रा की थी, उन देशों के नाम और,

(ग) उनके निजी खर्चे के लिये निर्धारित की गई/दी गई विदेशी मुद्रा और राजकोष से व्यय की गई रकम। उस विवरण-पत्र के कालम 6 में विदेशी मुद्रा के जो आंकड़े दिखाये गये थे, वे मंत्रियों की यात्रा के अनुमानित व्यय के आधार पर निर्धारित किये गये आंकड़े थे।

विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा बाद में इस तथ्य की जानकारी मिली कि श्री दिनेश सिंह की अमेरिका यात्रा के सम्बन्ध में उस विवरण-पत्र के कालम 6 में दिखाई गई 1,34,087 रुपये की रकम में से वास्तव में 39,302.18 रुपये की ही रकम खर्च हुई है। उस विवरण-पत्र में उल्लिखित अन्य मंत्रियों के सम्बन्ध में भी वास्तविक खर्च की रकमों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह, प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीकी लड़ाकू एककों की सहायता से दक्षिण वियतनाम की सैनिक टुकड़ियों के कम्बोडिया में प्रवेश का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"अमरीकी लड़ाकू एककों की सहायता से दक्षिण वियतनाम की सैनिक टुकड़ियों के कम्बोडिया में प्रवेश का समाचार और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हमें यह देखकर बहुत खेद और चिन्ता होती है कि कम्बोडिया की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। यह साफ है कि कम्बोडिया जो 1954 में जेनेवा करार होने के समय से सशस्त्र संघर्ष से बचा रहा था उसे भी अब, हिन्द चीन की आम लड़ाई में घसीट लिया गया है।

2. पिछले हफ्ते में स्थिति विशेष रूप से और ज्यादा बिगड़ी है। 29 अप्रैल को दक्षिण वियतनाम के प्राधिकारियों ने यह घोषणा की थी कि कम्बोडिया प्रदेश का इस्तेमाल दक्षिण वियतनाम के विरुद्ध कार्रवाइयों के लिए किए जाने की उत्तर वियतनामी साम्यवादियों की योजना को असर करने के लिए वे कम्बोडिया में अपनी फौजें उतार रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त राज्य प्राधिकारियों ने घोषणा की कि वे कम्बोडिया में कार्रवाई करने में दक्षिण वियतनाम की सेना का समर्थन करेंगे। अमरीकी रक्षा विभाग के अनुसार यह समर्थन "सलाहकारों, वैज्ञानिक कौशल, वैज्ञानिक संयोजक, चिकित्सा निष्क्रमण तथा कुछ सामरिक सहायता" के रूप में होगा। यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि यह कार्रवाई कम्बोडिया अधिकारियों की सैनिक सहायता की प्रार्थना पर नहीं की जा रही है। दूसरे दिन यानी 30 अप्रैल को अमरीकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि "कम्बोडिया-वियतनाम सीमा पर दुश्मनों के प्रमुख अड्डों को साफ करने के लिये दक्षिण वियतनाम की सशस्त्र सेनाओं के सहयोग से इस हफ्ते हमले किये जा रहे हैं"। उसी समय संयुक्त राज्य की सशस्त्र बड़े पैमाने पर कम्बोडिया में उतरे। बताया जाता है कि बहुत भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि कम्बोडिया अब पूरे पैमाने पर युद्ध स्थल बन गया है।

3. मनुष्य जीवन की जो हानि हुई है, खासतौर से निर्दोष लोगों की, उस पर हमें बहुत अफसोस है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि विदेशी हस्तक्षेप से स्थिति और जटिल हो जाएगी तथा शांतिपूर्ण समाधान मुश्किल हो जाएगा।

4. इस संघर्ष का क्षेत्र और विस्तीर्ण होने से तथा कम्बोडियाई प्रदेश में और विदेशी सैनिकों के लाये जाने से हमें बहुत चिन्ता हो गई है। इससे तनाव कम नहीं हो सकता। इसके बिपरीत इससे तो पहले ही से मुश्किल स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो जायेगी। कम्बोडिया में जरूरत इस बात की नहीं कि बाहरी हस्तक्षेप और बढ़े, बल्कि इस बात की है कि हर तरह का बाहरी हस्तक्षेप बन्द हो जाये। हमें प्रयत्न इस बात का करना चाहिए कि किसी भी तरह कम्बोडिया विदेशी हितों का युद्ध क्षेत्र न बनने जाय। कम्बोडिया के लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने सभी अन्दरूनी मामलों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से खुद निपटा सके।

5. हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लड़ाइयां तुरंत बंद कर दें। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि अगर 1962 के जेनेवा प्रकार के सम्मेलन में सभी संबद्ध पक्ष मिले तो शांतिपूर्ण हल निकाला जा सकता है और यह सम्मेलन जल्द हो सके, बुलाना चाहिए, जो युद्ध विराम कराये और उसके बाद कम्बोडिया, लाओस, उत्तर और दक्षिण वियतनाम से विदेशी सैनिकों को हटने के लिये कहे, जिससे एक ऐसा राजनीति समझौता हो जो हिन्द चीन के पूर्व राज्यों की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता और तटस्थता का सुनिश्चय करे।

6. भारत और कम्बोडिया के बीच प्राचीन काल से ही निकट और मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं और हमारी यह इच्छा है कि कम्बोडिया स्वतंत्र होकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो यह भी हमारी पूर्ण आशा है कि सभी सम्बद्ध पक्ष हालत को और बिगड़ने और संघर्ष को बढ़ने देने से रोकेंगे और कोई शांतिपूर्ण हल निकालने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

7. माननीय सदस्यों ने ये खबरें देखी होंगी कि अमरीका ने वियतनाम लोकगणराज्य प्रदेश

पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है जबकि अक्तूबर, 1968 में विश्व जनमत को देखते हुए बमबारी बंद हो गई थी, उसका फिर से आश्रय लेना, एक उल्टा कदम है। सदन को इस बात का स्मरण होगा कि हमने उसी समय से अर्थात 1965 से ही उत्तर वियतनाम पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा बमबारी करने के विरुद्ध हमेशा अपना दृढ़ विचार व्यक्त किया है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि इस कार्रवाई से शीघ्र शांतिपूर्ण हल नहीं निकल सकता, जिसे हम सब चाहते हैं। जैसा कि हमने बार-बार कहा है कि हिन्द चीन की समस्या का कोई सैनिक हल नहीं निकल सकता। केवल बातचीत से कोई शांतिपूर्ण राजनैतिक हल सम्भव है।

अभी भी और बढ़ते हुए संघर्ष के बीच, हम सभी पक्षों से पूरी शक्ति से इस बात का आग्रह करते हैं कि वे निरर्थक हत्याओं और लड़ाई को रोकें और मिलकर बातचीत करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न पूछने से पहले मैं उन अमरीकी विद्यार्थियों तथा कुछ अमरीकी संसद सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अमरीका के इस आक्रमण पर राष्ट्रपति निक्सन की निन्दा की है। विद्यार्थियों ने श्री निक्सन को एक हत्यारा कहा है और उनका पुतला जलाया है। इससे पता चलता है कि अमरीका के लोग इस आक्रमण के विरुद्ध हैं।

मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य पर मुझे खेद है। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने दक्षिण वियतनामियों के साथ मिलकर आक्रमण किया है और वहां एक हजार से अधिक व्यक्तियों को मार दिया है। हम जानते हैं कि अमरीका की वही हालत होगी जैसी उसकी वियतनाम में हुई है। हम चाहते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाये और शांति तथा न्याय का समर्थन किया जाये और अमरीकी आक्रमण की निन्दा की जाये। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि सम्मेलन के बुलाने से पूर्व क्या वह इस देश के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अमरीका सरकार को यह बता दिया जायेगा कि वह अपनी सेनाएं हटाये और बमबारी बन्द करे। हमारी सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये। सरकार को अमरीका सरकार को यह बता देना चाहिये कि हिन्द-चीन की समस्या का समाधान वहां के लोग ही कर सकते हैं और अमरीकी साम्राज्यवादी नहीं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय वहां एक स्पष्ट घोषणा करें।

श्री दिनेश सिंह : मैंने पहले ही स्पष्ट वक्तव्य दिया है हम शान्तिमय समाधान चाहते हैं.....(**व्यवधान**)

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया प्रतिक्रियावादी लोगों के कहे पर मत चलो। आप सम्मेलन को बुलाने से पहले अमरीकी सेनाओं के हटाने की मांग करें।

श्री दिनेश सिंह : हमने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि भूतपूर्व हिन्द-चीन के सभी देशों से सभी विदेशी सेनाएं हटा ली जायें।

श्री प० गोपालन (तेल्लिचेरी) : यह वक्तव्य उस समय दिया गया जब अमरीका के लोग अपने राष्ट्रपति के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

परन्तु इस वक्तव्य में अमरीका के कम्बोडिया में हस्तक्षेप की निन्दा नहीं की गई है। इन्होंने क्या समाधान सुझाया है ? मैं समझता हूं कि यह आक्रमणकारी अमरीका को अन्य देशों के समान रख रहे हैं। इस प्रकार यह एशिया में अमरीकी सेना के होने को उचित बता रहे हैं।

मैं चाहता हूं सरकार अमरीका के आक्रमण की कड़े शब्दों में भर्त्सना करें। हमें देखना है कि क्या कम्बोडिया में सत्ता हथियाने वाली मंडली वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करती है ? क्या राजकुमार सिंहानूक वहां के लोगों की इच्छाओं के प्रतीक नहीं हैं ? इससे हमारी विदेश नीति का पता चल सकता है। यदि हां, तो क्या सरकार वहां के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को सहायता देगी ? भारत अब भी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष है। कम्बोडिया में वियतनाम मूलक हजारों व्यक्तियों को मार दिया गया है। क्या अध्यक्ष होने के नाते भारत का ऐसे मामलों में कोई दायित्व नहीं है ? ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

एक अमरीकी संसद सदस्य ने कहा है कि कम्बोडिया में अमरीकी सैनिकों को भेजना इस लिए आवश्यक हो गया था कि वियतनाम में अमरीका की सेनाओं की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक था। हमें भारत में भी ऐसे ही सोचना है। भारत से कम्बोडिया बहुत दूर नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार अमरीका से कहेगी कि वह अपनी सेनाएं वापिस ले जाये ?

मेरे विचार में सरकार के एशियाई गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव को कार्य-रूप देने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को उन सभी एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाना चाहिए जो इस क्षेत्र में शान्ति स्थापना के लिये सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं जोरदार शब्दों में कम्बोडिया की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करूं। मैं बताना चाहता हूं कि जहां भी शांति भंग होती है हम उसकी निन्दा करते हैं। परन्तु यह हमारी परम्परा है कि हम बहुत जोरदार शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे हम समस्या के समाधान के लिये प्रयत्नशील हैं। हमारी वहां पर विशेष जिम्मेदारी है।

हम सभी सम्बन्धित पक्षों की एक बैठक बुलाना चाहते हैं ताकि शान्तिमय हल ढूंढा जा सके। इस बारे में हमने इंडोनेशिया सरकार को भी सूचित कर दिया है।

श्री प० गोपालन : मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था कि क्या आप मुक्ति सेनाओं की सहायता करेंगे ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमारे इस संघर्ष में शामिल होने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी नीति स्पष्ट है कि हम बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं। कम्बोडिया में वर्तमान स्थिति बहुत गम्भीर है। यदि हम जोरदार शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम इसकी गम्भीरता को नहीं समझते। हम युद्ध के विरुद्ध हैं। इससे एशिया तथा विश्व के लिये बहुत खराब परिणाम हो सकते हैं। हम बातचीत के मार्ग को ठीक समझते हैं। लड़ाई से स्थिति और अधिक गम्भीर हो जायेगी।

Shri Jagannath Rao Joshi: Sir, the Foreign Minister's statement is just like the announcement of late Shri Nehru's speech on Panch Sheel. In the wake of recent developments in Cambodia, one question has come to the fore front.

It is that how the independence of small nations can be maintained? The big powers are increasing their area of influence. The American troops are entering Cambodia and Russian pilots are bombarding Israel alongwith Egyptians. It is also escalation of war. These big powers are responsible for alarming situation in the Far-East and Middle East.

It was amusing to hear that all foreign forces should be withdrawn. I want to know what we have done to remove Chinese forces from our territory which they are occupying since 1962. Mere talking will not do. We should increase our strength.

The hon. Minister has not indicated the reason for our not attending the conference proposed by Indonesia. We attended the Rabat conference, where we were not concerned. Here we are very much concerned. Cambodia is quite near to our country. India being the Chairman of Control Commission has great responsibility. Our former President Dr. Radhakrishnan has described it as a neutral international police force for Vietnam. Have we taken up that proposal? We have not done that.

India should take the initiative and convene a conference of concerned nations. We should see that all foreign forces are withdrawn from there.

Prince Sihanouk has said that Vietnamese Communist forces have infiltrated into Cambodia. They should be dislodged. I want to know from the hon. Minister as to why our Government has not reacted immediately against this infiltration.

There is a power vacuum in South-east Asia at present. The smaller nations' freedom is being threatened. India should take the intiative and arrange a conference of the countries of this region. Therefore, I want to know as to why India did not participate in the conference convened by Indonesia. Initiatives should be taken by India to convene the conference of the concered countries so that the troops are withdrawn from that area and the peaceful atmosphere is created there.

Shri Dinesh Singh: The hon. Member has pointed out that no country, whether small or big, should be allowed to intervene in the internal matters of any other country. I also submitted in the same way but the hon. Member did not like that (**Interruptions**).

Shri Jagannath Rao Joshi: At the time of China's attack on the Tibetan territories India should have helped the Tibetans but I am sorry to say that it was not done. India must have shown her strength at that time (**Interruptions**).

Shri Dinesh Singh: My submission is that these disputes cannot be solved with the help of force. We are interested in solving all the disputes in peaceful manner. I feel that all type of foreign interventions should be stopped and the people of a particular country should be allowed to decide their own future by themselves.

So far as the question of our participation in the Indonesian conference is concerned I want to submit that Indonesia did seek our consultation in the matter. It was suggested by us that all the concerned parties should sit together and try to find out a solution peacefully. We also suggested that it was not possible at that stage the matter should be discussed by the non-aligned countries of South-East Asian countries (**Interruptions**).

Indonesia was also informed by us that since the majority of participants in the conference belonged to one group of the countries it was apprehended that no decision was likely to be arrived at. Thus, there would be no use of our participating in the conference.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): सरकार ने स्वीकार किया है कि विवादों और शत्रुतापूर्ण रवैयों का अन्त होना चाहिये। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमें विवादों के बढ़ने तथा कम्बोडियन भूभाग में अतिरिक्त विदेशी सेना के प्रवेश पर भारी चिंता है। हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने भी अमरीका सेना द्वारा किये गये आक्रमण की आलोचना की है। वहां की जनता के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है कि कम्बोडिया में पहले और किस किस देश की सेनाएं थीं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा किन किन देशों को कोई विरोध पत्र भेजे हैं।

दूसरे, राजकुमार सिंहानुक ने चीन में जाकर उनसे सांठ गांठ की है तथा वह उत्तर वियतनाम की सहायता से कम्बोडिया पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां दो परस्पर विरोधी दल हो गये हैं तथा श्री सिंहानुक दूसरे दल में सम्मिलित हो गये हैं।

हमें कम्बोडिया के लोगों का अवश्य ही साथ देना चाहिए तथा उन्हें अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने देना चाहिये। सरकार इस भावना को कैसे व्यक्त करेगी तथा इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही करेगी।

हमने अभी तक कम्बोडिया की वर्तमान सरकार को मान्यता नहीं दी, किन्तु हमने घाना की नई सरकार को मान्यता दी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति बदल गई है। साथ ही यदि हमें उस देश के साथ अपने सम्बन्ध बनाये रखने हैं तो उसके लिये किसी माध्यम, किसी एजेंसी की आवश्यकता अवश्य होगी। क्या सरकार रूस या चीन आदि के माध्यम से उस देश के साथ सम्बन्ध बनायेगी या कोई अपनी एजेंसी स्थापित करेगी ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने से पहले साम्यवादियों की स्वीकृति लेना चाहती है अथवा क्या सरकार को इसलिये जनमत संग्रह करना पड़ेगा।

भारत सरकार किन्ही कारणोवश इस सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहती। मेरे विचार से जनेवा में हुए सम्मेलन की भांति भारत सरकार को एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। यदि चेयरमैन इस बात के लिये सहमत नहीं हैं तो सरकार क्या कदम उठाना चाहती है जिससे एक सम्मेलन बुलाया जा सके ? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जनेवा सम्मेलन के अध्यक्ष ऐसा सम्मेलन बुलाने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान 14 संसद-सदस्यों द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या इन माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि गुट-निर्पेक्ष देशों की तथा उन देशों का जो स्वंतत्रता, शान्ति और न्याय में विश्वास रखते हैं शीघ्र सम्मेलन बुलाया जाये ? क्योंकि इस वक्तव्य पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के 10 माननीय सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किये हैं अतः क्या सरकार वक तव्य में व्यक्त किये गये विचारों से अंशतः या पूर्णतः सहमत है ?

श्री दिनेश सिंह : कम्बोडिया में विद्यमान विदेशी सैनिकों के सम्बन्ध में लगभग तीन वर्षों से प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। इस मामले को नियंत्रण आयोग को सौंप दिया गया था तथा

आयोग ने समय समय पर अपना प्रतिवेदन दिया है। आयोग को अमरीका और दक्षिण वियतनाम आदि देशों द्वारा किये गये अतिक्रमण की सूचना दी गई थी तथा आयोग ने इन घटनाओं पर अपनी टिप्पणी की थी। कम्बोडिया सरकार ने एन० एल० एफ० सेना और वियतकांग की सेना की मौजूदगी के बारे में भी उल्लेख किया था और कहा था कि आयोग इसकी जांच करें। इसके पश्चात् आयोग द्वारा जांच कार्य आरम्भ करने से पहले ही कम्बोडिया सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि दोनों देश ही इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अतः यह मामला आयोग से वापस ले लिया गया। अब जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है वहां विभिन्न देशों की सेना विद्यमान हैं जिसे वहां से हटा लेना चाहिये।

जहां तक कम्बोडिया की सरकार को मान्यता देने का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि हम कम्बोडिया में विद्यमान सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

अमरीका के अतिरिक्त अन्य किसी देश ने कम्बोडिया सरकार को मान्यता देने या न देने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य ने जनेवा में हुये सम्मेलन बुलाने का भी उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि सभी सम्बद्ध देश सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमारी ओर से सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु हम उनका प्रचार नहीं करना चाहते क्योंकि प्रचार से कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी।

उनके अन्तिम प्रश्न के सम्बन्ध में कि संसद्-सदस्यों द्वारा दिये गये वक्तव्य के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है मेरा निवेदन है कि सरकार की अपनी नीति है। यदि इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य मेरे दल से सम्बन्ध रखते हैं तो इससे क्या अन्तर पड़ता है। मेरे दल के सदस्य भी स्वतंत्रतापूर्वक सोचने का अधिकार रखते हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : इस मामले में सरकार ने जो सुस्ती दिखाई है उस पर सारे देश को निराशा हुई हैं। यद्यपि शक्ति तथा अन्य बातों को देखते हुये हमारे देश की कुछ सीमाएं अवश्य हैं तथापि विश्व में तथा विशेषकर एशिया में हमारे देश का विशिष्ट महत्व अवश्य है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने में क्या बाधा है जैसे कोरियाई युद्ध के समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उठाये थे। केवल बात बनाने से अथवा कौन देश गुट निरपेक्षता में विश्वास रखता है और कौन देश गुट सापेक्ष हैं आदि की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता। आज की स्थिति के अनुसार हमारा देश विश्व शान्ति में भारी योगदान दे सकता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कोई ठीक कदम उठाने का क्या विचार रखती है। आज प्रातः काल ही यह समाचार मिला है कि श्री यू थांट कल अपना वक्तव्य देने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अमरीका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ सम्पर्क स्थापित किये हुये है ? वे समस्या का क्या समाधान चाहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमारा देश महत्व-पूर्ण योगदान दे सकता है। मैं उनका ध्यान वर्तमान प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस ओर के सभी देश मिलकर यह घोषणा करें कि किसी भी देश के विरुद्ध सेना का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक देश भूभाग तथा उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जायेगा। इसके बाद अन्य देश भी इसी प्रकार की घोषणा कर सकते हैं तथा फिर इस विचार को अधिक बल मिल जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने विभिन्न देशों की सरकारों के साथ इस विचार धारा को लेकर परामर्श किया है किन्तु जब तक अन्य देश भी इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते हम जल्दबाजी में कोई घोषणा कैसे कर सकते हैं। शान्ति स्थापित करने के लिये हम सभी प्रकार की पहल करने का प्रयत्न कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोई कदम उठाया जाये जिसका अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़े।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के लिये कार्बनिक रसायन उद्योग विकास परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3386/70]**

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिये नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 3387/70]**

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से 22वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में, जो 8 जुलाई से 25 जुलाई, 1969 तक बोस्टन, मेसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ था, भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3388/70]**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4641 की, एक प्रति जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें बैंक आफ बिहार लिमिटेड, पटना, का भारत के राज्य बैंक में विलयन करने की योजना शामिल है, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3389/70]**

अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश
DIRECTION ISSUED BY SPEAKER

सचिव ने लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश 124क की एक प्रति सभा-पटल पर रखी।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : महोदय ! मुझे यह सूचना मिली है कि श्री जार्ज फरनेन्डीज ने 23 अप्रैल, 1970 को सभा में मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि जब मैं उनसे अस्पताल में मिलने गया था तो मैंने उनसे कहा था कि लाठी चलाने के मामले में कुछ षड़यन्त्र किया गया था। महोदय ! मैं उनसे अस्पताल में मिलने अवश्य गया था किन्तु मैंने उनसे यह बात नहीं कही।

श्री स० मो० बनर्जी : यह मामला भी न्यायिक आयोग को सौंपना चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty minutes past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर बत्तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-two minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILL—Contd.
विचार करने का प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ति लाल शाह अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक से सम्बन्धित मैंने जो संवैधानिक प्रश्न उठाया था और जिस पर आपने निर्णय दिया था कि इस मामले को सदन पर छोड़ दिया जाये। लेकिन मेरे विचार से यह ऐसा मामला है जिसे सदन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये अपितु आपको ही इस पर अपना निर्णय देना चहिये।

जो आपत्ति मैंने उठायी थी, वह यह थी कि जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, उसे वित्त विधेयक नहीं कहा जा सकता है। या तो कुछ धाराओं को समाप्त करके इसे वित्त विधेयक का रूप दिया जाये अथवा आप यह आदेश दें कि यह वित्त विधेयक नहीं था।

अनुच्छेद 110 की धारा (4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 109 के अन्तर्गत जब इसे राज्य सभा को पारेषित किया जाता है और अनुच्छेद 111 के अन्तर्गत जब इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्येक वित्त विधेयक पर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र पृष्ठांकन करना होगा कि यह वित्त विधेयक है।

अत: मेरे उठाये गये प्रश्न पर आप अपना निर्णय दें और इसे सदन पर न छोड़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका यह आशय है कि यह वित्त विधेयक नहीं है। वस्तुत: यह विधेयक अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसे सदन में प्रस्तुत किया गया है.....

श्री नारायण दांडेकर : मेरा निवेदन है कि आप अब सूचित करें कि यह वित्त विधेयक है अथवा नहीं है। इस महत्वपूर्ण विषय पर तीन दिन का वाद-विवाद होगा और बाद में अध्यक्ष महोदय इस पर अपना निर्णय दें कि यह वित्त विधेयक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सिद्ध कर सकें कि यह वित्त विधेयक नहीं है तो उस परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय को सदन के मतानुसार कार्य करना होगा।

श्री नारायण दांडेकर : मेरा सुझाव है कि निर्णय अभी दिया जाना चाहिये कि यह वित्त विधेयक है अथवा नहीं है अन्यथा सदन का समय अगले तीन दिनों के वाद-विवाद में पूरी तरह से बेकार जायेगा।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं उपाध्यक्ष महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि औचित्य के आधार पर, अभिसमय के आधार पर और अनुच्छेद 110 के आधार पर जिसमें सभी प्रासंगिक मामले आ जाते हैं, यह वित्त विधेयक है और यह निर्णय सदन पर न छोड़ा जाये।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस मामले पर बहस हो चुकी है। माननीय सदस्य ने अपना दृष्टिकोण रखा है तथा विधि मंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से इस बात पर अब पुन: वाद-विवाद किया जा रहा है।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे विचार से इस पर निर्णय देना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस मामले में आप मेरी व्यवस्था जानना चाहते हैं तो तथ्य यह है कि मैंने विधेयक को पेश करने की अनुमति दी है और श्री शान्तिलाल शाह का आधा भाषण भी हो चुका है, यह इस बात का प्रतीक है कि मैं इसे वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार करता हूं और जो भी परिवर्तन अथवा प्रस्ताव इस वित्त विधेयक में लाये जाते हैं, वे अनुवर्ती और प्रासंगिक हैं।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई-उत्तर पश्चिम) : यह कहना उचित नहीं है कि मनोरंजन

व्यय अनावश्यक है। यह व्यय मैत्री का प्रतीक है। यह व्यय उचित अथवा अनुचित है, इस बात का निर्णय करने का मापदंड केवल यह है कि समुचित सीमा के अन्दर होना चाहिए। मनोरंजन का आशय घूस अथवा भ्रष्टाचार भी हो सकता है। वह उचित धन क्या हो, इस बात का निर्णय स्वयं सरकार करे। परन्तु, यह कहना कि मनोरंजन में छूट बिलकुल नहीं होनी चाहिये, एक अनुचित बात है। अधिकांश अतिथि गृह सरकारी क्षेत्र में हैं और इनमें से अधिकतर को हानि हो रही है। अतः इन पर आय कर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा रास्ता यह है कि होटल उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये तथा सभी उन व्यक्तियों को होटल में ठहराया जाये और यदि यह व्यय अधिक हो तो भी इसके लिये अनुमति दी जाये।

इस समय बड़े-बड़े लोग वेतन, परिलब्धियों और विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे हैं न कि छोटे लोग। इससे एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जिसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं और जो कर-मुक्त हैं और इस प्रकार की सुविधा साधारण नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। संसद सदस्यों को विशेषाधिकार, परिलब्धियों आदि की सुविधा उपलब्ध है और इस प्रकार उनका अपना एक नया वर्ग बनाया जा रहा है। यह बात समाज के लिए खतरनाक है।

अधिनियम में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यासों, जिनकी आय 65,000 रुपये की कर-योग्य आय से अधिक है, द्वारा अपने हिसाब-किताब के विवरण करने पड़ेंगे, चाहे उन पर कर लगे या न लगे। इससे आय-कर विभाग में कार्य अधिक बढ़ जायेगा और किसी प्रयोजन के हल होने की बजाय वहां भ्रष्टाचार अधिक हो जायेगा। इसलिए यदि यह कहा जाये कि किसी धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यास द्वारा एकत्रित धन का उपयोग व्यापार और उद्योग में नहीं लगाना चाहिये तो इस प्रकार एकत्रित किये गये धन की राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य ढंग ये हैं कि यदि कोई धर्मार्थ न्यास धन लगाता है तो इसे मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। इसलिए अच्छी आय के लिए भी कहीं पर भी पूंजी लगाने के लिए मना करना अनुचित बात प्रतीत होती है। ईक्विटी शेयरों में धन लगाने की भी अनुमति उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु यह कहना कि किसी भी निवेश को अनुमति नहीं दी जायेगी, चाहे उससे किसी धर्मार्थ न्यास को अधिक आय अथवा लाभ ही क्यों न हो, इसका एक ठोस परिणाम यह होगा कि लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सरकारी बैंकों में धन लगाने के लिए मजबूर किया जाए क्योंकि धन लगाने का कोई अन्य ढंग नहीं है। यदि ऐसा विचार है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

प्रिवी कौंसिल ने **ट्रिब्यून** के मामले में यह निर्णय दिया कि यह जनहित में है और इसलिए इसे आय-कर से मुक्त किया गया है। सभी समाचारपत्रों के न्यासों ने अपने कानूनी सलाहकारों द्वारा **ट्रिब्यून** के मामले के आधार पर प्रारूप तैयार करवा लिए जिनके आधार पर उन्हें आय-कर से मुक्त किया गया है। अब यह कहना कि **ट्रिब्यून** के मामले के बावजूद भी उन पर कर लगाया जाये, अनुचित होगा। किसी समाचार पत्र को निकालने के लिये कम से कम 20-25 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। यदि उनको संग्रह करने की अनुमति

नहीं दी जाती है तो अपनी मशीनरी के नवीकरण और विस्तार के लिए उनके पास धर्मदान कहां से आयेगा ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यतया सभी धर्मार्थ न्यासों के प्रति सरकार उदासीन है । थोड़ी सी गलती होने अथवा प्रतीत होने पर उनकी निन्दा की जाती है । बहुत सी गलतियां होती हैं परन्तु इनका इस प्रकार से समाधान करना कि उन पर कर लगाया जाये, ठीक नहीं है । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसा अलग से होना चाहिये न कि इस विधेयक में । चैरिटी (दान) के हित में निवेश की अनुमति होनी चाहिये परन्तु इस निवेश द्वारा ब्यापार और उद्योग पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, I appreciate the reduction in taxes announced by the Prime Minister, even though they are very small. The exemption on tea will be a great relief to the common man. This shows that the Prime Minister is very considerate over public opinion. I thank her for the streamlining in taxation done by her. The Income tax Department should also be streamlined.

There is an atmosphere of violence in the country. We have lost the sense of tolerance. It is not good. We should listen to other's view points patiently. Parliament has its impact on outside world also. The behaviour of a Parliament Member is observed by the entire India as well as the world. I will therefore request every member to maintain high standard of behaviour so as to promote the sense of tolerance among the people.

Secondly I want to point out that we have invested about four crores of rupees on public sector except Railway and Defence establishments. We were expecting some profit out of this investment but it is not coming forth. A Public Undertaking Committee consisting of the Members of this House was appointed to enquire about its causes. It was observed by the Committee that although there is over-employment of staff but their full capacity is not being utilized. The main reason is that the working of these sectors is full of personal grievances. The staff is pulled and promoted on the basis of personal relations with the superiors. The Public Undertakings are antonomous bodies and Ministers cannot intervene in their day to day administration. The employees of these Public Undertakings have got no security of service. They are simply on the mercy of their bosses. There are several instances where the employees became victims of their superiors. I suggest that for proper security of service there should be some Board like that of Railway or P&T to redress the grievances or complaints of the employees.

I can quote several examples from 29th report of Public Undertakings Committee (Third Lok Sabha) which relate to Recruitment and Promotion of personnel in Durgapur Steel Plant. It is full of the instances where the officers in the pay scale of Rs. 1100-1400 were promoted to the scale of Rs. 1300—1600 even after three months service or having neither outstanding nor good reports. But no follow up action has been taken on these reports of this Committee. No enquiry has been set up against such cases of gross favouritism. The result is that even the sincere workers of these organisations have lost their faith in dignity of labour which has lead to low production. It is happening mostly in Steel Plants and Heavy Engineering Plants. The Government should appoint a Board or Committee which should be empowered to intervene in the administration of these undertakings in case Government is sincere to improve the working of these undertakings.

Thirdly I would like to draw the attention of the House towards the problem of

Unemployment. Government should take a serious view of this problem otherwise it will mar the nation one day. Unemployment is the only reason behind agitation of the students community. A few vacancies are filled up by those who prossess first class but there is no alternative for second or third class-holders.

Fourthly, although the Banks have been nationalised but orders relating to it and instructions for granting loans have not been sent to Branches of Banks. Neither any loan forms are available in Bank Branches nor any instructions for granting of loans. Then how you want to implement this Bank Nationalisation ? Though it is a good measure but if common man does not derive any benefit out of it, it will be in vain. I suggest that there should be a Board or Department to watch the working of Nationalised Banks.

Fifthly, I would like to say something about small agriculturists. The ordinary farmers who are having 2 to 8 acres land cannot afford to purchase tractor. The co-operative system is not a success. I suggest that Government should provide atleast one tractor for one block on hire basis so that poor farmers can have the benefit of Government facilities.

Sixthly, I would say something about regional imbalances also. The backward areas do not form a State. But there are some States which are having backward and less populated areas. For instance you can take up Talengana or North Bihar. The per-captia income of North Bihar is 125 or 130 rupees which is one third of country's income. We are to help such backward areas. A state or a area is not uplifted simply if it is having a Chief Minister or Prime Minister of its own. There is no business institution in North Bihar and no factory except a few sugar factories. The establishment of these sugar factories may lead to the establishment of some paper factories in this area. But no heed is being paid to it. You just make a comparison of the amount spent in these areas as spent in other areas right from First Five Year Plan to Fourth Five Year Plan. It is good that some provision of funds has been made for backward areas in Fourth Five Year Plan. Some more attention should be given to the States which are having lower per-capita income. I will appeal my friends representing advanced States like that of Madras, Maharashtra and Punjab to help the Government in uplifting backward States also. They should think over it on all India basis rather than to confine it to their own State. At the same time I will request the Government to give more help to backward States.

In the end I would like to add on thing more. I do admit that there is no dearth of Public Undertakings in Bihar. But none of these undertakings is being controlled by a Bihari. Thus, when the people of other States have established their business organisations in Bihar, why Bihari people are not getting any opportunity to work in other States ? I will request the Government that it should not try to prove Biharis as incompetent. Government should pay some attention towards this respect also.

श्री राजाराम (सलेम) : सर्वप्रथम मैं वित्त-मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रथम मई से कुछ वस्तुओं पर लगाये करों में रियायत की घोषणा की है । धातु से बनने वाली वस्तुओं यथा अलमारियों, लोहे के डिब्बों, तिजोरियों तथा बिस्कुटों आदि को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है क्योंकि उनके उत्पादन में बिजली का प्रयोग नहीं होता । इससे तामिलनाडु के विभिन्न छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी । परन्तु इस प्रसन्नता के साथ हमें पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से काफी क्षोभ भी हुआ है । उप-विकास या बड़े करों—जैसे आयकर चीनी, वस्त्रों और तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में तामिल नाडु का प्रतिशत भाग घट गया है । 1969-74 की अवधि के लिए

तामिल नाडु द्वारा जरूरतों के लिये 718 करोड़ का अनुमान लगाया है और आयोग ने उसके लिए केवल 295 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके फलस्वरूप तमिलनाडु राज्य को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना है। इसके साथ ही यह आश्चर्य का विषय है कि वित्त आयोग ने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब आदि राज्यों को 1300 करोड़ रुपये अतिरिक्त लाभों के रूप में दे दिये हैं। इन अतिरिक्त लाभों का उपयोग समानता लाने के लिये किया जाना चाहिए था जब कि इस नीति से समृद्ध राज्य और अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं।

वित्त आयोग ने बजाय वित्तीय सहायता में प्रोत्साहन देने के और तामिलनाडु द्वारा कर लेने की चेष्टाओं को मानने के इसको दोनों ही दृष्टियों से दंडित किया है। प्रतिवेदन को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि राज्य कर्मचारियों की परिलब्धियों में बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिये तमिलनाडु का उचित तर्क दी गई धन राशि से पूरा नहीं होता है। जबकि इसी प्रकार के राज्यों, जिन्होंने कि धन राशि लेने के पहले वेतन आयोगों की नियुक्ति कर दी, उनको उचित राशि दी गई हैं।

तमिलनाडु पर ऋण का अधिक भार स्पष्टरूप से इसलिये हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र ने राज्य को 140 करोड़ रुपये का ऋण दिया है और राज्य की ओर से उसकी अदायगी केन्द्र को 160 करोड़ रुपये की होगी। इस संदर्भ में तमिलनाडू के वित्त मंत्री ने भारत सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि जो ऋण राज्य केन्द्र को देता है, उसकी अनुसूची तैयार की जाय। सरकार को यह मांग स्वीकार करनी चाहिये। ऐसा कहा गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को 800 करोड़ रुपये का ऋण देना चाहती है। मैं वित्त-मंत्री से अनुरोध करूंगा इसमें से 50 करोड़ रुपया तामिलनाडु को दिया जाना चाहिये। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु को जो ऋण दिया गया था, वह मुख्यतः सिंचाई तथा बिजली से सम्बद्ध परियोजनाओं पर खर्च किया गया था। इन ऋणों के भुगतान की अवधि 10 साल थी, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस अवधि को बढ़ाकर 20-25 वर्ष कर दिया जाये।

केन्द्र से राज्यों के जो साधन प्राप्त होते हैं उनसे अंशतः केवल योजना का खर्चा ही चलता है। विभिन्न राज्यों के ऋण की दशा का पुनरीक्षण करना आवश्यक है और बजाय वर्तमान तदर्थ पहुंच के अनुपात के आधार पर सूची बनाने का तरीका निश्चित किया जाना चाहिये।

केन्द्र को विश्व बैंक द्वारा जो ऋण मिलता है उसकी अदायगी अवधि का समय 40 से 50 साल तक होता है और ऋण ब्याज की दर भी कम होती है। केन्द्र जब यही ऋण राज्यों को देता है तो उसे भी विश्व बैंक के अनुरूप में उदार शर्तें रखनी चाहिये।

इन ऋणों की पुनः अदायगी करने के तरीकों को उन परियोजनाओं से सम्बद्ध करना अनिवार्य है जिनके लिये ऋणों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिये यदि ऋण का प्रयोग राज्य में "इन्फ्रैस्ट्रक्चर" के लिए किया गया है तो कम से कम उसे लौटाने के लिए जोर देना ठीक नहीं होगा। इसीलिये यह अनिवार्य है कि वह भूमि और तेल सम्बन्धी

अदायगियों के ढांचे को युक्ति संगत बनाने के समस्त प्रश्नों पर विचार करने के लिये संघीय ऋण आयोग की नियुक्ति करें।

तमिलनाडु की चौथी योजना के प्रारूप में 624 करोड़ रुपये रखा गया है। चौथी योजना के लिये राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में अत्यधिक कमी कर दी गई है। समय के साथ साथ मांग में भी वृद्धि हो गई। इसी लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये से हटाकर 202 करोड़ रुपये करना बहुत अनुचित है।

तमिलनाडु काफी समय से सेतुसमुद्रम परियोजना के विषय में कहता आ रहा है। इस परियोजना की व्यवहार्यता स्वीकार की जा चुकी है और इससे सम्बन्धित पत्र भारत सरकार के पास पड़े हुए हैं। टूटीकोरियन पत्तन की आय में वृद्धि करने, अत्यधिक विलम्ब को रोकने तथा राज्य की आर्थिक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए इस परियोजना का काम तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये।

बजट में कुछ राज्यों के लिये 175 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में आवंटित किए गये हैं जो वित्तीय कठिनाइयों से पीड़ित हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी संकेत किया गया है कि यह सहायता लगभग नौ राज्यों को दी जायेगी। तामिलनाडु को चौथी पंचवर्षीय योजना में पहले ही 250 करोड़ की अपेक्षा 202 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र विभाजीय साधनों के समूह में भी पांचवें वित्त आयोग ने तमिलनाडु का हिस्सा घटा दिया है। अभी तामिलनाडु सरकार को वेतन आयोग के निर्णय का सामना भी करना है। उससे लगभग उसे 60 से 80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः तमिलनाडु को उसके उचित भाग से वंचित किया गया है। वित्त मंत्री को कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिये कि वेतन आयोग राज्य के संसाधनों से कितनी रकम निकाल देगा; उसी राशि में से ही सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा सामान्य रूप से रोजगार की समस्या में सुधार करने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगामी चार वर्षों में सूखाग्रस्त तथा रोजगार सहायता के लिये 100 करोड़ रुपया रखा गया है। इस रुपये का उचित भाग तमिलनाडु को सड़कें, मकान, पुल और हस्पताल आदि बनाने के लिये दिया जाना चाहिए। यदि केन्द्र ने ऐसा नहीं किया तो इसके इस निर्णय की तमिलनाडु में कड़ी आलोचना होगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : यद्यपि मैं वित्त विधेयक पर उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोलना चाहती थी परन्तु मेरे पूर्व वक्ता ने तमिलनाडु पर कुछ प्रकाश डाला, अतः मैं भी उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल रही हूं। वित्त विधेयक में उत्तर प्रदेश को आवंटन किये गये धन और राजस्व का अनुपात इसकी जनसंख्या, इसकी आवश्यकताओं और इसकी जनता की महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से ही बने हैं तथा भावी प्रधान मंत्री भी उत्तर प्रदेश से

बनेंगे। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र के संबंध में नारोरा में इसके लिये स्थान का योजना आयोग और आणविक शक्ति आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया था। यदि इसे नारोरा में स्थापित किया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को सहायता मिलेगी। सैनिक तथा सामरिक महत्व की दृष्टि से, ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों न इसे पंजाब को दिया जाना चाहिए। आणविक शक्ति आयोग की सिफारिश को स्वीकृत किया जाना चाहिए और नारोरा को एक आणविक विद्युत केन्द्र प्राप्त करने का महत्व दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है जोकि भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है जिसके कारण उनमें एक तनाव तथा निराशा व्याप्त है। जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाला है उसका यह प्रथम कर्त्तव्य है कि अध्यापक, जोकि बच्चों का पालन-पोषण करने में माता-पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, की अवस्था को सुधारा जाये। वित्त मंत्री को इस बात पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को जितना अधिक संभव हो, उतना वेतन दिया जाना चाहिये। कम से कम उन्हें शेष राज्यों के अध्यापकों के साथ समान स्तर पर लाया जाना चाहिये। देश के विद्यार्थी समुदाय में 20 वर्ष तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने के पश्चात् जब उन्हें उनकी रुचि का कोई कार्य नहीं मिलता है तो उनमें निराशा व्याप्त हो जाती है। यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि सबसे अधिक प्राथमिकता शिक्षा के विषय को दी जाये। उच्चतर शिक्षा केवल उन्हीं छात्रों के लिए आरक्षित की जानी चाहिये जिनकी केवल उस शिक्षा की ओर रुचि हो। किसी भी व्यक्ति को विश्व-विद्यालय के भीतर प्रवेश करने से केवल इसलिये वंचित नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि वह निर्धन है। ऐसे लोगों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये सहायता देना सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये।

मेरे विचार से भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को योग्यतम विद्यार्थी बनना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि विद्यार्थियों से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिये अध्यापकों और अभिभावकों के मध्य तथा सम्बन्धित मंत्री महोदय और राज्य के मुख्य मंत्रियों के मध्य वार्तालाप होने चाहिये। यह समस्या आर्थिक होने के साथ-साथ सामाजिक भी है। सभी दलों के सदस्यों, जो संविधान में दिये गये मूल अधिकारों में विश्वास रखते हैं, को आशा के अनुसार लड़कों को रचनात्मक ढंग से उनकी शक्ति को काम में ला सकने के लिये अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता को उपयोग में लाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में गांवों की दशा भी महत्वपूर्ण बात है। यदि उत्तर प्रदेश के गांवों की महाराष्ट्र तथा दक्षिण के गांवों से सड़क निर्माण, सिंचाई तथा संचार के बारे में तुलना की जाये तो उत्तर प्रदेश में संचार व्यवस्था बहुत बुरी अवस्था में है। हरियाणा में सभी गांवों को बिजली दी जा रही है जबकि उत्तर प्रदेश में मुश्किल से ही कोई गांव होगा जहां बिजली है। मंत्री जी को उत्तर प्रदेश के गांवों की अवस्था पर ध्यान देकर ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं, ग्रामीण सड़कों और संचार व्यवस्था योजनाओं और गांव के लोगों के लिये पानी की भी व्यवस्था के लिये विशेष आवंटन करना चाहिए।

कानपुर में बहुत से धर्मार्थ न्यास कार्य कर रहे हैं जिनमें बहुत से न्यास निहित स्वार्थों के केन्द्र बने हुये हैं। ऐसे केन्द्रों को चलाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही वहां कुछ अच्छे धर्मार्थ न्यास भी हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री महोदया ने कहा था कि पति और पत्नी की आय को सम्मिलित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है लेकिन वित्त विधेयक में ऐसी किसी भी बात को स्थान नहीं दिया गया है। आज की महिलायें कल की मातायें हैं, यद्यपि पहले पुरुषों को काम दिया जाना चाहिये परन्तु महिलाओं के कार्य की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में बिस्कुट उद्योग को दी गयी छूट से इस उद्योग को केवल अंशतः ही सहायता मिली है। इस उद्योग में कार्य कर रहे केवल 8 प्रतिशत व्यक्तियों को ही इस दिशा में लाभ हुआ है शेष 92 प्रतिशत लोगों को नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ लोगों ने अभ्यावेदन किया है। मुझे आशा है कि सरकार वातित जल उद्योग को उत्पादन शुल्क में दी गयी छूट के समान उन्हें भी छूट देगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे संसदीय जन तंत्र के इस सभा में कार्य करने के मानकों को ऊंचा करने के लिये उपाय ढूंढ़े ताकि इस जनतंत्रीय व्यवस्था में समूचे देश में विश्वास मजबूत हो। 10 लाख के लगभग लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्यों को कितना भी परस्पर मतभेद होते हुये भी, इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए, जिससे इस सभा की गरिमा और अनुशासन बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले इस विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिए 10 घंटे आवंटित किये गए थे परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को सुनने के बाद इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पुनर्विचार के पश्चात् यह तय हुआ है कि समय का आवंटन इस प्रकार किया जाये : सामान्य चर्चा के लिए 10 घंटे, खंडवार चर्चा के लिए 4 घंटे तथा तीसरे वाचन के लिए 2 घंटे। यदि आप सहमत हों तो वैसा ही किया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री रघुरामैया (गुन्टूर) : सभा इस बात पर भी सहमत है कि कल तथा परसों मध्यान्ह भोजन काल स्थगन भी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : ताकि सदस्यों को चर्चा के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हों। बुधवार को शाम के 6-30 बजे तक हम यह चर्चा तथा इस विधेयक से सम्बन्धित अन्य बातों पर चर्चा समाप्त कर लें।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं वित्त विधेयक के आर्थिक पहलू के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री महोदय ने विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय कहा कि बजट के मुख्य उद्देश्य की सभा में तथा सभा से बाहर बहुत सराहना की गई है। वास्तव में उनका यह विचार है कि यह विधेयक विकास उद्देश्यों के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता तथा न्यायोचित वितरण के लिए राजकोषीय साधनों के प्रयोग की आवश्यकताओं को अमल में लायेगा। मैं प्रधान मंत्री महोदया के साथ पूरी तरह सहमत हूं, जब कि उन्होंने

अपने बजट भाषण में कहा कि हमें अनिवार्य रूप से लगभग सारा अपना मुख्य ध्यान विकास पर देना चाहिए; लेकिन ऐसा करते हुए हमें देश भर में कल्याण कार्यों को जारी रखना चाहिए, विशेषकर हमारे समाज के अधिक निर्बल वर्गों के कल्याण कार्यों पर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। इसी प्रकार की पहुंच के विचार से ही इसके उपबन्धों विशेषकर विधेयक के उपबन्धों के आर्थिक परिणामों पर विचार करूंगा।

वित्त विधेयक तथा बजट सम्मिलित रूप से लिये गये बजट प्रस्ताव में चार प्रकार के कराधान प्रस्ताव दिये गये हैं। उनमें निगमित क्षेत्र से सम्बन्धित प्रत्यक्ष कराधान प्रस्ताव है। फिर व्यक्तियों और फर्मों तथा हिन्दू परिवारों और व्यक्तियों के समुदायों से सम्बन्धित प्रत्यक्ष कराधान प्रस्ताव है। तदनन्तर दृश्य परोक्ष की कठिन सूची है, जिसमें वे सीमा-शुल्कों, उत्पाद-शुल्कों, अतिरिक्त सीमा-शुल्कों, विशेष सीमा-शुल्कों, नियामक सीमा-शुल्कों और सदृश उत्पाद-शुल्कों के रूप में है। वित्त विधेयक में नहीं वरन बजट में अदृश परोक्ष कराधान है। मैं घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में कह रहा हूं जो अदृश परोक्ष कराधान के रूप में समाज के सब लोगों द्वारा समझी गयी है।

मैं इस समय केवल प्रत्यक्ष कराधान प्रस्ताव तथा परोक्ष कराधान प्रस्ताव पर चर्चा करता हूं और इनका हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले परिणामों को जांचने के दृष्टिकोण से चर्चा कर रहा हूं। समाज के निर्बल वर्गों पर इन कराधान प्रस्तावों से मिलने वाली सहायता पर चर्चा कर रहा हूं।

पहले मैं निगमित कराधान के बारे में कह रहा हूं। यह सच है कि जब वित्त विधेयक पेश किया गया था, उसके तुरन्त बाद स्टाक बाजार काफी ऊपर बढ़ गया और हर व्यक्ति सोचने लगा कि बड़ा अद्भुत बजट है किन्तु अब यह महसूस किया जा रहा है कि स्टाक बाजारों के बढ़ने का कारण यह था कि वे समझते थे कि इस बजट के कारण निगमित क्षेत्र को बहुत अधिक हानि पहुंचेगी और उन्हें ऐसी हानि नहीं पहुंची। इस बारे में प्रतिक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी थी। जो व्यक्ति समाचार-पत्रों में बजट के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें मालूम रहता है तथा अब बाजार निरन्तर गिरते जा रहे हैं।

ऐसा क्यों है ? वित्त विधेयक में ऐसी कौन सी बात है जो निगमित क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में चिन्ता उत्पन्न कर रही है। इनमें से कुछ मामलों को गिनाता हूं। मनोरंजन व्यय और अतिथि-गृह खर्चों की अस्वीकृति का वास्तविक अर्थ यह है कि ईमानदार कम्पनियों के लिये भी करों में वृद्धि की गयी है। प्रत्येक वस्तु का जो खर्च वैधानिक रूप से किया गया है, उसकी अस्वीकृति वास्तव में कराधान की दरों में वृद्धि है। विश्व में, एक दो अपवादों को छोड़ कर, इस देश में कम्पनी के करों की दर सबसे ऊंची है।

एक सरकार का गुणगान करने वाले व्यक्ति ने अपनी पुस्तिका "**इज इण्डिया रिअली दी हैवियेस्ट टेक्स्ड कन्ट्री इन दी वर्ल्ड**" में यह बताने का प्रयास किया है कि विश्व में हमारे निगमित क्षेत्र पर सबसे अधिक कर किसी सूरत में नहीं लगाये गये हैं।

वह यह बताना भूल गये हैं कि इसी कर निर्धारण वर्ष से प्राथमिक उद्योगों में भी 20 प्रतिशत विकास कटौती दी जायेगी। 280 धारा से आगे धाराओं का एक क्रम है जिसमें निवेश

भत्ता, कम्पनियों के लिये अतिरिक्त कराधान भत्ता, जिसका कराधान कुछ सीमाओं से बढ़ गया है, उत्पादीय माल के अतिरिक्त उत्पादन के विषय में कर ऋणों के रूप में भत्ता दिया गया है। इनमें से दो से इस वर्ष छुटकारा मिल रहा है तथा एक से आगामी वर्ष मिलेगा। विकास कटौती पहले से ही कम कर दी गयी है। यदि इस देश के निगमित उद्यमों के करों की दरों की तुलना किसी अन्य देश की दरों से की जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि विश्व में हमारे देश के निगमित क्षेत्र के कर लगभग सबसे अधिक हैं।

ऐसी बात नहीं है कि दूसरे देशों में ये भत्ते नहीं हैं। गत वर्ष जब मैं ग्रेट ब्रिटेन में था तो मुझे निवेश अनुदान का अध्ययन करने का अवसर मिला। इस देश में जिस प्रकार विकास कटौती निवेश अनुदान के रूप में है उसी प्रकार नये औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रेट ब्रिटेन में भी निवेश अनुदान दिया जाता है अतः यह कहना ज्ञान संगत नहीं है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की छूटें दी गयी हैं।

यदि कोई वित्त विधेयक का व्यक्तिगत, पारिवारिक, फर्म, संस्था, व्यक्तिगत कर निर्धारण की दृष्टि से संक्षेपण करता है तो कह सकता है कि आयकर की न्यूनतम दर बढ़ाई गई है। इसको एक निश्चित सीमा तक आये बढ़ाया गया है। $6\frac{1}{2}$ रुपये कमाने के लिए किसी को 100 रुपये कमाने पड़ते हैं ताकि वह $93\frac{1}{2}$ रुपये सरकार को दे सके और शेष $6\frac{1}{2}$ रुपये स्वयं रख सके। यह पहली विशेषता है।

इस वित्त विधेयक की दूसरी विशेषता यह है कि उपहार कर की न्यूनतम तथा अधिकतम दर बढ़ा दी गयी है। यह सोच लिया जाना चाहिये था कि सम्पत्ति के वितरण को पूरा करने तथा सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को समाप्त करने का एक उपाय यह है कि लोगों को संस्थागत-उपहार, व्यक्तिगत उपहार, धर्मार्थ न्यासों तथा अधर्मार्थ न्यासों आदि में उपहार देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यदि कोई सारा का सारा धन दे देगा तो उस पर स्वतः ही कर नहीं लगेगा।

सम्पत्ति कर के मामले में दुहरी मार पड़ी है। सम्पत्ति-कर की न्यूनतम मूल दर ही नहीं बढ़ी है बल्कि सम्पत्ति-कर की अधिकतम न्यून दर भी बढ़ी है। नगरीय सम्पत्ति पर अतिरिक्त सम्पत्ति- कर से हुये आर्थिक परिणामों पर विवेचना करूंगा।

मैं इस सदन का 1964 से सदस्य हूं परन्तु इस वित्त विधेयक में व्यक्तिगत कराधान जितना अधिक निर्धारित किया गया है, उतना मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखा।

जहां तक बचतों, निवेश और पूंजी निर्माण के आर्थिक परिणामों का सम्बन्ध है, हमें समझना चाहिये कि आर्थिक प्रगति केवल बचतों से ही नहीं होती। थोड़े से शेयर खरीद लेने मात्र से प्रगति नहीं हो जाती है। निवेश इस प्रकार का होना चाहिये जिससे पूंजी निर्माण हो सके। बचत अन्त में निवेश के रूप में बदल कर पूंजी निर्माण करती है। इसलिये पूंजी की दृष्टि से उत्पादन प्रक्रिया में तीन बातें निहित हैं—बचत, निवेश तथा पूंजी निर्माण। सरकार के हाथों में जहां तक बचत के प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई भी कह सकता है कि सरकार के पास कोई बचत नहीं है। यदि सरकार को कुछ बचत होती है तो निवेश विशेष प्रकार से किया जाता है और यदि

किसी प्रकार पूंजी निर्माण के लिये निवेश किया जाता है तो परिणाम असंतोषजनक होता है। यदि किसी प्रकार का निवेश किया जाये तो वह आर्थिक व्यावहारिकता के अनुपात से होना चाहिये अन्यथा सरकारी क्षेत्रों में किया गया निवेश त्रुटिपूर्ण है।

दूसरी तरफ गैर-सरकारी बचतों, निवेश तथा पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष कराधानों के भार से क्या हो रहा है ? प्रधान मंत्री कह सकती हैं कि 3000 रुपये की राहत दी गई है जो विभिन्न प्रकार के निवेशों से प्राप्त आय के अनुसार कर मुक्त होगी। यह सच है कि ऐसा किया गया है। परन्तु जो कुछ वे एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से छीन लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके पास कुछ शेष नहीं रहता और निवेश द्वारा शुद्ध उपलब्धि कम होती है। इतने अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं तथा कीमतें इतनी अधिक हैं कि लोगों के पास पूंजी लगाने के लिये कोई बचत नहीं रह पाती है।

जहां तक कृषक लोगों का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री के बजट भाषण के एक अनुच्छेद के अनुसार, यदि निवेश बाजार में धनराशि अधिक बढ़ानी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इक्विटी कर ऋण प्रमाण-पत्रों को बेचें।

यदि लोग नये ऋणों के इक्विटी शेयरों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बेचना शुरू कर दें इन कर-ऋण प्रमाणपत्रों को देने में समर्थ हों तो एक बड़ी मात्रा में निवेशों की सम्भावना हो सकती है। एक ओर तो लगातार पिछले दो तीन साल से अत्यधिक अच्छी फसल होने के कारण कृषि क्षेत्र में अत्यधिक रुपया लगाया गया है। जबकि दूसरी ओर हैं "अपराधी संस्थाएं" जिन्होंने अत्यधिक पूंजी पैदा की है। इस प्रकार की बीस संस्थाओं को एक समिति के निर्णय के अनुसार अपराधी करार दिया गया है और उन्हें विविध प्रकार का उत्पादन तथा विस्तार नहीं करने दिया जायेगा तथा उनकी सरकार की इच्छा के अनुसार मूल उद्योगों तक ही अपनी गतिविधियां सीमित रखनी होंगी।

इन 20 अपराधी औद्योगिक समूहों के अतिरिक्त और बहुत से अन्य उपेक्षित औद्योगिक कारखाने हैं जिनमें पांच करोड़ से अधिक पूंजी लगी हुई है तथा सौ से अधिक में विदेशी पूंजी भी लगी है तथा सरकार विदेशी पूंजी के लिये प्रार्थना कर रही है, उसे प्रोत्साहन दे रही है। पर उन्हें विस्तार के लाइसेंस नहीं मिलेंगे तब फिर वे यहां किसलिये रहें ? और फिर यदि उन्होंने बड़े पैमाने पर धन लगाना शुरू कर दिया तो क्या होगा ? शायद प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ऐसी अवस्था में उनके पूंजी लगाना रोकने के परिणामों से अवगत हैं।

ये सारे स्पष्ट अप्रत्यक्ष कर, विशेष सीमा शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क, और नियामक उत्पादन शुल्क आदि सब एक धोका मात्र हैं। यह नियामक शुल्क किसलिये। सम्भवतः आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं के आधार के नियमन के लिये। अत्यधिक आयात को रोकने के लिये सरकार के पास बहुत से साधन हैं जैसे आयात लाइसेंस नियंत्रण, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और अन्य नियंत्रण। सरकार ने ये नियामक सीमा शुल्क आदि उत्पादन शुल्क धन प्राप्त करने और खपत करने के लिये लागू किये हैं। पर मूल्य बढ़ाने के अतिरिक्त और किस प्रकार खपत कम की जा सकती है ? पर यह कहने पर कि इन शुल्कों से मूल्य में वृद्धि होगी तो सरकार यही कहती है कि ऐसा नहीं होगा। वे एक ही सांस में दो विरोधी बातें कहते हैं।

बजट से पता चलता है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण अस्पष्ट अप्रत्यक्ष करों से 225 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। पिछले दस-दस सालों से घाटे की अर्थ-व्यवस्था चलती आ रही है। पिछले वर्ष घाटे का अनुमान 230 करोड़ रुपये का लगाया गया था पर वह 290 करोड़ होना प्रतीत होता है। इस वर्ष इसका अनुमान 225 करोड़ रुपया लगाया गया है। इस सबसे लगता है कि सरकार राजस्व को अधिक रोकने लग गई है। पिछले दस वर्षों के राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि यह औसतन 200 से 250 करोड़ रुपये तक रहा है, पर 1970-71 के बजट में पहली बार 170 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों को जोड़ कर यह राशि 450 करोड़ बताई गई है। यह गलत है क्योंकि इतनी राशि वसूल नहीं की जा सकेगी। घाटे की अर्थव्यवस्था को कम दिखलाने के लिये ऐसा जान कर किया गया है। कम से कम 100 करोड़ रुपये इसमें कम वसूल होंगे और इस प्रकार घाटा 325 करोड़ के बजाय 225 करोड़ रुपये का होगा।

घाटे की अर्थ व्यवस्था का अर्थ है वह जो पिछले वर्ष कम रह गई थी तथा बैंकों और विशेष रूप से रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक ऋण में अपने योगदान के रूप में दी गई राशि। इस वर्ष बैंक और रिजर्व बैंक सार्वजनिक ऋण में लगभग 125 करोड़ रुपये लगायेगा इस प्रकार कुल 450 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था होगी। अब देखना यह है कि इस 450 करोड़ रुपये का निर्वाह व्यय, बढ़ते हुये मूल्यों, उत्पादन और मजदूरों की मजदूरी पर, जो बढ़ते हुये निर्वाह व्यय से झूझते रहते हैं, क्या असर पड़ेगा। मजदूर को कम से कम काम कर के अधिक से अधिक मजदूरी मांगने की आदत पड़ गई है, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी अधिक वेतन और भत्तों की मांगें करते हैं। यह सब घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण होता है। इसके लिये हम मजदूरों या सरकारी कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। इन सबका लोगों की सामान्य नैतिकता पर क्या असर पड़ेगा? समूची अर्थ-व्यवस्था में, मंत्री स्तर तक भी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री की करों को काट कर शुद्ध आय 70,924 रुपये बैठती है। और यदि प्रधान मंत्री द्वारा 1970-71 की आय के आधार पर 1971-72 के लिये लगाये गये व्यक्तिगत करों की ओर देखता हूं तो उसकी कुल आय 4,48,000 रुपये बैठती है। मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि उत्पादन बढ़ाये गये बगैर प्रगति का कोई अर्थ नहीं। हमें दलित वर्ग, दुर्बल वर्ग और 'बेरोजगारों' का ख्याल रखना चाहिये, पर यह बजट उनके अनुकूल नहीं है तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण देश विनाश की ओर जा रहा है।

Shri C. D. Gautam (Balaghat) : I congratulate the Prime Minister for giving concession in taxes on articles of day to day use.

Concession should be given to the farmers in fertilizers, seeds, canal irrigation and agricultural implements. A project for the production of small tractors should be started so that the small farmers may also purchase tractors. Fertilizers etc. should be given on instalments to small farmers, so that they may increase their production. Special attention should be paid towards small farmers. There are even certain legal difficulties in the way of improving agricultural area. In my state, Madhya Pradesh, if a farmer has 50 acres seasonal irrigated land and

want to convert it into perennial irrigated land, in that case he has to surrender half of his land to the Government. So these legal difficulties should be removed.

There is much unemployment among educated population because after passing Matric or Inter the boy does not want to do farming and does not help his parents in agriculture and they are unable to arrange a service for him. Therefore, we should try to change the pattern of our education.

The doctors can start their clinic any where and they are going to villages also. Similarly the Agricultural Engineers can also open their shops in the villages and can give technical guidance to the farmers. If they do like that they can get employment and can be very helpful to the farmers. But our engineers want to be officers and do not want to do manual labour.

There is big reserve of minerals in our country but that is not being exploited. If it is not possible in the public sector it should be given to private sector.

Many geologists are lying idle. They do not have any work, Government should obtain their help for deriving benefit from the mineral resources of the country.

We should give fallow land to these unemployed Agricultural Engineers and ask them to improve it through new scientific ways and means. It will improve food problem and the fallow land will come under farming.

Chemical water of forests and inhabited areas is not being used. It is very useful for the crop. The village chiefs and panchayats should be encouraged to use this water as much as they can. We use fertilizers, but we should use them properly. It is our experience that subsequent to constant fertilising the soil becomes hard and the good quality of paddy like Chinnar loses its odour.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंदी को पार करके देश अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर उड़ान ले सकती है परन्तु इसके लिये ठीक-ठीक आर्थिक और राजकोषीय नीतियां अपनानी होंगी।

[**श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

मैं तीन प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना चाहाता हूं। वे हैं—मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और औद्योगिक लाइसेंसों से सम्बन्धित नीति। जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है, संशोधित चौथी योजना में यह कहा गया है कि 3200 करोड़ रुपये के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायेंगे और 850 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी उपक्रमों से होने वाली आय का वास्तविक आय से अधिक अनुमान लगाया जाता है। वर्तमान करों से राजस्व में 280 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। मेरे अनुमान के अनुसार चौथी योजना-काल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जितना घाटा बताया गया है, उससे अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये का और घाटा होगा। इसका कारण है कि सरकार ने सरकारी उपक्रमों पर जो पूंजी लगाई, वह आर्थिक आधार पर न लगाकर राजनीतिक आधार पर लगाई गई। किन्तु अधिक पूंजी लगाने के बजाय पहले से लगी हुई पूंजी अथवा संसाधनों का समुचितरूप से उपयोग किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने भी अपने अतीत के अनुभवों से लाभ नहीं उठाया। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि वास्तव में कौन से और कितने साधन उपलब्ध होंगे। महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि असंतुलन पैदा हो गया। परिव्यय बेकार गया।

घाटे की अर्थव्यवस्था आई और मूल्यों में वृद्धि हो गई। ऐसी स्थिति में भारी कर लगाना प्रायः आवश्यक हो जाता है। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय और उपलब्ध संसाधनों में इतना ही अन्तर रहा तो प्रत्येक वर्ष घाटे की अर्थ व्यवस्था का सामना करने के लिए भारी कर लगाने होंगे। अतः इस योजना पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। यदि योजना के परिव्यय का सदुपयोग हो तो उसी परिव्यय से दुगना उत्पादन हो सकता है। उत्पादन के बढ़ जाने पर मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। साथ ही इससे मूल्य-वृद्धि पर भी रोक लगेगी। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो गई तो रुपये का वास्तविक मूल्य और आगे नहीं घटेगा।

जहां तक परोक्ष करों का सम्बन्ध है, उनमें भी प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। प्रतिवर्ष उत्पादन शुल्क बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सामान्य व्यक्ति पर भारी बोझ पड़ गया है। इस वर्ष चीनी, चाय, मिट्टी का तेल, मक्खन, बिस्कुट तथा एल्युमीनियम जैसी भारी खपत के पदार्थों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है। करों में हुई वृद्धि का मुख्य भार मध्य वर्ग तथा निर्धन वर्ग को वहन करना पड़ेगा। वित्त विधेयक 1970 के पास होने के बाद मूल्यों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। यदि उत्पादन शुल्क में कमी कर दी जाये तो इससे कुछ वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयेगी और यह जन-कल्याण की दिशा में एक कार्य होगा।

सरकार आगामी वर्ष में निर्यात की वृद्धि में 7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। सम्भवतः इसे प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय औद्योगिक विकास मन्त्रालय के मध्य तालमेल की आवश्यकता होगी। समन्वय का कार्य या तो स्वयं प्रधान मन्त्री को करना चाहिए अथवा उन्हें इस प्रयोजन के लिए एक समन्वय मन्त्री नियुक्त करना चाहिये। यदि हमें निर्यात बढ़ाना है तो वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उससे उत्पादन लागत बढ़ती है और उत्पादन लागत के बढ़ जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय व्यापारी अन्य देशों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। पटसन जैसे माल पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक परम्परागत वस्तु है। इस प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिए और यदि निष्कर्ष यह निकले कि निर्यात शुल्क के कारण यह माल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में समर्थ नहीं हो पाता, तो हमें उस पर लगे शुल्क में कमी कर देनी चाहिए।

प्रधान मंत्री महोदया द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना का मैं स्वागत करता हूं। खनिज-कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए 40 प्रति मास पेंशन, गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए पोषण तथा नगर विकास निगम के आवंटन से सम्बंधित उनके सभी सुझाव प्रशंसनीय हैं। सामाजिक सुरक्षा के साधनों के लिए और अधिक राशि नियत की जानी चाहिए। मैं यह बात बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र में उद्योगों का विकास साथ-साथ होना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगों का विकास सरकारी क्षेत्र में हो और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, निर्यात बढ़ाने और निगमित राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध न लगाये जायें। उद्योगों की स्थापना में रोड़ा न अटकाया जाय। यदि सरकार चाहे तो किसी भी गैर सरकारी

उद्योग को अपने हाथ में ले ले । मेरा विचार है कि पूंजी विनियोजन और उत्पादन पर अवांछनीय प्रतिबन्ध न लगाये जायें अन्यथा योजना से जो लाभ आप चाहते हैं, वह प्राप्त न हो सकेगा, और मुद्रास्फीति बढ़ती जायेगी ।

कर मुक्त आय में 3000 रुपये की जो छूट दी गई है उसका मैं स्वागत करता हूं । जहां तक पति-पत्नि की आय को एक साथ जोड़कर उसपर आयकर लगाने का सुझाव है, मैं उसका विरोध करता हूं । यदि ऐसा करना ही है तो इस सम्बन्ध में अमरीकी पद्धति अपनाई जाये। अमरीकी पद्धति में पति-पत्नि की आय के योग को आधा करके उस पर कर लगाया जाता है और फिर उस राशि का दुगना कर दिया जाता है । इस प्रकार आयकर दोनों की औसत आय पर लगाया जाता है । आयकर से छूट के लिये सीमा बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। प्रधान मंत्री से मेरी यह अपील है कि वह इस सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दें । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में व्यक्ति स्तर पर कर-भार अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है ।

जहां तक धर्मार्थ न्यासों का सम्बन्ध है, वे आयकर अधिकारी की अनुमति से 25 प्रतिशत तक धन एकत्र कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि बिना अनुमति के यह सीमा 15 तक निर्धारित की जानी चाहिये ।

जहां तक निगमित कराधान का सम्बन्ध है, निगमित कर को अधिक तो नहीं बढ़ाया गया । लोगों ने बजट की इस दृष्टि से सराहना की । किन्तु हुआ यह कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों पर विकास छूट घटाकर 35 से 25 प्रतिशत और अन्य उद्योगों पर 15 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई । विकास-छूट को समाप्त करना हमारी औद्योगिक प्रगति में बाधक सिद्ध होगा । विकास-छूट औद्योगिक प्रगति के लिये प्रोत्साहन का कार्य करती है । अतः आज की स्थिति में, जबकि हमें अधिक से अधिक उद्योगों की आवश्यकता है और हम देश में उत्पादन बढ़ाकर कमी को पूरा करना चाहते हैं सरकार को विकास-छूट बनाये रखनी चाहिए । कुछ पुराने सूती मिलों और पटसन मिलों और कागज मिलों को नवीकरण-भत्ते अथवा पुनर्वास-भत्ते के रूप में कर में छूट दी जानी चाहिए । ये कुछ रचनात्मक सुझाव हैं, जिन्हें सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

मेरे विचार में वास्तविक और सही मनोरंजन हेतु कर में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि विदेशी सहयोगकर्ताओं का आतिथ्य तो करना ही पड़ता है ।

प्रत्यक्ष करों का आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय के प्रति विषय अनुपात होता है । जापान और पश्चिम जर्मनी ने करों में कमी करके कुल राष्ट्रीय उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की । इन देशों में कर सम्बन्धी उपायों से विनियोजन और उत्पादन में वृद्धि हुई । ब्रिटेन में राष्ट्रीय आय की तुलना में करों में वृद्धि होने से उत्पादन में कमी आई । वहां भी भुगतान शेष, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा आदि आर्थिक समस्यायें हमारे देश की समस्याओं जैसी ही हैं । हमें यह तथ्य स्वीकार करना ही होगा कि कम टैक्सों से विकास का मार्ग अनवरुद्ध होता है । इससे पूंजी विनियोजन के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है जिससे राष्ट्रीय आय और रोजगार

के अवसरों में भी वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप राजस्व-वृद्धि होने से सरकार भी और अधिक बड़ा बजट बना सकती है।

विकास भी दो प्रकार का होता है, सम्भाव्य विकास और वास्तविक विकास। किसी भी देश के सम्भाव्य विकास का निर्धारण वहां के प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की मात्रा के आधार पर होता है। अगर सरकार की नीतियां रचानात्मक हैं, तो विकास की वास्तविक गति के द्वारा विकास की सम्भाव्य गति को प्राप्त किया जा सकता है।

बेरोजगारी की स्थिति भयावहरूप धारण करती जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या 53 लाख थी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में बढ़कर 96 लाख हो गई। 1969 के अन्त में ये आंकड़े 1 करोड़ 26 लाख हो गये और मेरा विश्वास है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 80 लाख हो जायगी। ये सभी आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किये गये हैं। किसी समय यह कहा जाता था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए और क्लर्कों के स्थान पर हमें इंजीनियर पैदा करने चाहिए। आज स्थिति यह है कि इंजीनियर भी बेरोजगार हैं। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर अधिक उद्योग स्थापित हुए होते और अधिक पूंजी विनियोजन हुआ होता, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था का भी विकास होता और परिणामस्वरूप इंजीनियरों को रोजगार मिला होता।

आपको और अधिक विस्तृत ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिए। 25 करोड़ रुपये प्रावधान करने से समस्या हल होने वाली नहीं है। आपको अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी। आपको ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि नवयुवक अपने गांवों में ही कम वेतन पर कार्य करें और राष्ट्र-निर्माण के कार्य में जुट जायें। इस प्रकार उन्हें रोजगार प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी ?

आवास की समस्या भी एक विकट समस्या है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गृह-निर्माण कार्यक्रमों में वृद्धि की जानी चाहिए। आवास निर्माण कार्यक्रम से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। इससे लोगों को आश्रय मिलता है और राजनैतिक असन्तोष भी कम होता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार किसी वर्ष विशेष को रोजगार वर्ष के रूप मनाये और उस वर्ष में सरकार लघु-उद्योग और मझोले स्तर के उद्योगों की स्थापना करे जिससे अनेक लोगों को रोजगार मिल सके।

मेरा यह भी निवेदन है कि 40,000 रु० से 50,000 रु० के बीच करों में वृद्धि बहुत अनुचित है। नौकरशाहों और आई० ए० एस० अफसरों ने अपनी विशेष सुविधाओं और ग्रेडों में वृद्धि कर ली है। नौकरशाहों ने स्वयं को करों की वृद्धि से बचा लिया है, जबकि बुद्धिजीवियों, व्यावसायिक व्यक्तियों, प्रबन्धकों, इन्जीनियरों और तकनीकी व्यक्तियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। बुद्धिजीवियों, व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के प्रति सरकार को उदारता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से कार्य करना चाहिए। हमारा प्रशासन इस प्रकार का होना चाहिए जिसके अन्तर्गत ईमानदार करदाताओं को परेशान न किया जाय और ईमानदार बनने में उन्हें प्रोत्साहन मिले।

मेरा यह भी निवेदन है कि करों के वर्तमान स्तर और कष्टसाध्य औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। जापान में एक उद्योग की स्थापना करने में दो वर्ष का समय लगता है, परन्तु हमारे देश में लाइसेंस प्राप्त करने में ही दो वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार चतुर्थ योजना में निर्धारित गैर सरकारी क्षेत्र के पूंजी-विनियोजन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भी विस्तार किया जाय, परन्तु उसकी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाय और उनके कार्यचालन में सुधार हेतु प्रयास किये जांय।

1966 में 289 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के लिए सहमति हुई थी, जो 1969 में घटकर 131 करोड़ रुपये रह गई। इसी अवधि में वास्तविक पूंजी 79 करोड़ रुपये से घटकर 45 करोड़ रुपये ही रह गई। इससे पता चलता है कि औद्योगिक प्रगति और विनियोजन में कमी आई है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुद्रा स्फीति को रोकने, जनता के जीवन-स्तर और रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए अधिकाधिक विनियोजन और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये। सरकारी नीतियों को विकास प्रधान होना चाहिए और प्राकृतिक तथा सैद्धान्तिक बाधाओं को मार्ग से हटा दिया जाना चाहिए जिससे विकास की गति तेज हो सके।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): Mr. Speaker, Sir, Economic progress of a country depends upon the economic and fiscal policies of the Government. From this point of view, this year's budget has been a major step towards that goal.

Shri Shanti Lal Shah and Shri Dandekar have criticised the budget. Policies of Swatantra are opposed to socialism. Shri Dandekar stated that if obstacles are put in the way of business, it would create more unemployment in the country. He also referred monopolists and twenty big business houses. It has been misfortune of the country that capital has been acquired by handful of people. Certain concrete steps have been taken by the Government during last one year to do away with the monopoly and a new atmosphere has been created as a result thereof.

I would like to submit to the Hon. Prime Minister and the Finance Minister that our country consist of more than half a million villages and economic development of our country depends upon the uplift of the village. It is a matter of regret that due attention has not been paid to the country side. Basic amenities such as means of communications, transport and medical facilities have not been provided even after twenty two years of independence. Big farmers and Jamindars have been benefited as a result of increased production of food-grains and green revolution. A very small number of villages have been electrified. Even after twenty-two years of independence, total irrigated area of agricultural land is only one fourth of total land. There is a great imbalance between the urban and the rural development which has to be removed.

The unemployment is growing at a very sharp rate. The tendency of running from rural areas to urban areas is also increasing. The reason is imbalance in the rural and urban development. Even the children of a farmer, come to cities in search of employment. All the people can not be provided employment and this results in violent and Naxalite activities and wide discontentment among the youths of the country. If villages are not developed and given due attention, all the socialist programmes would be useless.

Rajasthan has remained backward on account of certain geographical, economic and historical circumstances. Rajasthan has to suffer from famines every year and as a result thereof this State has to repay a loan of nearly Rs. 500 crores. Immediate atttention should be paid to its development. A scheme should be formulated to stop the increasing desert area of Rajasthan. Public sector industries should be established there. Rajasthan is a border State and it would be in the interest of country's security if irrigation facilities are provided to the farmers of border areas.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : We had hoped that Prime Minister would give some relief to the poorer section of the society. She has given concession to those persons who were not deserved for such relief of concession. Relief should have been announced on such items as kerosene oil, tea and sugar. Income tax limit should have been raised to Rs. 6,000/-. This has not been possible on account of the tax structure which is favourable to the rich only. It is, therefore, absolutely necessary that whole tax structure should be basically changed.

Employees are demanding need based minimum wage. This demand is just and proper, because prices of essential commodities have been shooting very high continuously for the last six years, and as a result thereof real wages of employees has been reduced by five per cent. On the other hand, the capital of monopolists have grown six times during the last twenty years. Demand for an interim relief is justified and it should be granted immediately. In reply to this just demand, it is said that the question has been referred to the Pay Commission.

The Finance Minister has talked much of social justice, but it is not put into practice. There is wide gap between the the pay scales of class III, class IV employees and those of higher officers. An increase of Rs. 500/- was granted in the pay and allowances of Chief Secretaries of State Governments, whereas on the other hand, demand for an interim relief is ignored by saying that the question has been referred to the Pay Commission. Wide publicity is given to social justice, but nothing is done to put it into practice.

Our tax collection system is so much reactive that nearly 5500 millions of rupees are pending as tax arrears. This system needs to be changed basically.

It is a matter of regret that the bill seeking abolition of privileges of I. C. S. officers could not be passed in this House. In this way we can not fulfil the aspirations of the people and can not build a society wherein people would have social justice and prosperity.

We are passing through a decisive stage of our history, at which country needs economic, social and political change most urgently. The Prime Minister has stated that long distances in the course of history are covered through short steps. This philosophy is wrong in this nuclear age. We should have a policy of taking long term courageous steps for solving the problems of the country.

A persistent demand has been raised to make atom bomb. The country who has nearly 40 million unemployed people and has to depend on other countries for food-grains can not have means to produce atom bombs. Keeping in view the current situation of the country, we have to develop our country first of all. China has become atomic power only after utilising its great man-power.

I want to submit a nine-point programme for the development of the country :

(1) Consolidation of agricultural land and distribution of surplus land among the landless, (2) Restriction of urban property, (3) Nationalisation of Import and Export trade, (4) Nationalisation of foreign oil companies, (5) Nationalisation of remaining foreign and Indian

Banks and also of general Insurance, (6) Abolition of Privy Purses, (7) Abolition of privileges of I. C. S. Officers, (8) Reorganisation of Administration and (9) Exclusion of property rights from the Constitution.

This Government is paying a large sum of money in the form of privy purses and pensions to ex-rulers and thousands of ex-officers who tried their best to crush the people and the freedom movement during British regime. We are making an experiment to bring about social change in the society. This is not the task of one single party. All the democrat and leftist people whether they belong to Congress, Communist or Socialist parties, should work unitedly and bring about a social awakening among the people.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक यथार्थवादी बजट प्रस्तुत किया है। शायद उग्र दक्षिणपंथी और उग्र वाममंथी इसका विरोध करेंगे। यह बजट इसीलिए यथार्थवादी है कि इसके द्वारा प्रधानमंत्री ने समाजवादी प्रक्रिया को तेज किया है। हम जानते हैं इस देश की जनता में असंतोष व्यापक तौर पर फैल रहा है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे संभव प्रयत्नों को शीघ्रातिशीघ्र करने का दृढ़ संकल्प किया है।

सदन में एक धारणा जोर पकड़ गई है कि विकास का मतलब केवल औद्योगिक विकास है। मगर विकास का सही अर्थ सभी आयवाले क्षेत्रों का विकास है जिसमें उद्योग, कृषि आदि सब आते हैं। यह सच है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति को दृष्टि में रखकर इस दिशा में विकास हेतु कुछ कदम उठाये गए हैं। मगर सरकार को औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प का पुनरीक्षण करना चाहिए क्योंकि वह बहुत हद तक पुराना और वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गया है।

जहां तक सामाजिक न्याय का संबंध है, यह माना गया है कि देश के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अत: इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिये और इस समस्या को शाश्वत रूप से हल करने के लिये कुछ और ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

छोटे किसानों की सहायता और ग्रामीण विकास कार्यों के लिये चालू वर्ष में कुछ कदम उठाये गए हैं। भले ही यह बहुत बड़ा कदम है, फिर भी यह इस गम्भीर समस्या के मुकाबले में अपर्याप्त है। अत: देश भर में व्याप्त असंतोष की लहरों को देखते हुए सरकार को व्यापक तौर पर कुछ ठोस एवं प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। विभिन्न जिलों में स्थापित की जाने वाली मुख्य परियोजनायें एक अच्छी शुरूआत है। मगर, यह शंकास्पद है कि केवल इस प्रयत्न के द्वारा हम जनता को अपने साथ ले सकते हैं। स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था कि कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह शुरूआत है। उन्होंने छोटे किसानों और हमेशा सूखा पीड़ित प्रदेशों की सहायता के लिए कुछ कदम उठाये हैं। अभी चौथी योजना का प्रारूप पूरा नहीं हुआ है इसीलिए धन राशि के आवंटन के संबंध में पुनर्विचार करना चाहिये ताकि इसी योजना काल में ही सारे जिलों में हम परियोजनायें स्थापित कर सकें और इसके द्वारा जनता की कठिनाइयां कुछ कम कर सकें।

1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था, उस समय हमने प्रतिरक्षा और साथ ही साथ विकास की दुधारी नीति अपनाई थी। प्रतिरक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान से हमेशा खतरा है। अतः मेरा निवेदन यह है कि हमारा विकास कार्यक्रम खासकर औद्योगिक विकास कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि वह निर्यात के उद्देश्य से चलाए जाने वाले उद्योग, कृषि और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके सिवा अन्य उद्योगों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेशों की प्रतिरक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, यह उन प्रदेशों के विकास कार्यों से गहराई से संबंधित है। उत्तरी बंगाल, सिक्किम, भूटान, नेफा, नागालैण्ड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा आदि उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बाहरी आक्रमण का खतरा अधिक बढ़ गया है। प्रधान मंत्री ने गत वर्ष 5 दिसम्बर को सदन में असम के विकास के लिये एक पैकेज कार्यक्रम बनाने की घोषणा की। यह कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। असम में रेल संचार की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए, जो वहां के संचार का एकमात्र साधन है। हमने कई बार मांग की थी कि बड़ी लाइन को गौहटी और तीनसुकिया तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि यह आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है। मगर इस प्रदेश के सामरिक महत्व को देखते हुए, जैसेकि पहले प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को निभाने के लिये कई स्थानों में रेल लाइन को बढ़ा दिया गया, इस प्रदेश में भी रेल लाइन को गौहाटी और तीनसुकिया तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। यह कहकर कि रेल बजट में राशि की कमी है, इस मांग को ठुकराना अनुचित बात है। प्रधान मंत्री द्वारा घोषित पैकेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी लाइन को बढ़ाना आवश्यक है।

अन्त में मैं फिर एक बार सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम के विकास के लिए, जोकि बहुत अधिक सामरिक महत्व का प्रदेश है, वे अधिकाधिक प्रयत्न करें और इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करें। मैं अपनी ओर से और असस की जनता की ओर से प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : सभापति महोदय, सरकार की कर नीति और केरल के साथ किए जाने वाले भेद-भाव पूर्ण व्यवहार पर विचार करने के पहले मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विचार करूंगा। 1967 में ये सितम्बर 19 को वहां के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन को लेकर हड़ताल हुई थी। सरकार ने इस बात को वित्तायोग के विचारार्थ रख लिया। सरकार ने नौकरी से हटा देना, कर्मचारियों का स्थानांतरण, सेवा में भंग करना आदि कड़ी कार्रवाई अपना ली थी, उसे अभी तक वापस नहीं लिया। केरल में अब भी 13 कर्मचारी नौकरी से बाहर हैं। कई मुकदमें अब भी वापिस नहीं लिये गए।

दूसरी बात है, अन्दमान, निकोबार आदि संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिये हड़ताल की है। क्या सरकार इस पर विचार करके, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

कांग्रेसी सरकार ने हमेशा जनता पर अप्रत्यक्ष कर का भार बढ़ाया है। बढ़ता हुआ अप्रत्यक्ष कर लोगों के वेतन का बहुत कुछ अंश छीन लेता है। वित्त मंत्रालय के तत्संबंधी एक अध्ययन में बताया गया है कि कुल उपभोक्ता परिव्यय में अप्रत्यक्ष कर का अनुपात 1958-59 में 5.7 प्रतिशत से 1963-64 में 10.1 प्रतिशत बढ़ गया। शहरों में यह 16.6 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

यह आश्चर्य की बात है कि उड़ीसा को छोड़कर शेष सारे राज्यों का उपभोक्ता परिव्यय केरल के परिव्यय से अधिक है। जब केरल उपभोक्ता परिव्यय 14 वीं श्रेणी में आता है, अप्रत्यक्ष कर के मामले में तीसरी श्रेणी में आता है। अखिल भारतीय स्तर पर उपभोक्ता परिव्यय 26.48 रुपय का, केरल में वह 23.67 रुपए था।

अगर 1963-64 के बाद के कर भार पर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि गत पांच वर्षों से कर का बोझ दुगुना हो गया। इस के द्वारा सरकार गरीब लोगों के मुंह से रोटी छीन रही है। समाजवाद का यही नमूना है। समृद्ध वर्ग कर अपवंचन और उन्हें मिलने वाली कर की छूट आदि का फायदा उठाकर असीम धन इकट्ठा कर रहा है, जबकि गरीब वर्ग दिवालिया बनता जा रहा है।

अत्यावश्यक वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, उसका आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दियासलाई से 28 करोड़ रुपये का कर प्राप्त होता है जबकि मोटर गाड़ियों से मिलने वाला कर भी लगभग उतना है। सूती कपड़ों से 49 करोड़ रुपये, साबुन से 18 करोड़ रुपये, चीनी से 80 करोड़ रुपये, चाय से 24 करोड़ रुपये और मिट्टी के तेल से 114 करोड़ रुपये सरकार को कर के रूप में प्राप्त होते हैं। मगर विकास की वस्तुओं पर लगाये गए कर उतना अधिक नहीं हैं। प्रशीतकों और वातानुकूलक यंत्रों से केवल 7 करोड़ रुपये कर के रूप में प्राप्त होते हैं। बिजली की वस्तुओं से केवल 25 लाख रुपये प्राप्त होते हैं।

अतः अत्यावश्यक वस्तुओं पर जो अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है। वह धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिये। इससे सरकार के बजट में जो घाटा होता है, बड़े उद्योगपतियों, और जमींदारों पर प्रत्यक्ष कर लगा कर पूरा किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार ने देश के कुछ भागों की बराबर उपेक्षा की। जो नीति अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने अपनाई थी, वही नीति कांग्रेस सरकार भी चला रही है। धनराशि के आवंटन के मामलों में कुछ राज्यों के साथ इस सरकार ने सौतेली मां जैसा व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में आर्थिक विकास नहीं हो पाया। केरल उन राज्यों में एक है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी सबसे पिछड़ा रहा।

केरल में कोई बड़ा सरकारी उपक्रम स्थापित नहीं हुआ, जहां रोजगार की विपुल संभावना हो। दो करोड़ की जनसंख्या वाले केरल में केवल दस लाख लोगों को रोजगार मिला है और आंशिक रोजगारी बीस लाख लोगों को मिली है। केरल में छोटा उद्योग खतरे में है। केन्द्रीय सरकार उद्योगों को या श्रमिकों को राहत पहुंचाने में पूर्णतः असफल रही।

सरकार नरेशों को क्षतिपूर्ति देने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए तैयार है, मगर पिछड़े हुए राज्यों के आर्थिक विकास के लिए उनके पास राशि नहीं है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी केरल जैसे पिछड़े हुए राज्यों को ऋण की सुविधा नहीं दी जाती। पांचवें वित्तायोग ने केरल के साथ न्याय नहीं किया। केरल में प्रति व्यक्ति आय 391 रुपए है जबकि भारत का 423 रुपये है जो 15 वर्षों के बाद 506 रुपये हो जाएगा। राज्य के योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि केरल का प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर तक उठाने के लिए चौथी योजना में 1188 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन आवश्यक है जिसमें 500 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए हो।

गत पन्द्रह वर्षों से कोचीन में जहाज निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता रहा है। खुशी की बात है कि मंत्री महोदय ने वचन दिया है कि जून महीने में इसका कार्य आरम्भ हो रहा है। क्या प्रधान मंत्री हमें स्पष्ट आश्वासन देंगी कि केरल में एक इस्पात कारखाना, पैट्रो केमिकल्स संयंत्र, पोलीस्टर तन्तुक कारखाना, मोटर गाड़ी के टायर का कारखाना और स्कूटर का कारखाना स्थापित किए जाएंगे ?

यदि सरकार केरल की जनता की वैध मांगों को पूरा नहीं करती, तो वह एक साथ मिलकर दिल्ली के बादशाहों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठायेगी और उनका शासन रूपी जुआ उठाकर दूर फेंक देगी।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कई बातों से मैं सहमत नहीं हूं। माननीया प्रधान मंत्री ने कुछ स्पष्ट लक्ष्यों से प्रेरित होकर बजट बनाया है। यह लक्ष्य है अर्थव्यवस्था में सुधार करना, जिसमें कई सालों से गतिरोध कायम हुआ था।

बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने बैंक के जमाव से 3,000 रुपए तक ब्याज को, कंपनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश को, और सरकारी प्रतिभूतियों को आय कर से मुक्त कर दी। संशोधन में कई अन्य मदों को मिलाया जा रहा है। उसी समय से लेकर विनियोजन में वृद्धि हो रही है। इक्विटी शेयर का मूल्य 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है। माननीय मित्र श्री दांडेकर ने आरोप लगाया कि इक्विटी शेयर के मूल्य में ह्रास हो रहा है। यह गलत है। गत वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई है। हमारा निर्यात व्यापार कुल 1420 करोड़ रुपये के मूल्य का हो गया। आयात में बहुत कमी हुई और अब वह केवल 1530 करोड़ रुपये का है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में काफी सुधार हुआ। 1969 में मूल्य में केवल 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन 10 करोड़ टन होने की संभावना है और औद्योगिक उत्पादन में भी 7.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह सारी बातें हमें प्रोत्साहन देने वाली हैं और इसका सारा श्रेय प्रधान मंत्री को है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिए हमें कड़ी सावधानी बरतनी होगी।

औद्योगिक उत्पादन में विकास, उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग और कुछ हद तक मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुआ है। वित्त मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है। 1966 से 1969 तक के चार वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में मंदी हुई थी। इस समय की औसत वृद्धि 3 प्रतिशत थी जब कि 1961 से 65 तक के समय में यह 9 प्रतिशत थी। इस से यह बात स्पष्ट होती है कि

औद्योगिक उत्पादन में कुल 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि गत चार वर्षों में वह केवल 10 प्रतिशत रह गई। यह मूल्य में वृद्धि और पूरी क्षमता के उपयोग के कारण है। निजी कंपनियों द्वारा की गई पूंजी की निकासी से भी यह बात स्पष्ट होती है। 1969 में यह 102 करोड़ रुपये थी जो कि 1966 में 339 करोड़ रुपये थी। 1969 के पूर्वार्द्ध में पूंजी विनियोजन 22 करोड़ रुपए है जो 1968 में 40 करोड़ रुपए था।

नये उद्योग स्थापित करने की गति बहुत धीमी है। इस विषय पर गम्भीर विचार एवं कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

कृषि क्रान्ति एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। इस मांग को पूरा करने तथा बढ़ी हुई निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र नये उद्योगों की स्थापना की जाय, चाहे ये उद्योग सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में। सभी चुनौतियों का सामना करने के लिये जब तक 15 प्रतिशत की विकास दर से हमारे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो प्रगति के साथ चलना कठिन होगा। अतः तेजी से नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता है।

हाल ही में 1 करोड़ रुपये के निवेश पर लाइसेंस समाप्त कर दिये हैं। लेकिन यह केवल 6 मास की अवधि के लिये है। ऐसे कई पदार्थ हैं जिनका उत्पादन केवल मात्र 1 करोड़ रुपये के निवेश से नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे उद्योग जिनमें 1 करोड़ से अधिक पूंजी आवश्यक है और मशीन एवं संयंत्र आदि देश में ही उपलब्ध हो जाते हैं और कच्चे माल को बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे उद्योगों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। ऐसी वस्तुओं के मामले में सीमा बढ़ाकर चार या पांच करोड़ कर देनी चाहिये और केवल यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि उन उद्योगों को पूंजीगत माल के आयात के लिये अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की कई परियोजनाओं के लिये आवेदन पत्र दीर्घकाल से अनिर्णित पड़े हुये हैं। इस ओर तुरन्त ही कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे इन परियोजनाओं से शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन प्राप्त हो सके। प्रधान मंत्री ने जो 3 स्टील संयन्त्रों की घोषणा की है, हमें उससे हार्दिक प्रसन्नता है और आशा करते हैं कि इस ओर शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जायगा।

सामान्य रूप से यह महसूस किया जा रहा है कि उद्योग मंत्रालय बहुत ही कठोर है। किसी मामले में अन्तिम निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। यदि ऐसा है तो गतिरोध को दूर करने के उपाय किये जायं जिससे लोग नये उद्योग स्थापित करने के लिये आगे बढ़ें। मुझे पता चला है कि लाइसेंस समिति का कार्यवाही सारांश दूसरे मंत्रालय को भेजने में दो या 3 माह लग जाते हैं। यदि ऐसा है तो कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जाय जिससे निर्णयों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके।

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में इस बात पर बल देना है कि तीव्रगति से उत्पादन हो।

जो कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिये, उत्पादन बढ़ाने के लिये और देश की मांगों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ता है, उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

शोलापुर औद्योगिक शहरों में से एक है परन्तु वहां कोई विमान सेवा न होने के कारण वहां का विकास रुका हुआ है । हम जुम्बो जैटों के लिये हवाई अड्डों के निर्माण के लिये 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं परन्तु हम छोटे शहरों के विकास के लिये 5 लाख रुपया खर्च करने के लिये तैयार नहीं हैं । इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

कपड़ा उद्योग की हालत खराब है । वास्तव में तीन मंत्रालय-कृषिमंत्रालय, वैदेशिक व्यापार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इसके लिये उत्तरदायी हैं । कपास उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और कीमतें 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों में सम्मिलित किया जाय ।

भविष्य निधि तथा बीमा प्रीमियम में अंशदान के लिए छूट की सीमा है 30 प्रतिशत या 15000 रुपये में जो भी कम है । यह 30 प्रतिशत या 20,000 में जो भी कम है, उसपर होनी चाहिए ।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में नियमित करों को 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है जबकि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में यह केवल 55 प्रतिशत है । इस भेदभाव के लिये कोई संगत कारण नहीं है अतः इसे दूर किया जाना चाहिये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : This is the time when we should make histories and not only laws. But this finance bill has got nothing to do with it because there is no philosophy in that. Prime Minister's budget speech was nothing but a statistical gymnastic. As regards statistics Pandit Nehru used to say that these figures are meaningless so far as there are hungry and unemployed people in our country. Nothing has been said in the statement of objects regarding the achievements of the bill.

The proposals of the finance bill would not provide any materialistic gain to the general people and contrary to that people will be more burdened.

The Prime Minister has announced certain concessions but they are not to help the people in general. As regards tea, the concessions are helpful to small tea producers but there is practically no relief to the consumers. I would like to know as to who are these small tea producers? This is a profitable business and even the smallest producer gets the maximum benefit out if it. The concessions regarding wealth tax are also helpful to the people who are better placed.

** लाल किले के निकट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा
STATUE OF NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE NEAR RED FORT**

सभापति महोदय : यह आधे घंटे की चर्चा जो 29 अप्रैल, 1970 को होनी थी, स्थगित कर दी गई थी । अब उसी पर चर्चा होगी ।

**आधे घंटे की चर्चा

**Half an hour Discussion.

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार): यह आधे घंटे की चर्चा 6 मार्च, 1970 के प्रश्न संख्या 1812 से सम्बद्ध है।

लाल किले के सामने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। पिछले वर्ष एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि हम नेताजी की प्रतिमा को लालकिले के साथ लगाना चाहते हैं। लालकिले में इसे किस जगह पर स्थापित किया जायगा इस मामले पर विचार करना और निर्णय लेना बाकी है। यह अभी विचाराधीन है।

1965 में गृह-निर्माण एवं नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी थी जिसका काय विभिन्न स्थानों पर देश के नेताओं की प्रतिमा स्थापित करना था। परन्तु तभी से यह मामला लटका हुआ है। अनेक बार नेता जी की प्रतिमा के बारे में प्रश्न पूछे गये परन्तु उत्तर यही मिला कि एक समिति बनाई गयी है और मामला विचाराधीन है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार कब तक अन्तिम निर्णय लेगी कि लाल किले के सामने किस जगह पर प्रतिमा स्थापित की जाय।

आज सारा देश यह अनुभव करता है कि लाल किले के सामने नेता जी की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिये। मेरठ में अखिल भारतीय आजाद हिन्द संघ के राष्ट्रीय संयोग में 1 मई 1970 को एक संकल्प भी पारित किया गया जिसमें यह मांग की गई कि नेता जी की प्रतिमा लाल किले के परकोटा पर स्थापित की जाय। दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली क्षेत्रीय प्रशासन ने भी ऐसा ही संकल्प पारित किया है। आजाद हिन्द फौज संगठन भी सरकार से इसी आशय की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

इस संबंध में सरकार के अन्तिम निर्णय से देश का सम्मान होगा।

हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को इतना बल नेता जी से ही मिला क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व किया और बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना कायम की तथा आजाद हिन्द सरकार बनाई। 15 मार्च, 1946 को इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधान मंत्री लार्ड एटली ने भारत की स्वतंत्रता का विधेयक पेश किया तो उन्हें हाउस आफ कामन्स में यह कहना पड़ा कि भारतीय शस्त्र सेनाओं में तीव्र राष्ट्रीय भावना सत्ता के हस्तांतरण के लिये बाध्य करने वाली परिस्थितियों में से एक है। स्वतंत्रता संघर्ष के समय नेताजी के समक्ष सम्पूर्ण भारत का चित्र था न कि किसी देश के किसी एक भाग का। 5 जुलाई, 1943 को जब उन्होंने आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व सम्भाला तो उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलने का आदेश दिया। उन्होंने सैनिकों को बताया कि भारत और उसकी जनता हमें पुकार रही है।

महोदय ! आजाद हिन्द फौज यद्यपि दिल्ली न पहुंच सकी किन्तु इतना अवश्य है कि उसने अंग्रेजों को शीघ्र भारत छोड़ने पर विवश कर दिया।

स्वयं महात्मा गांधी ने यह कहा था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय सेना को नई दृष्टि तथा नया आदर्श प्रदान किया है। प्रति वर्ष लाल किले पर प्रधान मंत्री का भाषण

होता है तथा सेना की टुकड़ियां 'जय हिन्द' का नारा लगाती हैं। किन्तु इन सभी बातों पर विचार करने के उपरान्त हमें ज्ञात होता है कि सरकार ने अभी तक नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय नहीं किया है।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार के सामने किसी भी संगठन ने यह प्रस्ताव नहीं रखा हैं कि वह नेताजी की मूर्ति स्थापित करना चाहता है। इससे यह भी विदित होता है कि सरकार नेताजी की मूर्ति पर कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। सरकार ने गांधी समाधि पर 33,53,825 रुपये जवाहर लाल नेहरू समाधि पर 8,72,614 रुपये तथा लाल बहादुर शास्त्री समाधि पर 1,35,285 रुपये खर्च किये हैं। गांधी शताब्दी तथा गालिब शताब्दी पर भी भारी धन खर्च किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आशा की जाती है कि सरकार को नेताजी की मूर्ति पर भी 10-20 लाख रुपये खर्च करने चाहिये तथा उनको भी राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिये।

सरकार का यह कहना भी सच नहीं है कि किसी संगठन ने नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं किया है। आजाद हिन्द फौज संगठन ने यह कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो यह संगठन मूर्ति पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करने के लिये प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त भारत की जनता नेताजी के सम्मान में इतना धन जुटा सकती है तथा संसद-सदस्य भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह लाल किले के सामने नेताजी की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करे। भारतीय जनता नेताजी की मूर्ति के लिये लाल किले के अतिरिक्त और किसी स्थान को नहीं चुनेगी। अतः उनकी मूर्ति लाल किले के सामने ही तथा ध्वज स्तम्भ के नीचे ही स्थापित की जानी चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : महोदय ! नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति नहीं स्थापित की जानी चाहिये। सरकार ने गांधीजी की मूर्ति भी अभी तक स्थापित नहीं की है जबकि गांधी शताब्दी समाप्त हो गई है। नक्सलवादियों पर आरोप लगाये जाते हैं किन्तु सरकार स्वयं उनसे अधिक है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं स्वयं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का अत्यन्त सम्मान करता हूं। वह हमारे आदरणीय नेता रहे हैं तथा देश के इतिहास में उनका नाम देश रक्षक के रूप में अमर रहेगा। माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं। जहां तक नेताजी की मूर्ति की स्थापना का सम्बन्ध है सरकार ने इस बारे में अस्थाई निर्णय किया था तथा इस बारे में अन्तिम निर्णय लेना आवश्यक था। मैं इस सम्बन्ध में कोई घोषणा तो नहीं कर रहा हूं किन्तु इस मानचित्र के अनुसार जहां चांदनी चौक समाप्त होता है उसके एक ओर तो लोक मान्य तिलक की मूर्ति स्थापित करनी है तथा दूसरी ओर सुभाष बाबू की मूर्ति स्थापित करनी है।

दुर्भाग्य से यह विषय गृह-कार्य मंत्रालय में चला गया था तथा अब कुछ ही दिन पहले यह इस मंत्रालय में आया है। अब सरकार ने एक समिति नियुक्त की है तथा इसे सभी मूर्तियों की स्थापना के विषय में सुझाव देने हैं **(व्यवधान)** दूसरा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा

गांधी की मूर्ति के अतिरिक्त सभी की मूर्तियां किसी न किसी संगठन द्वारा प्रायोजित की गई थीं (**व्यवधान**) नेताजी में मेरी भारी आस्था है। वह बड़े अनुशासनशील थे तथा मैंने उनसे अनुशासन में रहना सीखा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चर्चा का विषय है कि नेताजी की लाल किले के सामने मूर्ति स्थापित की जाये। इस समय हमें अन्य मूर्तियों में कोई रुचि नहीं है मैं चाहता हूं कि सदन में व्यक्त की गई भावनाएं उस समिति तक पहुंचा देनी चाहिये जिसका अभी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है। खेद की बात यह है कि मंत्री महोदय अभी भी यह नहीं बताना चाहते कि नेताजी की मूर्ति वहां स्थापित की जायेगी अथवा नहीं।

श्री के० के० शाह : क्या आप समझते हैं कि आप ही नेताजी के अनुयायी हैं हम नहीं हैं ? कभी-कभी मैं अनुभव करता हूं :

जब वक्त आया गुलिस्तां पर
खून हमने दिया।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय ! माननीय मंत्री ने उर्दू का एक शेर बोला है। मेरा निवेदन है कि जब मैं 17 वर्ष का था तो नेताजी से मिला था तथा उन्होंने मुझे यह लिख कर दिया था कि स्वतन्त्रता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिये संघर्ष करते हैं। मैं नेता जी का कट्टर अनुयायी हूं तथा निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपनी आयु का लाभ न उठाएं।

श्री के० के० शाह : मेरा तात्पर्य आप से नहीं है। हम सभी उनके अनुयायी हैं। मैंने यह निवेदन किया है कि लालकिले के सामने जहां चांदनी चौक समाप्त होता है वह स्थान नेताजी की मूर्ति के लिये चुना गया है। बाद में यह समझा गया कि यह स्थान इसके लिये उपयुक्त नहीं रहेगा। अतः सरकार ने उपयुक्त स्थान जानने के लिये समिति की नियुक्ति की है। साथ ही मैं यह नहीं समझ पाया कि महात्मा गांधी की मूर्ति के बारे में प्रश्न क्यों उठाया गया है नेताजी के लिये हमारे हृदय में बड़ी आस्था है किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें उनकी आस्थियां भी प्राप्त नहीं हो सकीं जिनपर उनकी समाधि बनाई जा सकती। वह सम्पूर्ण भारत के नेता थे तथा उनकी अकाल मृत्यु से पूर्ण देश को क्षति हुई है। किन्तु मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय क्षति का किसी राजनीतिक दल को अनावश्यक लाभ नहीं उठाना चाहिये।

जहां तक मूर्ति की स्थापना का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यथाशीघ्र उसकी स्थापना की जायेगी। साथ ही सदन में माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनको समिति तक पहुंचा दिया जायेगा।

श्री बे० कु० दासचौधरी : महोदय ! मैं स्पष्टतः यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लाल किले के सामने नेताजी की मूर्ति लगायेगी तथा क्या मूर्ति का सारा व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी ?

श्री के० के० शाह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि सदन की भावनाओं को बाहर करते हुये इस प्रश्न पर यथाशीघ्र निर्णय किया जायेगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak): May I know whether the hon. Minister is in position to tell us that the statue of Netaji Bose would be erected only at the rampart of Red Fort and that place would be named as Netaji Ground? I personally feel that the Red Fort should also be named as Netaji Fort but since certain implications might come in the way of this name I do not want to assert on the proposal. At this stage, I think, there is no need to refer this matter to the committee. Now the only point is that by what time the statue of Netaji will be erected there. It is the demand of the entire country that there should be such a grand statue of Netaji there through which the people of the country may gather inspiration.

Besides, thousands of soldiers of I.N.A. had sacrificed their lives for the liberation of the mother-land. A memorial should also be installed in the memory of those freedom-fighters. I also submit that the Military Academy should be renamed as Netaji Academy. I request the hon. Minister that he should convey this suggestion to the Minister of Defence that those Military Personnel who render meritorious service should be awarded 'Netaji Chakra' which is required to the introduced.

श्री समर गुह (कन्टाई): भारतीय जनता नेताजी को अपना सबसे महान नेता और क्रांतिकारी देश भक्त मानती है। उनके बलिदान और संघर्ष के संकल्प की तुलना नहीं की जा सकती। किन्तु बड़े खेद की बात है कि सरकार उनके सैनिक नेतृत्व को अभी भी मान्यता नहीं दे रही है। भारतीय सेना में दृढ़ता और देश भक्ति भरने वाले केवल नेताजी ही थे। मैं कई जापानी जनरलों से मिला हूं और उन्होंने नेताजी के बारे में कहा है कि नेताजी जैसा महान व्यक्ति पाकर कोई भी देश अपने ऊपर गर्व कर सकता है। डा० लोरल ने, जिन्हें फिलिपाइन का राष्ट्रपिता कहा जाता है मुझे बताया कि मैं विश्व के जितने महान व्यक्तियों से मिला हूं उनमें से चन्द्र बोष सबसे महान थे। किन्तु खेद है प्रतिरक्षा मंत्री ने नेताजी की महानता को मान्यता नहीं दी।

नेताजी ने स्वतंत्रता का प्रतीक लाल किला ही क्यों चुना? इसका कारण है कि बहादुर शाह ने 1857 में यहीं से पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था।

श्री जगन्नाथ राव ने मुझे एक पत्र का उत्तर देते हुये लिखा था कि यदि नेताजी की मूर्ति की स्थापना के लिये वित्तीय व्यवस्था की गई तो लाल किले के पास इसके लिये स्थान दिया जा सकता है।

वास्तव में लाल किले के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान नेताजी की मूर्ति के लिये उपयुक्त हो ही नहीं सकता। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि समिति ने जिसे यह फैसला करने का काम सौंपा गया है कि मूर्ति की स्थापना कहां और कैसे हो यदि कोई अन्य स्थल चुना तो सरकार को उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। भारतीय जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी।

दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी और नेताजी बोस के कार्यों की किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्यों से तुलना नहीं की जा सकती। अतः सरकार को इनकी मूर्तियों की स्थापना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये। जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है यह प्रश्न इतना गम्भीर नहीं है। भारत की जनता उसकी व्यवस्था कर सकती है। आजाद हिंद फौज संघ

ने भी इसका प्रस्ताव रखा है। किन्तु मुख्य बात यह है कि सरकार मूर्ति के लिये स्थल देने के बारे में पूरा वायदा करे।

मंत्री महोदय ने नेताजी की अस्थियों की चर्चा की है। आप जानते हैं कि नेताजी से सम्बन्धित रहस्यों का उद्घाटन करने के लिये फिर से जांच की जा रही है। ईश्वर करे वह जीवित हों और हमारा मार्गदर्शन करें।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय ! सरदार इकबाल सिंह ने अपना संकल्प इसलिये वापस ले लिया था क्योंकि पं० नेहरू ने उस समय बताया था कि नेताजी की मृत्यु की बात विवादास्पद है। अब चूंकि इस बात की फिर से जांच हो रही है अतः माननीय मंत्री को अस्थियों की बात नहीं कहनी चाहिये थी। (**व्यवधान**) हम इस समय केवल यह जानना चाहता हूं कि लाल किले के सामने नेताजी की मूर्ति स्थापित की जायेगी या नहीं।

दूसरी बात यह है कि इण्डिया गेट के निकट खाली पड़े स्थल पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित होनी चाहिये।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि हमें भगत सिंह को भी नहीं भूलना चाहिये जिसने यहां बम फेंकने का साहस किया था। उनकी मूर्ति भी संसद् के सामने स्थापित होनी चाहिये।

Shri Manibhai J. Patel (Damoh) : Sir, India has been blessed with certain great leaders such as Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Pandit Nehru, Subhash Chandra Bose and others. My submission is that the statues of all these great leaders should be erected side by side in Delhi and also in all other states of the country. Not only this but the statues of all the political as well as the religious great leaders should be erected along with the statue of Netaji and others. By doing so the people may feel inspired when all the images of our great leaders are seen at one place. I am sorry to mention that I could not see a single statue of Netaji erected by the Government in Madhya Pradesh. I request, therefore, that the Government should instal the statue of Netaji in each states of the country.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Sir, in the different States the form of the statues of Netaji Bose differs considerably. May I know whether the Government would provide an ideal statue of Netaji and announce that any change in the form of the statue would not be allowed ?

श्री के० के० शाह : महात्मा गांधी की मूर्ति के बारे में मैं स्पष्ट रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि उसे शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सुभाष चन्द्र बोस की ऐसी मूर्ति बनाने का प्रयास किया जायेगा जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 5 मई, 1970/15 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 5, 1970/Vaisakha 15, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 28-10-70—340.